

**UTTAR PRADESH SHASAN
SHRAM ANUBHAG-3**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 500...../XXXVI-03-2026-1903305 dated 23 March, 2026:

NOTIFICATION

No. 500...../XXXVI-3-2026-1903305
Lucknow, Dated : 23 March, 2026

WHEREAS, subsequent to the enactment of the Occupational Safety, Health And Working Conditions Code, 2020 (Act no. 37 of 2020) the Government of Uttar Pradesh had framed the Uttar Pradesh Occupational Safety, Health and Working Condition Code Rules, 2021 which was published in the Official Gazette vide notification no.9 /2021/584-/36-03-2021-109(Sa)-2020 dated 23 March, 2021 inviting objections and suggestions thereon as required under sections 133 and 135 of the aforesaid Code;

ANDWHEREAS, after considering objections and suggestions received in respect of the aforesaid draft rules, the Uttar Pradesh Occupational Safety, Health and Working Condition Code Rules, 2021 were published in the Official Gazette vide notification No. 1365/36-03-2022-109(Sa)-2020 dated 03 August, 2022, however the said rules were not brought into force, as the Occupational Safety, Health And Working Conditions Code, 2020 was not operational at that time;

AND WHEREAS, vide Notification No. CG-DL-E-21112025-267884, dated 21 November, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, S.3 (ii) the Occupational Safety, Health And Working Conditions Code, 2020 (Act no. 37 of 2020) has been brought into force;

AND WHEREAS after commencement of the aforesaid Code, the Central Government has published a new draft of the Code on Occupational Safety, Health And Working Conditions (Central) Rules, 2025 vide notification No. CG-DL-E-

31122025-268944, dated 30th December, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, S.3(i);

AND WHEREAS upon the operationalisation of the aforesaid Code and publication of the draft rules by the Central Government, it has become necessary for the State Government to frame, publish, finalise, and notify the corresponding rules in the State of Uttar Pradesh afresh in order to ensure consistency with the operational framework of the Code;

NOW, THEREFORE, the following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 133 and 135 of the Occupational Safety, Health And Working Conditions Code, 2020 (Act No. 37 of 2020) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) and in suppression of,-

- I. the Uttar Pradesh Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules, 1975,
- II. the Uttar Pradesh Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 1983,
- III. the Uttar Pradesh Bidi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Rules, 1969,
- IV. the Uttar Pradesh Factories Rules, 1950,
- V. the Uttar Pradesh Factories (Welfare Officers) Rules, 1955, and
- VI. the Uttar Pradesh Factories (Safety Officers) Rules, 1984,
- VII. the Uttar Pradesh Building and Other Construction (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2009
- VIII. the Uttar Pradesh Code on Occupational Safety, Health And Working Conditions Rules, 2021

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified as required by section 137 of the aforesaid Code for information of all persons likely to be affected thereby and with a view to inviting objections and suggestions in respect thereof;

All objections and suggestions with respect to the aforesaid draft rules shall be sent in duplicate addressed to the Principal Secretary, Shram Anubhag-3, Uttar Pradesh Shashan, Babu Bhawan, Lucknow-226001 and Labour Commissioner, (Shram Sudhar Prakostha) Office at G.T. Road, Kanpur.

Only those objections and suggestions which are received within forty-five days from the date of publication of this Notification will be taken into consideration.

DRAFT RULES

The Uttar Pradesh Occupational Safety, Health and Working Conditions Rules, 2026

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement	1.	<p>(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Occupational Safety, Health and Working Conditions Rules, 2026.</p> <p>(2) They extend to whole of the State of Uttar Pradesh.</p> <p>(3) These rules shall apply to factories, workplaces relating to building or other construction works and all other establishments.</p> <p>(4) They shall come into force from the date of their final publication in the official Gazette.</p>
Definitions	2.	<p>In these rules, unless the subject or context otherwise requires,-</p> <p>(a) "Appendix" means the Appendix as appended to these rules;</p> <p>(b) "approved" means approved in writing by the 'Chief Inspector-cum-Facilitator or the Officer or the Licencing Authority' notified by the State Government in this regard, as the case may be;</p> <p>(c) "Authority" means and include committees as designated, by notification, by the State Government under different sections of the Code;</p> <p>(d) "Appellate officer" means the officer notified by the State Government under section 4 of the Code;</p> <p>(e) "Appellate authority" means the Appellate Authority as prescribed by the State Government under sub-section (6) of section 119 of the Code;</p> <p>(f) "Apprentice" means an apprentice as defined under clause (aa) of section 2 of the Apprentices Act, 1961(Act No. 52 of 1961);</p> <p>(g) "belt" includes any driving strap or rope;</p> <p>(h) "Board" means the Board constituted under section 17 of the Code;</p> <p>(i) "Calender Year" means the period of twelve months beginning with the first day of January ;</p> <p>(j) "Chief Inspector-cum-Facilitator" means Chief Inspector-cum-Facilitator of Uttar Pradesh for establishments as appointed by the State Government through notification:</p>

	<p>Provided that for the purpose of factories and for the provisions related with health, safety and welfare of employees/workers under the Code and rules made thereunder, Chief Inspector-cum-Facilitator shall be the person appointed as Director of Factories for Uttar Pradesh;</p> <p>(k) "Chief Medical Officer" means any person appointed as Chief Medical Officer by the State Government;</p> <p>(l) "continuous process" means a process in a factory or a part of factory wherein the process is carried on in as declared in Schedule-II;</p> <p>(m) "child" shall have the same meaning as assigned to it in Clause (ii) of section 2 of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986(Act No. 61 of 1986);</p> <p>(n) "Code" means the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (Act No. 37 of 2020);</p> <p>(o) "degrees" (of temperature) means degrees on the centigrade scale;</p> <p>(p) "Designated Authority" means a Gazetted Officer/ Committee of the State Government appointed for the purpose of section 46 and sub-section (1) of Section 119 of the code;</p> <p>(q) "Director of Factories" means any person appointed as Director of Factories by the State Government, as per "the Uttar Pradesh Labour Department (Factories and Boilers Division) Officers Service Rules, 1980" as amended from time to time;</p> <p>(r) "electronically" includes maintaining efficient and transparent payroll software so that the requisite information may be seen in a systematic manner for the purposes of attendance register, muster roll, leave register, over time register or wages register, etc;</p> <p>(s) "Form" means the form appended to these rules;</p> <p>(t) "fumes" includes gas and vapour;</p> <p>(u) "hazardous substances" means the chemicals which are defined in clause (e) of rule 2 of the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989 or any other such substance which the State Government or the Central Government may notify from time to time;</p> <p>(v) "Hazardous waste" means the hazardous waste as defined in clause (17) of sub-rule (1) of rule 3 of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016;</p> <p>(w) "Home worker" means a person who is given raw material by employer or a contractor for makeup <i>beedis</i> at home.</p> <p>(x) "Labour Commissioner" means any person appointed as Labour Commissioner of Uttar Pradesh by the State Government;</p> <p>(y) "Licencing Authority" means the authority as appointed under various sections of the Code by the State Government;</p> <p>(z) "Licencing Officer" is the authority as appointed under various sections of the Code by the State Government;</p> <p>(aa) "Major Accident Hazard (MAH) installation" means as defined in rule 2 (ja) of Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989;</p> <p>(bb) "Manager" means a person nominated or appointed by the employer of an establishment for the purposes of the Code and rules made thereunder and the person by his position possesses the administrative control over the affairs entrusted</p>
--	---

		<p>with;</p> <p>(cc) "National Standards" means standards as approved by the Bureau of Indian Standards and in the absence of such standards; the standards approved by the State Government for a specific purpose;</p> <p>(dd) "Other Apprentice" means a person who is undergoing any contractual training under a contract with the employer other than one under Apprentices Act, 1961;</p> <p>(ee) "Other Establishment" means establishment other than Contract Labour, Inter-state migrant workers, Audio-visual workers, Beedi and Cigar workers, Building and Other Construction workers, Factories, Plantation.</p> <p>(ff) "Part Time Worker/Employee" means a person who works for less than half of a normal days work under the Code;</p> <p>(gg) "Portal" means official web-portal of Labour Department, Government of Uttar Pradesh;</p> <p>(hh) "Public Health Authority" means the Local Health Officer having jurisdiction over the area;</p> <p>(ii) "Qualified Nurse" means a person who possesses a qualification in nursing recognized under the Indian Nursing Council Act, 1947, and who is registered with the Uttar Pradesh Nurses and Midwives Council, or otherwise, or a similar registered body of any other State in India;</p> <p>(jj) "Quarter" means a period of three consecutive months beginning from the 1st of January, the 1st of April, the 1st of July or the 1st of October;</p> <p>(kk) "Registering Officer" means the Registering Officer appointed by the State Government for the purpose of section 3 of the Code and these rules;</p> <p>(ll) "Section" means the section of the Code;</p> <p>(mm) "Standard Operating Procedures (Safety)" - means the practice followed for the safety and health of workers and safe operation of machinery, process and equipment used in such practices and such practices conform to all or any of the following, namely:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. relevant standards approved by the Bureau of Indian Standards or International Standards; 2. National Building Code; 3. manufacturers instruction on safe use of equipment and machinery; 4. Code of practice on safety and health practices published by International Labour Organisation and amended from time to time. <p>(2) All the words and expressions used in these rules and are not defined shall have the meaning respectively assigned to them under the Code.</p>
Income from other sources under clause (x) of sub-section (1) of section 2	3.	For the purposes of clause (x) of sub-section (1) of Section 2, such dependents shall not be included who are, for the time being getting wages equivalent to or more than minimum wages applicable to that industry.
Appointment of Competent person under clause (l) of sub-section (1) of section 2	4.	(1) The Chief Inspector-cum-Facilitator may recognize any person as a competent person within such area and for such period as may be specified for the purposes of carrying out tests, examinations and inspections for such buildings, dangerous

machinery, hoists and lifts, lifting machines and lifting tackles, pressure plants, confined spaces, ventilation systems and such other processes or plants and equipments as stipulated in the Code and the Rules made thereunder, located in a factory, if such a person possesses the qualifications, experience and other requirements as set out in Schedule-I annexed to these rules:

Provided that the Chief Inspector-cum-Facilitator may relax the requirements of qualifications in respect of a Competent Person, if such a person is exceptionally experienced and knowledgeable, but not the requirements in respect of the facilities at his command:

Provided further that the Competent Person recognized under this provision shall not be more than 65 years of age and shall be physically fit for the purpose of carrying out tests, examinations and inspections.

- (2) The Chief Inspector-cum-Facilitator may recognize an institution of repute, having persons possessing qualifications and experience as set out in the Schedule-I annexed to the rule for the purpose of carrying out tests, examinations and inspections for buildings, dangerous machinery, hoists and lifts, lifting machines and lifting tackles, pressure plants, confined spaces, ventilation systems and such other process or plants and equipments as are stipulated in the Code and the rules made thereunder, as a competent person, within such area and for such period as may be specified.
- (3) The Chief Inspector-cum-Facilitator may on receipt of an application electronically or otherwise in Form-1, from a person or an institution intending to be recognized as a Competent Person for the purposes of the Code and the rules made thereunder, register such application and within a period of thirty days of the date of receipt of application, reject the application for reasons to be recorded in writing or if satisfied about the competence and facilities available at the disposal of the applicant, recognize the applicant as a Competent Person and issue a certificate of competency in Form-2 electronically or otherwise.
- (4) The competent person or the institution shall send a monthly report to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction by 10th day of every month. The report shall contain name and address of establishments where testing / examinations had been done, name of the persons who visited the establishment, date of visit and list of equipments with identification number so examined. The competent person shall also furnish any other information that an Inspector-cum-Facilitator may require for the purpose of satisfying himself whether any provision of the rule or instructions have been complied with or not. He shall also report immediately if during his visit he feels that existence of any imminent danger to life exists in the establishment.
- (5) The Chief Inspector-cum-Facilitator may, after giving an opportunity of being heard to the person recognized as a Competent Person revoke the certificate issued to him under

	<p>sub rule (3):</p> <p>(i) if he has reason to believe that the competent person:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. has violated any of the conditions stipulated in the certificate; or b. has carried out a test, examination and inspection or has otherwise carried them in a manner inconsistent with the intent or the purpose of the Code or the rules made thereunder; or c. has omitted the act as required under the Code and the rules made thereunder; <p>(ii) for any other reason to be recorded in writing.</p> <p>Explanation.—For the purpose of this rule, an institution includes an organization.</p> <p>(6) The Chief Inspector-cum-Facilitator may, for reasons to be recorded in writing, require re-certification of lifting machines, lifting tackles, pressure plants or ventilation systems, as the case may be, which has been certified by a competent person outside the State of Uttar Pradesh.</p>
--	--

CHPATER-II
Registration of Establishment

<p>Manner and form of filing an application for registration, fee and late fee under section 3</p>	<p>5.</p> <p>(1) Form of filing application-</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) The employer seeking registration for an establishment shall apply electronically in Form-3 on the web-portal specified for this purpose by giving details about the establishment, and uploading requisite documents, proof of identity and address of the employer(s) as specified in the said form. (b) The said form shall be signed digitally or in any other manner as may be required on the portal. The applicant shall be responsible for veracity of all the information submitted in the application. (c) The Permanent Account Number (PAN)/The Tax Deduction and Collection Account Number (TAN) of the applicant or the establishment allocated under the Income Tax Act, 1961/Income Tax Act, 2025 or any other unique number allocated to the establishment under any other Act for the time being in force or any other particular furnished in the said form, may be verified online. <p>(2) The Registering Officer under the Code may direct the employer who fails to comply with the requirements of sub-rule (1), to do so within the time stated therein and such employer shall, thereupon comply with the instruction issued by the officer in this behalf.</p> <p>(3) The employer shall quote the registration number on all the documents prepared or completed by him in connection with the Code or the rules or the regulations or the scheme, as the case may be, and in all correspondence with the office concerned.</p> <p>(4) Fee for registration of the establishment shall be paid at the following rates –</p> <table border="1" data-bbox="598 1871 1364 1939"> <thead> <tr> <th data-bbox="598 1871 1157 1939">Number of workers employed in the establishment</th> <th data-bbox="1157 1871 1364 1939">Amount of fees in</th> </tr> </thead> </table>	Number of workers employed in the establishment	Amount of fees in
	Number of workers employed in the establishment	Amount of fees in	

		rupees
		Ten or more but less than twenty workers
		5000.00
		Twenty or more but less than fifty workers
		10000.00
		Fifty or more but less than one hundred workers
		15000.00
		Hundred or more but less than two hundred and fifty workers
		20000.00
		Two hundred and fifty or more but less than five hundred workers
		25000.00
		Five hundred or more but less than one thousand workers
		50000.00
		One thousand or more workers
		100000.00
		<p>Provided that the State Government may change the amount of fees for registration by general or special order.</p> <p>(5) The Registering Officer shall maintain a register of establishment electronically in Form-4 showing the particulars of establishment in relation to which certificates of registration have been issued by him.</p> <p>(6) Where a principal employer has not submitted his application for registration within sixty days as required under sub-section (1) of section 3, he shall submit the application for registration along with late fee at the rate of ten percent annually.</p> <p>(7) The employer, in respect of an establishment already registered under any Central Labour Law as specified in sub-section (8) of section 3, shall provide the details of its registration particulars on the portal of the State Government within six months from the date on which these rules come into force.</p> <p>(8) A copy of the certificate of registration shall be displayed in the premises of the establishment at conspicuous place in hardcopy or electronically.</p> <p>(9) Any change in ownership, management or any particular furnished in the registration form submitted on the specified portal shall be applied on the portal by the employer within thirty days of such change.</p> <p>(10) The employer of an establishment and whose business activities are in the process of closure, may apply for cancellation of registration on-line on the official portal, after giving complete details of the dues payable under the Central Labour Codes:</p> <p>Provided that application for cancellation of registration shall not be entertained unless the employer has furnished all statutory returns, paid all statutory dues under the Central Labour Codes and any other Central or State Labour Law in force, in accordance with the law applicable for the time being and submitted a self-certification to that effect along with the application.</p>
Appeal against order of Registering Officer under section 4	6.	<p>(1) The employer aggrieved by the order of Registering Officer, may file an appeal against such order before the appellate officer as appointed by the State Government for such purpose within thirty days from the date of receipt by him of such order, electronically or otherwise.</p> <p>(2) The appeal shall be in a form of memorandum and shall set forth concisely the grounds of objection to the order. A certified copy of the order appealed against shall accompany the appeal, electronically or otherwise.</p>

		<p>(3) Where the memorandum of appeal is in order, the appellate officer shall admit the appeal, acknowledge it and intimate admission of such appeal, and shall register the appeal in electronic form to be kept for the purpose called the "Register of Appeals".</p> <p>(4) When the appeal has been admitted, the appellate officer shall send the notice of the appeal to the Registering Officer, against whose order the appeal has been preferred and the Registering Officer shall thereupon send the records of the case to the appellate officer online electronically.</p> <p>(5) On receipt of the appeal, the appellate officer shall send a notice to the appellant to appear before him on such date and time as may be specified in the notice for the hearing of the appeal electronically or by registered post.</p> <p>(6) If on the date fixed for hearing, the appellant does not appear, the appellate officer may dismiss the appeal for default of appearance of the appellants by sending the copy of the order of dismissal to the applicant electronically.</p> <p>(7) Where an appeal has been dismissed under the provisions of sub-rule (6), the appellant may apply electronically to the appellate officer for the restoration of the appeal within thirty days from the date of receipt of the order of dismissal and if the appellate officer is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from appearing, the appellate officer shall restore the appeal.</p> <p>(8) The order of the Appellate Officer shall be communicated electronically or otherwise to the appellant and copy thereof shall be sent to the Registering Officer against whose order the appeal has been preferred and shall be disposed of within a period of thirty days from the date of receipt of appeal.</p>
<p>Notice by the employer of commencement and cessation of work under Section 5</p>	<p>7.</p>	<p>(1) Every employer to whom section 5 of the Code applies, shall, within thirty days of the commencement and completion of any work, intimate to the Registering Officer and Inspector-cum-Facilitator, having jurisdiction in the area where the proposed establishment or as the case may be, the work is to be executed, intimating the actual date of the commencement, completion of work and cessation of establishment, as the case may be, in Form-5 annexed to these rules electronically on official portal of the State Government.</p> <p>(2) The notice of cessation of operation shall be enclosed with a certificate that the payment of all dues to the workers employed in establishment have been made and the premises are kept free from the storage of hazardous chemicals and substances.</p>

CHAPTER III
Duties of Employer and Employees

<p>Prevention of bodily injuries under clause (a) sub-section (1) of section 6 and clause (za) sub-section (2) of section 135</p>	<p>8.</p>	<p>(1) No building, wall, chimney, bridge, tunnel, road, gallery, stairway, ramp, floor, platform, staging, or other structure, whether of a permanent or temporary character, shall be constructed, situated or maintained in any establishment in such a manner as to cause risk of bodily injury.</p> <p>(2) No machinery, plant or equipment shall be constructed, situated, operated or maintained in any establishment in such a manner as to cause risk of bodily injury.</p> <p>(3) No process or work shall be carried in any establishment in</p>
---	-----------	---

		<p>such a manner as to cause risk of bodily injury.</p> <p>(4) No materials or equipment shall be stacked or stored in such a manner as to cause risk of bodily injury.</p> <p>(5) (a) no worker shall be required or allowed to work for such long hours on a continuously running conveyor line or on any similar contrivance used for assembly of machine parts, components, or for material handling requiring work in a specified manner, where continuous manual work in limited or repetitive postures, without reasonable intervals for rest, and/or excessive speed of the conveyor belt or line is likely to cause fatigue or to adversely affect the safety or health of the worker;</p> <p>(b) the employer shall, on the recommendation of a competent person, prepare and obtain approval of the Inspector-cum-Facilitator for a matrix specifying the maximum permissible speed of such machinery or manual work output, and the corresponding permissible duration of work of a worker: Provided that any such matrix specified or recommended by a recognized international agency relating to occupational safety and health shall be deemed to have been approved for the purposes of this Code.</p> <p>(c) the approved matrix shall be displayed conspicuously at or near the concerned conveyor line, assembly line, or workplace.</p> <p>Explanation.— For the purposes of this provision, “matrix” means a documented schedule correlating machine speed or manual work output with permissible duration of work, prepared on ergonomic and occupational health principles.</p>
Special provisions for employees who are not covered under section 2(1)(zzl)	9.	<p>The provisions of the Code and Rules, wherein not specified for employees, shall also apply to the employees who are not covered under section 2(1)(zzl), in relation to the following, as if they were workers within the meaning of the Code and rules-</p> <p>(i) safety, health and welfare;</p> <p>(ii) maintenance of records, registers and Forms;</p> <p>(iii) computing the number of workers in a factory and building or other construction works under Section 2(1)(w), section 2(1)(h) and registration under these establishments;</p> <p>(iv) chapter VII of the Code for any factory, excluding normal daily working hours, unless it is exempted under section 91.</p>
Provisions against danger arising from mechanical transport in establishments under sub-section (1) of section 6	10.	<p>(1) No railway wagon shall be moved either by power or hand unless the movements are directly supervised by a responsible person or person especially appointed for this purpose and a person shall be deputed to walk ahead to the wagon or wagons being shunted with a suitable bell or other audible device so as to ensure that no person is allowed to pass in front of or between the moving wagon or wagons. Names of such person or persons shall be separately shown in attendance register in Form-6.</p> <p>(2) Mechanical Transport or Transport vehicle when moved shall only be operated by persons trained to work them, and such operations shall be under the charge of a responsible supervisor. Employer shall take appropriate step and provide provisions for safe movement of such vehicles.</p>
Special provisions for health, safety and	11.	<p>(1) Where any apprentices or other apprentices are undergoing training in an establishment the provisions of the Code and Rules shall apply in relation to the health, safety and welfare of</p>

welfare measures for other apprentices		<p>these apprentices as if they were workers within the meaning of the Code.</p> <p>(2) Provisions of the sub-section (1) and (4) of section 25 and the rules made thereunder in relation with normal working hours shall apply to the 'other apprentices' as if they were workers within the meaning of the Code.</p>
Safety provisions for establishments having building five stories or more or the height of building twenty meters or above under sub-section (1) of section 6	12.	<p>(1) The employer, owner or both, as the case may be, of an establishment or a group of establishments the building of which has five stories or more or the height of which is twenty metres or above or shall prepare an Emergency Plan and and keep the same up-to-date to mitigate the fire emergency or lift failure or any other dangerous occurrence.</p> <p>(2) The employers, owner or both, as the case may be, shall ensure the availability of requisite facilities as per the Indian standards, training of persons, information dissemination to the people and adequate supervision for safety.</p>
Annual Health Examination of employees of certain establishments under clause (c) of sub-section (1) of section 6	13.	<p>(1) The employer of every establishment shall arrange to conduct free of cost health examination of all the employees who have completed forty years of age, at least once in every twelve months, all persons before employing them, and of all the employees who have met an accident resulting in serious bodily injury in previous two years during the course of employment : Provided that the employees employed in Hazardous process or Dangerous Operations shall be examined in accordance with the provisions specifically provided therein.</p> <p>(2) The health examination shall be conducted by a qualified medical practitioner or factory medical officer, as the case may be . Records of such annual examination shall be maintained in a Health Register in Form-7. If the examination is conducted for pre-employment, it shall also be maintained in Form-8 as a Certificate of Fitness. Findings of such examinations shall be shared with the employee concerned.</p> <p>(3) The medical examination shall include -</p> <p>(i) Full medical and occupational history;</p> <p>(ii) Clinical examination with particular reference to-</p> <p>(a) general physique;</p> <p>(b) vision - It shall include visual acuity and macular function test or funduscopy examination;</p> <p>(c) hearing - Audiometry test, if required;</p> <p>(d) breathing - Pulmonary function test or X - ray, if required;</p> <p>(e) upper limbs - Adequate arm function and grip (both arms);</p> <p>(f) lower limbs - Adequate leg and foot function;</p> <p>(g) spine - Adequately flexible for the job concerned;</p> <p>(h) general - Mental alertness and stability with good eye, hand and feet coordination;</p> <p>(i) complete blood count test, lipid profile</p> <p>(iii) Any other tests which the examining doctor considers necessary.</p>
Appointment Letter and Identity Card under	14.	<p>(1) The employer shall issue a Letter of Appointment to every employee in the establishment on appointment or prior to commencing work. The letter of appointment shall include the</p>

<p>clause (f) of sub-section (1) of section 6</p>		<p>particulars as specified in Form-9. The employer shall ensure that particulars of Appointment Letter are consistent with the Code and the rules made thereunder. Any dispute about condition of appointment letter shall be decided by Appellate Officer under section 4 of the Code.</p> <p>(2) The employer shall also ensure the systematic allotment of a distinct number or code for every employee and shall issue an Identity Card bearing such employee code and other necessary particulars within one month of the appointment:</p> <p>Provided that such appointment letters and Identity cards shall be issued to all the employees within three months of coming into force of these rules.</p> <p>(3) If the Identity card of an employee is damaged or lost, the employer shall issue a new Identity card to the employee within one month. The employer may charge Rupees Ten from the employee for issuing a new one and Rupees Fifty for any subsequent issuance within a calendar year subject to the provisions of section 21 of the Code on Wages, 2019.</p> <p>(4) The employer shall also ensure that the contract of training has been executed with other apprentices as well and Identity cards have been issued to them within one month.</p>
<p>Notice of accident and dangerous occurrences under sections 10 and 11</p>	<p>15.</p>	<p>(1) Where at any place in an establishment an accident occurs which results in the death of any person, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice thereof in Form 10 electronically and inform by telephone to the Inspector-cum-Facilitator, Chief Inspector-cum Facilitator, District Magistrate or Subdivisional Officer and the officer-in-charge of the nearest police station; and the family members or kin of the deceased person.</p> <p>(2) Where at any place in an establishment an accident occurs which results in bodily injury by reason of which the person injured is prevented from working for a period of forty eight hours or more immediately following the accident, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice in Form 10 within twelve hours after the completion of forty eight hours, electronically to the Inspector-cum-Facilitator.</p> <p>(3) Where in an establishment, there is any dangerous occurrence as specified in rule 16, whether causing any bodily injury or disability or not, a notice in Form 11 shall within twelve hours be sent to-</p> <p>(a) the Inspector-cum-Facilitator ;</p> <p>(b) District Magistrate or Sub-divisional Officer.</p> <p>Provided that if in the case of an accident or dangerous occurrence, death occurs to any person injured by such accident or dangerous occurrence after the notices referred to in the foregoing sub-rules have been sent, the employer or occupier or manager of the establishment shall forthwith send a notice thereof by telephone and electronically to the authorities and persons mentioned in sub-rules (1) and (2) and also have this information confirmed in writing within twelve hours of the death:</p> <p>Provided further that, if the period of disability from working for 48 hours or more referred to in sub-rule (3) does not occur immediately following the accident, or the dangerous occurrence, but later on occurs in more than one spell, the report</p>

		<p>thereof shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator in the Form 10 within 24 hours following the hours when the actual total period of disability from working resulting from the accident or the dangerous occurrence becomes 48 hours.</p> <p>(4) No person shall be allowed to disturb the site at which a fatal accident has occurred or any other object involved in the accident before the arrival of the Inspector-cum-Facilitator, or a police officer, not below the rank of a Sub-Inspector, or without the consent of such officer:</p> <p>Provided that such action may be taken as may be necessary to prevent a further accident or to secure persons from danger.</p>
<p>Classes of dangerous occurrences under section 11</p>	<p>16.</p>	<p>The following are the classes of dangerous occurrences, whether or not they are attended by personal injury or disablement, namely:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) bursting, of any plant or pipeline or equipment containing petroleum, steam, compressed air or other substance at a pressure greater than the atmospheric pressure; (b) collapse or failure of a crane, derrick, winch, hoist or other appliances used in raising or lowering persons or goods, or any part thereof, or the overturning of a crane; (c) explosion, explosion due to explosives, fire, leakage or release of harmful toxic gases, bursting out, leakage or escape of any molten metal, or hot liquid or gas causing bodily injury to any person or damage to any room or place in which persons are employed; (d) explosion of a receiver or container used for the storage at pressure greater than atmospheric pressure of any gas or gases (including air) or any liquid or solid resulting from the compression of gas; (e) collapse or failure of lifting appliances or hoist or conveyors or other similar equipment for handling building or construction material or breakage or failure of rope, chain or loose gears; overturning of cranes used in building or other construction work; falling of objects from height; (f) collapse or subsidence of any wall, floor, gallery, roof bridge, tunnel, chimney, wall, building or subsidence of soil or any other structure, platform, staging, scaffolding or any means of access including formwork; contact work, excavation and collapse of transmission; (g) spillage or leakage of hazardous substances and damage to their container; (h) collapse, capsizing, toppling or collision of transport equipment within the establishment; (i) fall from height of any excavation, loading or transport machinery; (j) an instantaneous failure of a pillar, part of a pillar or several pillars of coal (i.e., a bump) in working below ground; (k) a rock-burst in working belowground; a premature collapse of any part of the working; (l) a breakage, fracture or failure of an essential part of any machine or apparatus whereby the safety of persons may be endangered; (m) a slide causing injury to any person, damage to any machinery, or interruption of normal mining operations; (n) failure of dump or side in opencast working; a blowout; (o) a failure of any structure or installation whereby the safety of

		<p>persons may be endangered; or spark generated due to electrical flash-over causing burn injury to any person;</p> <p>(p) a major uncontrolled emission of petroleum or chemical spillage;</p> <p>(q) any other occurrence which may be declared as a "Dangerous Occurrence" by the State Government by an order.</p>
Notice of certain diseases under sub-section (1) of section 12	17.	Where any worker in an establishment contracts any disease specified in the Third Schedule of the Code, the manager or employer of the establishment shall send a notice electronically or otherwise in Form-12 to the concerned Inspector-cum-Facilitator, Chief Inspector-cum-Facilitator and Chief Medical Officer of the district within forty-eight hours from the date on which it comes to the knowledge of the employer or manager of the establishment.
Manner and Time of Report to Chief Inspector-cum-Facilitator and Chief Medical Officer by a medical practitioner under sub-section (2) of section 12	18.	<p>If any medical practitioner attends on a person who is or has been employed in a establishment and who is or is believed by the medical practitioner, to be suffering from any disease specified in the Third Schedule of the Code, the medical practitioner shall, without delay, send a report electronically or otherwise to Chief Inspector-cum-Facilitator stating:-</p> <p>(a) the name and full postal address of the patient;</p> <p>(b) the disease from which he believes the patient to be suffering;</p> <p>(c) the name and address of the factory in which the patient is or was last employed;</p> <p>(d) possible reasons for such disease;</p> <p>(e) condition of other suffering patients and possibilities of spreading of such disease;</p> <p>(f) preventive measures that can be taken to check spreading the disease (if any); and</p> <p>(g) other issues, that the medical practitioner thinks important to mention in this regard.</p>
Duties of employees under section 13	19.	<p>(1) If an employee comes to know about any unsafe or unhealthy condition in the workplace, he shall report to the occupier/ employer, health and safety representative or safety officer or manager, in case of factories, as soon as practicable.</p> <p>(2) Every employee shall, in general, wear or keep with him the Identity Card provided by the employer during his working hours in the establishment. If the identity card is lost or damaged, the employee shall report to the manager, in writing. No employee shall misuse the card.</p>
Rights of employees under section 14	20.	<p>Every employee shall have the right to-</p> <p>(a) obtain from the occupier/ employer, information relating to worker's health and safety at work;</p> <p>(b) get trained annually within the factory wherever possible, or, to get himself sponsored by the occupier for getting trained at a training center or institute, duly approved by the Chief Inspector-cum-facilitator of factory, where training is imparted for workers health and safety at work;</p> <p>(c) represent to the Inspector-cum-facilitator directly or through his representative in the matter of inadequate provision for protection of his health or safety in the factory.</p>

<p>Report of existence of imminent danger under sub-section (3) of section 14</p>	<p>21.</p>	<p>(1) If at any time employer/ occupier on receipt of information from the employee/ worker regarding reasonable apprehension of likelihood of imminent serious personal injury or death or imminent danger to safety and health, the employer/occupier shall take immediate remedial action.</p> <p>(2) The employer/occupier, whether satisfied or not, shall send a report forthwith of such imminent danger and action taken thereon, electronically or otherwise to the Inspector-cum-Facilitator, and to the Chief Medical Officer of the district if required.</p>
---	------------	--

CHAPTER IV Occupational Safety and Health

<p>Constitution of State Advisory Board under sub-section (2) of section 17</p>	<p>22.</p>	<p>1. The State Occupational Safety and Health Advisory Board constituted under section 17 of the Code shall consist of the following, namely :-</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Minister, Labour and Employment, Government of Uttar Pradesh- <i>ex officio</i> Chairperson; (b) Additional Chief Secretary /Principal Secretary/ Secretary Labour, Government of Uttar Pradesh- Vice-Chairperson, <i>ex officio</i>; (c) Two officers from Department of Micro, Small and Medium enterprises and Pollution Control Board nominated by the State Government, not below the rank of Special Secretary one of whom shall be a woman-member; (d) Chairman, the Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow -Member, <i>ex officio</i>; (e) Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh - Member-Secretary, <i>ex officio</i>; (f) Director-General, Health and Family Welfare, Government of Uttar Pradesh- Member, <i>ex officio</i>; (g) Chief Inspector-cum-Facilitator, Government of Uttar Pradesh- Member, <i>ex officio</i>; (h) Secretary, Uttar Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board - Member, <i>ex officio</i>; (i) Secretary ,Uttar Pradesh Unorganized Workers Social Security Welfare Board - Member, <i>ex officio</i>; (j) Secretary, Uttar Pradesh Labour Welfare Board- Member, <i>ex officio</i>; (k) Director, ESICS, Govt. of Uttar Pradesh- Member, <i>ex officio</i>; (l) Director of Factories, Uttar Pradesh- Member; (m) A representative of professional body associated with the matter for which standards, rules, policies being framed- to be nominated by the State Government- member; (n) Five representatives of employers to be nominated by the State Government - Members ; (o) Five representatives from registered trade unions or Federation to be nominated by the State Government - Members; (p) Five eminent persons from the field of occupational health and safety having a graduation degree in engineering and experience not less than ten years nominated by the State
---	------------	--

		<p>Government- members:</p> <p>Provided that adequate representation of women shall be given for members to be nominated under clauses (n), (o) and (p) of this rule;</p> <p>Provided further that, the State Government may invite any person in any meeting of the Board as special invitee, for whom State Government is satisfied that such person is an expert for any such matter which has to be discussed or have arisen before the Board for decision;</p> <p>Provided also that, such special invitee shall not be entitled to vote in Board's meetings.</p>
Term of Office of State Advisory Board under sub-section (2) of section 17	23.	<p>(1) The term of office of the non-official members of the Board shall be three years.</p> <p>(2) The non-official members of the Board shall hold office at the pleasure of the Government of Uttar Pradesh.</p> <p>(3) The non-official members shall be removed from the Board if they cease to represent the interest for which they were nominated.</p> <p>(4) All nominated members shall not be eligible for re-nomination for more than two terms.</p>
Resignation of a member of State Advisory Board under sub-section (2) of section 17	24.	<p>(1) Any non-official member may resign by a letter addressed to State Government signed under his hand.</p> <p>(2) The seat of such member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted or on the expiry of thirty days from the date of receipt of intimation of resignation, whichever is earlier.</p>
Filling of casual vacancies under sub-section (2) of section 17	25.	<p>(1) A nominated member appointed to fill a casual vacancy arising due to death, resignation or otherwise of the member shall hold office for the remaining period of the tenure of office of the member, in whose place he is appointed.</p> <p>(2) When a vacancy occurs for any reason or is likely to occur in the membership of the Board, the Member-Secretary shall submit a report to the State Government who shall take steps to fill the vacancy from amongst the category of persons, to which the person vacating membership belongs and the person so nominated shall hold office for the remainder of the term of the office of the member in whose place he is appointed.</p>
Cessation of membership under sub-section (2) of section 17	26.	<p>If any member of the Board, not being an ex-officio member, fails to attend three consecutive meetings of the Board, without obtaining the leave sanctioned by the Chairperson of the Board, for such absence, he shall cease to be a member of the Board:</p> <p>Provided that the State Government may, if it is satisfied that such member was prevented by sufficient cause from attending three consecutive meetings, direct that such cessation shall not take place and on such direction being made, such member shall continue to be a member of the Board.</p>

<p>Disqualification for membership under sub-section (2) of section 17</p>	<p>27.</p>	<p>A person shall be disqualified for being a member of the Board-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) if he is declared to be of unsound mind and stands so declared by a Competent authority; (ii) if he is an un-discharged insolvent; (iii) if he has been convicted for an offence, , having imprisonment of three months or more or which in the opinion of the State Government ,involves moral turpitude; or
<p>Removal from membership under sub-section (2) of section 17</p>	<p>28.</p>	<p>The State Government may remove any member of the State Board, if in its opinion such member has ceased to represent the interest which he purports to represent on the Board:</p> <p>Provided that no such member shall be removed unless reasonable opportunity is given to him of making a representation against the proposed action under this rule.</p>
<p>Travelling Allowance for members under sub-section (2) of section 17</p>	<p>29</p>	<ul style="list-style-type: none"> (1) The travelling allowance and daily allowance of an official member shall be governed by the rules applicable to him for journey performed by him on official duties and shall be paid by the Authority paying his salary. (2) the non-Official Members of the Board shall be paid travelling allowance and daily allowance for attending the meetings of the Board at such rates as are admissible to lowest of Group "A" Officer of the State Government. (3) Special invitees in Board's meetings shall get travelling allowances and daily allowances to attend such meetings of the Board as other non-official members of the Board are entitled to receive.
<p>Notice of meeting of the Board and list of business under sub-section (2) of section 17</p>	<p>30.</p>	<ul style="list-style-type: none"> (1) The State Board shall meet at least once in every six months: <p>Provided that the Chairperson shall, within fifteen days of the receipt of a requisition in writing from not less than one third of the members of the Board, call a special meeting thereof.</p> <ul style="list-style-type: none"> (2) No business shall be transacted at any meeting unless at least half of the members are present: <p>Provided that if at any meeting less than one-third members are present the Chairperson may adjourn the meeting to another date informing members present and giving notice to the other members that he proposes to dispose of the business at the adjourned meeting whether there is a prescribed quorum or not, and it shall thereupon be lawful for him to dispose of the business at the adjourned meeting irrespective of the member or members attending:</p> <p>Provided that when the Chairperson calls a meeting for considering any matter which in his opinion is of urgent nature, notice of not less than three days shall be deemed sufficient.</p> <ul style="list-style-type: none"> (3) No business, except which is included in the list of business

		for a meeting of the Board, shall be considered at such meeting without the permission of the Chairperson of the Board.
Disposal of business under sub-section (2) of section 17	31.	<p>(1) Every matter which the Board is required to take into consideration, shall be considered at the meeting of the Board, or if the Chairperson of the Board so directs by sending the necessary papers to every member for opinion and the matter shall be disposed off in accordance with the decision of the majority:</p> <p>Provided that where there is no opinion of majority on a matter and the members of the Board are equally divided, the Chairperson of the Board shall have a second or a casting vote.</p> <p>(2) No act or proceedings of the Board shall be invalid merely for the reason of any vacancy in or any defect in constitution of the Board.</p>
Chairperson to preside at meetings under sub-section (2) of section 17	32	<p>(1) The Chairperson shall preside over all meetings of the Board, and if the Chairperson is, for any reason, unable to attend a meeting of the Board, any member nominated by the Chairperson in this behalf, and in the absence of such nomination, any other member elected by the members present from amongst themselves at the meeting, shall preside at the meeting.</p> <p>(2) Every decision taken at the meeting of the Board shall be recorded in a Minutes Book, which shall be a permanent record.</p>
Quorum of the meetings of the Board under sub-section (2) of section 17	33.	<p>No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third members are present:</p> <p>Provided that if at any meeting less than one-third members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to another date informing members present and giving notice to the other members that he proposes to dispose off the business at the adjourned meeting whether there is a prescribed quorum or not and it shall thereupon be lawful for him to dispose of the business at the adjourned meeting irrespective of the number of members attending.</p>
Appointment of officers and other staff of the State Advisory Board under sub-section (2) of section 17	34.	<p>(1) The State Government may appoint as many Gazetted officers of the state Government and such other staff, being in the service of the state Government, as it may think necessary to enable the Board to carry out its functions and duties.</p> <p>(2) The remuneration payable to such officers and staff shall be such as may be decided by the State Government from time to time.</p> <p>(3) The officers and staff appointed thereunder shall assist the Chairperson of the Board in convening meetings of the Board.</p> <p>(4) The officers and staff appointed thereunder, may attend the meetings of the Board, but shall not be entitled to vote at such meetings.</p> <p>(5) The officers and staff appointed thereunder, shall keep a</p>

		<p>record of the minutes of the meetings of the State Advisory Board.</p> <p>(6) The officers and staff appointed thereunder, shall take necessary measures to carry out the decisions taken at the meetings of the Board.</p>
<p>Technical Committee or Advisory Committee of the State Advisory Board under sub-section (3) of section 17</p>	35.	<p>(1) The State Government may constitute as many Technical Committees or Advisory Committees on the recommendation of the Board to assist the State Government or the State Advisory Board in discharge of their functions, as it deems fit.</p> <p>(2) The Technical Committees may be multi-members committee, and consist of members from government, public, autonomous or private institutions/industries.</p> <p>(3) The members of the committee shall have bachelor's degree in engineering with Diploma/Post graduate Diploma in industrial safety or Master's Degree in (Physics/Chemistry) or MBBS with Associate fellow of Industrial Health (AFIH), with experience of not less than 20 years in the relevant field/industry.</p> <p>(4) The Chairperson of the Technical Committee shall be the ex-officio member as nominated by the State Government.</p> <p>(5) The Technical Committee may constitute sub-committees to meet the specific requirements.</p> <p>(6) The Technical Committee shall follow such rules and procedure including its transaction or the Board from time to time.</p>
<p>Allowances of non-official members of the Technical Committee or Advisory committee under sub-section (3) of section 17</p>	36.	<p>Non-official members of the Technical Committee or advisory committee shall be entitled for the same travelling and dearness allowances as the non-official members of the Board are entitled to receive.</p>
<p>Functions of Technical Committees or Advisory committee under sub-section (3) of section 17</p>	37.	<p>(1) The Technical Committees or Advisory Committee shall frame, formulate and review standards, rules and regulations on Occupational Safety, Health and Working Conditions under the Code.</p> <p>(2) The Technical Committee shall meet regularly on need basis and not less than once in a six month.</p>
<p>Resignation of members and vacancies of technical committee or Advisory committee under sub-section (3) of section 17</p>	38.	<p>(1) A member of the Technical Committee or or Advisory Committee not being an ex-officio member, may resign his office by a letter in writing addressed to the State Government through the Chairperson of the Technical Committee or or Advisory Committee.</p> <p>(2) A Chairman of the Technical Committee may resign his office by a letter in writing addressed to the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Ministry of Labour and Employment, Government of Uttar Pradesh.</p> <p>(3) The seat of such a member or Chairman as case may be shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted by the State Government, or on the expiry of thirty days from the date of receipt of the letter of resignation by the State Government, whichever is earlier.</p>
<p>Cessation of</p>	39.	<p>If any member of the Technical Committee or Advisory Committee not being an ex-officio member, fails to attend two consecutive</p>

membership under sub-section (3) of section 17		<p>meetings of such Committee, without obtaining the permission of the Chairperson of such Committee for such absence he shall cease to be a member of such Committee:</p> <p>Provided that the State Government may, if it is satisfied that such member was prevented by sufficient cause from attending two consecutive meetings, direct that such cessation shall not take place and on such direction being made, such member shall continue to be a member of such Committee.</p>
Disqualification for membership under sub-section (3) of section 17	40.	<p>(1) A person shall be disqualified for being a member of the Technical Committee—</p> <p>(a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or</p> <p>(b) if he is an undischarged insolvent; or</p> <p>(c) if he has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude.</p> <p>(2) Where a question arises as to whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the State Government shall decide such question, should be treated as final.</p>
Removal from membership under sub-section (3) of section 17	41.	<p>The State Government may remove any member or Chairman of the Technical Committee, if in its opinion such member has ceased to represent the interest which he purports to represent on such Committee:</p> <p>Provided that no such member shall be removed unless a reasonable opportunity is given to him of making a representation against the proposed action under this rule.</p>
Collection of statistics and registration portal for inter-state migrant workers under section 21	42.	<p>(1) Every employer shall submit the details of occupational safety and health statistics to the State Government, as well as to the office of Director General, Labour Bureau, electronically on such portal in such form and manner as may be prescribed by the Central Government from time to time.</p> <p>(2) Every inter-state migrant worker, whether employed or self-employed in the state of Uttar Pradesh shall get himself registered on the portal specified for this purpose.</p>
Constitution of safety committees under section 22	43.	<p>(1) In every establishment, a Safety Committee, shall be constituted where-</p> <p>(a) two hundred fifty employees or more are ordinarily employed; or</p> <p>(b) any process or operation declared to be dangerous under section 82 is carried on; or</p> <p>(c) a 'Hazardous Process' as defined under section 2(1)(za) or handling hazardous substance is carried on; or</p> <p>(d) Major accident hazard factories.</p> <p>(2) The representatives of the management in Safety Committee shall include-</p> <p>(a) The employer shall be the Chairman of the Safety Committee; and</p> <p>(b) A senior official who by his position in the organization can contribute effectively to the functioning of the Committee, shall be the Deputy Chairman; and</p> <p>(c) A Safety Officer, wherein appointed under these rules , or</p>

		<p>any other responsible person shall be the Member-Secretary of the Committee; and</p> <p>(d) Medical officer of the establishment- member; and</p> <p>(e) Three representatives one each from the production, maintenance and purchase departments; and</p> <p>(f) Number of representatives of workers shall not be less than the number of representatives of employer. Representatives of workers shall be chosen by registered trade union associated with the establishment through general consensus amongst them or through election. In such establishments, where there is no registered trade union, then representatives of workers shall be chosen by workers itself on general consensus basis or election:</p> <p>Provided that proper representation shall be given to women in formation of such safety committee.</p> <p>(3) The tenure of the Safety Committee shall be for a maximum period of two years: provided that in case of any exigency an extension of 6 months can be given with concurrence of two third of the members.</p> <p>(4) The constitution of safety committee shall be communicated electronically to concerned Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction.</p> <p>(5) The Safety Committee shall meet as often as necessary but at least once in every quarter. The minutes of the meeting along with follow-up action plans shall be recorded in a register and shall be produced to the Inspector-cum-Facilitator on demand. A copy of minutes of such meeting thereof shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction electronically or otherwise .</p> <p>(6) the Safety Committee shall have the right to be adequately and suitably informed of –</p> <p>(a) Potential safety and health hazards to which the employees may be exposed at work place.</p> <p>(b) Data on accidents as well as data resulting from surveillance of the working environment and of the health of employees exposed to hazardous substances so far as the factory is concerned:</p> <p>Provided that the Committee shall undertake to use the data on measures to improve the working environment and the health and safety of the employees.</p>
<p>Functions and duties of safety committee under sub-section (1) of section 22</p>	<p>44.</p>	<p>(1) Functions and duties of the Safety Committee shall include-</p> <p>(i) Assisting and cooperating with the management in achieving the aims and objectives outlined in the 'Health and Safety Policy' of the establishment; and</p> <p>(ii) Dealing with all matters concerning Health, Safety and Environment and to arrive at solutions to problems encountered; and</p> <p>(iii) Creating safety awareness amongst all employees; and</p> <p>(iv) Undertaking educational, training and promotional activities; and</p> <p>(v) Discussing reports on safety, environment and occupational health surveys, audits, risk assessment, emergency and disaster management plans and implementation of the recommendations made in the</p>

		<p>reports; and</p> <p>(vi) Carrying out health and safety surveys and identify causes of accidents; and</p> <p>(vii) Looking into any complaint made on the likelihood of an imminent danger to the safety and health of the employees and suggesting corrective measures; and</p> <p>(viii) Reviewing the implementation of the recommendations made by it; and</p> <p>(ix) to discuss the report of inquiry into accidents, dangerous occurrences etc. and make appropriate recommendations; and</p> <p>(x) to formulate and implement appropriate safety campaigns based on analysis of accidents and dangerous occurrences; and</p> <p>(xi) to serve as a forum for communication on Safety and Occupational Health matter; and</p> <p>(xii) to discuss the Standard Operating Procedures prepared for different operations.</p> <p>(2) Where owing to the size of the establishment, or any other reason, the functions referred to in sub-rule (1) cannot be effectively carried out by the Safety Committee, it may establish sub-committees as may be required to assist it:</p> <p>Provided that in any establishment wherein more than one thousand employees are ordinarily employed, not less than two sub-committees shall be formed department-wise or otherwise and an employee of the rank of departmental head shall be the head of the sub-committee. The minutes of meeting shall be shared with the member secretary of the Safety Committee.</p>
<p>Appointment of safety officers under sub-section (2) of section 22 and clause (zzq) of sub-section (2) of section 133</p>	<p>45</p>	<p>(1) In every establishment which is a-</p> <p>(a) factory wherein five hundred workers or more; or</p> <p>(b) factory carrying on hazardous process wherein two hundred fifty workers or more; or</p> <p>(c) building and other construction work wherein two hundred and fifty workers; or</p> <p>(d) major Accident Hazard installation; or</p> <p>(e) factory manufacturing sulfuric acid</p> <p>not less than one safety officer shall be appointed by the employer:</p> <p>Provided that, -</p> <p>(i) for an establishment specified in clause (a), one additional safety officer shall be appointed if number of workers employed are more than one thousand but not exceeding one thousand five hundred and one more safety officer shall be appointed for every additional one thousand workers or part thereof;</p> <p>(ii) for an establishments specified in clause(b), clause(c), clause (d) and clause (e) one additional safety officer shall be appointed if number of workers employed are more than five hundred but not exceeding one thousand and one more safety officer shall be appointed for every additional one thousand workers or part thereof.</p> <p>(2) The occupier of the factory or employer of building or other construction establishment, as the case may be, shall inform the concerned Chief Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction and the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction about the appointment of the Safety Officer or Chief Safety Officer within seven days from</p>

		such appointment.
Qualifications of Safety Officer under sub-section (2) of section 22	46.	<p>A person shall not be eligible for appointment as a Safety Officer unless he-</p> <p>(1)(a) possesses a Degree in any branch of Engineering or Technology from a University established by law and has had practical experience of working in a factory in a supervisory capacity in production or maintenance or Safety Department for a period of not less than two years; or</p> <p>(b) possesses a degree in Physics or Chemistry from a University established by law and has had practical experience of working in a factory in a supervisory capacity in production or maintenance or Safety Department for a period of not less than five years; or</p> <p>(c) possesses a diploma in any branch of Engineering or Technology recognized by the State Government and has had practical experience of working in a factory in a supervisory capacity in production or maintenance or safety department for a period of not less than five years; or</p> <p>(d) possesses a recognized degree in any branch of Engineering or Technology, and has had experience of not less than two years in a department of the Central or the State Government in relation to the administration under any Act or Code which deals with health and safety of workers in a factory or building or other construction works; or</p> <p>(e) possesses a recognized degree in any branch of Engineering or Technology, and has had at least five years' experience of working in institutions dealing with training, education, consultancy or research in the field of accident prevention in industry or in any institution; and</p> <p>(2) possesses a degree or diploma in Industrial Safety recognized by the State Government in this behalf or from any Labour Institute under Directorate General Factory Advice Service and Labour Institute (DGFASLI). or</p> <p>(3) he possesses a B.Tech or M.Tech degree in health, safety and environment or fire engineering or any other equivalent qualification granted by any university duly established by law:</p> <p>Provided that Chief Inspector-cum-Facilitator may relax the qualifications in respect of sub-rule (2) and (3) with the conditions, in writing, for any establishment or a class of establishments of non-hazardous in nature.</p>
Duties, and other conditions of Safety Officer under sub-section (2) of section 22	47.	<p>(1) The duties of the Safety Officers shall be to advise and assist the factory management in the fulfilment of its obligations, statutory or otherwise, concerning prevention of personal injuries and maintaining a safe working environment. These duties shall also include the following, namely—</p> <p>(a) to advise the departmental heads, supervisors and other such officers in planning and organising measures necessary for the effective control of personal injuries;</p> <p>(b) to advise on safety aspects in all job studies, and to carry out detailed job safety studies of selected jobs;</p> <p>(c) to check and evaluate the effectiveness of the action taken or proposed to be taken to prevent personal injuries;</p> <p>(d) to advise the personnel of store purchase department in</p>

		<p>ensuring high quality and availability of personal protective equipments etc.;</p> <p>(e) to advise on matters relating to carrying out plant safety inspections;</p> <p>(f) to carry out plant safety inspections in order to observe the physical conditions of work and the work practice procedures followed by the employees and to render advice on measures to be adopted for reducing the unsafe physical conditions and preventing unsafe conditions by employees;</p> <p>(g) to render advice on matters relating to reporting and investigation of industrial accidents and diseases;</p> <p>(h) to investigate fatal and serious accidents and to suggest remedial measures to the management;</p> <p>(i) to investigate the reportable cases of industrial disease contracted and dangerous occurrences;</p> <p>(j) to advise on the maintenance of such records as are necessary relating to accidents, dangerous occurrences and industrial diseases;</p> <p>(k) to promote setting up of Safety Committees and to act as an adviser and catalyst to such committees;</p> <p>(l) to organise in association with the concerned department, campaign, competitions, contests and other activities which will develop and maintain the interest of the employees in establishing and maintaining safety conditions of work and procedure;</p> <p>(m) to design and conduct either independently or in collaboration with the organisations, departments imparting industrial safety training, suitable training and educational programme for the prevention of personal injuries and to hold safety seminars at least once in a year;</p> <p>(n) to prepare an annual report of accidents and industrial diseases suggesting their remedial measures and to put it up before the annual meeting of the Board of Directors;</p> <p>(o) to submit a quarterly report electronically or otherwise to the concerned Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction through his employer in respect of the works in promoting safety, health, hygiene and better working conditions of workers in the establishment conducted by the Safety Department for the previous quarter; and</p>
Prohibition of performances of other duties under sub-section (2) of section 22	48	<p>(1) No Safety Officer shall be required or allowed to do any other work which is inconsistent with or detrimental to the performance of his duties specified in these rules.</p> <p>(2) The employer of the establishment shall provide each Safety Officer with such facilities, equipments and information as are necessary to enable him to discharge his duties effectively.</p>

CHAPTER V
Hours of Work and Leave with wages

Daily and weekly working hours under clause (b) of sub-section (1) of section 25	49.	<p>(1) No worker shall be required or allowed to work in an establishment for more than 48 hours in any week.</p> <p>(2) The period of work of a worker shall be so arranged that inclusive of intervals for rest, shall not spread over for more than</p>
--	-----	--

		<p>ten and a half hours in a day: Provided that the State Government may by notification in the Official Gazette increase the spread over up to 12 hours inclusive of his intervals for rest in respect of any group or class or description of establishment on such conditions as it may deem expedient under section 25.</p> <p>(3) The period of works of workers shall not exceed five hours and no worker shall work for more than five hours before he has had an interval for rest of at least half an hour.</p> <p>(4) The working hours in a day may be modified by the State Government, subject to sub-rules (1), (2) and (3), so that the total number of working hours in a week shall be so fixed and followed.</p>
Weekly day of rest under sub-section (2) of section 26 and 135(2)(za)	50	<p>(1) For the purpose of section 26, there shall be posted up in a conspicuous place outside the office of every establishment, a notice showing the weekly day of rest.</p> <p>(2) Where the weekly day of rest is not the same day for all persons employed in the establishment, the notice shall show the day of rest allowed to each relay, or set of persons or individual.</p> <p>(3) No worker shall be required or allowed to work in an establishment on the first day of the week (hereinafter referred to as the said day), unless he has or will have a holiday for a whole day on one of the three days immediately before or after the said day:</p> <p>Provided that no substitution shall be made which will result in any employee working for more than ten days consecutively without a holiday for a whole day:</p> <p>Provided further that factory or a part of factory or a class of factories which comes under the purview of continuous process factory as set out in Schedule-II shall be allowed to work on daily basis and the first day of week of groups of workers may be different for the purpose of weekly holiday.</p> <p>(4) Where, in accordance with the provisions of sub-rule (3), any worker works on the said day and has had a holiday on one of the three days immediately before it, that said day shall, for the purpose of calculating his weekly hours of work, be included in the preceding week.</p> <p>(5) For the purpose of shift changing of a worker; a holiday of 24 consecutive hours shall be insured between the shifts subject to section 28.</p> <p>(6) The compensatory days of rest shall be so spaced that in any one week not more than two such days shall be allowed to any person.</p> <p>(7) Inspector-cum-Facilitator of jurisdiction, subject to the control of Chief Inspector-cum-Facilitator, may approve, in writing, any other day as the first day of week for any particular area or a class of establishments.</p> <p>(8) The State Government or subject to the control of the State Government the Chief Inspector-cum-Facilitator, for reasons specified in writing, may issue the notifications or office order for weekly holiday and/or duration of work for any establishment or class of establishment other than a factory and may exempt sub-rule (3) subject to the provisions of section 26.</p> <p>(9) A notice of substituted day for the said day shall be delivered to</p>

		<p>the Inspector-cum-Facilitator electronically or otherwise prior to the substituted day or said day, whichever is earlier in case of a factory. The Manager shall keep record of such substituted holiday.</p> <p>(10) Notices given under sub-rule (2) may be cancelled by a notice delivered at the office of the Inspector-cum-Facilitator and a notice displayed in the factory not later than the day before the said day or the holiday to be cancelled, whichever is earlier</p>
Compensatory holidays under sub-section (3) of section 26	51.	<p>(1) The compensatory holidays to be allowed under sub-section (3) of section 26 of the Code shall be so spaced that not more than two compensatory holidays are given in one week.</p> <p>(2) The manager of the establishment shall display, on or before the end of the month in which holidays are lost, a notice in respect of workers allowed compensatory holidays during the following month and of the dates thereof, at the place at which the notice of periods of works prescribed under section 26 is displayed. Any subsequent change in the notice in respect of any compensatory holiday shall be made not less than three days in advance of the date of that holiday.</p> <p>(3) Any compensatory holiday or holidays to which a worker is entitled shall be given to him before he is discharged or dismissed and shall not be reckoned as part of any period of notice required to be given before discharge or dismissal.</p>
Extra wages and conditions for overtime under section 27	52.	<p>(1) Where, in an establishment, a worker works for more than nine hours in any day or for more than forty-eight hours in any week, as the case may be, he shall in respect of such overtime work be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages and shall be paid at the end of each wage period.</p> <p>(2) In calculating overtime on any day, a fraction of an hour between 15 to 30 minutes shall be counted as 30 minutes and in case of more than 30 minutes it shall be rounded and shall be counted as an hour on actual basis.</p> <p>(3) In calculating the wages or earnings in the case of a worker paid by the month, the daily wages shall be 1/26th of his monthly wages; and in the case of any other worker it shall be the daily wages or earnings, as the case may be.</p> <p>(4) Workers may be allowed to work on overtime for more than the normal hours of work subject to following circumstances and conditions, namely:-</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) urgent repairs; (b) work in the nature of preparatory or complimentary work; (c) work which is necessarily so intermittent that the intervals during which they do not work while on duty ordinarily amount to more than the intervals for rest; (d) work which, for technical reasons, must be carried on continuously; (e) engaged in making or supplying articles of prime necessity which must be made or supplied every day; (f) engaged in a process which cannot be carried on except during fixed seasons; (g) engaged in a process which cannot be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces;

		<p>(h) engaged in an engine-rooms or boiler-houses or in attending to power-plant or transmission machinery;</p> <p>(i) engaged in process on account of the break-down of machinery;</p> <p>(j) engaged in the loading or unloading of railway wagons or lorries or trucks;</p> <p>(k) exceptional press of work; and</p> <p>(l) engaged in any work, which is notified by the State Government in the Official Gazette as a work of public importance.</p> <p>(5) A worker may be allowed to work overtime in any working day subject to the following conditions-</p> <p>(a) there shall be no overlapping of shifts for such hour of overtime in case of a factory;</p> <p>(b) the worker shall be intimated in writing or electronically for such hours of overtime before he starts working for such hours and he shall be handed over the overtime slip in duplicate signed by the manager or the authorized person stating the period and duration of work for the day;</p> <p>(c) a worker shall not be allowed to work on overtime more than 5 days at one stretch;</p> <p>(d) employer shall ensure that such extra hour will not affect the health and safety of workers adversely owing to engagement in dangerous operations or hazardous processes in case of a factory;</p> <p>(e) consent of worker for overtime shall be taken, in writing;</p> <p>(f) overtime is allowed for urgent work to be done to machinery or plant or else, or in case of "force majeure", or preparatory or complementary work which requires such extra time in case of a factory.</p> <p>(6) Total number of hours of work in any day shall not exceed ten hours except continuous process factories.</p> <p>(7) The period of work of a worker shall be so arranged that inclusive of his intervals for rest, shall not spread over for more than twelve hours in a day.</p> <p>Provided that total number of hours of overtime shall not exceed one hundred and fifteen hours in any quarter of a year which may extended upto a maximum of one hundred and forty four hours with The prior approval of the State Government.</p>
<p>Circumstances where double employment is allowed under section 30</p>	<p>53.</p>	<p>A part time worker/employee in a factory may be allowed to work in another establishment in any category of work notified by the State Government subject to the following conditions, namely :-</p> <p>(a) a separate attendance register shall be maintained;</p> <p>(b) pro-rata basis leave and other amenities shall be provided;</p> <p>(c) provisions of the Code and rules related to working hours, spread hours, weekly holiday and overtime shall remain applicable:</p> <p>Provided that the State Government may, by notification, add any category of worker and conditions for double employment.</p>

<p>Notice of period of work under sub-section (2) of section 31</p>	<p>54.</p>	<p>(1) Workers working in a shift system shall be rotated suitably. The period of work of workers operating in a single shift shall also be fixed. Such periods of work shall be notified to Inspector-cum-Facilitator electronically or otherwise.</p> <p>(2) Notice of period of work for the adult workers shall be in Form-13 in accordance with the provisions of the Code and rules and it shall be displayed at conspicuous place in the establishment at or near the main entrance and such notice shall be intimated to concerned Inspector-cum-Facilitator electronically. It shall also be kept updated under the provisions of section 31 of the Code.</p> <p>(3) The notice as mentioned in sub-rule (2) above shall clearly indicate for every day, the period during which an adult employee may be required to work.</p> <p>(4) No person shall be allowed to work in an establishment otherwise than in accordance with sub-rule (2):</p> <p>Provided that if a person or persons are working on over time, the period of such hour and such employee shall be displayed duly signed by manager at a conspicuous place.</p> <p>(5) Any proposed change in the system of work in any establishment, which will necessitate a change in the notice referred to in sub-rule (2), shall be displayed on the notice board after getting previous sanction of Inspector-cum-Facilitator.</p> <p>(6) No adult worker shall be required or allowed to work in any establishment otherwise than in accordance with the notice of periods of work for adults displayed in the factory and the entries made beforehand against his name in the registers of adult workers of the establishment.</p>
---	------------	---

CHAPTER-VI

Maintenance of Registers, Records and Returns

<p>Maintenance of registers and records under section 33</p>	<p>55.</p>	<p>(1) Employer of every establishment shall maintain electronically or otherwise, the records, registers, testing certificates, examinations, forms, reports, licences and No Objection Certificates as prescribed in the Code or rules. These shall be readily available within the premises of the establishment.</p> <p>(2) In case of manual registers and other records, the same shall be legibly entered in ink in Hindi/English or the language easily understood by majority of the persons employed.</p> <p>(3) All registers and records shall be preserved by the employer in original for a period of three calendar years from the date of the last report or entry made therein:</p> <p>Provided that when the original record is lost or destroyed before the expiry of one year, true copies thereof, if available, shall be preserved for the prescribed period;</p> <p>Provided further that all the registers and records shall be maintained by the employer in such matters where any case is pending before any authority or before any competent Court, till the final disposal of such cases and the execution of the orders.</p> <p>(4) Every employer shall produce all registers and records electronically or by registered post or manually on demand, before the Inspector-cum-Facilitator or the Chief Inspector-cum-Facilitator or any person authorised in this behalf by the</p>
--	------------	--

State Government.														
Leave Book under section 32 and section 33	56.	<p>(1) The employer or manager shall provide each employee with a book in Form-14 hereinafter called the "Leave Book" under the provisions of section 32.</p> <p>(2) The leave book shall be the property of the worker and the Manager or his agent shall not demand it except to make entries of the dates of leave or interruption in service and shall not keep it for more than one week at a time. Workers shall submit the leave book when required by the manager within three days.</p> <p>(3) If a worker loses his Leave book, the manager shall provide him with another copy on the payment of rupees ten, subject to the provisions of section 21 of the Code on Wages, 2019 (Act No. 29 of 2019) and shall complete it from his record.</p>												
Leave with wages under section 32 and section 33	57.	The employer or manager shall keep a register for every employee in Form-15 hereinafter called the 'Leave With Wages Register', under the provisions of section 32 of the Code, which shall be filled weekly, or fortnightly or at least once a month.												
Overtime register under section 33	58.	<p>(1) The employer or manager shall maintain a register for the overtime work of worker under the provision of section 27 of the Code in such format as prescribed under the Uttar Pradesh Code on Wages Rules, 2026 for this purpose.</p> <p>(2) Any work done by a worker beyond the normal specified periods of work, shall be entered in the overtime slips in duplicate indicating therein the actual period of overtime worked by him. A copy of such overtime slip duly signed by the manager or by a person duly authorised by him in that behalf, shall be given to the workers immediately after completion of overtime work:</p> <p>Provided that if the Officer appointed under section 111 of the Code is satisfied that because of the nature of work carried out in the factory, it is not possible to issue daily slips to the workers, he may permit issue of weekly slips to the workers on the recommendation of Inspector -cum-Facilitator.</p> <p>(3) The Overtime Slip shall be maintained in the following format :-</p> <p style="text-align: center;">Overtime slip</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Name and address of the establishment</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Name and designation of the worker</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Date of work and normal period of work</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Overtime period and duration in hours</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Work performed on overtime</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Signature of the Manager/ Authorised person</td> <td></td> </tr> </table>	Name and address of the establishment		Name and designation of the worker		Date of work and normal period of work		Overtime period and duration in hours		Work performed on overtime		Signature of the Manager/ Authorised person	
Name and address of the establishment														
Name and designation of the worker														
Date of work and normal period of work														
Overtime period and duration in hours														
Work performed on overtime														
Signature of the Manager/ Authorised person														
Register of workers under clause (v) of sub-section (a) of section 33	59.	<p>(1) The manager or employer of every establishment shall maintain a register of workers, when any work is being carried on in the factory, showing-</p> <p>(a) the name of each employee in the factory;</p> <p>(b) the nature of his work;</p> <p>(c) the group, if any, in which he is included;</p> <p>(d) where his group works on shifts, the relay to which he</p>												

		<p>is allotted;</p> <p>(e) such other particulars as may be prescribed.</p> <p>(2) No workers shall be required or allowed to work in any establishment unless his name and other particulars have been entered in the Register of workers.</p> <p>(3) The register of workers or attendance register shall be maintained in Form-6.</p> <p>(4) This register shall be produced or shown on demand by an Inspector-cum-Facilitator or the Medical Officer. The employer or manager shall be responsible for the production of the register on such demand, irrespective of the fact whether he is present or not in the establishment during an inspection.</p> <p>(5) A register for adolescent workers, employed if any, shall also be maintained separately in Form-6 and shall be labeled as "Attendance Register of Adolescent Workers".</p> <p>(6) If any person is found in a factory at any time other than during meal or rest intervals, when work is in progress or machinery is in operation, then, unless the contrary is proved, he shall be deemed to be employed in the factory at that time for the purposes of the Code and the rules made thereunder.</p>
Accident Register under section 10, section 11 and section 33	60.	The employer or manager of every establishment shall maintain a register of all accidents and dangerous occurrences, which occur in the establishment as prescribed under rule 15 and 16 of these rules respectively under the Code, in a register in Form-16.
Wage slips and payments under section 33 and the provisions of Code on Wages, 2019	61.	<p>(1) Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise, to the workers in such form, as prescribed, by the rules made by the appropriate Government under the Code on Wages, 2019 (Act No. 29 of 2019) on or before the payment of wages.</p> <p>(2) The wage slip for the payment of overtime work shall be separate from that of regular wage and overtime hours worked by the worker shall be mentioned in it.</p>
Return under section 33	62.	<p>The Employer or Manager of every establishment shall furnish electronically or otherwise to the concerned Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction and any other officer or officers specified by the State Government by general or special order the following returns namely :-</p> <p>(a) on or before January 31, every year an Annual Return in the Form-17;</p> <p>(b) on or before July 31, every year, a Half-Yearly Return in case of a Major Accident Hazard installation for the period of January 1 to June 30 in the Form-18:</p> <p>Provided that in the case of an establishment in which work is carried on only during a certain season or seasons of the year, the employer or manager shall submit the return within fifteen days after the closure of that season or last of these seasons, as the case may be.</p>
Display of notices under section 33	63.	(1) In addition to the notices required to be displayed in any establishment by or under this Code or rule, there shall be displayed in every establishment a notice containing such abstracts of the Code, notifications and rules of Central

		<p>Government prescribed for health, safety and welfare provisions under section 18, section 23 and section 24 and such abstract with salient points shall not contain less than 2000 words. The name and office address of the concerned Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction, shall also be displayed.</p> <p>(2) All notices required by or under this Code to be displayed in an establishment shall be in Hindi and English and shall be displayed at some conspicuous and convenient place, at the notice board and at or near the main entrance of the factory, and the same shall be maintained in a clean and legible condition.</p> <p>(3) The Chief Inspector-cum-Facilitator may, by order in writing served to the employer or the manager of any factory or building or other construction work, require that there shall be displayed in the factory any other notice or poster relating to the health, safety or welfare of the workers in the factory.</p> <p>(4) Every employer and manager shall display a painted sign board, with conspicuous letters written in white or luminous paint of any color at the main entrance of every establishment in such a manner which is visible from outside stating the following particulars:</p> <p>(a) registration or License number of the establishment;</p> <p>(b) name of the establishment;</p> <p>(c) address of the establishment (giving plot no, locality, street no., pin code etc.);</p> <p>(d) name of the employer;</p> <p>(e) name of the manager.</p>
Payment of wages if the worker dies and nomination form under clause (zzq) of sub-section (2) of section 133	64.	<p>(1) Where a worker dies before he resumes work, the balance of his pay, due for the period of leave with wages not availed of, shall be paid to his nominee within one month of the receipt of intimation of the death of the worker in accordance with clause (vi) of sub-section (1) of section 32 of the Code.</p> <p>(2) Each worker shall submit a nomination in Form-19, duly signed by him and attested by two witnesses. The nomination shall remain in force until it is revised or cancelled by another nomination.</p>
Production of registers	65.	<p>(1) The employer, owner or manager of an establishment shall furnish any information that an Inspector-cum-Facilitator may require for the purpose of satisfying himself of whether any provision of the Code has been complied with or whether any order of an Inspector-cum-Facilitator has been duly carried out. Any demand carried out by an Inspector-cum-Facilitator for any such information, if made, during the course of an inspection shall be complied forthwith if the information is available in the establishment, or, if made in writing, shall be complied with within fifteen days of receipt thereof.</p> <p>(2) All registers, forms, certificates, records required to be maintained under the Code and rules shall be preserved for at least a period of three years to which they relate, including the records of testing and medical examination of workers.</p> <p>(3) Medical records of employees who contracted any notifiable disease or had been declared unfit or suffered from any occupational disease or accident shall be preserved for five years.</p>

CHAPTER-VII
Inspector-cum-Facilitator and Other Authority

Qualification and experience for the post of Chief Inspector-cum-Facilitator under sub-section (5) of section 34	66	The qualification for the post of Chief Inspector-cum-Facilitator for various establishments under the Code shall be as follows:-			
		S. no.	Name of establishment	Qualification and Experience	Jurisdiction
		1	Contract Labour	Additional Labour Commissioner, Enforcement Headquarter as per Uttar Pradesh Labour Service Rules, 1991	Whole of Uttar Pradesh
		2	Inter-state migrant workers	Additional Labour Commissioner, Enforcement Headquarter as per Uttar Pradesh Labour Service Rules, 1991	Whole of Uttar Pradesh
		3	Audio-visual workers	Additional Labour Commissioner, Enforcement Headquarter as per Uttar Pradesh Labour Service Rules, 1991	Whole of Uttar Pradesh
		4	Beedi and Cigar workers	Additional Labour Commissioner, Enforcement Headquarter as per Uttar Pradesh Labour Service Rules, 1991	Whole of Uttar Pradesh
		5	Provisions related <u>other than</u> health, safety and welfare of Building and Other Construction workers	Additional Labour Commissioner, Enforcement Headquarter as per Uttar Pradesh Labour Service Rules, 1991	Whole of Uttar Pradesh
		6	Provisions related to health, safety and welfare of Building and Other Construction workers	Director of Factories, Uttar Pradesh: Any person appointed as Director of Factories by the State Government as per rules made in The Uttar Pradesh Inspector of Boilers and Factories Service Rules, 1980.	Whole of Uttar Pradesh
		7	Factories	Director of Factories, Uttar Pradesh Any person appointed as Director of Factories by State Government as per rules made in "Uttar Pradesh Inspector of Boilers and Factories Service Rules 1980" as amended time to time:	Whole of Uttar Pradesh
		8	Planation	Additional Labour Commissioner, Enforcement Headquarter as per Uttar Pradesh Labour Service Rules, 1991	Whole of Uttar Pradesh
9	Provisions	Additional Labour Commissioner,	Whole of		

		related to <u>other than</u> health, safety and welfare of Other Establishment	Enforcement Headquarter as per Uttar Pradesh Labour Service Rules, 1991	Uttar Pradesh
		10 Provisions related to health, safety and welfare of Other Establishment	Director of Factories, Uttar Pradesh: Any person appointed as Director of Factories by the State Government as per rules made in the Uttar Pradesh Inspector of Boilers and Factories Service Rules, 1980.	Whole of Uttar Pradesh
		Provided that if the post of Director Factories is lying vacant, due to any reason, the State Government may confer the charge of Director of Factories to any suitable person who is appointed as Deputy Director of Factories.		
Powers of Inspector-cum-Facilitator under clause (iv) of sub-section (1) of section 35	67	<p>An Inspector-cum-Facilitator shall for the purpose of clause (iv) of sub-section (1) of section 35 of the Code, have power to do all or any of the following things, with respect to plantation namely:-</p> <p>(a) to photograph any child worker; take samples to inspect, examine, measure; take copies of any relevant document, photograph, sketch or test, as the case may be, any house, building or room, or anything provided for the purpose of securing the health or welfare of the workers employed in a plantation and inspect or take copies any register or document to maintained under the Code and these rules;</p> <p>(b) to require an employer to supply or send any return or information relating to the provisions of the Code or rules made thereunder;</p> <p>(c) to satisfy himself at each inspection that,-</p> <p>(i) the provisions of the Code and the rules regarding the health and welfare of workers employed in the plantation are observed;</p> <p>(ii) the adolescents employed in the plantation have been granted certificates of fitness and that no adolescent is employed who is unfit;</p> <p>(iii) the prescribed registers and records are properly maintained under Code on Wages, 2019 and the Occupational Safety, Health and working Conditions Code,2020 ;</p> <p>(vi) the periods of rest and holidays provided by the Code are granted and that the limits of hours of work laid down therein are not exceeded;</p> <p>(v) the notice of period of work required is duly affixed;</p> <p>(vi) leave with wages and sickness and maternity benefits are granted in accordance with the provisions of the Code and other labour laws in force;</p> <p>(vii) to note how far the defects pointed out in the previous inspections have been removed and how far orders previously issued have been complied with; and</p> <p>(viii) to point out all such defects or irregularities as he may have observed and to give orders for their removal and to record and furnish to the employer a summary of the defects or irregularities and of his orders.</p>		

<p>Powers of Inspector-cum-Facilitator under clause (xiv) of sub-section (1) of section 35</p>	<p>68</p>	<p>(1) An Inspector-cum-Facilitator shall, for the purposes of the execution of the Code and Rules, have power to do all or any of the things specified in section 35 of the Code:</p> <p>Provided that the powers of the public officers, who are not appointed for the post of Inspector of Factories in the Uttar Pradesh Inspector of Boilers and Factories Service Rules, 1980 as amended time to time) as are appointed to Inspector-cum-Facilitator under section 34 or otherwise shall not carry out administration of the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 6, section 10, section 11, section 18, section 22, section 26, section 31, sub-section (d) of section 33, section 37, section 43, Part VII of Chapter XI of the Code in factories and establishments relating to building or other construction work. Other provisions related to safety and health under the code and rules made thereunder.</p> <p>(2) The Inspector-cum-Facilitator shall keep a file of the records of inspections, enquiries, orders and compliances thereof.</p> <p>(3) The Inspector-cum-Facilitator may, as he deems necessary, issue prohibition order or improvement notice in the Form-20 pointing out the non-compliance of provisions of safety, health and working conditions under the Code, and rules and regulations framed thereunder, to the employer or occupier of the establishment:</p> <p>Provided that after receiving such order or notice, the employer/ occupier shall ensure that the contraventions mentioned under the said order/ notice are complied with and he shall send a request on Form-20 to concerned Inspector-cum-Facilitator to reinspect the establishment:</p> <p>Provided further that after receiving such request the Inspector-cum-Facilitator may, if he thinks to be appropriate, reinspect the establishment and if he finds that the contraventions observed by him in the aforesaid order or notice are not complied with, he shall start the process of compounding of such offence, if such violation is compoundable, or he shall send a report to a person one rank above the inspecting officer or to Chief Inspector-cum-Facilitator, as the case may be, for sanctioning the prosecution and upon receiving the approval of the prosecution, he shall launch the prosecution before Competent Court as per the provisions of the Code and the rules made thereunder.</p>
<p>Manner of taking samples under clause (x) of sub-section (1) of section 35</p>	<p>69</p>	<p>(1) An Inspector-cum-Facilitator may, at any time during the normal working hours of an establishment occupier or manager of the establishment or the other person for the time being purporting to be in charge of the establishment take in the manner hereinafter provided a sufficient sample of any substance used or intended to be used in the establishment such use being:-</p> <p>(a) in the belief of the Inspector-cum-Facilitator, in</p>

		<p>contravention of any of the provisions of the Code or the rules made thereunder; or</p> <p>(b) in the opinion of the Inspector-cum-Facilitator likely to cause bodily injury to, all injury to the health of, employee in the establishment.</p> <p>(2) Where the Inspector-cum-Facilitator takes a sample under sub-rule (1), he shall, in the presence of the person informed under that sub-rule, unless such person wilfully absents himself, divide the sample into three portions and effectively seal and suitably mark them, and shall permit such person to add his own seal and mark there to.</p> <p>(3) The person informed as aforesaid shall, if the Inspector-cum-Facilitator so requires, provide the appliances for dividing, ceiling and marking the sample taken under this rule.</p> <p>(4) The Inspector-cum-Facilitator shall –</p> <p>(a) forthwith give one portion of the sample to the person informed under sub-rule (1);</p> <p>(b) forthwith send the second portion to a Government Analyst for analysis and report thereon;</p> <p>(c) retain the third portion for production to Court before which proceedings, if any, are instituted in respect of the substance.</p> <p>(5) Any document purporting to be a report under the hand of any Government Analyst, upon any substance submitted to him for analysis and report under this rule, may be used as evidence in any proceeding instituted in respect of the substance.</p>
Duties Inspector - cum-Facilitator under clause (xiv) of sub-section (1) of section 35	70	<p>(1) All Inspecting Officers, if requested by the employer or manager of the establishment, shall produce an authorized identification card issued electronically or otherwise.</p> <p>(2) Identification cards shall be issued for Medical Officers appointed under section 42, by Director of Medical and Health Services or the Labour Commissioner, Uttar Pradesh or by their respective appointing authorities. For Inspector-cum-Facilitator, the Identification cards may be issued by the Labour Commissioner or the Chief Inspector-cum-Facilitator electronically or otherwise.</p>
Third party Auditor under section 37	71	<p>(1) The Chief Inspector-cum-Facilitator may recognize a third-party auditor or any institution electronically for the purpose of section 37.</p> <p>(2) Third Party Auditor shall be of two types:-</p> <p>(a) Labour Law Auditor who shall audit the establishment for provisions other than health , safety and welfare under section 2 (1)(v) the code.</p> <p>(b) Technical Occupational Health ,safety and welfare Auditor who shall audit the establishment for provisions of health , safety and welfare of the establishment under section 2 (1)(w) of the Code.</p> <p>(3) The following shall be the eligibility criteria for third party audit firms-</p> <p>(a) the firm must be registered in India under a suitable legal framework such as the Companies Act, 2013, the Limited Liability Partnership Act, 2008, in must be a proprietorship, or partnership.</p> <p>(b) the firm must be registered with the Labour Department.</p> <p>(c) the labour law auditing firm must have qualified experience in labour laws, and the technical Occupational Safety and</p>

		<p>Health auditing firm must have experience in auditing under the Factories Act, 1948 and its related rules.</p> <p>(4) third party labour law auditor or expert shall possess the following qualifications:- Bachelor's Degree in Law and a minimum of 7 years of experience of labour laws; or Bachelor's Degree in Law and a minimum of 7 years of experience as a legal practitioner; or a retired Additional/Deputy/Assistant Labour Commissioner of the State of Uttar Pradesh or an equivalent Officer of the Central Government having minimum experience of 5 years in that capacity.</p> <p>(5) A third party technical/Occupational Safety and Health auditor or expert shall possess the following qualification:- (a) Degree in the branch of Chemical or Mechanical or Electrical or Civil or Production or Environmental Engineering from a recognized institution and having practical experience in manufacturing, maintenance or safety department in supervisory capacity or above in factories or in the field of occupational safety and health for a period of not less than twelve years; or (a) a Diploma in branch of Chemical or Mechanical or Electrical or Civil or Production or Environmental Engineering and one year full time diploma in industrial safety from a recognized institution and have practical experience in manufacturing, maintenance or safety department in the supervisory capacity or above in factories for a period of not less than fifteen years; or (b) a Degree in Bachelor of Science with Physics or Chemistry and one year full time diploma in industrial safety from a recognized Institution and having practical experience in manufacturing, maintenance or safety department of an establishment in supervisory capacity or above in factories for a period of not less than fifteen years; or (c) a Degree in Bacheor of Science with Physics or Chemistry and one year full time diploma in industrial safety form a recognized Institution and having practical experience on the post of supervison for above in manufacturing, maintenance or safety department, or an establishment for a period of not less than fifteen year; or (d) a Degree or diploma in any branch of Engineering and having experience in Directorate of Factories or Central/ Regional Labour Institutes under DGFASLI in the capacity not below the rank of Assistant Director for a period of not less than ten years; or (e) any equivalent of above four clauses in any combination: Provided that the decision of State Government with respect to equivalency of qualifications and experiences shall be final in case of any dispute.</p> <p>(6) The maximum age of the expert or Third party Auditor shall be 65 years.</p> <p>(7) The empanelment of a Third party Auditor or expert shall not be for a period of more than 2 years at a time.</p>

<p>Manner of alternative employment under sub- clause (d) of clause (A) of sub-section (1) of section 38</p>	<p>72</p>	<p>(1) It shall be the duty of the occupier to provide alternative employment to any person whose employment has been affected by an order under sub-clause (a) of clause (A) sub-section (1) of section 38, if any other establishment of the same employer exists within the radius of one hundred kilometers.</p> <p>(2) The alternative employment may be offered only when the period of employment affected by the order is fifteen days or more.</p> <p>(3) Such persons shall be given notice at least three days before the actual date of such order.</p> <p>(4) The wages and other facilities shall not be affected to the detriment of such person.</p>
<p>Qualification of Medical Officer under section 42</p>	<p>73</p>	<p>(1) A medical practitioner must possess the following qualifications to be appointed as a Medical Officer in relation to a factory, building or other construction work, plantation, motor transport undertakings and in any other establishments:-</p> <p>(a) must hold any recognized medical qualification as defined in the National Medical Commission Act, 2019, (Act No. 30 of 2019) and should be enrolled on the National Register as defined in clause (m) of section 2 or on the State Register as defined in clause (v) of section 2 of the aforesaid Act; and</p> <p>(b) must possess a Certificate of Training in industrial health of minimum three months duration recognized by the State Government or should possess a diploma in Industrial Health or equivalent in case of factories or building and other construction works carrying out hazardous process or dangerous operation.</p> <p>(2) No person shall be appointed, to be, or authorised to exercise the powers of a Medical Officer, or having been so appointed or authorised, continue to exercise such powers, who is or becomes the occupier of a factory or is or becomes directly or indirectly interested therein or in any process or business carried on therein on in any patent or machinery connected therewith or is otherwise in the employee of the factory:</p> <p>Provided that the State Government may, by order in writing and subject to such conditions as may be specified in the order, exempt any person or class of persons from the provisions of this sub-rule in respect of any factory or class or description of factories.</p>
<p>Types of establishments dangerous occupations or prodesses where medical officer shall perform his duties under section 42</p>	<p>74</p>	<p>1. Medical officer shall carry out examination and furnish report as State Government may direct,-</p> <p>(a) for examination and certification of workers in an establishment in such dangerous occupation or processes as specified in the First schedule to the Code;</p> <p>(b) for medical supervision of any establishment or class of establishment where cases of chronic occupational illness have occurred due to arduous nature of any process carried on or hazardous condition of work;</p> <p>(c) in respect of any establishment or class of establishment or description of establishment in which operations involved in risk of injury to the health of any person or class or persons employed therein;</p> <p>(d) to undertake occupational health survey for any or class of any establishment, where cases of illness have occurred or there is prevalence of disease as prescribed in Third Schedule to the Code;</p> <p>2. The Medical Officer shall, upon demand by the Chief Inspector-</p>

		<p>cum-Facilitator or an Inspector-cum-Facilitator carry out such examination and furnish him with such report as he may indicate, for any factory or class or description of factories wher,-</p> <p>(a) cases of illness have occurred which it is reasonable to believe are due to the nature of the manufacturing process carried on, or other conditions of work prevailing therein; or</p> <p>(b) by reason of any change in the manufacturing process carried on, or in the substance used therein, or by reasons of the adoption of any new manufacturing process or of any new substance brought into use in a manufacturing process, there is a likelihood of injury to the health of workers employed in that manufacturing process; or</p> <p>(c) young persons are, or are about to be employed in any work, which is likely to detrimental to their health.</p> <p>(3) Examination and certification of adolescents shall be done as may be required from time to time.</p> <p>(4) Following shall be the dangerous operations or hazardous processes for the purposes of medical examination of workers who are engaged with, namely:-</p> <p>(i) operations declared dangerous operations under Section 82 of the Code;</p> <p>(ii) factories carrying on hazardous process as per the First Schedule of the Code;</p> <p>(iii) treatment of Biomedical waste;</p> <p>(iv) sewerage treatment;</p> <p>(v) solid waste management;</p> <p>(vi) marble cutting;</p> <p>(vii) ready mix concrete;</p> <p>(viii) hot mix concrete;</p> <p>(ix) such other occupation or process, as may be declared by the State/Central Government from time to time, to be dangerous operations.</p> <p>(5) The Medical Officer may examine the persons employed in processes under sub-rule (3) and shall record the results of his examination in the Health Register in Form-7.</p> <p>(6) If The Medical Officer finds as a result of his examination that any person employed in such process is no longer fit for medical reasons to work in that process, he shall recommend transfer such person from working in that process to a better environment for such time as he may think fit and no person after such recomondation shall be employed in that process without the written sanction of the Medical Officer in the Health Register.</p> <p>(7) The manager of a factory shall afford to the Medical Officer facilities to inspect any process in which any person is employed or likely to be employed.</p> <p>(8) The Medical Officer shall send the report/inspection report to Chief inspector-cum-Facilitator and the Inspector-cum- Facilitator having jurisdiction.</p> <p>(9) The fee for a certificate or examination under this rule shall be specified by State Government by special or general order and it shall be paid by the employer.</p>
Medical Examination and certification of	75	(1) The Medical Officer shall, on the application of any adolescent or his parent or guardian accompanied by a document signed by the employer of an establishment that such person will be employed

<p>adolescent under clause (c) of sub-section (2) of section 42 and safeguards for employment of adolescents under sub-section (2) of section 93</p>	<p>therein, certify such adolescent to be fit for working in an establishment, or on the application of the employer of an establishment in which any adolescent wishes to work, examine such person and ascertain his fitness for work in that establishment.</p> <p>(2) The Medical Officer, after examination, may grant to such adolescent, in Form-8, or may renew, a certificate of fitness to work in an establishment as an adolescent, if he is satisfied that the adolescent has completed his fourteenth year, has attained the prescribed physical standards and is fit for such work:</p> <p>Provided that, the Medical Officer may seek opinion of specialists like radiologist, dentist and orthopedic surgeon, as the case may be, for the purpose of determination of age of the adolescent:</p> <p>Provided, further that, unless the Medical Officer has personal knowledge of the place where the adolescent proposes to work and of the manufacturing process in which he will be employed, he shall not grant or renew a certificate under this sub-rule until he has examined such place.</p> <p>(3) A certificate of fitness granted or renewed under sub-rule (2),-</p> <p>(a) shall be valid only for a period of twelve months from the date thereof;</p> <p>(b) may be made subject to conditions with regard to the nature of the work in which adolescent may be employed, or requiring re-examination of the adolescent before the expiry of the period of twelve months.</p> <p>(4) A Medical Officer shall revoke any certificate granted or renewed under sub-rule (2), if in his opinion, the holder of such certificate is no longer fit to work in the capacity stated therein in an establishment.</p>
--	--

CHAPTER-VIII

Special Provisions Relating to Employment of Women

<p>Special provisions relating to employment of women under section 43</p>	<p>76</p> <p>The Women employees may be employed before 06:00 a.m. and beyond 07:00 p.m. in any establishment subject to the following conditions:-</p> <p>(a) no women employee shall be bound to work without her consent taken in writing, before 06:00 AM and after 07:00 PM;</p> <p>(b) the employer shall make necessary arrangements at the expense of the establishment for her transport from her residence to the establishment and back and he shall make an arrangement for a helpline number at visible common place;</p> <p>(c) the employer shall provide for supper to all such female employees;</p> <p>(d) employer shall ensure sufficient supervision during such working hours and journey thereof;</p> <p>(e) employer shall ensure well maintained toilets, washrooms, changing rooms, drinking facilities, entry and exit points for women and he shall also ensure that passages to these amenities are well lit and near the workplace; and suitable provisions of closed circuit televisions (CCTV) surveillance on the way to these facilities shall be ensured by the employer;</p> <p>(f) during night shifts not less than four women employees shall be allowed or required to work in the premises or a particular</p>
--	---

		<p>department;</p> <p>(g) the employer shall intimate the arrangements proposed by him to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction in the area for verification, affording him a minimum period of seven days for such verification;</p> <p>(h) the employer shall send a monthly report electronically or otherwise to the Inspector-cum-Facilitator under the Code about the details of women employees engaged during night shifts and shall also send express report whenever there is some untoward incident to the Inspector-cum-Facilitator and the local police station as well;</p> <p>(i) the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction in the area shall enforce the safe working conditions of women employees and carefully take note of any non-compliance in their inspections from time to time;</p> <p>(j) no women employee shall be employed against the maternity benefit provisions as laid down under the Code on Social Security, 2020 (Act no. 36 of 2020),</p> <p>(k) additional paid leave may be permitted to the women employees during their menstruation period for the night shifts;</p> <p>(l) employer shall take appropriate steps to prevent sexual harassment. The employer shall maintain a complaint mechanism in the establishment itself as prescribed in the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (Act No. 14 of 2013) or in any other related enactments;</p> <p>(m) the women employees shall be made aware of their rights in particular by prominently displaying the guidelines as may be required;</p> <p>(n) sanitary napkins of adequate quantity conforming to Indian standards shall be provided and maintained in the women's toilets for their use, and the same shall be replenished on daily basis.</p> <p>(o) disposable bins with lids shall be provided within the women's toilets for the collection of the used napkins. The used napkins shall be disposed of as per the procedure approved by the Inspector-cum-Facilitator.</p> <p>(p) dedicated telephone numbers of the establishment shall be displayed at conspicuous places both at the establishment as well as inside the vehicles, so that any woman employee can utilize them in case of any exigency or emergency.</p>
<p>Adequate safeguards for employment of women hazardous process or in dangerous operations under section 44</p>	<p>77</p>	<p>(1) Women workers may be employed in hazardous and dangerous operations with their consent.</p> <p>(2) Women workers who are feeding mothers or pregnant shall be exempted from employment in hazardous and dangerous operations.</p> <p>(3) All the measures as mentioned in the Code relating to hazardous process and dangerous operations shall be complied with by the occupier or employer, as the case may be.</p> <p>(4) Women shall be well trained on their job and they shall be rendered knowledge about the hazardous properties of the substances being handled, stored or manufactured at their workplace and measures to overcome with the same.</p> <p>(5) Women employed in hazardous process or dangerous operations shall be provided all the necessary personal protective appliances at the workplace, they are deployed.</p>

CHAPTER IX
**Special Provisions for Contract Labour Inter-State Migrant Workers Audio- Visual
 Workers and Beedi and Cigar Workers**

PART I
CONTRACT LABOUR

<p>Form and manner of granting Licence, modification and amendment to Contractor under sub-section (1) of section 48</p>	<p>78</p>	<p>(1) Every application by a Contractor for grant of licence regarding supply or engagement by contract labour or undertaking or execution of work through contract labour or modification or amendment of such licence shall be made electronically in Form-25 on the official portal of Government of Uttar Pradesh.</p> <p>(2) Every application for the grant of a licence or modification or amendment thereof shall be accompanied by a certificate by the principal employer in Form-26, including particulars of information related to the employment of inter-state migrant workers, to the effect that the applicant has been employed by him as a contractor in relation to his establishment and that he undertakes to be bound by all the provisions of the Code and the rules made thereunder in so far as the provisions are applicable to him as principal employer in respect of the employment of contract labour by the applicant.</p> <p>(3) The application shall be accompanied with a declaration of applicant that the information submitted by him for grant of licence or modification or amendment thereof is correct in all respects and he qualifies the requirement prescribed in rule 79.</p> <p>(4) Fees to be paid for grant of such licence shall be as specified in the table below:-</p> <p style="text-align: center;">TABLE OF FEES FOR CONTRACT LABOUR LICENCE</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">S.No</th> <th style="text-align: center;">Number of workers employed by the contractor in the establishment</th> <th style="text-align: center;">Amount of fees (in rupees)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">(i)</td> <td>Up to 49 contract worker</td> <td style="text-align: center;">No licence is required</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(ii)</td> <td>Fifty or more than fifty but less than hundred workers</td> <td style="text-align: center;">2500.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(iii)</td> <td>Hundred or more but less than two hundred fifty workers</td> <td style="text-align: center;">5000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(iv)</td> <td>Two hundred fifty or more but less than five hundred workers</td> <td style="text-align: center;">12500.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(v)</td> <td>More than five hundred workers</td> <td style="text-align: center;">25000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Provided that the State Government may amend the above Table of schedule of fee for contract labour licence by general or special order.</p> <p>(5) The Contactor shall deposit the security amount calculated at the rate of rupees one thousand for each of the workman to be employed as a contract labour in respect of which application for licence has been made.</p>	S.No	Number of workers employed by the contractor in the establishment	Amount of fees (in rupees)	(i)	Up to 49 contract worker	No licence is required	(ii)	Fifty or more than fifty but less than hundred workers	2500.00	(iii)	Hundred or more but less than two hundred fifty workers	5000.00	(iv)	Two hundred fifty or more but less than five hundred workers	12500.00	(v)	More than five hundred workers	25000.00
S.No	Number of workers employed by the contractor in the establishment	Amount of fees (in rupees)																		
(i)	Up to 49 contract worker	No licence is required																		
(ii)	Fifty or more than fifty but less than hundred workers	2500.00																		
(iii)	Hundred or more but less than two hundred fifty workers	5000.00																		
(iv)	Two hundred fifty or more but less than five hundred workers	12500.00																		
(v)	More than five hundred workers	25000.00																		

Terms and conditions of licence and responsibilities of the contractor under clause (a) of sub-section (3) of section 47

79

(1) Every contract labour licence granted by the portal shall be in Form-27.

(2) Every licence granted under sub-rule (1) shall Contractor contain the responsibilities of the and be subject to the following terms and conditions, namely:-

- (a) the licence shall be non-transferable;
- (b) the number of workmen employed as contract labour/migrant workmen in the establishment shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the licence;
- (c) except as provided in the rules, the fees paid for the grant or, as the case may be, for renewal of the licence shall be non-refundable;
- (d) the rates of wages payable to the workmen by the contractor shall not be less than the rates prescribed for the employment under the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) or the Code on Wages, 2019 (Act No. 29 of 2019), where applicable, and where the rates have been fixed by agreement, settlement, award, or by the State Government, not less than the rates so fixed;
- (e) Other conditions shall be as follows:-
 - (i) in case where the workmen employed by the contractor perform the same or similar kind of work as the workmen directly employed by the principal employer of the establishment, the wage rates, holidays, hours of work and other conditions of service of the workmen of the contractor shall be the same as applicable to the workmen directly employed by the principal employer of the establishment on the same or similar kind of work;

Provided that in the case of any disagreement with regard to the type of work, the same shall be decided by the concerned designated Authority or Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction whose decision shall be final;

(ii) in other cases, the wage rates, holidays, hours of work and conditions of service of the workmen of the contractor shall be such as may be specified in this behalf by the concerned designated Authority or Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction ;

(f) Every contract labour/migrant worker shall be entitled to allowances, benefits, facilities etc. as specified in the Code and these rules;

(g) in every establishment where thirty or more women are ordinarily employed, there shall be provided two rooms of reasonable dimension for the use of their children under the age of six years. One of such rooms shall be used as a play room for the children and the other as bed room/ sleeping room for the children. For this purpose the contractor shall supply adequate number of toys and games in the play room and sufficient number of cots and beddings in the sleeping room. The standard of construction and maintenance of the creches may be such as may be specified in this behalf by the concerned designated Authority or Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction;

(h) the licensee shall notify any change in the number of workmen or the conditions of work to the Authority;

(i) a copy of the licence shall be displayed prominently at the premises where the contract work is being carried on;

		<p>(j) the contractor shall comply with all the provisions of the Code and these rules;</p> <p>(k) the licensee shall, within fifteen days of the commencement and completion of each contract work, submit a return to the Authority designated under section 46 of the Code intimating the actual date of the commencement or, as the case may be, completion of such contract work in Form-28;</p> <p>(l) the Contractor or principal employer shall not appoint any contract worker in core activities as defined in section 2(p) except in cases specified in the proviso to sub-section (1) of section 57 of the Code.</p>
Register of principal employers under sub-section (1) of section 48	80	A register of principal employers, to whom registration has been issued under these rules shall be maintained by the designated Authority in Form-4 electronically.
Register of contractors under sub-section (1) of section 48	81	A register of contractors to whom licences have been issued under these rules shall be maintained by the designated Authority in Form-29 electronically.
Matters to be taken into account in granting or refusing a licence under sub-section (2) of section 48	82	<p>In granting or refusing to grant a licence, the licensing officer shall take the following matters into account, namely:—</p> <p>(a) whether the applicant,—</p> <p>(i) is a minor; or</p> <p>(ii) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or</p> <p>(iii) is an undischarged insolvent; or</p> <p>(iv) has been convicted at any time, during a period of two years, of an offence which is criminal in nature involving offences which are liable for punishment for more than three months of imprisonment;</p> <p>(b) whether there is an order of the Central or State Government or an award or settlement for the abolition of contract labour in respect of the particular type of work in the establishment for which the applicant is a contractor;</p> <p>(c) whether any order has been made in respect of the applicant under sub-section (1) of section 14 of the Contract Labour (Regulation and Abolition Act, 1970 (Act No 37 of 1970) or Section 51 of the Code, and, if so, whether a period of three years has elapsed from the date of that order;</p> <p>(d) whether the fees for the application has been deposited at the rate specified; and</p> <p>(e) whether security has been deposited by the applicant at the rates specified.</p>
Refusal to grant licence under sub-section (2) of section 48	83	<p>(1) On receipt of the application from the contractor, and as soon as possible thereafter, the licensing officer shall investigate or cause investigation to be made to satisfy himself about the correctness of the facts and particulars furnished in such application and the eligibility of the applicant for a licence.</p> <p>(2) Where the licensing officer is of opinion that the licence should not be granted, he shall, after affording reasonable opportunity to the applicant to be heard, make an order rejecting the application.</p> <p>(3) The order shall record the reasons for the refusal and shall be communicated to the applicant.</p>

Manner of grant of licences under sub-section (2) of section 48	84	If the application for grant licence or its modification or amendment is complete in all respects, the licence shall be granted by the Authority in Form-27 electronically within such period as specified in the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (UP Act No 3 of 2011) failing which such application shall be deemed to have been granted the licence or amendment, and the certificate of licence or amendment shall be auto generated by the portal.
Refund of security deposit of sub-section (2) of section 48	85	(1) On expiry of the period of licence or after the completion of the work, the contractor may, if he does not intend to have his licence renewed further, make an application along with a no-objection certificate issued by principal employer in this regard, electronically to the Authority for the refund of the security deposited by him along with the copy of licence and notice of completion of work and bank details in which amount is required to be refunded. (2) If the licensing authority is satisfied that there is no breach of the conditions of licence or there is no order for the forfeiture of security deposit or any portion thereof, he shall direct the refund of the security deposit to the applicant. (3) If there is any order directing the forfeiture of any portion of contractor's security deposit, the amount to be forfeited shall be deducted from the security deposit, and balance, if any, shall be refunded to the contractor. (4) Any application for refund shall, as far as possible, be disposed of within thirty days of the receipt of the application. (5) Record of security amount deposited and refunded shall be maintained in Form-30 electronically by the Authority.
Fees for modification or amendment in license under sub-section (3) of section 48	86	If an application for amendment of licence is made for increasing the number of contract labour, the additional fees as prescribed in sub-rule (4) of rule 82 and additional security fees as prescribed in sub-rule (5) of rule 82 shall be deposited by the applicant.
Renewal of license under sub-section (3) of section 48	87	(1) Every contractor shall apply to the Authority, for renewal of licence, electronically on the web-portal specified by this purpose by the State Government. (2) Every such application shall be submitted on the said portal at least thirty days prior to the expiry of licence period but not before ninety days of such expiry of licence. (3) The security deposit and the fee chargeable for renewal of the licence shall be the same as for the grant of licence under Rule 82: Provided that if the application for renewal is not received within the time specified in sub-rule (2), an additional fee of twenty five per cent, shall be payable for such renewal. (4) It shall be the responsibility of the authority concerned to renew licence within such period as specified in the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (UP Act No 3 of 2011) failing which such licence shall be deemed to have been renewed and the certificate of renewal of licence shall be auto generated by the portal.
Responsibility of contractor under sub-section (4) of Section 48	88	(1) The responsibility of contractor for the payment of wages to contract labour shall be such as that of employer in Code of Wages, 2019 (Act No. 29 of 2019) and the rules made thereunder. (2) The contractor shall provide to principal employer of the establishment, the details of wages and copy of register of wages within seven days from the date of such payment.

		<p>(3) Where under proviso to sub-section (2) of section 55, it is not practicable to disburse payment in the mode specified in sub-section (2) of section 55, the payment shall be made strictly in the presence of authorized representative of principal employer with prior intimation to designated Authority or Inspector-cum-Facilitator electronically or otherwise.</p> <p>(4) Each licensee/ contractor shall be responsible to follow all the Labour Codes and other labour laws and rules made by Central or State Government in this behalf, as applicable.</p> <p>(5) The licensee/ contractor shall be responsible to follow the terms and conditions under which the licence has been granted to him.</p> <p>(6) All contract labour shall be made member of Employees Providant Fund Organization and Employees State Insurance Corporation subject to applicability under the respective provisions of the Code on Social Security, 2020 (Act. 36 of 2020).</p> <p>(7) The contractor shall notify any change in the number of workers or conditions of work to the Licensing Authority, electronically.</p> <p>(8) If, in any case, the contractor fails to follow the provisions of the Code and rules made thereunder or violates other labour laws, the Authority may cancel his licence and may forfeiture the security amount. The Authority may also direct the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction to take appropriate action against such contractor.</p>
Intimation of work order and time limit for intimation under sub-section (1) of section 50	89	<p>(1) When a Contractor receives work order from an establishment either to supply contract labour in the establishment or to execute contract through contract labour in the establishment, he shall within fifteen days from the date of receipt of such order intimate the same electronically or otherwise or through official portal of the Labour Department of the State Government to the Authority appointed under section 119 of the Code in Form-28.</p> <p>(2) The details of work order shall be sent by the contractor or his authorized representative.</p> <p>(3) The intimation shall be sent electronically on the web-portal or otherwise to the concerned designated Authority and Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction.</p>
Manner of suspension or cancellation of licence in cases of failure of intimation to appropriate Government under sub-section (2) of section 50	90	Where the Contractor fails to give the aforesaid intimation, the designated authority may after giving a show-cause notice of at least fifteen days and after affording him reasonable opportunity of hearing, may suspend or cancel the licence electronically or otherwise.
Appeal under sub-section (1) of section 52	91	The appellate authority under sub-section (1) of section 52 of the Code shall be Labour Commissioner, Uttar Pradesh.
Wage period for payment of wages under sub-section (1) of section 55	92	<p>(1) The contractor shall fix the wage periods in respect of which wages shall be payable and no wage period shall exceed one month.</p> <p>(2) The wages of every person employed as contract labour in an establishment or by a contractor shall be paid in accordance with the provisions of Code on Wages, 2019(Act No. 29 of 2019) and the rules made thereunder.</p> <p>(3) The wages shall be disbursed through bank transfer or electronic mode only.</p>

Manner of payment to those contractual workers where bank transfer or electronic mode is not possible under sub-section (2) of section 55	93	<p>(1) Where under proviso to sub-section (2) of section 55, it is not practicable to disburse payment in the mode specified in sub-section (2) of section 55, the payment shall be made strictly in the presence of authorized representative of principal employer with prior intimation to Inspector-cum-Facilitator electronically or otherwise up to a duration of maximum two months or till opening of their bank account, whichever is earlier.</p> <p>(2) The contractor shall facilitate the workers to open their bank accounts.</p> <p>(3) It will be the responsibility of the principal employer to ensure that no worker is paid, in contravention to the provisions of sub-rule (1), beyond the maximum time limit.</p>
Manner of payment of wages to contract workers from security deposit, if contractor fails to pay under sub-section (4) of section 55	94	<p>(1) If the contractor or principal employer does not pay the wages to the contract labour employed by him, designated authority shall conduct or cause to conduct an inquiry and after giving an opportunity to be heard, to the contractor, shall pass an order to make payment, if any, of such wages from the amount deposited by the contractor as security deposit.</p> <p>(2) The contractor shall re-furnish the security deposit within a period of fifteen days or else, his licence shall be liable to be suspended or cancelled.</p>
Experience certificate under section 56	95	Every contractor concerned shall issue on demand experience certificate in Form-31 to the contract labour on his letter head with his signature and seal adhering the key points like details of the period, work performed, experience gained in various fields as performed by such contract labour.
Form and manner of application for declaration of core activity under clause (a) and (b) of sub-section (2) of section 57	96	<ol style="list-style-type: none"> 1. If a question arises, as to whether, any activity of an establishment is a core activity or otherwise, the aggrieved party may make an application in Form-32 to the officer appointed under section 57(1)(a) of the Code. 2. The said application shall contain complete details of the activity in question and manufacturing processes of the establishment. 3. The Such application shall also contain the justification for making such an application. 4. The application shall be accompanied with such documents are deemed necessary by the applicant. 5. Where the State Government refers any such question <i>suo-moto</i> or refers the application to Authority designated under clause (a) of sub-section (2) of section 57, such designated Authority shall send a report to the State Government within a period of two months from the date of receipt of such question or application and thereafter the State Government shall decide the question within two months from the date of receipt of such report.

PART-II
Inter-State Migrants Workers

Minimum service of entitlement, periodicity,	97.	(1) The employer shall pay a lump-sum reasonable amount on account of fare for to and fro journey to the inter-state migrant
--	-----	--

class of travel and matters related with journey allowance under section 61		<p>worker by train (not less than second class sleeper) or by bus or by any other mode of passenger transport from the place of employment to the place of residence in the home State, if he has worked for a period of not less than 180 days in the concerned establishment in preceding twelve months. Such amount shall be paid to the inter-state migrant worker in the following situations :-</p> <p>(a) on termination of his service before the expiry of the period of employment for any reason whatsoever;</p> <p>(b) on him being in-capacitated for further employments on account of injury or continued ill-health duly certified as such by a registered medical practitioner;</p> <p>(c) on cessation of work in the establishment which is not due to any fault on the part of the migrant workman; and</p> <p>(d) on his resignation from service on account of non-fulfilment of terms and conditions of his employment by the contractor.</p> <p>(2) If the migrant worker is employed for more than six months, he shall be given journey allowance for to and fro journey from the place of employment to the place of residence, after the expiry of every six months.</p> <p>(3) The journey allowance shall be paid by the principal employer electronically, as far as practicable.</p>
Beneficiary schemes for inter-state migrant workers under section 62	98.	<p>(1) If any inter-state migrant worker chooses the option to avail the benefits of the Public Distribution System in the State of Uttar Pradesh, then the Food and Civil Supplies Department or other department or authority, as specified by the State Government, functioning in the concerned district shall provide them foodgrains and other facilities as per the scheme of the Department or Authority.</p> <p>(2) For the purpose of sub-rule (1) and (2) State Government and the Board, as the case may be, may formulate their mechanism and process.</p>
Toll free helpline number under section 63	99.	<p>(1) The Labour Commissioner, Uttar Pradesh shall establish a toll-free helpline to inter-state migrant workers in the manner as may be determined by the State Government by a Government order to address queries and grievances of the migrant workers.</p> <p>(2) A record of calls on the toll-free number shall be maintained electronically in such form and format as may be specified by the Labour Commissioner in this behalf.</p>
Study of Inter State Migrant worker under section 64	100.	<p>(1) The State Government may at any time as it deems necessary, or if directed by the Central Government, conduct a study of Inter-State Migrant Workers from the State of Uttar Pradesh or to the State of Uttar Pradesh to promote safety, health and welfare of inter-state migrant workers.</p> <p>(2) The manner of such study, composition of study team and other matters shall be such as may be decided by the State Government.</p> <p>(3) Wherever required, the State Government may also consult expert organizations and different stakeholders involved in safety, health and welfare of the inter-state migrant workers.</p>

PART-III
Audio-Visual Workers

<p>Agreement between audio-visual worker and producer of audio-visual program or contractor under sub-section (2) of section 66</p>	<p>101.</p>	<p>(1) The agreement between audio-visual worker, producer of audio-visual program or contractor, if any, shall be in Form-33.</p> <p>(2) Such agreement shall contain the following particulars:- (a) name of the audio-visual program; (b) name and address of the producer and contractor (if any); (c) name and address of audio-visual worker; (d) nature of employment of audio-visual worker; (e) duration of employment; and (f) terms and conditions of employment such as wages and other benefit, health and working conditions, safety, hours of work, welfare facilities, dispute resolution process or mechanism, which shall not be less than the entitlement of audio-visual worker in the Code.</p> <p>(3) If such audio visual workers are covered under the provision of an enactment for the time being in force for providing benefit of provident fund to him, a copy of such agreement shall be forwarded by the producer of audio visual program to the concerned provident fund authorities of Central Government.</p>
<p>Dispute resolution mechanism, constitution and other details of authorities</p>	<p>102.</p>	<p>The dispute resolution mechanism, process and constitution of authorities and Courts shall be such as provided in Code on Industrial Relations, 2020 (Act No. 35 of 2020) and rules made thereunder by the State Government.</p>

PART-IV
Beedi and Cigar Workers

<p>Form of application for grant of license under sub-section (2) of section 74</p>	<p>103.</p>	<p>(1) Every application under sub-section (2) of section 74 for a licence to use or allow to be used any place or premises as an industrial premises shall be made in Form-34 electronically on the official portal of the State Government.</p> <p>(2) The application shall be accompanied by plans showing,- (a) the site of such place or premises, the areas therein to be used for manufacturing processes and the immediate surroundings of such place or premises, including adjacent buildings, structures, roads, drains, and the like; and (b) the plan, elevation and necessary cross-sections of, the details relating to natural lighting, ventilation, means of escape in case of fire, position of the plant and machinery, if any, used, aisles and passage-ways in or in relation to, the various buildings which are intended to be used for manufacturing processes.</p> <p>(3) Before granting such licence the Authority shall also take into consideration whether the site of an industrial premises is proposed to be altered or whether industrial premises has been closed by the applicant during the period of twelve months immediately preceding the date of the application with a view to cause prejudice to the interests of the labour.</p> <p>(4) The fee for licence grant or renewal of as specified under sub-rule (1) of rule 109 shall be paid</p>
---	-------------	--

		(5) The application shall be accompanied with an affirmative electronically through the portal specified for this purpose declaration of the employer under sub-section (4) of section 74 in Form-35.															
Fee for grant or renewal of licence under sub-section (2) of section 74	104.	<p>(1) The fees to be paid for grant or renewal of licence shall be as specified in table below.-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Number of employees proposed to be employed on any day during the financial year</th> <th>Fee (in Rs.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a)</td> <td>Does not exceed twenty</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>(b)</td> <td>More than twenty but does not exceed fifty</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>(c)</td> <td>More than fifty but does not exceed hundred</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>(d)</td> <td>More than hundred</td> <td>2000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) Fee to be paid for grant of duplicate licence shall be rupees one hundred.</p> <p>(3) If the Authority refuses to grant or renew any licence under section 74, the fees paid therefor shall not be refunded.</p>		Number of employees proposed to be employed on any day during the financial year	Fee (in Rs.)	(a)	Does not exceed twenty	500	(b)	More than twenty but does not exceed fifty	1000	(c)	More than fifty but does not exceed hundred	1500	(d)	More than hundred	2000
	Number of employees proposed to be employed on any day during the financial year	Fee (in Rs.)															
(a)	Does not exceed twenty	500															
(b)	More than twenty but does not exceed fifty	1000															
(c)	More than fifty but does not exceed hundred	1500															
(d)	More than hundred	2000															
Information and site plan regarding application for licence under section 119 and sub-section (3) of section 74	105.	If the occupier/ employer of the beedi and cigar establishment wishes to obtain a licence under the provisions of section 119 of the Code, then he shall mention the maximum number of employees proposed to be employed at any time of the day in the place or premises and shall enclose the plan of the place or premises to be used, in Form- 34.															
Terms and conditions of licence under sub-section (4) of section 74	106.	<p>Every licence granted or renewed under section 74 shall be subject to the following conditions, namely:-</p> <p>(a) the manufacturing process shall be carried on only in the part of the industrial premises which has been specified for such purpose in the licence;</p> <p>(b) the maximum number of employees employed in the industrial premises shall not on any date exceed the number specified in the licence;</p> <p>(c) power driven machinery, not specified in the licence, shall not be used in the manufacturing process in the premises;</p> <p>(d) except with the prior permission of the Authority in writing, the industrial premises shall not be extended and except with the like permission no structural alteration shall be made in any building on such premises;</p> <p>(e) the licence shall not be transferable;</p> <p>(f) except as provided in the rules, the fee paid for grant, or as the case may be, renewal of licence shall be non-refundable.</p>															
Grant of licence under sub-section (4) of section 74 and renewal	107.	1. If the Authority is satisfied regarding particulars of application for grant of licence he shall issue the certificate of licence on Form-36 electronically within such period as specified in the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (UP Act No 3 of 2011) failing which such licence shall be deemed to have been granted and the certificate of grant of licence shall be auto generated by the portal.															

<p>Welfare measures under clause (e) of sub-section (4) of section 74</p>	<p>108.</p>	<p>While granting the licence or renewal of the licence, the Licensing Authority shall ensure that the occupier of the beedi and Cigar establishment has made the following provisions regarding the welfare of the labourers in the locality and interest of the public:-</p> <p>A- Cleanliness</p> <p>(1) In every industrial premises,-</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) accumulations of dirt and refuse shall be removed daily by sweeping or by any other effective method from the floors and passages of work-rooms and from staircases and passages and disposed of in a suitable manner; (b) the floor of every work-room shall be cleaned at least once in every week by washing, using disinfectant, where necessary, or by some other effective method; (c) all inside walls and partitions, of ceilings, of rooms and of walls, side and staircases shall,— <ul style="list-style-type: none"> (i) where they are painted or varnished or where they have smooth impervious surface, be cleaned with fresh water and dried at least once in every period of fourteen months; (ii) where they are painted or varnished, re-painted or re-varnished at least once in every period of five years; (iii) in any other case, be kept white-washed or colour-washed at least once in every twelve months. <p>(2) The record of the dates on which white-washing, colour-washing, varnishing, painting or cleaning, as the case may be, was carried out under sub-rule (1), shall be entered by the employer in a register maintained in Form-37.</p> <p>B. Ventilation- In every work-room or hall of an industrial premises, windows and other forms of openings for ventilation shall be provided in sufficient number to admit a continued supply of fresh air so as to keep the atmosphere inside such room or hall comfortable and free from dust, fumes and other impurity.</p> <p>C. Latrines and urinals-</p> <p>(1) Latrine and Urinal accommodation shall be provided in every industrial premises at the rate of one latrine and urinal seat separately for every twenty male employees:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that where the number of such male employees exceeds hundred, it shall be sufficient if there is one latrine seat for every twenty-five male employees up to the first hundred and one seat for every fifty in excess thereof.</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Explanation.</i>—In calculating the number of seats required in accordance with the provisions of this sub-rule any old number of employees less than twenty, twenty-five or fifty, as the case may be, shall be reckoned as twenty, twenty-five or fifty.</p> <ul style="list-style-type: none"> (2) Where female employees are employed in any industrial premises, separate latrine and urinal accommodation shall be provided for them in accordance with the same scale as the scale specified for male employees in sub-rule clause (1) above. (3) Every latrine shall be under cover and every seat in the latrine and urinal shall be so partitioned off as to secure privacy and each partition shall have a private door and fastenings. (4) Where employees of all genders are employed in any industrial
---	-------------	--

premises, there shall be displayed outside each latrine and urinal block thereon, a notice in hindi and the language understood by the majority of the employees reading "for men only" or, as the case may be, "for women only" and such notice shall also bear the picture of a man, or a woman as the case may be.

(5) Where piped water supply is available, a sufficient number of water taps conveniently accessible shall be provided in or near latrines and urinals accommodations and where there is no continuous supply of water, water cisterns with cans shall be provided for washing purposes in or near such latrines and urinals.

(6) When any general system of underground sewage with an assured water supply is provided for or exists in any particular locality, all latrines and urinals in an industrial premises in such locality other than a septic tank latrine, shall be connected with such nearest sewage system.

(7) The walls, ceilings and partitions of every latrine and urinal shall be white-washed or colour-washed and the same shall be repeated at least once in every period of four months. The dates on which the white-washing or colour-washing is carried out washing with detergents and disinfectants is carried out, as the case may be, shall be entered by the employer in the register maintained in Form- 37:

Provided that, nothing in sub-rule (7) shall apply in respect of wall and ceilings of, and partition in a latrine or urinal or any portions of such walls, ceilings and partitions which are laid in glazed tiles or otherwise finished to prove a smooth-polished impervious surface, but such walls, ceilings, partitions or portions thereof shall be washed with suitable detergents and disinfectants at least once in every period of four months.

(8) All drains work on an industrial premises for carrying waste or sullage water shall be constructed in masonry or other permissible materials and shall be regularly flushed and effluent disposed of by connecting such drains with suitable drainage lines

Provided that where there is no such drainage line, the effluent shall be deodorised in order to render it innocuous and then disposed of.

D. Washing facilities.—

(1) There shall be provided and maintained in every industrial premises, for the use of employees engaged in blending and sieving of tobacco or warming of beedis in hot ovens, adequate and suitable facilities for washing which shall include soap and nail brushes or other suitable means of cleaning and such facilities shall be convenient, accessible and shall be made available in clean and orderly condition.

(2) If female employees are employed in any industrial premises, separate washing facilities on the same lines as those specified in clause (1) or clause (2)(1) in respect of male employees shall be provided for such female employees in enclosed or screened places in such manner that the interior portions of such places are not visible from any place where male employees work or pass through and the entrance to every such place shall bear a notice in the language understood by the majority of the employees reading "For Women only" in bold and conspicuous letters and such notice shall also bear the picture of a

woman.

(3) Water supply for purposes of washing facilities under clause (1) or clause (2) shall be such as to provide at least 27.3 liters per day for each person employed in the industrial premises and such water shall be drawn from a hygienic source:

Provided that where an Inspector-cum-Facilitator is satisfied that it is not practicable to make water supply available in accordance with the scale specified under this sub-rule, he may by a certificate in writing permit the supply of a lesser quantity which shall in no case be less than 4.5 litres per day for each employee.

E. Creches.—

(1) In every industrial premises, wherein thirty or more workers are employed or were employed on any day of the preceding twelve months, the employer shall provide and maintain a creche or creches for the use of their children who are upto the age of six years, according to the standards laid down in these rules:

(2) The creche shall conform to the following standards, namely:—

- (a) the creche shall be conveniently accessible to the mothers of the children accommodated therein and so far as is reasonably practicable, it shall not be situated in close proximity to any part of the industrial premises where obnoxious fumes, dust or odours are given off;
- (b) the room or rooms used as creche shall be soundly constructed and the walls and roof thereof shall be of heat-resisting materials and shall be water-proof;
- (c) the floor and internal walls of the creche up to a height of 1.2 metres shall be so laid or finished as to provide a smooth impervious surface;
- (d) the height of each room used as a creche shall not be less than 3.7 metres from the floor to the lowest part of the roof and there shall not be less than 1.9 square metres of floor area for each child to be accommodated therein;
- (e) effective and suitable provision shall be made in every part of a creche for securing and maintaining adequate ventilation by the circulation of fresh air;
- (f) the creche shall be adequately furnished and equipped and in particular there shall be made available,—
 - (i) for each child of more than two years, a suitable bedding;
 - (ii) for each child of not more than two years of age, a suitable cot or cradle with the necessary bedding;
 - (iii) at least one chair or other adequate similar sitting accommodation for the use of each mother while she is feeding or attending to the child; and
 - (iv) sufficient supply of suitable toys for the older children.
- (g) there shall be in or adjoining a crèche, a suitable washing room for washing of the children and their clothing and such room shall conform to the following standards, namely:—
 - (i) the floor and internal walls of the room up to a height of 0.9 m. shall be so laid or finished as to provide a smooth impervious surface;

(ii) the room shall be adequately laid and ventilated and the floor shall be effectively drained and maintained in a clean and tidy condition;

(iii) the supply of water for washing shall be from a hygienic source and if practicable shall be through taps;

(iv) supply of at least 22.7 litres of water per day for each child shall be made available;

(v) an adequate supply of clean clothes, soap and clean towels shall be made of label for the use of each child;

(vi) adjoining the washroom, a septic type latrine shall be provided for the sole use of the children in the creche and the same shall be kept clean and in a sanitary condition.

(h) the employer shall make available at least half a pint of pure milk for each child everyday in the crèche and the mother of such child shall in the course of daily work, be allowed adequate intervals of not less than fifteen minutes to feed the child.

(i) in addition to providing milk in accordance with the provisions of clause (h) above, the employer shall provide for children who are accommodated in the crèche, an adequate supply of wholesome refreshment.

(j) the employer shall appoint a woman trained in the care of children and infants and sufficient number of women caretakers for the purpose of looking after the children accommodated in a crèche and he shall also provide suitable equipment and facilities for the purpose.

Explanation: The number of women caretakers to be appointed in the crèche shall be calculated at the rate of one women caretakers for every thirty children.

(k) the employer shall provide for the staff employed in the creche, suitable clean clothes for use while on duty in the creche.

Explanation: In this rule, child means a child upto the age of six years of age.

F. First aid-

(1) In every industrial premises, there shall be provided and maintained, so as to be readily accessible during all working hours, first-aid boxes or cupboards containing the equipment specified in clause (2) and the number of boxes or cupboards to be so provided and maintained shall not be less than one for every one hundred fifty employees ordinary employed at any one time in the premises.

(2) The first-aid boxes or cupboards shall be distinctively marked with a red Cross on a white background and shall contain the following equipments, namely:-

- (a) six small sterilised dressings;
- (b) three medium sized sterilized dressings;
- (c) three large size sterilized dressings;
- (d) three large size sterilized burns dressings;
- (e) one (28.350 grams) bottle containing a 2 percent alcoholic solution of iodine;

- (f) one (28.350 grams) bottle containing salvolatile having the dose and mode of administration indicated on the label;
- (g) a snake-bite lancet;
- (h) one (28.350 grams) bottle of potassium permanganate crystals;
- (i) one pair of scissors;
- (j) eye drops;
- (k) adhesive plaster.

(3) Each first-aid box or cupboard shall be kept in the charge of a person who is trained in first-aid treatment and who shall always be readily available during the working hours of the industrial premises.

G. Canteens-

(1) The employer of every industrial premises wherein not less than two hundred and fifty employees are ordinarily employed, shall provide in, or near the industrial premises, a canteen.

(2) The canteen shall not be situated within 15.2 meters of any latrine or urinal or any other source of dust.

(3) The canteen building shall consist of at least a dining hall, kitchen, store room and pantry in addition to washing places separately for employees and for the utensils.

(4) The minimum height of the building shall be not less than 3.7 meters and all the walls and roof thereof shall be of suitable heat-resisting materials and shall be water-proof. There shall be a provision of adequate ventilation. The doors and windows shall be of fire proof construction.

(5) The canteen shall be sufficiently lighted at all times when any person has access to it.

(6) In every canteen,-

(a) all inside walls of rooms and all ceilings and passages and staircases shall be lime-washed or colour-washed at least once in each year or painted once in three years, dating from the period when the same was last lime-washed or colour-washed or painted, as the case may be;

(b) all wood-work shall be varnished or painted once in three years dating from the period when the same was last varnished or painted;

(c) all internal structural iron or steel work shall be varnished or painted in three years dating from the period when the same was last varnished or painted;

(d) the inside portion of the walls of the kitchen shall be lime-washed once in every four months.

(7) The dates on which lime-washing, colour-washing, varnishing or painting is carried out shall be entered by the employer in the register maintained in Form- 37.

(8) The precincts of the canteen shall be maintained in a clean and sanitary condition. Wastewater shall be carried away in suitable covered drains and shall not be allowed to accumulate so as to cause a nuisance. Suitable arrangements shall be made for the collection and disposal of garbage.

(9) The dining hall shall accommodate, at a time, at least thirty percent of the employees working at a time.

(10) The floor of the dining hall, excluding the area occupied by the service counter and any furniture except tables and chairs shall be not less than .93 square metres per diner to be accommodated as specified in clause (9).

		<p>(11) A portion of the dining hall and service counter shall be partitioned off and reserved for women employees in proportion to their number. Washing places for women shall be separate and screened to secure privacy.</p> <p>(12) Sufficient tables, chairs, or benches shall be available for the number of diners to be accommodated as specified in clause (9).</p> <p>(13) There shall be provided and maintained sufficient utensil, crockery, cutlery, furniture and any other equipment necessary for the efficient running of the canteen. Suitable clean clothes for the employees serving in the canteen shall also be provided and maintained.</p> <p>(14) The furniture, utensils and other equipment shall be maintained in a clean and hygienic condition. A service counter, if provided, shall have a top of smooth and impervious material. Suitable facilities including an adequate supply of hot water shall be provided for the cleaning of utensils and equipment.</p> <p>(15) Food and food materials shall be stored in fly-proof safes and handled with the help of wooden ladless or suitable metal forceps, whichever is convenient. Vessels once used shall be scalded before being used again.</p> <p>(16) Food, drinks and other items served in the canteen shall be served on a no-profit, no-loss basis.</p>
Disputes relating to issue of raw materials by the employer under clause (e) of sub-section (4) of section 74	109.	<p>(1) Any dispute between employer and employee or employees in relation to,-</p> <p>(a) the issue by the employer of raw materials to the employee;</p> <p>(b) the rejection by the employer of beedi or cigar, or both rejected by an employee; or</p> <p>(c) the payment of wages beedi or cigar or both, rejected by an employer;</p> <p>may be referred in writing by the employer or the employee or employees to the Inspector—cum-Facilitator, who shall, after making such enquiry as he may consider necessary and after giving the parties an opportunity to represent their respective cases, decide the dispute and record the proceedings with the details of dispute, plea of parties, documents and evidences and finding thereof.</p> <p>(2) Any party to the dispute aggrieved by the decision thereon under sub-rule (1) may prefer an appeal within a period of thirty days from the date of the decision to the Licensing Authority:</p> <p>Provided that the Appellate Authority may admit an appeal after the said period if the appellant satisfies such Authority that he has sufficient cause for not preferring the appeal within that period.</p>
Limit with regard to the rejection of beedis or cigars under clause (e) of sub-section (4) of section 74	110.	<p>(1) No employer or contractor shall ordinarily reject a sub-standard or <i>chhat</i> or otherwise more than five percent of the beedis or cigars, or both, received from a worker including a home-worker.</p> <p>(2) Where any beedi or cigar is rejected as sub-standard or <i>chaat</i> or otherwise on any ground other than the ground of willful negligence of the worker, the worker shall be paid wages for the beedis or cigars, so rejected at one-half of the rate at which wages are payable to him for the beedis or cigars, or both, which have not been so rejected.</p>

<p>Renewal of License under sub-section (6) of section 74</p>	<p>111.</p>	<p>(1) Every application for renewal of licence shall be made on the Official Portal of the State Government along with required fees as prescribed under rule-109. (2) The application shall be accompanied with affirmative declaration of the employer as prescribed under sub-rule (5) of rule 103 in Form-35. (3) If the Authority is satisfied that the licence complies with the provisions of the Code and rules made thereunder, he shall renew the certificate of licence on Form-36 electronically within such period as specified in the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhinyam, 2011 (UP Act No 3 of 2011) failing which such licence shall be deemed to have been renewed and the certificate of renewal of license shall be auto generated by the portal.</p>
<p>Appeals under section 75</p>	<p>112.</p>	<p>(1) Labour Commissioner, Uttar Pradesh shall be the Appellate Authority for the purposes of section 75 of the Code. (2) Fees payable in respect of appeal under section 75 shall be rupees one thousand only which shall be non-refundable. (3) An appeal against the order of the Licensing Authority refusing grant or renewal of licence shall be, – (a) made electronically within a period of thirty days from the date of receipt the order sought to be appealed against; (b) accompanied by a copy of the order appealed against; (c) accompanied by a memorandum containing grounds and facts of such appeal; (d) accompanied by a treasury challan as a proof of payment of fees for such appeal.</p>
<p>Permission to work by employees outside industrial premises under sub-section (1) of section 76</p>	<p>113.</p>	<p>(1) The employer shall make an application on Form- 38 addressed to Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Labour Department Government of Uttar Pradesh on behalf of the employees to obtain permission for wetting and cutting of beedi or tobacco leaves by employees outside the industrial premises through Labour Commissioner, Uttar Pradesh. The Labour Commissioner shall forward the application with his comments within a period of seven days to the State Government. (2) The State Government may decide the application within a period of thirty days. (3) The permission granted by the State Government under sub-rule (2) shall be valid only for such period as specified in the order granting permission under following conditions:- (a) the employer who applies for the above permission shall have valid licence issued under section 74 for such premises; (b) the suitability of the place which it is proposed to be used for wetting or cutting of beedi or tobacco leaves; (c) wetting or cutting of beedi or tobacco leaves shall be carried on only in the place for which the permission is granted; (d) the total number of employees employed by the employer for wetting or cutting of beedi or tobacco leaves outside the industrial premises shall not exceed the total number of workers for which licence has been issued under section 74; (e) the licensing authority may, in addition to the foregoing terms and conditions, determine and specify in the permission such other terms and conditions, in individual cases as it may deem necessary.</p>

Maintenance of records of outside workers under sub-section (2) of section 76	114.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The record to be maintained by the employer, of the work permitted under sub-section (1) of section 76 to be carried on outside the industrial premises, shall be maintained electronically in Form-39. 2. The employer shall, in respect of the employees who are permitted to work in their houses (hereinafter referred to as the home-workers), maintain an up-to-date register/ log-book in Form-40 electronically.

**PART-V
FACTORY**

Submission and approval of factory plans and site plan under sub-section (1) of section 79	115.	<ol style="list-style-type: none"> (1) No site shall be used for the location of a factory and no building on such site or in a factory shall be constructed, amended or modified, extended or taken into use as a factory or part of a factory unless previous approval is obtained from the Chief Inspector-cum-Facilitator or concerned Licencing Authority . (2) Application for approval of plan or permission in Form-41 for site on which the factory is to be situated, for the construction or extension thereof and for license shall be made by the applicant electronically or otherwise on the official portal of the Labour Department of the State Government to the concerned Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction at least thirty days before he begins to occupy, or use, the premises as a factory. (3) The application shall be accompanied by the following documents: <ol style="list-style-type: none"> (a) Form-42 duly filled by the applicant; (b) The Process Flow Diagram of manufacturing process indicating safety devices, fittings and mountings on each plant and machinery, the various processes and their design conditions, supplemented by a brief description of process and safety devices in its various stages and also indicating the names of raw materials, intermediates and products with their inventories and the name of chemicals if used in the process; (c) Plans shall be drawn to scale showing- <ol style="list-style-type: none"> (i) the site plan of the factory and immediate surroundings including adjacent building, hospitals, educational institutions, petrol pumps, storage of inflammable and explosive materials and other structures, roads, water sources, drains etc, and location of nearest residential area, village, town settlement with its distance from the site.; and (ii) the detail plan, elevation and necessary cross sections of the various buildings indicating all relevant details relating to all natural lighting, ventilation and means of escape route in case of fire. Details of Fire Fighting Systems and Description of Hazard Area. The Plans shall also clearly indicate the position of the plant and machines, aisles and passage-ways in isometric view also of machines and hazard are and machines having hazard shall shown separately in 3D view; (iii) The applicant shall submit the Process Flow Diagram
--	------	--

of the manufacturing process, site plans, and detailed plans electronically or otherwise in a legible format. These documents shall be prepared and signed by a person possessing the qualifications and experience as prescribed in Serial Number 1 of Schedule I to Rule 4, using efficient software such as AutoCAD, etc.

Provided that if due to technical reasons, such soft copy of detailed plans or site plans is not legible, documents drawn to suitable scale may be additionally submitted in triplicate.

- (d) Replies to the questionnaires annexed to the Form-42;
 - (e) A letter of no objection for the location of the factory from Nagar Nigam, Nagar Panchayat or notified area, as the case may be;
 - (f) A letter of no objection from State Pollution Control Board,
 - (g) A letter of no objection from Fire Department;
 - (h) License / NOC issued under the Petroleum Rules, 1976 for storage of petroleum as defined in the Petroleum Rules, 1976;
 - (i) Certificate of stability in Form-43 duly signed by the applicant;
 - (j) Payment of license fee prescribed in sub-rule (2) of rule-150 through e-challan or online payment.
- (4) The internal height of a workroom, other than those intended for storage, godowns and like purposes and also rooms intended solely for office purposes, where only clerical work is done, shall be not less than 14 feet measured from the floor level to the lowest part of the roof, and if the roof is of corrugated iron, which is neither covered with tiles nor has an inner ceiling or lining of heat-resisting material with an air space of at least four inches between it and the corrugated iron, the internal height shall be not less than 20 feet:

Provided that these provisions shall not be applicable in case of factory which proposes to employ fifty or less workmen: Provided further that in case of buildings having a brick or concrete roof, or a combination of the two, the minimum height may be 12 feet:

Provided further that in case of all factories registered under section 2(1)(w)(i), and factories registered under section 2(1)(w)(ii) of the Code employing up to 150 employees, the Chief Inspector-cum-Facilitator may, where he is satisfied that the conditions of work are reasonably good, exempt such factories from the provisions of this sub-rule.

- (5) There shall be provided at all times for each person employed in any room of a factory where mechanical or electrical power is used, at least 36 square feet of floor space exclusive of that occupied by machinery and a breathing space of at least 500 cubic feet.
- (6) Particulars of each of the rooms, *verandahs* and other enclosures of the factory shall be entered in Form-42.
- (7) No manufacturing process shall be started or carried on in any building, or part of a building until a Certificate of Stability of the building, or part of building in Form-43 signed by a person possessing the qualifications, has been delivered online to the Chief Inspector-cum-Facilitator and accepted by him. No

		<p>extended portion of any factory shall be used as a part of the factory any time after the extension or any plant or machinery shall be added in any factory or brought into use as any factory, nor brought into use any time after such addition until a certificate in respect of such extension or plan has been delivered to the Chief Inspector-cum-Facilitator or concerned Licencing Authority and accepted by the Chief Inspector-cum-Facilitator or concerned Licencing Authority electronically.</p> <p>(8) The Certificate of Stability accepted under this rule shall be valid for five years from the date of acceptance if no change .</p> <p>(9) The Competent Person signing the Form-43 shall possess the same qualification and experience as prescribed in the Schedule to Rule-4 for this purpose.</p> <p>(10) No person except in the case of a building occupied by Government shall be authorized to sign a certificate of stability, who is in the employment of the owner or the builder of the building in respect of which the certificate is given.</p> <p>(11) The site-plan of a factory, after receiving online application at the portal of the department, if the Chief Inspector-cum-Facilitator or the concerned Licencing Authority, as the case may be, is satisfied that the plans are in consonance with the requirement of Code, he shall, subject to such conditions or such no objection certificate, as he may specify, approve them and the site-plan approval certificate shall be issued by Chief Inspector-cum-Facilitator or concerned Licencing Authority within such period in Form-44, including site visit, as notified in Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyum, 2011 (UP Act no. 3 of 2011) failing which such plan shall be deemed to have been approved and the certificate of approval of factory shall be auto generated by the portal.</p> <p>(12) Plans which have already been approved by the Chief Inspector-cum-Facilitator under the Factories Act, 1948 before the coming into force of these Rules, shall be deemed to have been approved under these Rules.</p> <p>(13) In case, the Chief Inspector-cum-Facilitator or the concerned Licencing Authority, having jurisdiction, as the case may be, is not satisfied with the application or the application is incomplete, he shall raise his objections on the portal, all at a time within fifteen days and the applicant shall submit his reply or make necessary corrections or amendments as required within the specified time. However, if the applicant fails to respond the objections raised by Chief Inspector-cum-Facilitator or the concerned Licencing Authority, the application may be rejected after the time as notified in Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyum, 2011 (UP Act No. 3 of 2011) for approval.</p> <p>(14) The approval granted under this rule may be revoked by the Chief Inspector-cum-Facilitator , if it is found that such approval has been obtained by the occupier or manager by misrepresentation of material facts or fraudulent document have been submitted along with the application or otherwise or the majority of construction is not being done in accordance with the approval granted.</p>
Application for license and prescribed fees under clause (c) of	116.	(1) The occupier of every factory shall submit an application together with Form-45 prescribed under section 79 of the Code, on the Official portal of the Labour Department of the

sub-section (1) of section 79

- State Government for grant of a license, along with the application for approval of site-plan under rule 115.
- (2) If the site-plan is approved under rule-115 and then employer/ occupier of the factory complies with all the provisions of the Code and rules made thereunder, the factory shall be registered and the license for the factory in Form-46 shall be issued electronically by Chief Inspector-cum-Facilitator or concerned Licencing Authority as the case may be, on payment of the fees specified below subject to compliance with such conditions as are specified in the license:

Quantity of power (kw) installed	Maximum number of persons to be employed on any day during a Year							
	Up to 50	51 to 100	101 to 150	151 to 300	301 to 500	501 to 1000	1001 to 2500	Above 2500
Nil	500	625	750	1000	2000	4000	7500	10000
Less than 50	750	1375	2000	3000	4000	7500	15000	18000
50 to 100	1500	2250	3000	4000	6000	10000	18000	20000
101 to 500	2500	4000	5500	7500	10000	15000	24000	27500
501 to 1000	5000	6250	7500	10000	12000	18000	26000	30000
1000 to 2000	6000	8000	10000	12000	15000	20000	28000	35000
Above 2000	7000	10500	14000	15000	18000	24000	30000	38000

- (3) Power factor shall be taken 0.9, if required.
- (4) The license granted under sub-rule (2) shall be digitally signed:

Renewal of license under clause (c) of sub-section (1) of section 79

117.

- (1) Every licence granted under rule-115 shall remain in force for a year from the date on which first application is received or from the date when the factory came in the knowledge of the Inspector-cum-Facilitator, whichever is earlier.
- (2) An application for the renewal of license for period of up to ten years shall be made online to the Authority in Form-45 not less than thirty days before the date on which the license expires. The application shall be accompanied by stability certificate in Form-43 issued by Competent Person and duly signed by occupier and fees deposited electronically on the State Government web-portal into the head of account specified therein, as a proof of the payment of the amount of requisite fees for every year as specified in rule-115.
- (3) The fees for renewal of license for one year shall be the same as for the grant thereof. In case an application for renewal has been made for a period of one year or any number of years up to ten years, the renewal fees shall be the number of years multiplied by the fees payable for the grant of license for one year as prescribed in rule-120.
- (4) No application for the renewal of license made after the expiry of the period specified in sub-rule (2) unless it is accompanied by the required fees duly deposited with an additional fee equal to twenty-five percent payable for the license which is to be renewed, as late fee.
- (5) On receipt of an application under sub-rule (2), the concerned Licencing Authority shall, if he is satisfied that there is no objection to the renewal of the license, renew the same for a period up to ten years and issue license electronically in Form-

		46 to the applicant within such period as notified in Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyum, 2011 (UP Act No. 3 of 2011) failing which such license shall be deemed to have been renewed and the certificate of renewal of license shall be auto generated by the portal.
Amendment of License under clause (c) of sub-section (1) of section 79	118.	<p>(1) If at any time during the term of license, the occupier finds it necessary to extend the limits of the power installed on any day or maximum number of workers to be employed on any day or effects any changes in the name of the factory or change in the occupier or such particular is referred in license application form, he shall make an application with documents required for amendment of a licence to the Licencing Authority at least fifteen days before such change and the Licencing Authority may amend the licence accordingly.</p> <p>(2) An application for amendment shall be made on-line in Form-45 along with the proof of payment of fees for amendment of a license which shall be rupees one hundred, in addition to the amount of fees payable under rule on the basis of the total maximum power installed on any one day as intended to increase or the maximum number of workers intended to be employed on any day during the calendar year, or both, as the case may be, less the amount already remitted in the original license:</p> <p>Provided that amendment fee of rupees one hundred shall not be payable when the amendments are proposed simultaneously with the application for the renewal of the license.</p> <p>(3) The application for the amendment of Plan, as per rule 122, shall be submitted online at least 15 days before such amendment:</p> <p>Provided that any such factory shall not be deemed to be extended within the meaning of this Rule by reason only of the replacement of any plant or machinery or within such limits as may be, of the addition of any plant or machinery if such replacement or the addition does not reduce the minimum clear space required for safe working around the machinery or plant:</p> <p>Provided further that if any amendment adversely affects the environmental conditions from the evolution or emission of steam, heat, dust or fumes which are injurious to health, such amendment shall require prior approval as per the Rule.</p> <p>(4) On receipt of an application under sub-rule (1), Licencing Authority shall, if he is satisfied that there is no objection in amending the license, amend the same in Form-46 within such period as notified in Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyum, 2011 (UP Act No. 3 of 2011) failing which such license shall be deemed to have been amended and the amended certificate shall be auto generated by the portal.</p> <p>(5) If it appear to the Inspector-cum-Facilitator that any building or part of the building in a factory is in such conditions that it is dangerous to the human life and safety, he may serve notice to the occupier of the factory in writing to conduct the building and structure life test to be carried out within the specified time period and the certificate of such examination and tests signed by competent person have to sent to the inspector -cum-facilitator .</p>

Transfer of license under clause (c) of sub-section (1) of section 79	119.	<p>(1) The holder of a license may, at any time before the expiry of the licences, apply for permission to transfer his license to another person. In case, if a licensee dies or becomes insolvent or otherwise disabled, this application may be made by the person carrying on the business of such licensee.</p> <p>(2) Such application shall be made on the official portal of the Labour Department of the State Government along with notice of occupation in Form-47 and such other documents as may be required.</p> <p>(3) The Chief Inspector-cum-Facilitator or Licencing Authority shall, if he approves the transfer, enter upon the licence, under his signature/Digital Signature, an endorsement to the effect that the licenses, have been transferred to the person named in Form-46.</p> <p>(4) A fee of one thousand rupees shall be charged on each such application.</p> <p>(5) The person to whom the licence is so transferred shall enjoy the same powers, and be subject to the same obligations under the licences as the original holder.</p>
Procedure on death or disability of licensee under clause (c) of sub-section (1) of section 79	120.	<p>If a licensee dies or becomes insolvent or otherwise disabled, the person carrying on the business of such licensee shall not be liable to any penalty, under the Code or these rules for exercising the powers granted to the licensee by the licences during such time as may reasonably be required to allow him to make an application for the transfer of the licenses in his own name for the unexpired portion of the original licences:</p> <p>Provided that, this period shall not exceed two months from such date when cause of action arises:</p> <p>Provided further that, Chief Inspector-cum-Facilitator or Licencing Authority may further extend this time limit to one month, if the person in whose favour transfer of license has to be done shows sufficient causes for such delay and the Chief Inspector-cum-Facilitator or Licencing Authority is satisfied with given causes on a penalty of rupees five thousand.</p>
Cancellation of licenses under clause (c) of sub-section (1) of section 79	121.	<p>If at any time an occupier notifies of his intention showing causes in details, on the Official Portal of the Labour Department of State Government that the premise, in respect of which licences is issued will not be used for the working of the factory, the Chief Inspector-cum-Facilitator shall cancel the licences granted in respect of such factory and will be communicated to the occupier/ employer through the portal:</p> <p>Provided that such application shall be submitted at least two month before the date of cessation of use of premises as a factory;</p> <p>Provided further that, the employer shall give an undertaking that before the period of two months, he shall clear all his dues, payments to be made to his employees and shall remove all the hazardous substances and wastage from the premises.</p>
Notice of occupation	122.	The notice of occupation shall be in Form-47.

under clause (c) of sub-section (1) of section 79		
Notice of change of Manager	123.	<p>(1) The occupier need to appoint a manager of factory. In case , manager of factory has not been appointed, the occupier shall be deemed to be the manager of the factory.</p> <p>(2) The notice of change of manager shall be in Form-48. The application for change of manager shall be submitted online on the official portal of the State Government.</p> <p>(3) The approval of change of manager shall be made online on the licences by the Chief Inspector-cum-Facilitator or concerned Licencing Authority</p>
Liability of owner of premises in certain circumstances under section 80	124.	<p>(1) Where in any premises separate buildings are leased to different occupiers for use as separate factories, the owner of the premises shall be responsible for the provision and maintenance of common facilities and services such as approach roads, drainage, water supply, lighting and sanitation.</p> <p>(2) The Chief Inspector-cum-Facilitator shall have power to issue orders to the owner of the premises in respect for the carrying out the provisions of sub-rule(1).</p> <p>(3) Where in any premises, independent or self-contained, floors or flats are leased to different occupiers for use as separate factories, the owner of the premises shall be liable, as if he were the occupier or manager of a factory, of any contravention of the provisions of this Code in respect of-</p> <p>(i) latrines, urinals and washing facilities in so far as the maintenance of the common supply of water for these purposes is concerned;</p> <p>(ii) fencing of machinery and plant belonging to the owner and not specifically entrusted to the custody or use of an occupier;</p> <p>(iii) safe means of access to the floors of flats, and maintenance and cleanliness of staircases and common passages;</p> <p>(iv) precautions in case of fire;</p> <p>(v) maintenance of hoists and lifts; and</p> <p>(vi) maintenance of any other common facilities provided in the premises.</p> <p>(4) The provisions relating to the liability of the owner shall apply where in any premises independent rooms with common latrines, urinals and washing facilities are leased to different occupiers for use as separate factories:</p> <p>Provided that the owner shall also be responsible for complying with the requirements relating to the provision and maintenance of latrines, urinals and washing facilities.</p> <p>(5) The Chief Inspector-cum-facilitator shall have the power to issue orders to the owner of the premises referred to in section 80 of the Code.</p> <p>(6) Where in any premises portions or room or a shed are leased to different occupiers for use as separate factories, the owner of the premises shall be liable for any contravention of the provisions of above rule.</p>
Dangerous manufacturing process	125.	<p>(1) The following dangerous manufacturing process or operations, welfare amenities, sanitary facilities, protective equipment and</p>

of operations under section 82

clothing and other requirements necessary for dangerous operations are provided in Schedule-III to Schedule-XXXV appended to these rules-

Schedule No.	Particulars
III	Manufacture of aerated water and process incidental thereto
IV	All types of electroplating process
V	Manufacture and repair of electric accumulators
VI	Glass manufacturing and processes incidental thereto
VII	Grinding or glazing of metals and processes incidental thereto
VIII	Manufacture and treatment of lead and certain compounds of lead
IX	Generation of gas from dangerous petroleum
X	Cleaning or smoothing of articles by a jet of sand, metal shot or grit or other abrasive propelled by a blast of compressed air or steam
XI	Liming and tanning of raw hides and skins and process incidental thereto
XII	Certain lead process carried on printing presses and type foundries
XIII	Dichromate manufacture
XIV	Chemical works
XV	Manufacture or manipulation of Carcinogenic Dye Intermediates
XVI	Manufacture, handling and usage of benzene and substances containing benzene
XVII	Manufacture of pottery
XVIII	Manipulation of stone or any other material containing free silica
XIX	Handling and processing of asbestos, manufacturing of any article of asbestos and any other Process of manufacture or otherwise in which asbestos is used in any form
XX	Handling or manipulation of corrosive substances
XXI	Compression of oxygen and hydrogen produced by electrolysis of water
XXII	Process of extracting oils and fats from vegetable and animal sources in solvent extraction plants
XXIII	Manufacture or manipulation of manganese and its compounds
XXIV	Manufacture or manipulation of dangerous pesticides
XXV	Manufacturing process or operations in carbon disulphide plants
XXVI	Operation involving High Noise Levels
XXVII	Manufacture of Rayon by Viscose process
XXVIII	Highly Flammable Liquids and Flammable Compressed Gases
XXIX	Carpet and woolen drugget making or any work incidental thereto or connected therewith
XXX	Brassware making or any work incidental thereto or connected therewith
XXXI	Lock and hardware making or any work incidental thereto or connected therewith
XXXII	Welding Process and any work incidental thereto or

		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>connected therewith</td> </tr> <tr> <td>XXXIII</td> <td>Hot metallurgical process and any work incidental thereto or connected therewith</td> </tr> <tr> <td>XXXIV</td> <td>Manufacturing or manipulation of Fertilizers</td> </tr> <tr> <td>XXXV</td> <td>Cold storage or milk chilling plant or manufacturing of ice using ammonia as refrigerant and processes incidental thereto</td> </tr> </table> <p>(2) The provisions specified in the Schedules-III to Schedule-XXXV annexed with rule shall apply to any class or description of factories wherein dangerous manufacturing processes or operations specified in such Schedule are carried out.</p> <p>(3) Every worker employed in the said processes or operations of any Schedule shall necessarily be re-examined by a Factory medical Officer periodically as specified in the Schedule at the cost of occupier. Factory medical officer shall also enter the nature of tests and results in Health Register in Form-7.</p> <p>(4) Medical examination under the Schedule shall be performed by a Factory Medical Officer having qualification as prescribed in rule 73.</p>		connected therewith	XXXIII	Hot metallurgical process and any work incidental thereto or connected therewith	XXXIV	Manufacturing or manipulation of Fertilizers	XXXV	Cold storage or milk chilling plant or manufacturing of ice using ammonia as refrigerant and processes incidental thereto
	connected therewith									
XXXIII	Hot metallurgical process and any work incidental thereto or connected therewith									
XXXIV	Manufacturing or manipulation of Fertilizers									
XXXV	Cold storage or milk chilling plant or manufacturing of ice using ammonia as refrigerant and processes incidental thereto									
Power to prohibit employment on account of serious hazard under clause (za) of sub-section (2) of Section 135	126.	<p>(1) Where it appears to the Inspector-cum-Facilitator that conditions in a factory or part thereof are such that they may cause serious hazard by way of injury or death to the persons employed therein or to the general public in the vicinity, he may, by order in writing to the occupier of the factory, state the particulars in respect of which he considers the factory or part thereof to be the cause of such serious hazard and prohibit such occupier from any person in the factory or any part thereof other than the minimum number of persons necessary to attend to the minimum tasks till the hazard is removed.</p> <p>(2) Any order issued by the Inspector-cum-Facilitator under sub-section (1) shall have effect for a period of three days until extended by the Chief Inspector-cum-Facilitator by a subsequent order.</p> <p>(3) Any person aggrieved by an order of the Inspector-cum-Facilitator under sub-section (1), and the Chief Inspector-cum-Facilitator under sub-section (2), shall have the right to appeal to the State Government.</p> <p>(4) Any person whose employment has been affected by an order issued under sub-section (1), shall be entitled to wages and other benefits and it shall be the duty of the occupier to provide alternative employment to him wherever possible and in the manner prescribed.</p> <p>(5) The provisions of sub-section (4) shall be without prejudice to the rights of the parties under the Industrial Relations Code, 2020.</p>								
Site Appraisal Committee under sub-section (1) of section 83	127	<p>(1) The State Government may, for advising it to consider applications for grant of permission for the initial location of a factory involving hazardous process or for the expansion of any such factory, appoint a site appraisal committee under the Chairmanship of Labour Commissioner, comprising of-</p> <p>(a) Chief Inspector-cum-Facilitator.</p> <p>(b) a representative of Director of Industries;</p> <p>(c) a representative of State Pollution Control Board;</p> <p>(d) a representative of Department of Environment, Uttar</p>								

		<p>Pradesh;</p> <p>(e) an officer nominated by Director General of Fire Services</p> <p>(f) a representative of the Department of Meteorology, Uttar Pradesh;</p> <p>(g) an expert in the field of occupational health;</p> <p>(h) a representative of the housing and town planning department of the State Government; and</p> <p>(i) not more than five other members who may be co-opted by the State Government, who shall be-</p> <p>(i) a scientist having specialised knowledge of the hazardous process which will be involved in the factory;</p> <p>(ii) a representative of local authority within whose jurisdiction the factory is to be established; and</p> <p>(iii) not more than three other persons as deemed fit by the State Government.</p> <p>(2) The Chief Inspector-cum-Facilitator shall be member-secretary of the said Committee.</p> <p>(3) No member unless required to do so by a court of law shall disclose otherwise than in connection with the purpose of the Code, at any time any information relating to manufacturing or commercial business or any working process which may come to his knowledge during his tenure as a member on the Committee.</p> <p>(4) Applications for appraisal of sites in respect of the factories covered under section 2 (1)(za) of the Code shall be submitted to the Chairman of the Committee along with 15 copies in Form-49. The Committee may dispense with the furnishing of the information on any particular item in the application under consideration.</p> <p>(5) Where any of the process relates to a factory owned or controlled by the Central Government or to a Corporation or a Company owned or controlled by the Central Government, the State Government shall co-opt in the Site Appraisal Committee, a representative nominated by the Central Government, as a member of that committee.</p> <p>(6) The Site Appraisal Committee shall have power to call for any information from the person making an application for the establishment or expansion of a factory involving a hazardous process.</p>
<p>Functions of the Site Appraisal Committee under sub-section (1) of section 83</p>	128	<p>(1) The Secretary of the Committee shall arrange to register the applications received for appraisal of site in a separate register and acknowledge the same within a period of 7 days.</p> <p>(2) The Secretary of the Committee shall fix the time and date of meeting with the prior approval of the Chairman and shall refer to committee all the applications received and registered, for decision.</p> <p>(3) The Committee may adopt a procedure for its working keeping in view the need for expeditious disposal of applications.</p> <p>(4) The Committee shall examine the application for appraisal of a site with reference to the prohibitions and restrictions on the location of factory and the carrying on the process and operations in different areas as per the provisions of the Environment Protection Act, 1986 and rules made thereunder.</p> <p>(5) The Committee may call for documents, examine experts, inspect the site, if necessary, and take other steps for formulating its view in regard to the suitability of the site.</p> <p>(6) Wherever the proposed site requires clearance by the Ministry of Industry or the Ministry of Environment, Forest and Climate</p>

	<p>change of the Government of India, site appraisal shall be considered by the Committee only after such clearance has been received.</p> <p>(7) The application for grant of permission for the initial location of a factory involving a hazardous process or for the expansion of such factory, shall contain the following particulars:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Name and address of the applicant; (b) Site ownership data; (c) revenue details of site such as Survey number, plot number, Allotment /Registration number, etc; (d) Details as to whether the site is classified as forest and if so, whether approval of the Central Government under section 5 of the Indian Forests Act, 1927 has been obtained; (e) Details as to whether the proposed site attracts the provisions of section 3(2)(V) of the Environment Protection Act, 1986, if so, the nature of the restrictions; (f) Local authority under whose jurisdiction the site is located; (g) Documentary evidence of ownership; (h) Site Plan with clear identification of boundaries total area proposed to be occupied and showing the following details nearby the proposed site:- <ul style="list-style-type: none"> (i) historical monument, if any, in the vicinity; (ii) names of neighbouring manufacturing units and human habitats, educational and training institutions, petrol installations, storages of liquified petroleum gas and other hazardous substances in the vicinity and their distances from the proposed unit; (iii) water sources (river, streams, canals, dams and water filtration plants etc.) in the vicinity; (iv) nearest hospitals, fire-stations, civil defence stations and police stations and their distances from the proposed unit; (v) high tension electrical transmission lines, pipelines for water, oil, gas or sewerage ; (vi) railway lines, roads, stations, jetties gas and other similar installations in the vicinity; (vii) details of soil conditions and depth at which hard strata can be obtained; (viii) contour map of the factory showing nearby hillocks and difference in levels; and (ix) plot plan of the factory showing the entry and exit points roads within, water drains, etc. (x) <ul style="list-style-type: none"> (i) Project Report stating the following details :- <ul style="list-style-type: none"> (i) a summary of the salient features of the project; (ii) status of the organisation (government, semi-government, public or private etc.); (iii) maximum number of persons likely to be employed in the factory; (iv) maximum requirement of power and water and sources of their supply; (v) block diagram of the buildings and installations, in the proposed unit; and (vi) details of the proposed housing colony, hospital, school and other infrastructural facilities. (j) Organizational structure for proposed manufacturing unit/factory showing :- <ul style="list-style-type: none"> (i) organization diagram of proposed enterprise in
--	---

	<p>general, and health, safety and environment protection departments and their linkage to the operation and technical department;</p> <p>(ii) proposed health and safety policy;</p> <p>(iii) area allocated for treatment of wastes and effluents; and</p> <p>(iv) percentage of outlay on safety, health and environment protection measures.</p> <p>(k) Meteorological data relating to the site showing :-</p> <p>(i) average, minimum and maximum of temperature, humidity and wind velocities during the previous ten years;</p> <p>(ii) seasonal variations of wind direction;</p> <p>(iii) highest water level reached during the floods in the area recorded so far; and</p> <p>(iv) lightning and seismic data of the area.</p> <p>(l) Communication Links showing :-</p> <p>(i) availability of telephone/telex/wireless and other communication facilities for outside communication; and</p> <p>(ii) proposed internal communication facilities.</p> <p>(m) Manufacturing Process Information showing :-</p> <p>(i) process flow diagram in detail indicating process parameters, e.g. temperature, pressure, etc. at various stages of manufacturing process;</p> <p>(ii) brief write-up on process and technology;</p> <p>(iii) critical process parameters such as pressure build-up, temperature rise and runaway reconditions;</p> <p>(iv) other external effects critical to the process having safety implications, such as ingress of moisture or water, contcode with incompatible substances, sudden power failure; and</p> <p>(v) highlights of the built - in safety/pollution control devices or measures incorporated in the manufacturing technology.</p> <p>(n) Information on Hazardous Materials showing :-</p> <p>(i) raw materials, intermediates, products and by-products and their quantities (enclosed with material safety data sheet in respect of each hazardous substance);</p> <p>(ii) main and intermediates, storages proposed for raw materials/ intermediates/ products (maximum quantities at any time to be stored);</p> <p>(iii) transportation methods to be used for inflow and outflow of materials, their quantities and likely routes to be followed; and</p> <p>(iv) safety measures proposed for handling of materials, internal and external transportation, and disposal (packing and forwarding of finished products).</p> <p>(o) Information of dispersal / disposal of wastes and pollutants showing:-</p> <p>(i) major pollutants (gas, liquid, solid), their characteristics and quantities (average and at peak loads);</p> <p>(ii) quality and quantity of solid wastes generated, methods of their treatment and disposal; and</p> <p>(iii) air, water and soil pollution problems anticipated and the proposed measures to control the same.</p>
--	--

		<p>including treatment and disposal of effluents.</p> <p>(p) Process Hazards Information along with:-</p> <p>(i) a copy of the report on Environmental Impact Assessment;</p> <p>(ii) a copy of the report on Risk Assessment study; and</p> <p>(iii) published (open or classified) reports, if any, on accident situations / occupational health hazards or similar plants elsewhere (within or outside the country).</p> <p>(q) Information of proposed Safety and Occupational Health Measures along with :-</p> <p>(i) details of fire fighting facilities and minimum quantity of water, carbon dioxide and/or other fire fighting measures needed to meet the emergency; and</p> <p>(ii) details of the proposed in house medical facilities.</p> <p>(r) Information on emergency preparedness showing :-</p> <p>(i) on-site emergency plan and detailed disaster control measures; and</p> <p>(ii) proposed arrangements, if any, for a mutual aid scheme with the group of neighbouring factories.</p> <p>(s) Any other relevant information.</p> <p>(8) Application mentioned in sub-rule (7) shall be certified by the applicant in the following manner: "I certify that the information furnished above is correct to the best of my knowledge and nothing of importance has been concealed while furnishing it.</p> <p style="text-align: right;">Signature of the Applicant Applicant's full name and address"</p>
Form for submission of report of site appraisal committee under sub-section (2) of section 83	129.	The site appraisal committee shall examine application for the establishment of a factory involving hazardous process and make its recommendations to the State Government within a period of ninety days of the receipt of such application in the prescribed Form-50.
Obtaining or developing information of hazardous substances on Material Safety Data Sheet under sub-section (1) of section 84	130.	<p>Collection, development and dissemination of information-</p> <p>(1) The occupier of every factory carrying on a hazardous process shall arrange to obtain or develop information in the form of Material Safety Data Sheet (MSDS) in respect of every hazardous substance or material handled in the manufacture, transportation and storage in the factory. It shall be accessible, upon request, to a worker for reference.</p> <p>(a) Every such Material Safety Data Sheet shall include the following information:</p> <p>(i) the identification mark used on the label;</p> <p>(ii) hazardous ingredients of the substance;</p> <p>(iii) physical and chemical characteristics of the hazardous substance;</p> <p>(iv) the physical hazards of the hazardous substance, including the potential for fire, explosion and reactivity;</p> <p>(v) the health hazards of the hazardous substance, including signs and symptoms of exposure, and any medical condition which are generally recognized as being aggravated by exposure to the substance;</p> <p>(vi) the primary route or routes of entry;</p> <p>(vii) the permissible limits of exposure prescribed in</p>

		<p>Schedule-XXXVII;</p> <ul style="list-style-type: none"> (viii) any generally applicable precautions for safe handling and use of the hazardous substance, which are known, including appropriate hygienic practices, protective measures during repairs and maintenance of contaminated equipment, procedures for cleanup of spills and leaks; (ix) any generally applicable control measures, such as appropriate engineering controls, work practices, or use of personal protective equipment; (x) emergency and first-aid procedures; (xi) the date of preparation of the Material Safety Data Sheet, or the last change in it; (xii) the name, address and telephone number of the manufacturer, importer, occupier or other responsible party preparing or distributing the Material Safety Data Sheet, who can provide additional information on the hazardous substance and appropriate emergency procedures if required. <p>(b) The occupier while obtaining or developing a Material Safety Data Sheet in respect of a hazardous substance shall ensure that the information, recorded accurately, reflects the scientific evidence used in making the hazard determination. If he becomes newly aware of any significant information regarding the hazards, the new information shall be added to the Material Safety Data Sheet as soon as practicable.</p> <p>(c) An example of such Material Safety Data Sheet is given in the Schedule-XXXVI.</p> <p>(2) Every container of a hazardous substance shall be clearly labelled or marked to identify:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) The contents of the container; (b) The name and address of the manufacturer or importer of the hazardous substances; (c) The physical and health hazards; and (d) The recommended personal protective equipment needed to work safely with the hazardous substance.
<p>Disclosure of information to the employees under sub-section (1) of section 84</p>	<p>131.</p>	<p>(1) The occupier of every factory carrying on a hazardous process shall supply to all employees, the following information in relation to handling of hazardous materials or substances in the manufacture, transportation, storage and other process:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) requirements of sections 84, 85 and 89 of the Code; (b) a list of hazardous process carried on in the factory; (c) location and availability of all material safety data sheets as per Rule- 130; (d) Physical and health hazards arising from the exposure to or handling or, substances; (e) measures taken by the occupier to ensure safety and control of physical and health hazards; (f) measures to be taken by the employees to ensure safe handling, storage and transportation of hazardous substances; (g) personal protective equipment required to be used by employees employed in hazardous process of dangerous operations; (h) meaning of various labels and markings used on the containers

		<p>of hazardous substances as provided under these rules ;</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) signs and symptoms likely to manifest on exposure to hazardous substances and to whom to report ; (j) measures to be taken by the employees in case of any spillage or leakage of a hazardous substance ; (k) role of employees vis-a-vis the emergency plan of the factory, in particular the evacuation procedures; (l) any other information considered necessary, by the occupier to ensure safety and health of employees. <p>(2) The information required by sub-rule (1) shall be compiled and made known to employees individually through supply of booklets or leaflets and display of cautionary notices at the workplaces.</p> <p>(3) The booklets, leaflets and the cautionary notices displayed in the factory shall be in the language understood by the majority of the employees and shall also be explained to them.</p> <p>(4) The Inspector-cum-Facilitator or the Chief Inspector-cum-Facilitator may direct the occupier to supply further information to the employees as deemed necessary.</p>
<p>Disclosure of information to the Chief Inspector-cum-Facilitator, local authority under sub-section (1) of section 84</p>	132.	<p>(1) The occupier of every factory carrying on a hazardous process shall furnish, in writing, to the Chief Inspector-cum-facilitator a copy of all the information furnished to the employees under sub-section (1) of section 84.</p> <p>(2) A copy of compilation of Material Safety Data Sheets in respect of hazardous substances used, produced or stored in the factory shall be furnished to the Chief Inspector-cum-facilitator and the local Inspector-cum-facilitator.</p> <p>(3) A copy of the information furnished under sub-rule (1) and sub-rule (2) shall also be sent to the District Magistrate and Sub-divisional Magistrate of the area where the establishment is situated.</p> <p>(4) The occupier of hazardous process industry shall also furnish information to the Chief Inspector-cum-facilitator and Inspector-cum-Facilitator electronically every year on following points:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Name of the factory: b. Address: c. Product d. Manufacturing process: <ul style="list-style-type: none"> i. Raw material: ii. Name and maximum storage capacity: e. Finished product: <ul style="list-style-type: none"> i. Name and maximum storage capacity: f. Inter-mediate product: <ul style="list-style-type: none"> i. Name and maximum storage capacity: g. Hazards associated with the factory: h. Safety measures observed: i. Fire and explosion risk:
<p>Disclosure of information to the general public living in vicinity under sub-section (1) of section 84</p>	133.	<p>(1) The occupier of every factory carrying on a 'hazardous process' shall in consultation with the District Emergency Authority designated by the State Government, take appropriate steps to inform the general public who are likely to be in the area which might be affected by an accident.</p> <p>(2) Such information shall include:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Name of the factory and address where situated; (b) Identification, by name and position, of the person giving the

		<p>information;</p> <ul style="list-style-type: none"> (c) Confirmation that the factory has approval from the Factories Directorate and State Pollution Control Board; (d) An explanation in simple terms of the hazardous process(es) carried on in the premises; (e) The common names of the hazardous substances used which could give rise to an accident likely to affect them, with an indication of their principal harmful characteristics; (f) Brief description of the measures to be taken to minimize the risk of such an accident in compliance with its legal obligations under relevant safety statutes; (g) Salient features of the approved disaster control measures adopted in the factory; (h) Details of the factory's emergency warning system for the General Public; (i) General advice on the action members of the public should take on hearing the warning; (j) Brief description of arrangements in the factory, including liaison with the emergency services, to deal with foreseeable accidents of such nature and to minimize their effects; and (k) Details of where further information can be obtained.
Health and Safety Policy under sub-section (2) of section 84	134.	<ul style="list-style-type: none"> (1) The occupier of every factory involving "hazardous process" shall prepare a written statement of his policy in respect of health and safety of employees at work as per provisions of Code and rules made thereunder and intimate it to Chief Inspector-cum-Facilitator and Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction quarterly and within 15 days if any change happens in said policy. (2) The health and safety policy should contain or deal with- <ul style="list-style-type: none"> (a) The Health and Safety Policy shall be in conformity with statutory requirements of the Code and other relevant statutes; (b) Organisational set up shall carry out the declared policy clearly assigning the responsibility at different levels, and (c) arrangements for making the policy effective. (3) In particular, the Health and Safety Policy should specify the <ul style="list-style-type: none"> (a) arrangements for involving the employees; (b) intention of taking into account the health and safety performance of individuals at different levels while considering their career advancement; (c) the responsibility of the Contractors, sub-Contractors, transporters and other agencies entering the premises; (d) a resume of health and safety performance of the factory in its Annual Report; (e) relevant techniques and methods such as audits and risk assessment like Hazard and Operability Study (HAZOP) etc and other safety techniques for periodical assessment of the status on health, safety and environment and taking all the remedial measures; (f) its intentions to integrate health and safety in all decisions including those dealing with purchase of plant, equipment, machinery and material as well as selection and placement of personnel; and (g) arrangements for informing, educating and training and retraining its employees at different levels and the public, wherever required. (4) A copy of the declared Health and Safety Policy signed by the

		<p>occupier shall be made available to the Chief Inspector-cum-Facilitator, and Inspector-cum-Facilitator.</p> <p>(5) The Health and Safety Policy shall be made widely known by:-</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) making copies available to all employees including contractual employees, apprentices, transport employees, suppliers, etc; (b) displaying copies of the policy at conspicuous places in a language understood by the majority of employees; and (c) any other means of communication. <p>(6) The occupiers shall revise the Safety Policy as often as may be appropriate, but it shall necessarily be revised under the following circumstances:-</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) wherever any expansion or modification having implications on safety and health of persons at works is made; or (b) whenever new substances or articles are introduced in the manufacturing process having implications in health and safety of persons exposed to such substances or articles.
Information on industrial wastes under sub-section (7) of section 84	135.	<p>(1) The information furnished under rules 129 to Rule 131 shall include the quantity of the solid and liquid wastes generated per day, their characteristics and the methods of treatment such as incineration of solid wastes, chemical and biological treatment of liquid wastes and arrangements for their final disposal.</p> <p>(2) It shall also include information on the quality and quantity of gaseous waste discharge through the stacks or other openings and arrangements such as provisions of scrubbers, cyclone separators, electrostatic precipitators or similar such arrangements made for controlling pollution of the environment.</p> <p>(3) The occupier shall also furnish the information prescribed in the sub-rule (1), and (2) to the State Pollution Control Board.</p>
Intimation to Chief Inspector-cum-Facilitator by the occupier of the factory proposed to be engaged in hazardous process under sub-section (5) of section 84	136.	<p>(1) The occupier/employer shall disclose the information of the factory involving hazardous process under sub-section (5) of section 84, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) The occupier of every factory involving hazardous process shall identify all the hazards involved both from actual operations and the chemical reactions. The properties of the raw materials, final products to be made and any by-products derived during the process shall be carefully studied and provisions shall be made for dealing with any hazards including effects on employees, which may occur during manufacture. (b) Information in the following format giving details of the process, its hazards and steps taken or proposed to be taken from the design stage to disposal stage for ensuring the safety as mentioned in sub-rule(1) should be sent to Chief Inspector-cum-Facilitator and Inspector-cum-Facilitator through online at the earliest and in no case less than 30 days before commencing manufacture, handling or storage involving hazardous process. <p>(2) Information to be furnished by Occupier of Hazardous Process Industry:</p>

		<p>(a) Name of Factory:</p> <p>(b) Address</p> <p>(c) Manufacturing process details (in case of chemical factory material balance of all the reactions shall be enclosed)</p> <p>(d) Raw Materials used (Name, Mode of storage, Maximum storage Capacity)</p> <p>(e) Finished Products (Name & Maximum storage Capacity)</p> <p>(f) Intermediate Products (Name & Maximum storage Capacity)</p> <p>(g) Hazards identified (process hazards, storage and handling of chemicals based on HAZOP shall be enclosed in case of chemical factory)</p> <p>(h) Remedial measures (inbuilt safety systems for equipment, process control, engineering controls and administrative controls):</p> <p>(i) Details for disposal of hazardous waste:</p> <p style="text-align: right;">Signature of Occupier with name</p> <p>(3) The above information shall be revised and updated immediately after change of any of the above information, technological advancement or once in three years through online.</p> <p>(4) Any further information sought by the Chief Inspector-cum-Facilitator or Inspector-cum-Facilitator for compliance of the above provisions shall also be furnished.</p>
Information to employees and general public under sub-section (7) of section 84	137.	<p>(1) Information under Rule-129 to Rule-131 of these rules shall be publicised by displaying the same on Notice Board at the gate or gates of the factory and such information shall also be given to District Magistrate and Chief Inspector-cum-Facilitator.</p> <p>(2) It shall be the responsibility of the occupier/ employer to widely publicise such information to the general public.</p>
Confidentiality of information under clause (zzq) of sub-section (2) of section 133	138.	<p>(1) The occupier of a factory carrying on a 'Hazardous Process', shall disclose all information needed for protecting safety and health of the employees to-</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) his workers, and</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) Chief Inspector-cum-Facilitator or Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction,</p> <p>as required under these rules. If the occupier is of the opinion that the disclosure of details regarding the process and formulations will adversely affect his business interests, he may make a representation to the Chief Inspector-cum-Facilitator stating the reason for withholding such information. The Chief Inspector-cum-Facilitator shall pass an order on the representation after giving an opportunity to the occupier of being heard.</p> <p>(2) An occupier aggrieved by an order of the Chief Inspector-cum-Facilitator may prefer an appeal to the State Government within a period of thirty days and the State Government may after giving an opportunity to the occupier of being heard shall pass an order and the order,</p>
Medical Examination under sub-section (a)	139.	<p>(1) Employees employed in a 'hazardous process' shall be medically examined by a qualified medical practitioner, hereinafter referred to a Factory Medical Officer, in the following manner:</p>

of section 85		<p>(a) once before employment, to ascertain physical fitness of the person to do a particular job ;</p> <p>(b) once in a period of 6 months, to ascertain the health status of all the workers in respect of occupational health hazards to which they are exposed, and at a shorter interval in respect of a worker in whose case the Factory Medical Officer is of the opinion that it is necessary to do so ;</p> <p>(c) the details of pre-employment and periodical medical examinations carried out as aforesaid shall be recorded in the Health Register in Form-7.</p> <p>(2) No person shall be employed for the first time without a certificate of fitness in Form-8 granted by the Factory Medical Officer. If the Factory Medical Officer declares a person unfit for employment in a process covered under sub-rule (1), he shall have the right to appeal to the Inspector-cum-Facilitator of the area who after consultation with a Medical Officer shall decide the appeal which shall be final in this regard.</p> <p>(3) Any finding of the Factory Medical Officer revealing any abnormality or unsuitability of any person employed in the process shall, in turn, examine the concerned worker and communicate his findings to the occupier within 30 days. If the Medical Officer is of the opinion that the worker so examined is required to be taken away from the process for health protection, he will direct the occupier accordingly, who shall not employ the said worker in the same process. However, the worker so taken away shall be provided with alternative placement unless he, in the opinion of the Medical Officer is fully incapacitated in which case the worker affected shall be suitably rehabilitated.</p> <p>(4) A medical officer on his own motion or on a reference from an Inspector-cum-Facilitator may conduct a medical examination of a worker to ascertain the suitability of his employment in a hazardous process or to ascertain his health status. The opinion of the Medical Officer in such a case shall be final. The requisite fee for this medical examination shall be paid by the occupier.</p> <p>(5) The worker taken away from employment in any process under sub-rule (2) may be employed again in the same process only after obtaining the Fitness Certificate from the Medical Officer and after making entries to that effect in the Health Register.</p> <p>(6) The worker required to undergo medical examination under these rules and for any medical survey conducted by or on behalf of the Central or the State Government shall not refuse to undergo such medical examination.</p> <p>(7) A copy of the medical records and reports shall be provided to the concerned worker free of cost.</p>
Qualification and experience of the qualified persons under clause (b) of section 85	140.	<p>(1) All persons who are required to supervise the handling of hazardous substances shall possess the following qualification and experience:</p> <p>(a) a degree in Chemistry or Diploma in Chemical Engineering or Technology with five years experience; or</p> <p>(b) a Master's Degree in Chemistry or a degree in Chemical Engineering or Technology with two years experience;</p> <p>(2) The experience stipulated in sub-rule (1) above shall be in process operation and maintenance in a chemical industry.</p> <p>(3) The Chief Inspector-cum-Facilitator may require the supervisor to undergo training in Health and Safety. The syllabus and duration of the said training and the organisations conducting the training shall be approved by the Director General, Factory Advice Service</p>

		and Labour Institutes (DGFASLI) or the State Government in accordance with guidelines issued by the Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes.
Occupational Health Centres under sub-section (c) of section 85	141.	<p>(1) In respect of any factory carrying on 'hazardous process' there shall be provided and maintained in good order, an Occupational Health Centre with the services and facilities as per scale laid down hereunder:</p> <p>(a) For factories employing up to 50 employees:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) the services of a Factory Medical Officer on retainership basis in his clinic which shall be notified by the occupier who shall carry out pre employment and periodical medical examinations as stipulated in rule 145 and render medical assistance during an emergency; (ii) a minimum of 5 persons trained in first aid procedures of whom at least one shall always be available during the working period; and (iii) a fully equipped first aid box in all the departments; <p>(b) For factories employing 51 to 200 employees:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) an Occupational Health Center having a room with a minimum floor area of 15 square metre with floors and walls made of smooth and impervious surface and with adequate illumination and ventilation as well as equipment as per the Schedule annexed to these rules; (ii) a part time Factory Medical Officer shall be in overall charge of the Center who shall visit the factory at least twice in a week and whose services shall be readily available during medical emergencies; (iii) one qualified and trained dresser-cum-compounder on duty throughout the working period; and (iv) a fully equipped first aid box in all departments. <p>(c) For factories employing above 200 employees:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) one full-time Factory Medical Officer for factories employing up to 500 employees and one more Medical Officer for every additional 1000 employees or part thereof; (ii) an occupational Health Center having at least two rooms each with a minimum floor area of 15 square metre with floors and walls made of smooth and impervious surface and adequate illumination and ventilation as well as equipment as per the Schedule annexed to this rule; (iii) one nurse, one dresser-cum-compounder and one sweeper-cum-ward boy throughout the working period; and (iv) the Occupational Health Center shall be suitably equipped to manage medical emergencies. <p>(2) The Factory Medical Officer required to be appointed under sub-rule (1) shall have qualifications as specified in rule 73 of these rules;</p> <p>Provided that a person possessing a Diploma in Industrial Health or its equivalent shall not be required to possess the certificate of training as aforesaid:</p> <p>Provided further that the Chief Inspector-cum-Facilitator may, subject to such conditions as he may specify, grant exemption from the requirement of this sub-rule, if in his opinion a suitable person</p>

possessing the necessary qualification is not available for appointment:

Provided also that in case of a person who has been working as a Factory Medical Officer for a period of not less than three years on the date of commencement of this rule, the Chief Inspector-cum-Facilitator may, subject to the condition that the said person shall obtain the aforesaid certificate of training within a period of three years, relax the qualification.

- (3) The syllabus of the course leading to the above certificate, and the organisations conducting the course shall be approved by the Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institutes (DGFASLI), Ministry of Labour and Employment, Government of India or the State Government in accordance with the guidelines issued by the DGFASLI.
- (4) Within one month of the appointment of Factory Medical Officer, the occupier of the factory shall furnish to the Chief Inspector-cum-Facilitator the following particulars:
 - (a) name and address of the Factory Medical Officer;
 - (b) qualifications;
 - (c) experience, if any; and
 - (d) sub-rule under which the Factory Medical Officer has been appointed.
- (5) Equipment for Occupational Health Centre in Factories shall include:
 - (a) a glazed sink with hot and cold water (must be always available);
 - (b) a table with a smooth top of at least 180 cm x 105 cm;
 - (c) means for sterilizing instruments;
 - (d) a couch;
 - (e) two buckets or containers with closely fitting lids;
 - (f) a kettle and spirit stove or other suitable means of boiling water;
 - (g) one bottle of spiritus ammonia aromaticus (120 ml.);
 - (h) two medium sizes sponges;
 - (i) two 'Kidney' trays;
 - (j) four cakes of toilet soap, preferably antiseptic, soap;
 - (k) two glass tumblers and two wine glasses;
 - (l) two clinical thermometers;
 - (m) two tea spoons;
 - (n) two graduated (120 ml.) measuring glasses;
 - (o) one wash bottle (1000 cc) for washing eyes;
 - (p) one bottle (one litre) carbolic lotion in 20;
 - (q) three chairs;
 - (r) one screen;
 - (s) one electric hand torch;
 - (t) an adequate supply of tetanus toxoid;
 - (u) coramine liquid (60 ml.);
 - (v) tablets -antihistamine, antispasmodic (25 each);
 - (w) syringes with needles-2 cc and 10 cc;
 - (x) two needle holders, big and small;
 - (y) suturing needles and materials;
 - (z) one pair of dressing forceps;
 - (za) one pair of dressing forceps;
 - (zb) one scalpel;
 - (zc) one stethoscope;
 - (zd) rubber bandage-pressure bandage;
 - (ze) oxygen cylinder with necessary attachments;

		<p>(zf) one blood pressure apparatus; (zg) one patella hammer; (zh) one Peak-flow meter for lung function measurement; (zi) one stomach wash set; and (zj) any other equipment recommended by the Factory Medical Officer relating to the specific manufacturing process;</p> <p>(6) In addition to the equipments specified in sub-rule (5), an Occupational Health Centre of:</p> <p>(a) Factories employing 51 to 200 employees, equipments shall include :-</p> <p>(i) four plain wooden splints of 900 mmx100mmx6mm; (ii) four plain wooden splints of 350 mmx75mmx6mm; (iii) two plain wooden splints of 250 mmx50mmx12mm; (iv) one pair of artery forceps ; (v) injections-morphia, pethidine, atropine, adrenaline, coramine, novacan (2 each); and (vi) one pair of surgical scissors;</p> <p>(b) For factories employing above 200 workers, equipments shall include :-</p> <p>(i) eight plain wooden splints of 900mmx100mmx6mm; (ii) eight plain wooden splints of 350 mmx75mmx6mm; (iii) four plain wooden splints of 250mmx50mmx12mm; (iv) two pairs of artery forceps ; (v) injection-morphia, pethidine, atropine, adrenaline, coramine, novocan (2 each) ; and (vi) two pairs of surgical scissors.</p>
<p>Ambulance van under sub-section (c) of section 85</p>	<p>142.</p>	<p>(1) In every factory carrying on a 'hazardous process' there shall be provided and maintained in good condition, a suitably constructed ambulance van equipped with items specified in sub-rule (2) of this rule and manned by a full time driver-cum-mechanic and a helper trained in first-aid, for the purposes of sickness. The ambulance van shall not be used for purposes other than the purpose stipulated herein and will normally be stationed at or near the Occupational Health Centre:</p> <p>Provided that a factory employing less than 150 employees may make arrangements for procuring such facility at a short notice from a nearby hospital or other places to meet emergency.</p> <p>(2) The ambulance van shall have the following equipments :-</p> <p>(A) General :</p> <p>(a) a wheeled stretcher with folding and adjusting devices with the head of the stretcher capable of being tilted upward ; (b) fixed suction unit with equipment ; (c) fixed oxygen supply with equipment ; (d) pillow with case, sheets, blankets towels ; and (e) emesis bag, bed pan, urinal, glass ;</p> <p>(B) Safety equipments such as :-</p> <p>(a) flares with life of 30 minutes, flood lights ; (b) flash light, fire extinguisher-dry powder type ; and (c) insulated gauntlets.</p> <p>(C) Emergency Care Equipments such as :-</p> <p>(a) Resuscitation Equipments like :-</p> <p>(i) portion suction unit ; portable oxygen unit ; (ii) bag - valve-mask, hand operated artificial ; (iii) ventilation unit ; (iv) airways ; mouth bags ; tracheotomyadapters ;</p>

		<p>(v) short spine board, I. V. fluids with Administration unit ; and</p> <p>(vi) B. P. manometer ; Cugg ; stethoscope ;</p> <p>(b) Immobilization Equipments :-</p> <p>(i) long and short padded boards wire ladder splints ; and</p> <p>(ii) triangular bandage ; long and short spine boards.</p> <p>(c) Dressings like :-</p> <p>(i) gauze pads -4"x4" universal dressing 10"x36";</p> <p>(ii) roll of aluminium foils; soft roller bandages 6"x5" Yards ; adhesive tape in 3" roll; safety pins; and</p> <p>(iii) bandage sheets ; burn sheet ;</p> <p>(d) Poisoning Equipments to deal with poisoning like:-</p> <p>(i) syrup of Ipecac; Activated Charcoal pre-packed in doses; snake bite kit; and</p> <p>(ii) drinking water;</p> <p>(e) Emergency medicines as per requirement (under the advice of qualified medical practitioner only).</p>										
Decontamination facilities under sub-section (c) of section 85	143.	<p>In every factory carrying out hazardous process the following provisions shall be made to meet an emergency:</p> <p>(a) fully equipped first aid box;</p> <p>(b) readily accessible means of water for washing by employees as well as for drenching of clothing of employees who have been contaminated with hazardous and corrosive substance; and such means shall be as per the scale shown in the table below:</p> <table border="1" data-bbox="624 970 1398 1385"> <thead> <tr> <th>Number of persons employed at any time</th> <th>Number of drenching showers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i) Up to 50 employees</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>(ii) Between 51 and 200 employees.</td> <td>2+1 for every additional 50 or part thereof</td> </tr> <tr> <td>(iii) Between 201 and 500 employees</td> <td>5+1 for every additional 100 or part thereof</td> </tr> <tr> <td>(iv) 501 employees and above.</td> <td>8+1 for every additional 200 or part thereof.</td> </tr> </tbody> </table> <p>(c) sufficient number of eye wash bottles filled with distilled water or suitable liquid, kept in boxes or cupboards conveniently placed and clearly indicated by a distinctive sign which shall be easily available at all times.</p>	Number of persons employed at any time	Number of drenching showers	(i) Up to 50 employees	2	(ii) Between 51 and 200 employees.	2+1 for every additional 50 or part thereof	(iii) Between 201 and 500 employees	5+1 for every additional 100 or part thereof	(iv) 501 employees and above.	8+1 for every additional 200 or part thereof.
Number of persons employed at any time	Number of drenching showers											
(i) Up to 50 employees	2											
(ii) Between 51 and 200 employees.	2+1 for every additional 50 or part thereof											
(iii) Between 201 and 500 employees	5+1 for every additional 100 or part thereof											
(iv) 501 employees and above.	8+1 for every additional 200 or part thereof.											
Availability of health records to employees under sub-section (c) of section 85	144.	<p>(1) The occupier of every factory carrying out a "hazardous process" shall make accessible the health records, including the record of worker's exposure to the hazardous process or, as the case may be, the medical records of any worker for his perusal under the following conditions:</p> <p>(a) once in every six months or immediately after the medical examination, whichever is earlier ;</p> <p>(b) if the Factory Medical Officer or the Medical Officer, as the case may be, is of the opinion that the worker has manifest signs and symptoms of any noticeable disease as specified in the Third Schedule to the Code ;</p> <p>(c) if the worker leaves the employment ;</p>										

		<p>(d) if any one of the following authorities, so direct -</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) the Chief Inspector-cum-Facilitator ; (ii) the Health Authority of the Central or State Government ; (iii) Commissioner of Workmen's Compensation ; (iv) the Director General, Employees' State Insurance Corporation ; (v) The Director, Employees State Insurance Corporation (Medical Benefits) ; and (vi) the Director General, Factory Advice Service and labour Institute. <p>(2) A copy of the updated health records including the record of employees exposed to hazardous process or, as the case may be, the medical records, shall be supplied to the worker on receipt of an application from him. X-ray plates and other medical diagnostic reports may also be made available for reference to his medical practitioner.</p>
Permissible limits of exposure of chemical and toxic substances under Section 88	145.	1. The maximum permissible threshold limits of exposure of chemical and toxic substances in manufacturing processes (whether hazardous or otherwise) in any factory shall be of the value as given in Schedule-XXXVII.
Appeal under section 90	146.	<p>Occupier of any factory aggrieved by an order made by Inspector-cum-Facilitator or the Chief Inspector-cum-Facilitator may, within thirty days from the date on which the order is communicated to him, make an appeal, setting forth concisely the grounds of objection to the order and bearing Court-Fees stamp in accordance with Article 11 of Schedule II to the Court Fees Act, 1870, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against, to the Labour Commissioner who shall, after giving an opportunity of being heard to both the, dispose of the appeal as expeditiously as possible:</p> <p>Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.</p>
Persons in supervisory, managerial or confidential positions under clause (a) of sub-section (1) of section 91	147.	<p>(1) The following persons in factories, other than sugar factories, shall be deemed to hold positions of supervision or management, provided they are not required to perform manual labour as regular part of their duties:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Manager; (b) Labour Officer; (c) Security Officer; (d) Heads of Technical Department; (e) Engineers; (f) Supervisors; (g) Shift Officer; (h) Shift In-charge; (i) Head Storekeepers provided they are employed solely in a supervisory capacity; and (j) any other person, who in the opinion of the State Government holds a position of supervision or management and is so declared by it in writing by way of an order. <p>(2) In sugar factories, the following persons shall be deemed to hold positions of supervision or management:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) The General Manager; (b) The Manager;

		<ul style="list-style-type: none"> (c) The Mill Secretary; (d) The Cane, Manager; (e) The Cane Superintendent, where there is no Cane Manager; (f) The Chief Chemist; (g) The Labour Welfare Officer; (h) The Chief Engineer; (i) The Secretary to the Managing Agent or the Personal Assistant to the General Manager; (j) The Cane Development Officer; (k) Heads of Commercial Department, like accounts, purchase, store, legal catering, etc.; and (l) any other person who, in the opinion of the State Government, holds a position of supervision or management and is so declared by it in writing by way of an order. <p>(3) The following persons shall be deemed to hold confidential positions in a factory:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Stenographers; (b) Personal Assistants; (c) Personal Secretaries; (d) Office Superintendent; (e) Head Clerk, where there is no Office Superintendent; (f) Head Munim where there is no Office Superintendent or Head Clerk; (g) Head Accountant; (h) Head Cashier; (i) Cashier; (j) Head Time-keeper; (k) Telephone Operator; (l) Receptionist; and (m) any other person, who in the opinion of the State Government, holds a confidential position and is so declared in writing by it by way of an order. <p>(4) The list of all persons mentioned in sub-rules (1), (2) and (3) shall be kept and maintained in a register in Form-51.</p> <p>(5) For continuous process factories, provisions of Section 26 and Section 27 and rules made thereunder, shall be exempted to such an extent as prescribed in Schedule II.</p>
Inspection Book under clause (zzq) of sub-section (2) of section 133	148.	<p>(1) The employer or the manager of every factory shall maintain an Inspection Book electronically or otherwise. Every inspection note shall be prepared in triplicate.</p> <p>(2) The occupier/ employer shall keep Form-45 up to date in inspection book.</p>
Record of Inspection under clause (zzq) of sub-section (2) of section 133	149.	A note of all defects and irregularities discovered at the time of inspection by an Inspector-cum-Facilitator, or a Medical Officer, shall be prepared by him, in triplicate in the inspection book maintained under rule 156, giving reference to relevant sections of the Code and rules, the breach of which has been committed.

**PART-VI
PLANTATION**

Housing accommodation under clause (a) of sub-	150.	(1) Every employer shall provide for every worker and his family residing in a plantation, rent free housing accommodation as near as possible to the place of work. It shall be open to an employer to provide such accommodation in the course of several years
--	------	---

<p>section (1) of section 92</p>		<p>provided that houses shall be built at least twenty-five per cent of the resident workers every year.</p> <p>(2) All housing accommodation for workers in a plantation shall have separate rooms for women employees. Effective and suitable provisions shall be made in every room for securing and maintaining adequate ventilation by the circulation of fresh air and there shall also be provided and maintained sufficient and suitable natural or artificial lighting. The rooms or other suitable alternative accommodation shall be of such dimensions so as to provide at least a floor area of ten square meters, excluding area of the kitchen and toilets, for each person making use of the room. The accommodation shall be so constructed as to afford adequate protection against heat, wind, rain and shall have smooth, hard and impervious floor surface.</p> <p>(3) The housing accommodation shall be provided on dry well-drained land which, consistent with the requirements regarding distance from the plantation, has supplies of wholesome drinking water within a reasonable distance. In malarial tracts the houses shall be provided at a safe distance from the swamps and marshes and above the highest flood level.</p> <p>(4) Adequate lighting arrangements shall be provided in and around the area in which housing accommodation is provided.</p> <p>(5) The employer shall maintain in good condition the approach roads and paths to the area where houses are located as also the sewers and drains in that area.</p> <p>(6) The employer shall not deny to the public free access to those parts of the plantation where the workers are housed.</p> <p>(7) The employer shall cause the vicinity of all houses to be kept clear of refuse and excreta and the latrines and drains to be cleaned out daily and all refuse in or near them to be collected, removed and disposed of hygienically.</p>
<p>Housing Scheme under clause (a) of sub-section (1) of section 92</p>	<p>151.</p>	<p>(1) Within six months of the date of publication of these rules, every employer of Plantation shall necessarily provide accommodation and shall submit to the Chief Inspector-cum-Facilitator for approval a scheme in regard to the provision by him of housing accommodation for workers, who shall with his remarks forward the same to State Government for approval within thirty days. The State Government will decide the housing scheme as proposed by the employer within a period of three months.</p> <p>(2) The scheme shall provide for the following matters:-</p> <p>(a) specification of the period during which housing accommodation is proposed to be provided in respect of all resident workers in a plantation, such period being not later than the period referred to in Rule- 150;</p> <p>(b) the type design which is proposed to be adopted for the construction of houses, such design being in conformity with the standards and specification as may be approved by the State Government, under sub-rule (1);</p> <p>(c) time frame, plan and site-plan, in duplicate, of the buildings to be constructed or remodelled for use as workers' houses.</p> <p>(3) All houses shall be built in accordance with the scheme as approved in writing by the State Government.</p> <p>(4) With a view to showing the progress made in providing houses according to the approved scheme every employer shall submit to the Chief Inspector-cum-Facilitator of Plantations a report in</p>

Form- 52 by July 31 st of every year.		
Maintenance of houses under clause (a) of sub-section (1) of section 92	152.	<p>(1) The employer shall, at his own expense, execute such repairs to the houses as may be required from time to time and maintain the houses in fit and safe condition for occupation.</p> <p>(2) A worker occupying a house may, and an Inspector-cum-Facilitator appointed under the Code and rules made thereafter, shall bring to the notice of the employer any defect in the condition of a house which made it dangerous to the health and safety of the workers. Where an Inspector-cum-Facilitator so brings such defects to notice, it shall be the duty of the employer to rectify them without any delay.</p> <p>(3) The employer shall get all the houses lime-washed at least once every year and all the doors, windows and other wooden structure varnished or painted once in three years. A record of dates on which lime-washing or painting was carried out shall be maintained by the employer as specified by State Government by general or special order.</p>
Allotment and occupation of houses under clause (a) of sub-section (1) of section 92	153.	<p>(1) No rent shall be charged by an employer for the housing accommodation provided to workers and their families residing in his plantation.</p> <p>(2) Houses shall be allotted on the basis of one house for a worker having a family for the use of the worker and his family:</p> <p>Provided that if there are two or more workers in a family only one house shall be allotted in respect of any such family in the name of any worker in the family:</p> <p>Provided further that in case, of termination of services of a worker in whose name a house is allotted under the preceding proviso, the house shall be allotted in the name of any other member of his family who is a worker.</p> <p>(3) The employer may allot houses to workers not having families at the rate of one house for not more than four such workers.</p> <p>(4) The occupant of a house shall not make any unauthorised additions to or alterations in the house.</p> <p>(5) The occupant of a house shall not exchange the house with the occupant of another house except with the written permission of the employer.</p> <p>(6) The occupant shall not let the house or any portion thereof to any person.</p> <p>(7) All workers and members of their families occupying the houses shall use the latrines provided and shall not pollute the soil and shall keep the houses and the precincts thereof clean and tidy and shall not waste drinking water.</p> <p>(8) No cattle or goats shall be kept in the living rooms or verandahs and no windows or air spaces shall be blocked up.</p> <p>(9) The employer shall bring to the notice of each worker to whom housing accommodation has been provided the conditions governing the occupation of such accommodation in writing in a language which the latter can understand.</p>
Occupation of accommodation after termination of	154.	<p>(1) When a worker dies in the service of the employer or retires or goes on transfer, or resigns, or goes on leave or when his services are terminated, he or his family may retain the house up to the</p>

<p>employment under clause (a) of sub-section (1) of section 92</p>		<p>period as detailed below:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) in the case of death, transfer or termination of service, for a period not exceeding two months; (b) in the case of retirement or resignation, for a period not exceeding one month; (c) in the case of leave, for the period of leave ; and (d) in the case where discharge or dismissal of a worker results in an industrial dispute, for so long as the case is not finally disposed of. <p>(2) If, on the application made to Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction of the area where such housing accommodations are located, the Inspector-cum-Facilitator is satisfied that a worker or any member of his family refuses to vacate the house allotted to such worker after the expiry of the period specified in sub-rule (1), he may, notwithstanding any other law for the time-being in force, by notice served,</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) by post; or (b) by affixing a copy of it on the outer door or some other conspicuous part of such house; or (c) by any other means of serving the notice as prescribed under the Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) after giving proper opportunities of being heard from such worker or a member of his family or any other person who may be in occupation of the whole or any part of the house, shall pass an order to vacate it within one month of the date of service of such order. <p>(3) In the event of the failure of the worker or any other person who is in occupation of the house to comply with the order under sub-rule (2), the Inspector-cum- Facilitator may make written requisition to the officer not below the rank of a sub-divisional magistrate, having jurisdiction over the area to evict such worker, member or other person from the house.</p> <p>(4) On receipt of requisition under sub-rule (3), the sub-divisional magistrate specified in sub-rule (3) shall execute the order passed by Inspector-cum- Facilitator and shall ensure the eviction of such member or other person and shall handover the possession of the house to the employer. The sub-divisional magistrate may for this purpose, use such force as may be necessary:</p> <p>Provided that before executing such order of eviction, a copy of the order of eviction shall be served on the worker or a member of the family or any other person in occupation of the said house.</p>
<p>Drinking Water under clause (a) of sub-section (1) of section 92</p>	<p>155.</p>	<ul style="list-style-type: none"> (1) An adequate supply of drinking water shall be made available in every plantation at every sites, at all times during working hours. (2) Drinking water shall not be supplied from any open well or reservoir unless it is so constructed, situated, protected and maintained as to free the possibility of pollution by chemical or bacterial and extraneous impurities. (3) Where drinking water is supplied from such well or reservoir, the water in it shall be sterilized periodically as required by the Inspector-cum-Facilitator by written order, and the date on which sterilizing is carried out shall be recorded: <p>Provided that this requirement shall not apply to any such well or reservoir if the water therein is filtered and treated before it is</p>

		<p>supplied for consumption.</p> <p>(4) The Inspector-cum-Facilitator may, by order in writing, direct the employer to obtain at such time or at such intervals as he may direct, a report from the Health Officer or the Medical Officer, regarding the fitness for human consumption of the water supplied to workers and in every case shall submit to the Inspector-cum-Facilitator a copy of such report as soon as it is received from the Health Officer or Medical Officer.</p> <p>(5) Drinking water shall be supplied at work sites at conveniently accessible points through <i>paniwalas</i> or by tankers, etc.</p>
Urinal Facility under clause (a) of sub-section (1) of section 92	156.	<p>(1) Urinal facility shall be provided in every plantation on the scale of one latrine for every five acres of the area under cultivation or part thereof:</p> <p>Provided that there shall be at least one latrine each for either sex.</p> <p>(2) The latrine shall be conveniently situated and shall have exclusive access for either sex.</p> <p>(3) The walls, ceilings and partitions of every latrine and urinal shall be white-washed and colour-washed and the white-washing or colour-washing shall be repeated at least once in every period of four months.</p> <p>(4) The latrine should conform to public health requirements and latrines other than those connected with an efficient water-borne sewage system, shall comply with the requirements of the Public Health authorities.</p> <p>(5) Every latrine shall be under cover and so partitioned off as to secure privacy and shall have a proper door and fastenings.</p> <p>(6) Where workers of both sexes are employed, there shall be displayed outside each latrine or latrine block, a notice in Hindi and also in the language understood by the majority of workers "For Men Only" or "For Women only", as the case may be. The notice shall also bear the figure of a man or of a women, as the case may be.</p> <p>(7) Where piped water supply is available, a sufficient number of water taps, conveniently accessible shall be provided in or near such latrine accommodation:</p> <p>Provided that if piped water supply is not available, sufficient quantity of water shall be kept stored in suitable receptacles near the latrines.</p>
Urinal facility under clause (a) of sub-section (1) of section 92	157.	<p>(1) Urinal facility shall be provided on the scale of one urinal for every two acres of the area under cultivation or part thereof. The urinals shall be conveniently situated for both males and females and shall be exclusive for either sex.</p> <p>(2) Urinals should conform to public health requirements, urinals other than those connected with an efficient water-borne sewage system shall comply with the requirements of the public health authorities.</p>
Construction and maintenance of drains under clause (a) of sub-	158.	All drains carrying waste or sullage water shall be constructed in masonry or other impermeable materials and shall be regularly flushed, and the effluent shall be disposed of by connecting such

section (1) of section 92		<p>drains with a suitable drainage line :</p> <p>Provided that where there is no such drainage line, the effluent shall be deodorized and rendered innocuous and then disposed of in a suitable manner to the satisfaction of the Health Officer.</p>
Creches under clause (b) of sub-section (1) of section 92	159.	<p>(1) In every plantation wherein thirty or more women workers are employed or were employed on any day of the preceding twelve months, the employer shall provide and maintain a creche or creches for the use of their children who are below the age of six years according to the standards laid down in these rules.</p> <p>(2) Every creche shall be conveniently accessible to the mothers of the children accommodated therein.</p> <p>(3) There shall be not less than 15 square feet of floor area for each child to be accommodated in a creche.</p> <p>(4) The building in which the creche is situated shall be of sound construction with a good plinth.</p> <p>(5) The plan of the creche building shall be in accordance with the standard plan or plans laid down by the Chief Inspector-cum-Facilitator</p> <p>Provided that where no standard plan has been laid down or where it is proposed to deviate from a standard plan, the Chief Inspector-cum-Facilitator approval shall be obtained.</p> <p>(6) The creche shall be furnished with suitable furniture and a cradle for each child below the age of two.</p> <p>(7) A suitably fenced and shady open air playground shall be provided for the older children.</p> <p>(8) The employer shall appoint—</p> <p>(a) a women as Creche-in-charge to look after children during the absence of their mothers, who shall possess such qualifications and training as may be approved by the State Government; and</p> <p>(b) such other staff on a scale approved by the said authority.</p> <p>(9) There shall be in or adjoining the creche a suitable washroom and toilet.</p> <p>(10) At least half a pint of clean pure milk if possible otherwise powdered milk approved by the Medical Officer shall be made available for each child on every day such child is accommodated in the creche and the mother of such child shall be allowed in the course of her daily work two intervals of sufficient time to visit the creche and feed the child. For children above two years of age there shall be provided in addition to the above, an adequate supply of wholesome refreshment.</p> <p>(11) The creche staff shall be provided with suitable clean clothes for use while on duty in the creche.</p> <p>(12) An adequate supply of clean clothes, soap and oil shall be made available for each child while such child is in the creche.</p> <p>(13) Subject to provisions of the above mentioned sub-rules, a group of employer may jointly provide and maintain crèche and share its expenses.</p>
Educational facilities for workers' children under clause (c) of sub-section (1) of section	160.	<p>(1) Every employer shall, if the number of workers' children between the ages of 6 and 12 in his plantation exceeds 25, provide and maintain a primary school or schools for imparting primary education to the children:</p>

92		<p>Provided that an employer may not provide and maintain a primary school if there is one under the direct management of the State Government or of any local body for imparting free education to the children up to the primary or higher standard, with enough seats to admit the children between the ages of six and twelve of the workers in his plantation and within a distance of one mile from the place where workers reside in his plantation, or if under any other law he is required to pay a cess or tax for primary education:</p> <p>Provided further that subject to the provisions of these rules, a group of employers may jointly provide and maintain a primary school and share its expenses.</p> <p>(2) Every school to be provided and maintained under these rules, shall be conveniently situated within a distance of one mile from the workers' quarters.</p> <p>(3) The school building shall be constructed in accordance with the standard plan or plans which may be laid down by the State Government:</p> <p>Provided that where there is no standard plan or where it is proposed to deviate from a standard plan, the State Government's approval of the plan of the school building shall be obtained.</p> <p>(4) Where adequate space is available, an open air playground with suitable accessories shall also be provided for the children attending the school.</p> <p>(5) The employer or employers, as the case may be, shall provide for every primary school maintained under these rules, such educational and other equipment as may be considered necessary by the State Government.</p> <p>(6) The employer or employers concerned shall appoint one teacher for every forty children attending the primary school. The teacher shall possess the qualifications prescribed by the State Government for teachers in Government primary schools:</p> <p>Provided that in the case of any person who is working as a school teacher in a plantation at the commencement of these rules, the State Government may, subject to such conditions as it may specify, relax any of the qualifications.</p> <p>(7) The curriculum, duration, standard and syllabus of the course of instruction to be imparted in the primary school shall be such as may be approved by the State Government.</p> <p>(8) No fees shall be charged from the workers' children attending the primary school.</p>
Health facilities under clause (d) of sub-section (1) of section 92	161.	The plantation workers shall be provided with adequate medical facilities as notified by the State Government in consultation with the Department of Medical Health and Family Welfare from time to time.
Recreational facilities under clause (e) of sub-	162.	(1) Every employer shall provide and maintain:-

<p>section (1) of section 92</p>		<p>(a) a recreation centre or centres for workers with provision for indoor games suitable for adult and child workers;</p> <p>(b) where adequate flat open space is available within a reasonable distance, a playground or playgrounds for adult and child workers with necessary sports equipment for outdoor games:</p> <p>Provided that subject to the provisions of these rules, a group of employers may with the approval of the Chief Inspector-cum-Facilitator, provide and maintain joint recreation centres and playgrounds and share their expenses.</p> <p>(2) Every recreation centre to be provided and maintained under these rules, shall be conveniently situated as near as possible to the worker's quarters.</p>
<p>Use and handling of hazardous chemicals, insecticides, pesticides and toxic substances in the plantation under sub-section (2) of section 93</p>	<p>163.</p>	<p>(1) No adolescent worker shall be engaged in any activity or work where, they are likely to be exposed to the use, handling, storage, and transportation of hazardous chemicals, insecticides, pesticides, hazardous substances and other toxic substances. Provided that women workers may be employed with their consent to work subject to the following conditions :-</p> <p>(1) International Safety standards shall be adopted by the occupier for providing Occupational Safety and Health (OSH).</p> <p>(2) The occupier shall, as far as possible, modernise the above processes/places from time to time and will use modern equipments.</p> <p>(3) Women workers those are feeding mother shall be exempted from the Employment.</p> <p>(2) The employer shall ensure the regular health checkup of all women and adolescent worker engaged in any activity or work of plantation as prescribed under Rule-75 and shall keep the records as mentioned in Rule-75 of these rules.</p>
<p>Appointment and qualification of supervisors under sub-section (3) of section 93</p>	<p>164.</p>	<p>(1) For the purposes of sub-section (3) of section 93, the employer shall appoint one or more persons as supervisors, having the following qualifications to supervise the use, handling, storage and transportation of insecticides, chemicals and toxic substances in his plantation.</p> <p>(2) The supervisors appointed under sub-rule (1) shall have the following qualifications, namely-</p> <p>(a) he shall be a graduate in agriculture or in any science or he shall possess a certificate course on handling of chemicals and toxic substances conducted by the institute recognised by the Government of Uttar Pradesh or having an equivalent degree conferred by any institution established and recognised under the law;</p> <p>(b) he shall be given training from a designated training institute; and</p> <p>(c) he shall also possess valid certificate from Indian Red Cross Society (IRCS) or Saint John's Ambulance Association or any other institution as recognised by the State Government for this purpose, for giving first aid treatment to workers.</p>

		<p>(3) The supervisor shall-</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) advise the employer on health and safety issues; (b) be responsible for storage of equipment's, chemicals, insecticides etc; (c) be responsible for co-ordination and transportation of chemicals, insecticides and personnel involved in the above process; (d) be responsible for reporting any incident and/or accident involving chemicals due to use of insecticide spraying; (e) ensure good relation with the workers and their representatives; (f) ensure the correct use of chemicals and its spraying where spraying of chemical scours; (g) ensure that protective clothing and dust mask are provided to the spraying personnel and make sure that they are using it during their duty time; (h) ensure correct use of safety procedure and control of quality spraying; (i) keep people, especially children away from danger of exposure to spraying; (j) note the quantity of chemicals and insecticides prepared as and when it issued; (k) monitor storage, usage and disposal of chemicals by the labourers of plantations.
Training of workers under sub-section (4) of section 93	165.	<p>The employer shall organize training in handling chemicals, insecticides and toxic substances and also adopt safety precautions in handling equipment's provided to the workers. The training programme shall be organized on the following matters, namely,-</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) procedure involved in handling ,mixing ,blending and applying of insecticides, chemical and toxic substances; (b) control the quality of the spraying and the quality of the solution used; (c) to see that the equipment is well maintained and cleaned after work; (d) method of transferring the insecticide to the spraying machine; (e) Keeping people, especially children away at the time of spraying; (f) manner in which the chemicals and insecticides are to be stored; (g) manner of mixing the chemicals to prepare the insecticide solution; (h) the use of protective clothing and mask at the time of spraying; (i) training on the hazards involved in different operations; (j) the procedure regarding the spillage of insecticides, chemicals and toxic substances.
Medical examination of plantation workers under sub-section	166.	<p>(1) Every employer of a plantation shall arrange to conduct free of cost medical examination compulsory for all the employees, who are exposed to insecticides, pesticides, chemicals and toxic substances which are used, handled, stored or transported in a plantation, at an interval of not more than ninety days by a</p>

(5) of section 93		<p>Medical Officer or Medical practitioner appointed under the Code:</p> <p>Provided that if any person shows symptoms of poisoning or symptoms of any contagious disease shall be immediately examined and properly treated.</p> <p>(2) The employer shall report immediately to the Chief Medical Officer of any accident caused due to use, handling, mixing, blending, storage and transportation of such substances immediately.</p> <p>(3) In all cases of poisoning, first-aid treatment shall always be given before the physician is called. The Indian Standard Guide for handling cases of pesticide poisoning Part-I, First-Aid Measures [LS 4015 (Part-II) – 1967] shall be consulted for such first-aid treatment in addition to any other book on the subject. The workers shall also be educated on the effects of poisoning and the first-aid treatment to be given.</p> <p>(4) Workers engaged in spraying work shall be changed and replaced by another batches of workers after they have worked for a period of three months.</p>
Records of Medical examination of plantation workers under sub-section (6) of section 93	167.	<p>(1) The records of medical examination conducted under Rule-75 and Rule-162 shall be kept in accordance with the provisions and forms as laid down under Form-7.</p> <p>(2) A copy of such medical report shall be provided to the concerned worker and medical records, as maintained under Form-7, and the employer shall make such provisions that concerned workers may have the access to these registers easily.</p>
Washing, bathing and cloak room, protective clothing and equipments facilities under clause (a) and clause (b) of sub-section (7) of section 93	168.	<p>The washing, bathing and cloak-room facilities shall be provided and maintained in a cleanly state and in good repair for the use of all persons employed in the following manner:</p> <p>(a) a trough with a smooth impervious surface fitted with a waste pipe with plug, and of sufficient length to allow at least two feet for every ten persons employed at any one time, and having a constant supply of water from taps or jets above the trough at intervals of not more than two feet; or</p> <p>(b) at least one wash basin for every ten such persons employed at any one time, fitted with a waste pipe and plug and having a constant supply of water together with, in either case, a sufficient supply of nail brushes, soap or other suitable cleansing material and clean towels changed daily;</p> <p>(c) suitable accommodation for clothing not worn during working hours with adequate arrangements for drying the clothing, if wet. The accommodation so provided shall be placed under the charge of a responsible person;</p> <p>(d) no food, drink or eatables including <i>pan</i>, <i>supari</i> or tobacco shall be brought into or consumed by any worker either at the workplace or at the washrooms;</p> <p>(e) every worker handling insecticides during transportation or application shall be adequately protected with appropriate clothing;</p> <p>(f) the protective clothing shall be used wherever necessary in conjunction with appropriate respiratory devices for preventing inhalation of toxic dusts, vapours or gases;</p> <p>(g) no worker shall be allowed to dilute chemical solutions to be</p>

		<p>used for spraying nor allowed to spray without using gauntlets, dustproof hats, hood, goggles, knee length polythene apron, rubber gloves, rubber boots (gum boots) with socks, nose mask or bleached kerchiefs to cover nose and mouth;</p> <p>(h) lenses of goggles shall be of good quality;</p> <p>(i) rubber or rug-pad shall be used on the back to minimise the jerking of spraying machines;</p> <p>(j) every worker engaged in spraying shall be provided with a bar of washing soap every fortnight;</p> <p>(k) the equipment used for spraying as well as protective clothing and other equipment shall be maintained properly and replaced whenever necessary immediately.</p>
<p>Display of Notice indicating hazards of insecticides, pesticides, chemicals and toxic substances under subsection (9) of section 93</p>	169.	<p>Every employer of a plantation shall exhibit precautionary notice at or near the place where the insecticides, chemicals and toxic substances are handled-</p> <p>(a) Use protective clothing like overalls, gloves, rubber gum-boots and wide brimmed hats.</p> <p>(b) Do not wear clothes contaminated with insecticides and pesticides.</p> <p>(c) Clean the protective clothing by washing with soap and water.</p> <p>(d) Do not allow children, sick persons and pregnant women and nursing mothers to handle insecticides and pesticides.</p> <p>(e) Do not eat, drink, smoke or chew while handling insecticides and pesticides.</p> <p>(f) Never blowout clogged nozzles with your mouth.</p> <p>(g) Do not use leaking sprayers. Avoid contamination of the skin, mouth and eyes.</p> <p>(h) Do not inhale the insecticides unattended in the fields.</p> <p>(i) Never spray insecticides and pesticides against the wind.</p> <p>(j) Do not leave insecticides and pesticides unattended in the fields.</p> <p>(k) Do not allow humans and livestock to enter the insecticides and pesticides sprayed fields for a period of time suggested by the manufacturers.</p> <p>(l) Do not wash insecticides and pesticides containers near a well or running stream.</p> <p>(m) Keep clean water, soaps and towels ready for use.</p> <p>(n) Wash hands and exposed skin thoroughly with soap and water before eating, drinking or smoking or chewing after work.</p> <p>(o) Keep the insecticides and pesticides locked in the store room and out of reach of children and other unauthorised persons.</p> <p>(p) Do not enter the spread fields. Follow the re-entry periods for all insecticides and pesticides, including herbicides, suggested by the manufacturers.</p> <p>(q) Keep insecticides and pesticides in their original labelled containers.</p> <p>(r) Do not decant insecticides and pesticides into and label containers, except for immediate use.</p> <p>(s) Dispose the containers safely after thoroughly emptying and washing. They may be buried in a place away from the water source.</p> <p>(t) Never use the container for any other purposes, if it is impossible to remove the traces of insecticide and pesticides from the containers.</p>

**CHAPTER-X
OFFENCES AND PENALTIES**

<p>Appeal against the penalty imposed under sub-section (3) of section 111</p>	<p>170.</p>	<p>(1) Any person aggrieved by an order made by the officer under these rules may prefer an appeal before the Labour commissioner, Uttar Pradesh. The Appeal shall be made within sixty days of receipt of copy of the order of the officer.</p> <p>(2) The appeal shall be accompanied with (form-57)-</p> <p>(a) the order appealed against;</p> <p>(b) a non-refundable fee equivalent to five percent, of the amount of penalty levied on under such appeal;</p> <p>(c) a statement of issues in dispute;</p> <p>(d) documentary evidence relied upon.</p> <p>(e) relief sought.</p>
<p>Manner of compounding of offences by the compounding officer specified under sub-section (1) of section 114</p>	<p>171.</p>	<p>(1) The officer notified by the State Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 114 shall issue electronically a compounding notice to the concerned alleged accused person for offence which is compoundable under sub-section (1) of section 114.</p> <p>(2) The person so noticed under sub-rule (1) may apply to the officer electronically and deposit the entire compounding amount by electronic transfer or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice.</p> <p>(3) The Officer referred to, in sub-rule (1) shall issue a composition certificate within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in satisfaction of the composition notice.</p> <p>(4) If a person so noticed fails to deposit the composition amount within the one months before the institution of prosecution, the prosecution shall be proceeded with before the competent Court.</p> <p>(5) No prosecution shall be instituted without giving an opportunity to the employer to comply with such provisions subjected to proviso of sub-section (1) of Section 110 and compounding as under section 114..</p>

**CHAPTER-XI
SOCIAL SECURITY FUND**

<p>Social Security Fund under section 115</p>	<p>172.</p>	<p>(1) In addition to source of fund mentioned in clause (i) sub-section (2) of section 115, and sub-rule (2), the amount received from the following sources shall be credited to the Fund-</p> <p>(a) amount given by the State Government for the establishment of the fund.</p> <p>(b) the amount of grant given by the Government of India, the State Government and other authorities and statutory bodies.</p> <p>(c) amount received for registration/renewal of beneficiaries and their contribution.</p>
---	-------------	--

		<p>(d) amount received for implementation of the scheme notified by the Government of India.</p> <p>(e) amount received for implementation of the scheme notified by the State Government.</p> <p>(f) contribution or donation or any other financial support from employer, their association or from Corporate Social responsibility (CSR) Fund as determined by the State Government by general or special order.</p> <p>(g) any other source which is approved by the State Government time-to-time.</p> <p>(2) The amount of above-mentioned Fund shall be administered in such a way as prescribed under Code on Social Security, 2020 (Act No 36 of 2020) and rules made thereunder by State Government.</p>
--	--	---

**CHAPTER-XII
MISCELLANEOUS**

Manner, form and fees for obtaining common license under clause (a) of sub-section (2) of section 119	173.	The person seeking common license under section 119 of the Code, shall make an application electronically on the specified web-portal of Department of Labour, Government of Uttar Pradesh to designated authority in Form- 54 notified under sub-section (1) of section 119 along with such cumulative application fees as prescribed in tables mentioned under sub-rule (4) of rule 78 and rule- 104 and rule-115 of Chapter-IX of these rules.
Manner to grant common license under sub-section (3) of section 119	174.	<p>(1) On receipt of an application designated authority shall on advise of committee constituted under section 119 (1) decide as to granting of common license.</p> <p>(2) For such enquiry under sub-rule (1), designated authority shall obtain the recommendation from the committee constituted under the rule who shall submit its report within a period of fifteen days.</p> <p>(3) After examining the application and the recommendation, if the authority is satisfied that the common license may be issued, he shall issue the same within a period of forty-five days from the receipt of such application in Form- 55.</p> <p>(4) Any licence obtained by providing wrong information shall be liable to be cancelled provided that person has been given an opportunity to show cause, electronically or by registered post, as to why the licence should not be cancelled.</p>
Appeal under sub-section (6) of section 119	175.	<p>(1) Any person aggrieved by an order passed by the authority under section 119, may file within thirty days from the date of the order, an appeal electronically to State Government and in such manner and with such fee as mentioned in sub-rule (2).</p> <p>(2) The appeal shall be accompanied with (form-58) —</p> <p>(a) the order appealed against;</p> <p>(b) a non-refundable fee equivalent to five percent, of the fees deposited to obtain common license;</p> <p>(c) a statement of issues in dispute;</p> <p>(d) documentary evidence relied upon.</p> <p>(e) relief sought</p>

<p>survey on situation relating to safety and health under sub-section (2) of section 121</p>	<p>176.</p>	<p>(1) On the direction of State Government the Chief Inspector-cum-Facilitator or other officer or officers appointed under sub-section (1) of 121 may conduct a survey in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 121 of the Code, at any time during the normal working hours of an establishment, or at any other time as informed by him of the Committee or the person to be necessary, after giving notice in writing to the employer or manager of the establishment or any other person who for the time being purports to be the in-charge of the establishment. undertake survey relating to safety and health in the establishment and outside.</p> <p>(2) Employer or manager or other person shall afford all facilities for the survey including facilities for the examination and testing of plant and machinery and collection of samples and other data relevant to the survey.</p> <p>(3) For the purpose of facilitating surveys every worker and person in nearby vicinity, if so, required by the committee or the person conducting the survey, present himself to undergo such medical examination as may be considered necessary by such person and furnish all information in his possession and relevant to the survey.</p> <p>(4) Any time spent by a worker for undergoing medical examination or furnishing information under sub-rule (2) shall, for the purpose of calculating wages and extra-wages for overtime work, be deemed to be time during which such worker worked in the establishment.</p>
---	-------------	--

Digitally signed by
SHANMUGA SUNDARAM
Date: 07-03-2026
11:38:05

By Order,

(Dr. M.K. Shanmuga Sundaram)
Principal Secretary.

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या- 500 /36-3-2026-1903305

लखनऊ, दिनांक : 23 मार्च, 2026

अधिसूचना

चूंकि, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 37 सन् 2020) के पश्चात्पूर्वी अधिनियमिति के क्रम में, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता नियमावली, 2021 तैयार किया था, जो अधिसूचना संख्या 9/2021/584/36-03-2021-109 (एसए) 2020 दिनांक 23 मार्च, 2021 द्वारा पूर्वोक्त संहिता की धारा 133 और 135 के अधीन अपेक्षानुसार आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए सरकारी गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और, चूंकि, उपर्युक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, उत्तर प्रदेश उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता नियमावली, 2021, अधिसूचना संख्या 1365/36-03-2022-109 (एमए) 2020 दिनांक 03 अगस्त, 2022 द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित की गयी थी, यद्यपि उक्त नियमावली प्रवृत्त नहीं की गयी थी क्योंकि उस समय उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 परिचालन में नहीं थी।

और चूंकि भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, एस 3 (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-21112025-267884 दिनांक 21 नवम्बर, 2025 द्वारा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 37 सन् 2020) को प्रवृत्त कर दिया गया है।

और चूंकि पूर्वोक्त संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, एम 3 (iii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-21112025-267884 दिनांक 30 दिसंबर, 2025 द्वारा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2025 का एक नया प्रारूप प्रकाशित किया है।

और चूंकि पूर्वोक्त संहिता के क्रियाशील होने और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारूप नियमावली के प्रकाशित किये जाने के उपरांत राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह संहिता के कार्यात्मक ढांचे के साथ एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य में उत्तर प्रदेश राज्य में तत्सम्बन्धी नियमावली को नए सिरे से तैयार करे, प्रकाशित करे, अंतिम रूप प्रदान करे और अधिसूचित करे:

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 37 सन् 2020) की धारा 133 और 135 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और,-

एक. उत्तर प्रदेश संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) नियम, 1975,

दो. उत्तर प्रदेश अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 1983.

तीन. उत्तर प्रदेश बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तों) नियम, 1969,

चार. उत्तर प्रदेश कारखाना नियम, 1950,

पांच. उत्तर प्रदेश कारखान (कल्याण अधिकारी) नियम, 1955, और

छह. उत्तर प्रदेश कारखाने (सुरक्षा अधिकारी) नियम, 1984,

सात. उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2009

आठ. उत्तर प्रदेश उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त नियमावली संहिता, 2021

का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करके जो ऐसे अधिक्रमण के पूर्व की गयी हैं या किये जाने हेतु लोपित हो, राज्यपाल, जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं उसका निम्नलिखित प्रारूप, पूर्वोक्त संहिता की धारा 137 की अपेक्षानुसार उससे संभावित रूप से प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि में एतद्वारा अधिसूचित करते हैं:

पूर्वोक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में सभी आपत्तियां और सुझाव दो प्रतियों में प्रमुख सचिव, श्रम अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ-226001 और श्रम आयुक्त (श्रम सुधार प्रकोष्ठ) कार्यालय, जी.टी. रोड, कानपुर को संबोधित करके प्रेषित किये जायेंगे।

केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर ही विचार किया जाएगा जो इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर प्राप्त होंगे।

प्रारूप नियमावली

उत्तर प्रदेश उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा नियमावली, 2026

अध्याय-एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	1.
	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा नियमावली, 2026 कही जायेगी। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा। (3) यह नियमावली कारखानों, भवन या अन्य सित्रमाण कार्यों से संबंधित कार्यस्थलों और अन्य समस्त प्रतिष्ठानों पर लागू होगी। (4) यह सरकारी गजट में अंतिम रूप से प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं	<p>2. इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,-</p> <p>(क) "परिशिष्ट" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट से है;</p> <p>(ख) "अनुमोदित" का तात्पर्य इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित यथास्थिति 'मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या अधिकारी या लाइसेंसिंग प्राधिकारी' द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित, किये जाने से है;</p> <p>(ग) "प्राधिकरण" का तात्पर्य और इसमें संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा पदाभिहित समितियां सम्मिलित हैं;</p> <p>(घ) "अपीलीय अधिकारी" का तात्पर्य संहिता की धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी से है;</p> <p>(ङ) "अपीलीय प्राधिकारी" का तात्पर्य संहिता की धारा 119 की उप-धारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथाविहित अपीलीय प्राधिकारी से है;</p> <p>(च) "शिक्षु" का तात्पर्य प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1961) की धारा 2 के खंड (कक) के अधीन यथा परिभाषित शिक्षु से है;</p> <p>(छ) "बेल्ट" में कोई ड्राइविंग पट्टा या रस्सी सम्मिलित है;</p> <p>(ज) "बोर्ड" का तात्पर्य संहिता की धारा 17 के अधीन गठित बोर्ड से है;</p> <p>(झ) "कैलेंडर वर्ष" का तात्पर्य जनवरी के पहले दिन से प्रारम्भ होने वाले बारह महीनों की अवधि से है;</p> <p>(ञ) "मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता" का तात्पर्य अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठानों के लिए नियुक्त उत्तर प्रदेश के मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता से है; परन्तु यह कि कारखानों के प्रयोजन के लिए और तद्दीन बनायी गयी नियमावली के अधीन कर्मचारियों/कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण से संबंधित उपबंधों के लिए मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता वह व्यक्ति होगा जिसे उत्तर प्रदेश के कारखानों के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हो;</p> <p>(ट) "मुख्य चिकित्सा अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति से है;</p> <p>(ठ) "सतत प्रक्रिया" का तात्पर्य किसी कारखाने या कारखाने के एक हिस्से में एक प्रक्रिया से है जहां प्रक्रिया अनुसूची-11 में घोषित के अनुसार की जाती है;</p> <p>(ड) "बालक" का वही अर्थ होगा जो बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1986)</p>
-----------	--

	<p>की धारा 2 के खंड (दो) में इसके लिये समनुदेशित है;</p> <p>(द) "संहिता" का 1986 उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 37 सन् 2020) से है;</p> <p>(ण) "डिग्री" (तापमान का) का तात्पर्य सेंटीग्रेड पैमाने पर डिग्री से है;</p> <p>(त) "पदाभिहित प्राधिकारी" का तात्पर्य संहिता की धारा 46 और धारा 119 की उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए नियुक्त राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी/समिति से है;</p> <p>(थ) "कारखानों के निदेशक" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश श्रम विभाग (कारखाना और बाँयलर विसर्जन) अधिकारी सेवा नियम, 1980 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कारखानों के निदेशक के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति से है;</p> <p>(द) "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" में कुशल और पारदर्शी पेट्रोल सॉफ्टवेयर का अनुरक्षण सम्मिलित है ताकि उपस्थिति रजिस्टर, मस्टर रोल, छुट्टी रजिस्टर, अतिकाल रजिस्टर या मजदूरी रजिस्टर, आदि के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित जानकारी को व्यवस्थित तरीके से देखा जा सके;</p> <p>(ध) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है;</p> <p>(न) "धुएं" में गैस और वाष्प सम्मिलित है;</p> <p>(प) "परिसंकटमय पदार्थ" का तात्पर्य उन रसायनों से है जो विनिर्माण, भंडारण और परिसंकटमय रसायनों के आयात नियमावली, 1989 के नियम 2 के खंड (ड) में परिभाषित किए गए हैं या कोई अन्य ऐसा पदार्थ जिसे राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अधिसूचित करें;</p> <p>(फ) "परिसंकटमय अपशिष्ट" का तात्पर्य परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (17) में यथा परिभाषित परिसंकटमय अपशिष्ट से है;</p> <p>(ब) "गृह कर्मकार" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे घर पर बीड़ी बनाने के लिए नियोक्ता या संविदाकार द्वारा कच्चा माल दिया जाता है;</p> <p>(भ) "श्रम आयुक्त" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति से है;</p> <p>(म) "लाइसेंसिंग प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन नियुक्त प्राधिकारी से है;</p> <p>(य) "लाइसेंसिंग अधिकारी" राज्य सरकार द्वारा संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन नियुक्त किया गया प्राधिकारी है;</p> <p>(र) "प्रमुख दुर्घटना जोखिम (एमएच) स्थापना" का तात्पर्य विनिर्माण, भंडारण और परिसंकटमय रसायनों के आयात नियमावली, 1989 के नियम 2 (अक) में यथा परिभाषित किसी कारखाना से है;</p>
--	--

	<p>(ल) "प्रबंधक" का तात्पर्य तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे संहिता और तद्धीन बनयी गयी नियमावली के प्रयोजनों के लिए किसी प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा नामनिर्दिष्ट या नियुक्त किया गया हो और व्यक्ति के पास अपनी स्थिति से सौंपे गए मामलों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता हो;</p> <p>(व) "राष्ट्रीय मानक" का तात्पर्य भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित मानक और ऐसे मानकों के अभाव में, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मानकों से है;</p> <p>(श) "अन्य शिक्षु" का तात्पर्य किसी व्यक्ति से है जो शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन एक के अलावा नियोक्ता के साथ एक संविदा के अधीन किसी भी संविदात्मक प्रशिक्षण से गुजर रहा हो;</p> <p>(स) "अन्य प्रतिष्ठान" का तात्पर्य संविदा श्रमिकों, अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकारों, ऑडियो-विजुअल कर्मकारों, बीड़ी और सिगार कर्मकारों, भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों, कारखानों, वृक्षारोपण के अलावा अन्य प्रतिष्ठान से है;</p> <p>(ष) "अंशकालिक कर्मकार/कर्मचारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो संहिता के अधीन सामान्य दिनों के आधे से भी कम समय के लिए कार्य करता हो;</p> <p>(ह) "पोर्टल" का तात्पर्य श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक वेब-पोर्टल से है;</p> <p>(क्ष) "सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकारी" का तात्पर्य क्षेत्र पर अधिकारिता वाले स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी से है;</p> <p>(त्र) "अर्हित नर्स" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 के अधीन मान्यता प्राप्त नर्सिंग में अर्हता धारित करता हो, और जो उत्तर प्रदेश नर्स और मिडवाइव्स काउंसिल, या अन्यथा, या भारत में किसी अन्य राज्य के इसी तरह के रजिस्ट्रीकृत निकाय के साथ रजिस्ट्रीकृत हो;</p> <p>(ज्ञ) "तिमाही" का तात्पर्य 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाले लगातार तीन महीनों की अवधि से है;</p> <p>(कक) "रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" का तात्पर्य संहिता की धारा 3 और इस नियमावली के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से है;</p> <p>(खख) "धारा" का तात्पर्य संहिता से है;</p> <p>(गग) "मानक संचालन प्रक्रियाएं (सुरक्षा)" - का तात्पर्य कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य और मशीनरी, प्रक्रिया और उपकरणों के सुरक्षित संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रथा से है, और ऐसी प्रथाएं निम्नलिखित में से सभी या किसी की पुष्टि करती हैं, अर्थात् :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारतीय मानक ब्यूरो या अंतरराष्ट्रीय मानक द्वारा अनुमोदित सुसंगत मानक; 2. राष्ट्रीय भवन संहिता;
--	--

		<p>3. उपकरण और मशीनरी के सुरक्षित उपयोग पर विनिर्माता निर्देश;</p> <p>4. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित और समय-समय पर संशोधित सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रथाओं पर अभ्यास संहिता।</p> <p>(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित समस्त शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो संहिता के अधीन उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हों;</p>
धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (दस) के अधीन अन्य स्रोतों से आय	3.	धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (दस) के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आश्रितों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जो उस उद्योग पर तत्समय लागू न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं।
धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (1) के अधीन सक्षम व्यक्ति की नियुक्ति	4.	<p>(1) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता किसी भी व्यक्ति को ऐसे क्षेत्र के भीतर और ऐसी अवधि के लिये एक सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता दे सकता है जो किसी कारखाना में अवस्थित ऐसी इमारतों, खतरनाक मशीनरी, होइस्ट और लिफ्ट, लिफ्टिंग मशीनों और लिफ्टिंग, प्रेशर प्लांट, सीमित स्थानों, वेंटिलेशन सिस्टम और ऐसी अन्य प्रक्रियाओं या प्लांट्स और उपकरणों के लिए परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण करने के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट किया जाय, जैसा कि संहिता और तद्वीन बनाए गए नियमों में निर्धारित किया गया है, यदि ऐसा व्यक्ति इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची-1 में निर्धारित अर्हताएं, अनुभव और अन्य अपेक्षाएं धारित करता हो।</p> <p>परन्तु यह कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता किसी सक्षम व्यक्ति के संबंध में अर्हता की अपेक्षाओं को शिथिल कर सकता है, यदि ऐसा व्यक्ति असाधारण रूप से अनुभवी और जानकार है, लेकिन उसके कमांड में विद्यमान प्रसुविधाओं के संबंध में अपेक्षाओं को नहीं।</p> <p>परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अधीन मान्यता प्राप्त सक्षम व्यक्ति की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी और परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए शारीरिक रूप से उपर्युक्त होगा।</p> <p>(2) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता किसी प्रतिष्ठित संस्थान को, जिसके पास इस नियमावली से संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित अर्हता एवं अनुभव धारित करने वाले व्यक्ति हों, को भवनों, खतरनाक मशीनरी, होइस्ट और लिफ्ट, लिफ्टिंग मशीनों और लिफ्टिंग टैकल, प्रेशर प्लांट, सीमित स्थानों, वेंटिलेशन सिस्टम और ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्रों और उपकरणों जैसा कि संहिता और तद्वीन बनायी गयी नियमावली में निर्धारित है, के लिए परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण करने के उद्देश्य से, एक सक्षम व्यक्ति के रूप में, ऐसे क्षेत्र के भीतर और ऐसी अवधि के लिए</p>

	<p>जो निर्दिष्ट की जाय, मान्यता प्रदान कर सकता है;</p> <p>(3) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता संहिता और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के प्रयोजनार्थ एक सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु आशयित व्यक्ति या संस्था से, प्रपत्र-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा आवेदन प्राप्त होने पर, इस तरह के आवेदन को रजिस्ट्रीकृत कर सकता है और आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए आवेदन को अस्वीकार करें या यदि आवेदक के निपटान में उपलब्ध क्षमता और सुविधाओं के बारे में संतुष्ट हैं, तो आवेदक को एक सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्रपत्र-2 में योग्यता का प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।</p> <p>(4) सक्षम व्यक्ति या संस्था प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अधिकारिता वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को मासिक रिपोर्ट भेजेगी। रिपोर्ट में उन प्रतिष्ठानों का नाम और पता जहां परीक्षण/परीक्षा की गई थी, प्रतिष्ठान का दौरा करने वाले व्यक्तियों का नाम, यात्रा की तारीख और इस प्रकार परीक्षित पहचान संख्या के साथ उपकरणों की सूची सम्मिलित होगी। सक्षम व्यक्ति कोई अन्य जानकारी भी प्रस्तुत करेगा जो एक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के स्वयं के समाधान के उद्देश्य से अपेक्षित हो सकती है कि नियम या निर्देशों के किसी भी उपबंध का अनुपालन किया गया है या नहीं। वह तुरंत रिपोर्ट भी करेगा यदि उसकी यात्रा के दौरान उसे लगता है कि प्रतिष्ठान में जीवन के लिए किसी भी आसन्न खतरे का अस्तित्व है।</p> <p>(5) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उप नियम (3) के अधीन उसे जारी किए गए प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है:</p> <p>(एक) यदि उसके पास यह मानने का कारण है कि सक्षम व्यक्ति: (क) प्रमाण पत्र में निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है; या (ख) एक परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण किया है या अन्यथा उन्हें संहिता के उद्देश्य या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के आशय या उद्देश्य के साथ असंगत तरीके से किया है; या (ग) (क) संहिता और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन अपेक्षित अधिनियम को निकाल दिया गया है; (दो) लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले किसी अन्य कारण के लिए। स्पष्टीकरण-इस नियमावली के प्रयोजन के लिए, एक संस्था में एक संगठन सम्मिलित है।</p> <p>(6) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले</p>
--	---

	कारणों के लिए, लिफ्टिंग मशीनों, लिफ्टिंग टैकल, प्रेशर प्लांट या वेंटिलेशन सिस्टम, जैसा भी मामला हो, के पुन प्रमाणन की अपेक्षा कर सकता है, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
--	---

अध्याय-दो प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रीकरण

धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण, शुल्क और विलंब शुल्क के लिए आवेदन दाखिल करने की रीति और प्रपत्र	5.	<p>(1) आवेदन दाखिल करने का प्रपत्र-</p> <p>(क) किसी प्रतिष्ठान के लिए रजिस्ट्रीकरण चाहने वाले नियोक्ता को इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट वेब-पोर्टल पर प्रपत्र-3 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करना होगा, जिसमें प्रतिष्ठान के बारे में विवरण दिया जाएगा, और अपेक्षित दस्तावेज, पहचान का प्रमाण और नियोक्ता का पता अपलोड किया जाएगा, जैसा कि उक्त प्रपत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है।</p> <p>(ख) उक्त प्रपत्र पर डिजिटल रूप से या पोर्टल पर आवश्यक किसी अन्य तरीके से हस्ताक्षर किए जाएंगे। आवेदक आवेदन में प्रस्तुत सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगा।</p> <p>(ग) आयकर अधिनियम, 1961/आयकर अधिनियम, 2025 के अधीन आवंटित आवेदक या प्रतिष्ठान की स्थायी खाता संख्या (पैन)/कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टीएएन) या किसी अन्य अधिनियम के अधीन प्रतिष्ठान को आवंटित कोई अन्य विशिष्ट संख्या या उक्त प्रपत्र में दी गयी कोई अन्य विशिष्टियाँ ऑनलाइन सत्यापित की जा सकती है।</p> <p>(2) संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियोक्ता को निदेश दे सकता है जो उप-नियम (1) की अपेक्षाओं का पालन करने में विफल रहता है, उसमें बताए गए समय के भीतर ऐसा करने के लिए और ऐसा नियोक्ता इसके बाद इस संबंध में अधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन करेगा।</p> <p>(3) नियोक्ता यथास्थिति संहिता या नियमों या विनियमों या योजना के संबंध में उसके द्वारा तैयार किए गए या पूरे किए गए सभी दस्तावेजों पर, और संबंधित कार्यालय के साथ सभी पत्राचार में रजिस्ट्रीकरण संख्या उद्धृत करेगा।</p> <p>(4) प्रतिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए शुल्क का भुगतान निम्नलिखित दरों पर किया जाएगा -</p>		
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारों की संख्या</td> <td style="width: 50%;">शुल्क की धनराशि रुपये में</td> </tr> </table>	प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारों की संख्या	शुल्क की धनराशि रुपये में
प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारों की संख्या	शुल्क की धनराशि रुपये में			

दस या अधिक लेकिन बीस से कम कर्मकार	5000.00
बीस या अधिक लेकिन पचास से कम कर्मकार	10000.00
पचास या अधिक लेकिन सौ से कम कर्मकार	15000.00
सौ या अधिक लेकिन ढाई सौ से कम कर्मकार	20000.00
दो सौ पचास या अधिक लेकिन पांच सौ से कम कर्मकार	25000.00
पांच सौ या उससे अधिक लेकिन एक हजार से भी कम कर्मकार	50000.00
एक हजार या अधिक कर्मकार	100000.00

परन्तु यह कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए शुल्क की धनराशि में परिवर्तन कर सकती है।

- (5) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रपत्र-4 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिष्ठान का एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें उस प्रतिष्ठान का विवरण दर्शाया जाएगा जिसके संबंध में उसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
- (6) जहां एक प्रमुख नियोक्ता ने धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित साठ दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, तो वह दस प्रतिशत वार्षिक या समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर से विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (7) नियोक्ता, किसी भी केंद्रीय श्रम कानून के अधीन पहले से ही रजिस्ट्रीकृत प्रतिष्ठान के संबंध में, जैसा कि धारा 3 की उप-धारा (8) में निर्दिष्ट है, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक से छह महीने के भीतर राज्य सरकार के पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रीकरण विवरण का विवरण प्रदान करेगा।
- (8) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रतिष्ठान के परिसर में हार्डकोपी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।
- (9) विनिर्दिष्ट पोर्टल पर जमा किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रपत्र में स्वामित्व, प्रबंधन या किसी विशिष्ट में किसी परिवर्तन को नियोक्ता द्वारा इस तरह के परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर पोर्टल पर लागू किया जाएगा।
- (10) किसी प्रतिष्ठान का नियोक्ता और जिसकी कारबार क्रियाकलाप बंद होने की प्रक्रिया में है, केंद्रीय श्रम संहिता के अधीन देय बकाया राशि का पूरा विवरण देने के बाद, आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है।

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि नियोक्ता ने सभी वैधानिक विवरणी प्रस्तुत

		<p>नहीं किए हैं, केंद्रीय श्रम संहिताओं और किसी अन्य प्रवृत्त केंद्रीय या राज्य श्रम कानून के अधीन सभी वैधानिक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, जो उस समय लागू कानून के अनुसार है और आवेदन के साथ उस आशय का स्व-प्रमाणन प्रस्तुत नहीं करता है।</p>
धारा 4 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील	6.	<p>(1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश से व्यथित नियोक्ता, ऐसे आदेश के के विरुद्ध, ऐसे राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन हेतु यथा नियुक्त अपीलीय अधिकारी के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप से अन्यथा अपील दाखिल कर सकता है।</p> <p>(2) अपील ज्ञापन के रूप में होगी और आदेश पर आपत्ति के आधारों को संक्षिप्त रूप से निर्धारित करेगी। अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की एक प्रमाणित प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अपील के साथ होगी।</p> <p>(3) जहां अपील का ज्ञापन क्रम में है, अपीलीय अधिकारी अपील को स्वीकार करेगा, इसे अभिस्वीकृत करेगा और ऐसी अपील की स्वीकृति को संसूचित करेगा, और अपील को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगा, जिसे "अपील रजिस्टर" कहा जाता है।</p> <p>(4) जब अपील स्वीकार कर ली जाती है, तो अपीलीय अधिकारी अपील का नोटिस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेगा, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील को प्राथमिकता दी गई है और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इसके बाद मामले के रिकॉर्ड को अपीलीय अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन भेजेगा।</p> <p>(5) अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय अधिकारी, अपीलकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा, नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक और समय पर अपील की सुनवाई के लिये उसके सामने उपस्थित होने के लिए एक नोटिस भेजेगा।</p> <p>(6) यदि सुनवाई के लिए निर्धारित दिनांक पर, अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता है, तो अपीलीय अधिकारी आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से खारिज के आदेश की प्रति भेजकर अपीलकर्ताओं की उपस्थिति में चूक के लिए अपील को खारिज कर सकता है।</p> <p>(7) जहां उप-नियम (6) के उपबंधों के अधीन अपील खारिज कर दी गई है, अपीलकर्ता खारिज के आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के भीतर अपील की बहाली के लिए अपीलीय अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है और यदि अपीलीय अधिकारी संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से रोका गया था, अपीलीय अधिकारी अपील को बहाल करेगा।</p> <p>(8) अपीलीय अधिकारी के आदेश को, अपीलकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा संसूचित किया जाएगा और उसकी प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजी जाएगी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील को प्राथमिकता दी गई है और अपील प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर निपटारा जाएगा।</p>

<p>धारा 5 के अधीन कार्य प्रारम्भ करने और बंद करने के नियोक्ता द्वारा नोटिस</p>	<p>7.</p>	<p>(1) प्रत्येक नियोक्ता, जिस पर संहिता की धारा 5 लागू होती है, किसी भी कार्य के प्रारम्भ होने और पूरा होने के तीस दिनों के भीतर, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को, जिसके पास उस क्षेत्र में अधिकारिता है जहां प्रस्तावित प्रतिष्ठान या जैसा भी मामला हो, कार्य निष्पादित किया जाना है, राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र-5 में यथास्थिति कार्य के प्रारम्भ होने, पूर्ण होने और प्रतिष्ठान के बंद होने की वास्तविक दिनांक की सूचना देगा।</p> <p>(2) संचालन की समाप्ति की सूचना के साथ एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा कि प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मकारों को सभी बकाया का भुगतान कर दिया गया है और परिसर को खतरनाक रसायनों और पदार्थों के भंडारण से मुक्त रखा गया है।</p>
--	-----------	---

अध्याय-तीन
नियोक्ता और कर्मचारियों के कर्तव्य

<p>धारा 6 की खंड (क) उपधारा (1) और धारा 135 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन शारीरिक चोटों की रोकथाम</p>	<p>8.</p>	<p>(1) कोई भी भवन, दीवार, चिमनी, पुल, सुरंग, सड़क, गैलरी, सीढ़ी, रैंप, फर्श, प्लेटफ़ॉर्म, मंचन, या अन्य संरचना, चाहे वह स्थायी या अस्थायी चरित्र की हो, किसी भी प्रतिष्ठान में इस तरह से निर्मित, स्थित या अनुरक्षित नहीं की जायेगी जिससे शारीरिक चोट का खतरा हो।</p> <p>(2) किसी भी प्रतिष्ठान में किसी भी मशीनरी, संयंत्र या उपकरण का निर्माण, स्थित, संचालन या रखरखाव इस तरह से नहीं किया जाएगा जिससे शारीरिक चोट का खतरा हो।</p> <p>(3) किसी भी प्रतिष्ठान में इस तरह से कोई प्रक्रिया या कार्य नहीं किया जाएगा जिससे शारीरिक चोट का खतरा हो।</p> <p>(4) किसी भी सामग्री या उपकरण को इस तरह से ढेर या संगृहीत नहीं किया जाएगा जिससे शारीरिक चोट का खतरा हो।</p> <p>(5) (क) किसी भी कर्मकार को लगातार चलने वाली कन्वेयर लाइन पर या मशीन के पुर्जों, घटकों की असेंबली के लिए या विविनिर्दिष्ट रीति से काम करने के लिये सामग्री हैंडलिंग हेतु प्रयुक्त किसी भी समान उपकरण पर इतने लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं होगी, जहां आराम के लिए उचित अंतराल के बिना, सीमित या दोहराव वाली मुद्राओं में निरंतर मैनुअल काम करना हो, और/या कन्वेयर बेल्ट या लाइन की अत्यधिक गति से धकान होने या कर्मकार की सुरक्षा या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।</p> <p>(ख) नियोक्ता, किसी सक्षम व्यक्ति की सिफारिश पर, ऐसी मशीनरी या मैनुअल कार्य आउटपुट की अधिकतम अनुमेय गति और किसी कर्मकार के काम की संबंधित अनुमेय अवधि को निर्दिष्ट करने</p>
--	-----------	--

		<p>वाले मैट्रिक्स तैयार करेगा और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता का अनुमोदन प्राप्त करेगा:</p> <p>परन्तु यह कि उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित किसी मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट या अनुशंसित ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को इस संहिता के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित माना जाएगा।</p> <p>(ग) अनुमोदित मैट्रिक्स को संबंधित कन्वेयर लाइन, असेंबली लाइन या कार्यस्थल पर या उसके पास स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।</p> <p>स्पष्टीकरण- इस उपबंध के प्रयोजनों के लिए, "मैट्रिक्स" का तात्पर्य एक प्रलेखित अनुसूची से है जो मशीन की गति या काम की अनुमेय अवधि के साथ मैनुअल कार्य आउटपुट को सहसंबंधित करती है, जिसे एर्गोनॉमिक और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य सिद्धांतों पर तैयार किया गया है।</p>
उन कर्मचारियों के लिए विशेष उपबंध जो धारा 2(1)(घ) से आच्छादित नहीं हैं	9.	<p>संहिता और नियमावली के उपबंध, जिनमें कर्मचारियों के लिए विनिर्दिष्ट नहीं हैं, निम्नलिखित के सम्बन्ध में धारा 2(1) के अधीन अनाच्छादित कर्मकारों पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वे संहिता एवं नियमावली के अर्थ में कर्मकार हों -</p> <p>(एक) सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण;</p> <p>(दो) रिकॉर्ड, रजिस्ट्रों और प्रपत्रों का रखरखाव;</p> <p>(तीन) धारा 2(1)(डब्ल्यू), धारा 2(1)(एच) के अधीन किसी एक कारखाने और भवन या अन्य निर्माण कार्यों में कर्मकारों की संख्या की गणना करना और इन प्रतिष्ठानों के अधीन रजिस्ट्रीकरण करना;</p> <p>(चार) किसी भी कारखाने के लिए संहिता का अध्याय VII, सामान्य दैनिक कार्य घंटों को छोड़कर, जब तक कि इसे धारा 91 के अधीन छूट न दी गई हो।</p>
धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन प्रतिष्ठानों में यांत्रिक परिवहन से उत्पन्न होने वाले खतरे के विरुद्ध उपबंध	10.	<p>(1) किसी भी रेलवे वैगन को शक्ति या हाथ से तब तक नहीं ले जाया जाएगा जब तक कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति या विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षरूप से आवाजाही की निगरानी न की जाए और एक व्यक्ति को उपयुक्त घंटी या अन्य श्रव्य उपकरण के साथ शंट किए जा रहे वैगन या वैगनों के आगे चलने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी व्यक्ति को चलती वैगन या वैगनों के सामने या बीच से गुजरने की अनुमति नहीं है। ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम प्रपत्र-6 में उपस्थिति रजिस्टर में अलग से दिखाए जाएंगे।</p> <p>(2) यांत्रिक परिवहन या परिवहन वाहन जब स्थानांतरित किया जाता है तो केवल उन्हें काम करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाएगा, और इस तरह के संचालन एक जिम्मेदार पर्यवेक्षक के प्रभार में होंगे। नियोक्ता उचित कदम उठाएगा और ऐसे वाहनों की सुरक्षित</p>

		आवाजाही के लिए व्यवस्था करेगा।
अन्य प्रशिक्षुओं के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों के लिए विशेष उपबंध	11.	(1) जहां कोई प्रशिक्षु या अन्य प्रशिक्षु किसी प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण ले रहे हैं, संहिता और नियमावली के उपबंध इन प्रशिक्षुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के संबंध में लागू होंगे जैसे कि वे संहिता के अर्थ के भीतर कर्मकार थे। (2) धारा 25 की उप-धारा (1) और (4) के उपबंध और सामान्य कार्य घंटों के संबंध में उसके अधीन बनाए गए नियम 'अन्य शिक्षुओं' पर लागू होंगे जैसे कि वे संहिता के अर्थ के भीतर कर्मकार थे।
धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन पांच मंजिला या उससे अधिक या बीस मीटर या उससे अधिक की इमारत वाले प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा उपबंध	12.	(1) किसी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के एक समूह का नियेक्ता, स्वामी या दोनों, जिसकी इमारत में पांच मंजिलें या उससे अधिक हैं या जिसकी ऊंचाई बीस मीटर या उससे अधिक है, आग की आपात स्थिति या लिफ्ट की विफलता या किसी अन्य खतरनाक घटना से निपटने के लिये एक आपातकालीन योजना तैयार करेगा और उसे अद्यतन रखेगा। (2) नियेक्ता, स्वामी या दोनों, जैसा भी मामला हो, भारतीय मानकों के अनुसार अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता, व्यक्तियों का प्रशिक्षण, लोगों को सूचना का प्रसार और सुरक्षा के लिए पर्याप्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।
धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कतिपय प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच	13.	(1) प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियेक्ता उन सभी कर्मचारियों की, जिन्होंने चालीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है, हर बारह महीने में कम से कम एक बार, नियोजित करने से पहले सभी व्यक्तियों, और उन सभी कर्मचारियों की जो रोजगार के दौरान पिछले दो वर्षों में गंभीर शारीरिक चोट के परिणामस्वरूप दुर्घटना का सामना कर चुके हैं, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच आयोजित करने की व्यवस्था करेगा: परन्तु यह कि खतरनाक प्रक्रिया या खतरनाक संचालन में नियोजित कर्मचारियों की जांच विशेष रूप से प्रदान किए गए उपबंधों के अनुसार की जाएगी। (2) स्वास्थ्य परीक्षा एक योग्य चिकित्सक या कारखाने के चिकित्सा अधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी, जैसा भी मामला हो। इस तरह की वार्षिक परीक्षा का रिकॉर्ड प्रपत्र -7 में एक स्वास्थ्य रजिस्टर में रखा जाएगा। यदि परीक्षा पूर्व-रोजगार के लिए आयोजित की जाती है, तो इसे फिटनेस प्रमाण पत्र के रूप में प्रपत्र-8 में भी रखा जाएगा। ऐसी परीक्षाओं के निष्कर्षों को संबंधित कर्मचारी के साथ साझा किया जाएगा। (3) चिकित्सा परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे - (क) सामान्य शारीरिक बनावट; (ख) दृष्टि - इसमें दृश्य तीक्ष्णता और धब्बेदार कार्य परीक्षण या फंडोस्कोपी परीक्षा सम्मिलित होगी;

		<p>(ग) सुनवाई - ऑडियोमेट्री परीक्षण, यदि आवश्यक हो;</p> <p>(घ) श्वास - फुफ्फुसीय समारोह परीक्षण या एक्स - रे, यदि आवश्यक हो;</p> <p>(ङ) ऊपरी अंग - पर्याप्त भुजा कार्य क्षमता और पकड़ (दोनों भुजा);</p> <p>(च) निचले अंग - पर्याप्त पैर और पंजे की कार्य क्षमता;</p> <p>(छ) रीढ़ - संबंधित नौकरी के लिए पर्याप्त रूप से लचीला;</p> <p>(ज) सामान्य - अच्छी आंख, हाथ और पैरों के समन्वय के साथ मानसिक सतर्कता और स्थिरता;</p> <p>(झ) पूर्ण रक्त गणना परीक्षण, लिपिड प्रोफाइल</p> <p>(तीन) कोई अन्य परीक्षण जिसे जांच करने वाला डॉक्टर आवश्यक समझता है।</p>
धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र	14.	<p>(1) नियोक्ता नियुक्ति पर या काम शुरू करने से पहले प्रतिष्ठान में प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति पत्र जारी करेगा। नियुक्ति पत्र में प्रपत्र-9 में निर्दिष्ट विवरण सम्मिलित होंगे। नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि नियुक्ति पत्र का विवरण संहिता और तद्वीन बनायी गयी नियमावली के अनुरूप है। नियुक्ति पत्र की शर्त के बारे में किसी भी विवाद का विनिश्चय संहिता की धारा 4 के अधीन अपीलीय अधिकारी द्वारा किया जाएगा।</p> <p>(2) नियोक्ता प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक अलग संख्या या कोड का व्यवस्थित आवंटन भी सुनिश्चित करेगा और नियुक्ति के एक महीने के भीतर इस तरह के कर्मचारी कोड और अन्य आवश्यक विवरणों वाला एक पहचान पत्र जारी करेगा।</p> <p>परंतु यह कि इन नियमावली के लागू होने के तीन महीने के भीतर सभी कर्मचारियों को ऐसे नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।</p> <p>(3) यदि किसी कर्मचारी का पहचान पत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है या खो जाता है, तो नियोक्ता एक महीने के भीतर कर्मचारी को एक नया पहचान पत्र जारी करेगा। नियोक्ता, मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 21 के उपबंधों के अधीन एक कैलेंडर वर्ष के भीतर एक नया जारी करने के लिए कर्मचारी से दस रुपये और बाद में किसी भी जारी करने के लिए पचास रुपये का शुल्क ले सकता है।</p> <p>(4) नियोक्ता यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षण का अनुबंध अन्य प्रशिक्षुओं के साथ भी निष्पादित किया गया है और उन्हें एक महीने के भीतर पहचान पत्र जारी किए गए हैं।</p>
धारा 10 और 11 के अधीन दुर्घटना और खतरनाक घटनाओं की सूचना	15.	<p>(1) जहां किसी प्रतिष्ठान में किसी स्थान पर दुर्घटना होती है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, प्रतिष्ठान का नियोक्ता या अधिभोगी या प्रबंधक तुरंत इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र 10 में एक नोटिस भेजेगा और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, मुख्य</p>

	<p>निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, जिला मजिस्ट्रेट या उपमंडल अधिकारी और निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी; और मृतक व्यक्ति के परिवार के सदस्यों या परिजनों को टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।</p> <p>(2) जहां किसी प्रतिष्ठान में किसी भी स्थान पर एक दुर्घटना होती है जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक चोट लगती है जिसके कारण घायल व्यक्ति को दुर्घटना के तुरंत बाद अड़तालीस घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए काम करने से रोका जाता है, तो प्रतिष्ठान का नियोक्ता या अधिभोगी या प्रबंधक अड़तालीस घंटे पूरा होने के बाद बारह घंटे के भीतर तुरंत प्रपत्र 10 में, निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक नोटिस भेजेगा।</p> <p>(3) जहां किसी प्रतिष्ठान में, नियम 16 में निर्दिष्ट कोई खतरनाक घटना होती है, चाहे वह किसी शारीरिक चोट या विकलांगता का कारण हो या नहीं, प्रपत्र 11 में एक नोटिस बारह घंटे के भीतर निम्नलिखित को भेजा जाएगा-</p> <p>(क) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता; (ख) जिला मजिस्ट्रेट या उप-मंडल अधिकारी;</p> <p>परन्तु यह कि यदि किसी दुर्घटना या खतरनाक घटना के मामले में, पूर्वगामी उप-नियमों में निर्दिष्ट नोटिस भेजे जाने के बाद ऐसी दुर्घटना या खतरनाक घटना से घायल किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो प्रतिष्ठान का नियोक्ता या अधिभोगी या प्रबंधक मृत्यु के बारह घण्टे के भीतर उप-नियम (1) और (2) में उल्लिखित अधिकारियों और व्यक्तियों को टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसकी सूचना भेजेगा और इस जानकारी की लिखित रूप में भी पुष्टि करेगा।</p> <p>परन्तु यह कि, यदि उप-नियम (3) में निर्दिष्ट 48 घंटे या उससे अधिक समय तक काम करने से विकलांगता की अवधि दुर्घटना या खतरनाक घटना के तुरंत बाद नहीं होती है, लेकिन बाद में एक से अधिक अवधि में होती है, तो उसकी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर प्रपत्र 10 में निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को भेजी जाएगी, जब दुर्घटना या खतरनाक के परिणामस्वरूप काम करने से विकलांगता की वास्तविक कुल अवधि घटना 48 घंटे हो जाती है।</p> <p>(4) किसी भी व्यक्ति को उस स्थल को जिस पर कोई घातक दुर्घटना हुई है या दुर्घटना में सम्मिलित किसी अन्य वस्तु को निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, या पुलिस अधिकारी, जो उप-निरीक्षक से अनिम्न रैंक का हो, के आने से पूर्व, या ऐसे अधिकारी की सहमति के बिना छेड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।</p> <p>परन्तु यह कि आगे की दुर्घटना को रोकने या व्यक्तियों को खतरे से सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।</p>
--	--

<p>धारा 11 के अधीन खतरनाक घटनाओं की श्रेणियां</p>	<p>16.</p>	<p>खतरनाक घटनाओं के वर्ग निम्नलिखित हैं, चाहे उनमें व्यक्तिगत चोट या विकलांगता हो या नहीं, अर्थात् -</p> <p>(क) वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव पर पेट्रोलियम, भाप, संपीड़ित हवा या अन्य पदार्थ युक्त किसी भी संयंत्र या पाइपलाइन या उपकरण का फटना;</p> <p>(ख) क्रेन, डेरिक, चरखी, लहरा या अन्य उपकरणों का अचानक से गिर जाना या विफल हो जाना जिसका उपयोग व्यक्तियों या सामानों को उठाने या नीचे उतारने में किया जाता है, या उसके किसी भी हिस्से, या क्रेन का पलटना;</p> <p>(ग) विस्फोटक, विस्फोटकों के कारण विस्फोट, आग, हानिकारक जहरीली गैसों का रिसाव या निर्माण, तेजी से बाहर निकलना, किसी भी पिघली हुई धातु का रिसाव या बाहर निकलना, या गर्म तरल या गैस से किसी भी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाना या किसी भी कक्ष या स्थान को नुकसान पहुंचाना जिसमें व्यक्ति नियोजित हैं;</p> <p>(घ) किसी भी गैस या गैसों (हवा सहित) या गैस के संपीड़न के परिणामस्वरूप किसी भी तरल या ठोस के वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव पर भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले रिसीवर या कंटेनर का विस्फोट;</p> <p>(ङ) भवन या निर्माण सामग्री को संभालने के लिए उपकरणों या लहरा या कन्वेयर या अन्य समान उपकरणों को उठाने या रस्सी, चेन या डीले गियर के टूटने या विफलता के लिए पतन या विफलता; भवन या अन्य निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली क्रेन को पलटना; ऊंचाई से वस्तुओं का गिरना;</p> <p>(च) किसी भी दीवार, फर्श, गैलरी, छत के पुल, सुरंग, चिमनी, दीवार, भवन या मिट्टी या किसी अन्य संरचना, मंचन, मंचान या प्रपत्रवर्क सहित पहुंच के किसी भी साधन का ढहना या धंसना; संपर्क कार्य, उत्खनन और संचरण का पतन;</p> <p>(छ) खतरनाक पदार्थों का रिसाव या रिसाव और उनके कंटेनर को नुकसान;</p> <p>(ज) प्रतिष्ठान के भीतर परिवहन उपकरणों का ढहना, पलटना, गिरना या टक्कर;</p> <p>(झ) किसी भी खुदाई, लोडिंग या परिवहन मशीनरी की ऊंचाई से गिरना;</p> <p>(ञ) जमीन के नीचे काम करने में एक स्तंभ, एक स्तंभ का हिस्सा या कौपले के कई खंभे (यानी, एक टक्कर) की तात्कालिक विफलता;</p> <p>(ट) जमीन के नीचे काम करने में एक चट्टान का विस्फोट; काम के किसी भी हिस्से का समय से पहले पतन;</p> <p>(ठ) किसी भी मशीन या उपकरण के एक आवश्यक हिस्से का टूटना, फ्रैक्चर या विफलता जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है;</p>
---	------------	--

		<p>(ड) एक स्लाइड जिससे किसी भी व्यक्ति को चोट लगती है, किसी भी मशीनरी को नुकसान होता है, या सामान्य खनन कार्यों में रुकावट आती है;</p> <p>(ढ) ओपनकास्ट काम करने में डंप या साइड की विफलता; एक झटका;</p> <p>(ण) किसी भी संरचना या स्थापना की विफलता जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है; या बिजली के फ्लैश-ओवर के कारण उत्पन्न चिंगारी जिससे किसी भी व्यक्ति को जलने की चोट लगती है;</p> <p>(त) पेट्रोलियम या रासायनिक रिसाव का एक प्रमुख अनियंत्रित उत्सर्जन;</p> <p>(थ) कोई अन्य घटना जिसे राज्य सरकार द्वारा एक आदेश द्वारा "खतरनाक घटना" के रूप में घोषित किया जा सकता है।</p>
धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन कुछ बीमारियों की सूचना	17.	जहां किसी प्रतिष्ठान में कोई कर्मकार संहिता की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी बीमारी से संक्रमित हो जाता है, वहां प्रतिष्ठान का प्रबंधक या नियोक्ता संबंधित निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्रपत्र -12 में, जिस दिन यह प्रतिष्ठान के नियोक्ता या प्रबंधक की जानकारी में आता है, के अड़तालीस घण्टे के भीतर एक नोटिस प्रेषित करेगा।
धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन एक चिकित्सक द्वारा मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट करने का तरीका और समय	18.	यदि कोई चिकित्सक किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करता है जो किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत है या रहा हो और जिसके विषय में चिकित्सक को यह विश्वास है या जो, संहिता की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी बीमारी से पीड़ित है, तो चिकित्सक बिना किसी देरी के, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होगा: - <p>(क) रोगी का नाम और पूरा डाक पता;</p> <p>(ख) वह बीमारी जिससे वह रोगी को पीड़ित मानता है;</p> <p>(ग) उस कारखाने का नाम और पता जिसमें रोगी है या अंतिम बार कार्यरत था;</p> <p>(घ) ऐसी बीमारी के संभावित कारण;</p> <p>(ङ) अन्य पीड़ित रोगियों की स्थिति और ऐसी बीमारी के फैलने की संभावना;</p> <p>(च) रोग फैलने की जांच के लिए किए जा सकने वाले निवारक उपाय (यदि कोई हो); तथा</p> <p>(छ) अन्य मुद्दे, जिसे चिकित्सक इस संबंध में उल्लेख करने के लिए महत्वपूर्ण समझता हो।</p>
धारा 13 के अधीन	19.	(1) यदि किसी कर्मचारी को कार्यस्थल में किसी भी असुरक्षित या

कर्मचारियों के कर्तव्य		<p>अस्वास्थ्यकर स्थिति के बारे में पता चलता है, तो वह कारखानों के मामले में जितनी जल्दी हो सके अध्यासी/नियोक्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रतिनिधि या सुरक्षा अधिकारी या प्रबंधक को रिपोर्ट करेगा।</p> <p>(2) प्रत्येक कर्मचारी, सामान्य रूप से, प्रतिष्ठान में अपने काम के घंटों के दौरान नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया पहचान पत्र पहनेगा या अपने साथ रखेगा। यदि पहचान पत्र खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो कर्मचारी प्रबंधक को लिखित रूप में रिपोर्ट करेगा। कोई भी कर्मचारी कार्ड का दुरुपयोग नहीं करेगा।</p>
धारा 14 के अधीन कर्मचारियों के अधिकार	20.	<p>प्रत्येक कर्मचारी को अधिकार होगा-</p> <p>(क) अध्यासी/नियोक्ता से कार्यस्थल पर कार्यकर्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त करना;</p> <p>(ख) जहां भी संभव हो, कारखाने के भीतर वार्षिक प्रशिक्षित किया जाता है, या, कारखाने के मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रशिक्षण केंद्र या संस्थान में प्रशिक्षित होने के लिए अध्यासी द्वारा प्रायोजित किया जाता है, जहां काम पर कर्मचारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है;</p> <p>(ग) कारखाने में उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त उपबंध के मामले में सीधे या उसके प्रतिनिधि के माध्यम से निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को प्रतिनिधित्व करना।</p>
धारा 14 की उप-धारा (3) के अधीन आसन्न खतरे के अस्तित्व की रिपोर्ट	21.	<p>(1) यदि किसी भी समय नियोक्ता/अध्यासी को आसन्न गंभीर व्यक्तिगत चोट या मृत्यु या सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आसन्न खतरे की संभावना की उचित आशंका के बारे में कर्मचारी/कर्मकार से सूचना प्राप्त होती है तो नियोक्ता/अध्यासी तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करेगा।</p> <p>(2) नियोक्ता/अध्यासी, चाहे संतुष्ट हो या नहीं, ऐसे आसन्न खतरे और उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा इंस्पेक्टर-सह-सुविधाप्रदाता और यदि आवश्यक हो तो जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजेगा।</p>

अध्याय-चार

उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य

धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन	22.	<p>(1) संहिता की धारा 17 के अधीन गठित राज्य उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्: -</p> <p>(क) मंत्री, श्रम और रोजगार, उत्तर प्रदेश सरकार - पदेन अध्यक्ष;</p> <p>(ख) अपर मुख्य प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम, उत्तर प्रदेश सरकार- उपाध्यक्ष, पदेन;</p>
---	-----	---

		<p>(ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दो अधिकारी, विशेष सचिव के रैंक अनिम्न होंगे, जिनमें से एक महिला होगी;- सदस्य</p> <p>(घ) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ - सदस्य, पदेन</p> <p>(ङ) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार - सदस्य-सचिव, पदेन</p> <p>(च) महानिदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार- सदस्य, पदेन</p> <p>(छ) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, उत्तर प्रदेश सरकार- सदस्य, पदेन सदस्य</p> <p>(ज) सचिव, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड - सदस्य, पदेन सदस्य</p> <p>(झ) सचिव, उत्तर प्रदेश असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कल्याण बोर्ड - सदस्य, पदेन</p> <p>(ञ) सचिव, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड- सदस्य, पदेन</p> <p>(ट) निदेशक, ईएसआईसीएस, उत्तर प्रदेश सरकार- सदस्य, पदेन</p> <p>(ठ) कारखाना निदेशक, उत्तर प्रदेश- सदस्य;</p> <p>(ड) इस मामले से जुड़े वृत्तिक निकाय का एक प्रतिनिधि जिसके लिए मानकों, नियमों, नीतियों को तैयार किया जा रहा है- राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना है- सदस्य;</p> <p>(ढ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले नियोक्ताओं के पांच प्रतिनिधि - सदस्य ;</p> <p>(ण) रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियनों या फेडरेशन के पांच प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे - सदस्य;</p> <p>(त) उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र के पांच प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनके पास इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और अन्पून दस वर्ष का अनुभव, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट - सदस्य:</p> <p>परन्तु यह कि इस नियम के खंड (ढ), (ण) और (त) के अधीन नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्यों के लिए महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा;</p> <p>परन्तु यह भी कि, राज्य सरकार, बोर्ड की किसी बैठक में किसी ऐसे व्यक्ति को विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में आमंत्रित कर सकती है, जिसके लिए राज्य सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा व्यक्ति ऐसे किसी मामले का विशेषज्ञ है जिस पर निर्णय के लिए बोर्ड के समक्ष चर्चा की जानी है या उत्पन्न हुई है;</p> <p>परन्तु यह कि, ऐसे विशेष आमंत्रित व्यक्ति बोर्ड की बैठकों में मतदान करने का हकदार नहीं होंगे।</p>
धारा 17 की उप-धारा (2)	23.	(1) बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड के पद की अवधि		<p>(2) बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे।</p> <p>(3) गैर-सरकारी सदस्यों को बोर्ड से हटा दिया जाएगा यदि वे उस हित का प्रतिनिधित्व करना बंद कर देते हैं जिसके लिए उन्हें नामनिर्दिष्ट किया गया था।</p> <p>(4) सभी नामनिर्दिष्ट सदस्य दो से अधिक कार्यकाल के लिए पुनः नामांकन के पात्र नहीं होंगे।</p>
धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य का त्यागपत्र	24.	<p>(1) कोई भी गैर-सरकारी सदस्य अपने हाथ से हस्ताक्षरित राज्य सरकार को संबोधित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकता है।</p> <p>(2) ऐसे सदस्य की सीट उस तारीख से रिक्त हो जाएगी जिस दिन उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है या त्यागपत्र की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की समाप्ति पर, जो भी पहले हो।</p>
धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन आकस्मिक रिक्तियों को भरना	25.	<p>(1) सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त नामनिर्दिष्ट सदस्य, उस सदस्य के पद की अवधि की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है।</p> <p>(2) जब किसी कारण से रिक्ति होती है या बोर्ड की सदस्यता में होने की संभावना होती है, तो सदस्य-सचिव राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो रिक्त स्थान को भरने के लिए, व्यक्तियों की श्रेणी में से, जिससे सदस्यता रिक्त करने वाला व्यक्ति संबंधित है, कदम उठाएगी और इस प्रकार नामित व्यक्ति उस सदस्य के पद की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है।</p>
धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन सदस्यता की समाप्ति	26.	<p>यदि बोर्ड का कोई सदस्य, पदेन सदस्य नहीं होने के नाते, बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत अनुमति प्राप्त किए बिना, बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, तो ऐसी अनुपस्थिति के लिए वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।</p> <p>परन्तु राज्य सरकार, यदि यह संतुष्ट हो जाती है कि ऐसे सदस्य को लगातार तीन बैठकों में भाग लेने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो यह निदेश दे सकती है कि ऐसी समाप्ति नहीं होगी और ऐसे निदेश दिए जाने पर ऐसा सदस्य बोर्ड का सदस्य बना रहेगा।</p>
धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन सदस्यता के लिए निरर्हताएं	27.	<p>एक व्यक्ति बोर्ड का सदस्य होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाएगा-</p> <p>(एक) यदि वह विकृतचित्त मस्तिष्क का घोषित हो और ऐसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाता है;</p> <p>(दो) यदि वह एक गैर-डिस्वार्ज दिवालिया है;</p> <p>(तीन) यदि उसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें</p>

		तीन महीने या उससे अधिक का कारावास है या जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता सम्मिलित है।
धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन सदस्यता से हटाना	28.	राज्य सरकार राज्य बोर्ड के किसी भी सदस्य को हटा सकती है, यदि उसकी राय में ऐसे सदस्य ने उस हित का प्रतिनिधित्व करना बंद कर दिया है जिसका वह बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने हेतु तायर्यित हो। परन्तु यह कि ऐसे किसी भी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस नियम के अधीन प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया जाए।
धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता	29.	(1) किसी आधिकारिक सदस्य का यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता आधिकारिक कर्तव्यों पर उसके द्वारा की गई यात्रा के लिए उस पर लागू नियमों द्वारा शासित होगा और उसके वेतन का भुगतान करने वाले प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। (2) बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ते और बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ते का भुगतान ऐसी दरों पर किया जाएगा जो राज्य सरकार के समूह "क" अधिकारी के न्यूनतम स्तर पर स्वीकार्य हैं। (3) बोर्ड की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्यों को बोर्ड की ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते मिलेंगे जो बोर्ड के अन्य गैर-सरकारी सदस्य प्राप्त करने के हकदार हैं।
धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड की बैठक और कार्य की सूची	30.	(1) राज्य बोर्ड की बैठक हर छह महीने में कम से कम एक बार होगी। परन्तु यह कि अध्यक्ष, बोर्ड के अन्यून एक तिहाई सदस्यों से लिखित रूप में मांग प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, उसकी एक विशेष बैठक बुलाएगा। (2) किसी भी बैठक में कोई कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम आधे सदस्य उपस्थित न हों। परन्तु यह कि यदि किसी बैठक में एक-तिहाई से कम सदस्य उपस्थित होते हैं, तो अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों को सूचित करते हुए और अन्य सदस्यों को नोटिस देते हुए बैठक को किसी अन्य तारीख तक स्थगित कर सकता है कि वह स्थगित बैठक में कार्य का निपटान करने का प्रस्ताव करता है, चाहे कोई विहित गणपूर्ति हो या नहीं, और उसके बाद उसके लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह सदस्य या सदस्यों के उपस्थित होने पर ध्यान दिए बिना स्थगित बैठक में कार्य का निपटान करे:

		<p>परन्तु यह कि जब अध्यक्ष किसी ऐसे विषय पर विचार करने के लिए बैठक बुलाता है जो उसकी राय में तात्कालिक प्रकृति का है, तो अन्यून तीन दिनों की नोटिस पर्याप्त समझी जाएगी।</p> <p>(3) बोर्ड की बैठक के लिए कार्य सूची में सम्मिलित किसी भी कार्य पर बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति के बिना ऐसी बैठक में विचार नहीं किया जाएगा।</p>
धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन कार्य का निपटान	31.	<p>(1) प्रत्येक मामला जिसे बोर्ड द्वारा विचार करना आवश्यक है, बोर्ड की बैठक में विचार किया जाएगा, या यदि बोर्ड का अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य को राय के लिए आवश्यक पत्रजात भेजकर ऐसा निदेश देता है और मामले का निपटान बहुमत के निर्णय के अनुसार किया जाएगा:</p> <p>परन्तु यह कि जहां किसी विषय पर बहुमत की कोई राय नहीं है और बोर्ड के सदस्य समान रूप से विभाजित हैं, बोर्ड के अध्यक्ष के पास दूसरा या निर्णायक मत होगा।</p> <p>(2) बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल बोर्ड में किसी रिक्ति या बोर्ड के गठन में किसी दोष के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।</p>
धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष	32	<p>(1) अध्यक्ष, बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा, और यदि अध्यक्ष, किसी भी कारण से, बोर्ड की बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, तो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, और इस तरह के नामांकन के अभाव में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेंगे।</p> <p>(2) बोर्ड की बैठक में लिए गए प्रत्येक निर्णय को एक कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा, जो एक स्थायी रिकॉर्ड होगा।</p>
धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति	33.	<p>किसी भी बैठक में कोई भी कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित न हों:</p> <p>परन्तु यह कि यदि किसी बैठक में एक-तिहाई से कम सदस्य उपस्थित होते हैं, तो अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों को सूचित करते हुए और अन्य सदस्यों को नोटिस देते हुए बैठक को किसी अन्य तारीख तक स्थगित कर सकेगा कि वह स्थगित बैठक में कार्य को निपटाने का प्रस्ताव करता है, चाहे कोई विहित गणपूर्ति हो या नहीं और उसके बाद उसके लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह स्थगित बैठक में कार्य का निपटान करे, चाहे उपस्थित सदस्यों की संख्या कुछ भी हो।</p>

<p>धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति</p>	<p>34.</p>	<p>(1) राज्य सरकार, राज्य सरकार के जितने राजपत्रित अधिकारी और ऐसे अन्य कर्मचारी राज्य सरकार की सेवा में हैं, नियुक्त कर सकती है, जो बोर्ड को अपने कृत्यों और कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक समझे।</p> <p>(2) ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक ऐसा होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाए।</p> <p>(3) इसके अधीन नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी बोर्ड की बैठकें बुलाने में बोर्ड के अध्यक्ष की सहायता करेंगे।</p> <p>(4) उसके अधीन नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी, बोर्ड की बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन ऐसी बैठकों में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।</p> <p>(5) उसके अधीन नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी, राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलेख रखेंगे।</p> <p>(6) उसके अधीन नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी, बोर्ड की बैठकों में लिए गए विनिश्चयों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।</p>
<p>धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड की तकनीकी समिति या सलाहकार समिति</p>	<p>35.</p>	<p>(1) राज्य सरकार अपने कृत्यों के निर्वहन में राज्य सरकार या राज्य सलाहकार बोर्ड की सहायता करने के लिए बोर्ड की सिफारिश पर जितनी तकनीकी समितियां या सलाहकार समितियां गठित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे।</p> <p>(2) तकनीकी समितियां बहु-सदस्यीय समिति हो सकती हैं, और इसमें सरकारी, सार्वजनिक, स्वायत्त या निजी संस्थानों/उद्योगों के सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं।</p> <p>(3) समिति के सदस्यों के पास औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री या औद्योगिक स्वास्थ्य के एसोसिएट फेलो (एएफआईएच) के साथ एमबीबीएस या (भौतिक शास्त्र/रसायन विज्ञान) में स्नातकोत्तर उपधि के साथ संबंधित क्षेत्र/उद्योग में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव होगा।</p> <p>(4) तकनीकी समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पदेन सदस्य होगा।</p> <p>(5) तकनीकी समिति विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उप-समितियों का गठन कर सकती है।</p> <p>(6) तकनीकी समिति समय-समय पर राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा जारी किये गये ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेगी जिसमें उसके कार्य संव्यवहार भी सम्मिलित है।</p>
<p>धारा 17 की उप-धारा (3) के अधीन तकनीकी समिति या सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के भत्ते</p>	<p>36.</p>	<p>तकनीकी समिति या सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य उसी यात्रा और महंगाई भत्ते के हकदार होंगे जो बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य प्राप्त करने के हकदार हैं।</p>

धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन तकनीकी समितियों या सलाहकार समिति के कार्य	37.	(1) तकनीकी समितियां या सलाहकार समिति संहिता के अधीन उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर मानकों, नियमों और विनियमों को तैयार करेगी, निर्माण करेगी और समीक्षा करेगी। (2) तकनीकी समिति आवश्यकता के आधार पर नियमित रूप से बैठक करेगी और छह महीने में कम से कम एक बार होगी।
धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन सदस्यों का त्यागपत्र और तकनीकी समिति या सलाहकार समिति की रिक्तियां	38.	(1) तकनीकी समिति या सलाहकार समिति का कोई सदस्य जोपदेन सदस्य नहीं है, तकनीकी समिति या सलाहकार समिति के अध्यक्ष के माध्यम से राज्य सरकार को संबोधित लिखित पत्र द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। (2) तकनीकी समिति का अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित लिखित पत्र द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। (3) ऐसे सदस्य या अध्यक्ष की सीट, जैसा भी मामला हो, उस तारीख से रिक्त हो जाएगी जिस दिन उसका त्यागपत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है, या राज्य सरकार द्वारा त्यागपत्र प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की समाप्ति पर, जो भी पहले हो।
धारा 17 की उप-धारा (3) के अधीन सदस्यता की समाप्ति	39.	यदि तकनीकी समिति या सलाहकार समिति का कोई सदस्य पदेन सदस्य नहीं है, ऐसी समिति के अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये बिना, ऐसी समिति की लगातार दो बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, तो ऐसी अनुपस्थिति के लिए वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं रहेगा। परन्तु कि राज्य सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसे सदस्य को पर्याप्त कारण से लगातार दो बैठकों में भाग लेने से रोका गया था, तो यह निदेश दे सकेगी कि ऐसी समाप्ति नहीं होगी और ऐसे निदेश दिए जाने पर ऐसा सदस्य ऐसी समिति का सदस्य बना रहेगा।
धारा 17 की उप-धारा (3) के अधीन सदस्यता के लिए निरर्हताएं	40.	(1) कोई व्यक्ति तकनीकी समिति का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा - (क) यदि वह विकृत चित्त है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या (ख) यदि वह एक अनुमोचित दिवालिया है; या (ग) यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता सम्मिलित है। (2) जहां यह प्रश्न उठता है कि क्या उप-नियम (1) के अधीन निरर्हता का सामना किया गया है, राज्य सरकार ऐसे प्रश्न पर विनिश्चय करेगी, इसे अंतिम माना जाना चाहिए।
धारा 17 की उप-धारा (3) के	41.	राज्य सरकार तकनीकी समिति के किसी सदस्य या अध्यक्ष को हटा सकती

अधीन सदस्यता से हटाना		<p>है, यदि उसकी राय में ऐसे सदस्य ने उस हित का प्रतिनिधित्व करना बंद कर दिया है जिसका वह ऐसी समिति में प्रतिनिधित्व करने हेतु तात्पर्यित हो:</p> <p>परन्तु यह कि ऐसे किसी भी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस नियम के अधीन प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का उचित अवसर न दिया जाए।</p>
धारा 21 के अधीन अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकारों के लिए सांख्यिकी और रजिस्ट्रीकरण पोर्टल का संग्रह	42.	<p>(1) प्रत्येक नियोक्ता राज्य सरकार के साथ-साथ महानिदेशक, श्रम ब्यूरो के कार्यालय को ऐसे पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे रूप और तरीके से उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य आंकड़ों का विवरण प्रस्तुत करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।</p> <p>(2) प्रत्येक अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार, चाहे वह उत्तर प्रदेश राज्य में नियोजित हो या स्व-नियोजित, इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रीकरण कराएगा।</p>
धारा 22 के अधीन सुरक्षा समितियों का गठन	43.	<p>(1) प्रत्येक प्रतिष्ठान में, एक सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जहां -</p> <p>(क) दो सौ पचास कर्मचारी या उससे अधिक आमतौर पर कार्यरत होते हैं; या</p> <p>(ख) धारा 82 के अधीन खतरनाक घोषित की गई कोई भी प्रक्रिया या प्रचालन किया जाता है; या</p> <p>(ग) धारा 2(1)(य क) के अधीन यथा परिभाषित एक 'खतरनाक प्रक्रिया' या खतरनाक पदार्थ को संभालने के लिए किया जाता है; या</p> <p>(घ) प्रमुख दुर्घटना जोखिम कारखाने।</p> <p>(2) सुरक्षा समिति में प्रबंधन के प्रतिनिधियों में सम्मिलित होंगे-</p> <p>(क) नियोक्ता, सुरक्षा समिति का अध्यक्ष होगा; तथा</p> <p>(ख) एक वरिष्ठ अधिकारी जो संगठन में अपने पद से समिति के कामकाज में प्रभावी ढंग से योगदान दे सकता है, उपाध्यक्ष होगा; और</p> <p>(ग) एक सुरक्षा अधिकारी, जिसमें इस नियमावली के अधीन नियुक्त किया गया है, या कोई अन्य जिम्मेदार व्यक्ति समिति का सदस्य-सचिव होगा; और</p> <p>(घ) प्रतिष्ठान के चिकित्सा अधिकारी- सदस्य; और</p> <p>(ङ) उत्पादन, रखरखाव और खरीद विभागों से एक-एक प्रतिनिधि सहित तीन प्रतिनिधि; और</p> <p>(च) कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी। कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन प्रतिष्ठान से जुड़े रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा उनके बीच आम सहमति से या चुनाव के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे प्रतिष्ठानों में,</p>

		<p>जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन नहीं है, कर्मकारों के प्रतिनिधियों को कर्मकारों द्वारा आम सहमति के आधार पर या चुनाव के आधार पर ही चुना जाएगा: परन्तु यह कि ऐसी सुरक्षा समिति के गठन में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।</p> <p>(3) सुरक्षा समिति का कार्यकाल अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए होगा: परन्तु यह कि किसी भी आपात स्थिति में दो तिहाई सदस्यों की सहमति से 6 महीने का विस्तार दिया जा सकता है।</p> <p>(4) सुरक्षा समिति के गठन की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित अधिकारिता वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को दी जायेगी।</p> <p>(5) सुरक्षा समिति जितनी बार आवश्यक हो, लेकिन प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार, बैठक करेगी। अनुवर्ती कार्य योजनाओं के साथ बैठक के कार्यवृत्त को एक रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा और मांग पर निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह की बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अधिकारिता वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को भेजी जाएगी।</p> <p>(6) सुरक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त और उपयुक्त रूप से सूचित होने का अधिकार होगा-</p> <p>(क) संभावित सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ सकता है;</p> <p>(ख) दुर्घटनाओं के आंकड़ों के साथ-साथ कारखाने से संबंधित खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों के कार्यस्थल और स्वास्थ्य की निगरानी से प्राप्त आंकड़े:</p> <p>परन्तु यह कि समिति काम के माहौल और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के उपायों पर आंकड़ों का उपयोग करने का कार्य करेगी।</p>
<p>धारा 22 की उप-धारा (1) के अधीन सुरक्षा समिति के कृत्य और कर्तव्य</p>	<p>44.</p>	<p>(1) सुरक्षा समिति के कृत्यों और कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-</p> <p>(एक) प्रतिष्ठान की 'स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति' में उल्लिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन की सहायता और सहयोग करना; और</p> <p>(दो) स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों से निपटना और सामने आने वाली समस्याओं के समाधान पर पहुंचना; और</p> <p>(तीन) सभी कर्मचारियों के बीच सुरक्षा जागरूकता पैदा करना; और</p> <p>(चार) शैक्षिक, प्रशिक्षण और प्रचार गतिविधियों का आयोजन करना; और</p>

		<p>(पाँच) सुरक्षा, पर्यावरण और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा, जोखिम मूल्यांकन, आपातकालीन और आपदा प्रबंधन योजनाओं और रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट पर चर्चा करना; और</p> <p>(छः) स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वेक्षण करना और दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान करना; और</p> <p>(सात) कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आसन्न खतरे की संभावना पर की गई किसी भी शिकायत को देखना और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना; और</p> <p>(आठ) इसके द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना; और</p> <p>(नौ) दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं आदि की जांच की रिपोर्ट पर चर्चा करना और उचित सिफारिशें करना; और</p> <p>(दस) दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर उपयुक्त सुरक्षा अभियान तैयार करना और कार्यान्वित करना; और</p> <p>(ग्यारह) सुरक्षा और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य मामलों पर संचार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने के लिए; और</p> <p>(बारह) विभिन्न परिचालनों के लिए तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए।</p> <p>(2) जहां प्रतिष्ठान के आकार के कारण, या किसी अन्य कारण से, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कृत्यों को सुरक्षा समिति द्वारा प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता है, वह उप-समितियों की स्थापना कर सकता है जो इसकी सहायता के लिए आवश्यक हो सकती है:</p> <p>परन्तु यह कि किसी भी प्रतिष्ठान में जिसमें एक हजार से अधिक कर्मचारी सामान्यतः कार्यरत हैं, विभागवार या अन्यथा कम से कम दो उप-समितियों का गठन किया जाएगा और विभागीय प्रमुख के पद का एक कर्मचारी उप-समिति का प्रमुख होगा। बैठक का कार्यवृत्त सुरक्षा समिति के सदस्य सचिव के साथ साझा किया जाएगा।</p>
<p>धारा 22 की उप-धारा (2) और धारा 133 की उप-धारा (2) के खंड (ययथ) के अधीन सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति</p>	<p>45.</p>	<p>(1) प्रत्येक प्रतिष्ठान में जो एक-</p> <p>(क) कारखाना जिसमें पांच सौ या उससे अधिक कर्मकार हैं; या</p> <p>(ख) खतरनाक प्रक्रिया पर चलने वाला कारखाना जिसमें दो सौ पचास कर्मकार या उससे अधिक हैं; या</p> <p>(ग) भवन और अन्य निर्माण कार्य जिसमें दो सौ पचास कर्मकार हैं; या</p> <p>(घ) प्रमुख दुर्घटना जोखिम स्थापना; या</p> <p>(ङ) सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कारखाना</p> <p>नियोक्ता द्वारा अन्यून एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा:</p> <p>परंतु यह कि, -</p> <p>(एक) खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान के लिए, यदि नियोजित कर्मकारों की संख्या एक हजार से अधिक है, लेकिन एक हजार पांच सौ से</p>

		<p>अधिक नहीं है तो एक अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार कर्मकारों या उसके भाग के लिए एक और सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा;</p> <p>(दो) खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों के लिए यदि नियोजित कर्मकारों की संख्या पांच सौ से अधिक है लेकिन एक हजार से अधिक नहीं है तो एक अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार कर्मकारों या उसके हिस्से के लिए एक और सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।</p> <p>(2) कारखाने के अधिभोगी या भवन या अन्य निर्माण प्रतिष्ठान के नियुक्ता, जैसा भी मामला हो, ऐसी नियुक्ति से सात दिनों के भीतर सुरक्षा अधिकारी या मुख्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति के बारे में अधिकारिता वाले संबंधित मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और अधिकारिता वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को सूचित करेगा।</p>
धारा 22 की उप-धारा (2) के अधीन सुरक्षा अधिकारी की अर्हता	46.	<p>कोई व्यक्ति सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह-</p> <p>(1)(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में डिग्री धारित करता हो और अन्यून दो वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन या रखरखाव या सुरक्षा विभाग में पर्यवेक्षी क्षमता में एक कारखाने में काम करने का व्यावहारिक अनुभव हो; या</p> <p>(ख) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से भौतिकी या रसायन विज्ञान में डिग्री धारित करता हो और अन्यून पांच वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन या रखरखाव या सुरक्षा विभाग में पर्यवेक्षी क्षमता में एक कारखाने में काम करने का व्यावहारिक अनुभव हो; या</p> <p>(ग) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में डिप्लोमा धारित करता हो और अन्यून पांच वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन या रखरखाव या सुरक्षा विभाग में पर्यवेक्षी क्षमता में एक कारखाने में काम करने का व्यावहारिक अनुभव हो; या</p> <p>(घ) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त डिग्री धारित करता हो, और किसी भी अधिनियम या संहिता के अधीन प्रशासन के संबंध में केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग में अन्यून दो वर्ष का अनुभव रखता हो जो किसी कारखाने या भवन या अन्य निर्माण कार्यों में कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है; या</p> <p>(ङ.) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में एक मान्यता प्राप्त डिग्री धारित करता हो, और उद्योग या किसी संस्थान में</p>

		<p>दुर्घटना की रोकथाम के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श या अनुसंधान से संबंधित संस्थानों में काम करने का अन्यून पांच वर्ष का अनुभव हो; और</p> <p>(2) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा या महानिदेशालय कारखाना परामर्श सेवा एवं श्रम संस्थान (डीजीएफएसएलआई) के अधीन किसी श्रम संस्थान से मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुरक्षा में डिग्री या डिप्लोमा धारित करता हो।</p> <p>(3) वह स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण या फायर इंजीनियरिंग में बीटेक या एम.टेक की डिग्री धारित करता हो या विधि द्वारा विधिवत स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य समकक्ष योग्यता में बीटेक या एम. टेक की डिग्री धारित करता हो:</p> <p>परन्तु यह कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता किसी गैर खतरनाक प्रकृति के प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग के लिए लिखित रूप में शर्तों के साथ खण्ड (2) और (3) के संबंध में छूट दे सकता है।</p>
<p>धारा 22 की उप-धारा (2) के अधीन सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य, और अन्य शर्तें</p>	<p>47.</p>	<p>(1) सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य व्यक्तिगत चोटों की रोकथाम और एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने के संबंध में अपने दायित्वों चाहे वे वैधानिक हों या अन्यथा, को पूरा करने में कारखाने के प्रबंधन को सलाह देना और सहायता करना होगा। इन कर्तव्यों में निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगे, अर्थात्-</p> <p>(क) व्यक्तिगत चोटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक उपायों की योजना बनाने और व्यवस्थित करने में विभागीय प्रमुखों, पर्यवेक्षकों और ऐसे अन्य अधिकारियों को सलाह देना;</p> <p>(ख) सभी नौकरी अध्ययनों में सुरक्षा पहलुओं पर सलाह देना के लिए, और चयनित नौकरियों के विस्तृत नौकरी सुरक्षा अध्ययन करना;</p> <p>(ग) व्यक्तिगत चोटों को रोकने के लिए की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन करना ;</p> <p>(घ) स्टोर खरीद विभाग के कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों आदि की उच्च गुणवत्ता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सलाह देना;</p> <p>(ङ) संयंत्र सुरक्षा निरीक्षण करने से संबंधित मामलों पर सलाह देना;</p> <p>(च) काम की भौतिक स्थितियों और कर्मचारियों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य अभ्यास प्रक्रियाओं का निरीक्षण करने के लिए और असुरक्षित शारीरिक स्थितियों को कम करने और कर्मचारियों द्वारा असुरक्षित परिस्थितियों को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर सलाह देने के लिए संयंत्र सुरक्षा निरीक्षण करना;</p> <p>(छ) औद्योगिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रिपोर्टिंग और जांच से संबंधित मामलों पर सलाह देना;</p> <p>(ज) घातक और गंभीर दुर्घटनाओं की जांच करने और प्रबंधन को उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना ;</p>

		<p>(झ) औद्योगिक बीमारी के अनुबंध और खतरनाक घटनाओं के रिपोर्ट करने योग्य मामलों की जांच करना ;</p> <p>(ञ) दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और औद्योगिक बीमारियों से संबंधित ऐसे अभिलेखों के रखरखाव पर सलाह देना जो आवश्यक हैं;</p> <p>(ट) सुरक्षा समितियों की स्थापना को बढ़ावा देने और ऐसी समितियों के सलाहकार और उत्तरेक के रूप में कार्य करना ;</p> <p>(ठ) संबंधित विभाग, अभियान, प्रतियोगिताओं, प्रतिस्पर्धाएं और अन्य क्रियाकलाप आयोजित करना जो काम और प्रक्रिया की सुरक्षा स्थितियों को स्थापित करने और बनाए रखने में कर्मचारियों के हित को विकसित और बनाए रखेंगे;</p> <p>(ड) औद्योगिक सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संगठनों, विभागों के साथ स्वतंत्र रूप से सहयोग से व्यक्तिगत चोटों की रोकथाम के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करना और संचालित करना और वर्ष में कम से कम एक बार सुरक्षा सेमिनार आयोजित करना;</p> <p>(ढ) दुर्घटनाओं और औद्योगिक रोगों की एक वार्षिक रिपोर्ट करना जिसमें उनके निवरणात्मक उपायों का सुझाव दिया गया हो, और इसे निदेशक मंडल की वार्षिक बैठक के समक्ष प्रस्तुत करना;</p> <p>(ण) पिछली तिमाही के लिए सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बेहतर कार्य दशाओं को बढ़ावा देने के कार्यों के संबंध में अपने नियोक्ता के माध्यम से अधिकारिता वाले संबंधित निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।</p>
धारा 22 की उप-धारा (2) के अधीन अन्य कर्तव्यों के प्रदर्शन का निषेध	48.	<p>(1) किसी भी सुरक्षा अधिकारी को किसी अन्य कार्य को करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों के प्रदर्शन के साथ असंगत या हानिकारक हो।</p> <p>(2) प्रतिष्ठान का नियोक्ता प्रत्येक सुरक्षा अधिकारी को ऐसी सुविधाएं, उपकरण और जानकारी प्रदान करेगा जो उसे अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं।</p>

अध्याय-पांच
कार्य के घंटे और मजदूरी के साथ छुट्टी

धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन दैनिक और साप्ताहिक कार्य घंटे	49.	<p>(1) किसी भी कर्मचारी को किसी भी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक समय तक किसी प्रतिष्ठान में काम करने की आवश्यकता नहीं होगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।</p> <p>(2) किसी कर्मकार के काम की अवधि को इस तरह से व्यवस्थित किया</p>
--	-----	---

		<p>जाएगा कि विश्राम के लिए अंतराल सहित, एक दिन में साढ़े दस घंटे से अधिक न हो :</p> <p>परन्तु यह कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी समूह या वर्ग या प्रकार प्रतिष्ठान के संबंध में विश्राम के लिए उसके अंतराल को सम्मिलित करते हुए 12 घंटे तक ऐसी शर्तों पर जो वह धारा 25 के अधीन समीचीन समझे बढ़ा सकती है।</p> <p>(3) कर्मकारों के काम की अवधि पांच घंटे से अधिक नहीं होगी और कोई भी कर्मकार कम से कम आधे घंटे के विश्राम अंतराल होने से पहले पांच घंटे से अधिक काम नहीं करेगा।</p> <p>(4) एक दिन में काम के घंटों को राज्य सरकार द्वारा उप-नियम (1), (2) और (3) के अध्याधीन संशोधित किया जा सकता है, ताकि एक सप्ताह में काम के घंटों की कुल संख्या इस तरह से निर्धारित की जा सके और उनका पालन किया जा सके।</p>
<p>धारा 26 और 135 (2) (य क) की उप-धारा (2) के अधीन विश्राम का साप्ताहिक दिन</p>	<p>50.</p>	<p>(1) धारा 26 के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक प्रतिष्ठान के कार्यालय के बाहर एक विशिष्ट स्थान पर एक नोटिस लगाया जाएगा, जिसमें विश्राम का साप्ताहिक दिन दिखाया जाएगा।</p> <p>(2) जहां प्रतिष्ठान में कार्यरत सभी व्यक्तियों के लिए विश्राम का साप्ताहिक दिन एक ही दिन नहीं है, नोटिस प्रत्येक रिस्ते, या व्यक्तियों या व्यक्ति के सेट को अनुमन्य विश्राम का दिवस दर्शाया जायेगा।</p> <p>(3) किसी भी कर्मचारी को सप्ताह के पहले दिन (जिसे आगे उक्त दिन कहा जायेगा) किसी प्रतिष्ठान में काम करने की आवश्यकता नहीं होगी या अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसके पास उक्त दिन से ठीक पहले या बाद में तीन दिनों में से एक दिन के लिए पूरे दिन की छुट्टी न मिली हो या मिलने वाली हो:</p> <p>परन्तु यह कि कोई प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप कोई भी कर्मचारी लगातार दस दिनों से अधिक समय तक बिना किसी पूरे दिन की छुट्टी के काम करे :</p> <p>परन्तु यह भी कि कारखाना या कारखाने का एक भाग या कारखानों का एक वर्ग जो अनुसूची-दो में निर्धारित सतत प्रक्रिया कारखाने के दायरे में आता है, को दैनिक आधार पर कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और साप्ताहिक अवकाश के प्रयोजन के लिए कर्मकारों के समूहों के सप्ताह का पहला दिन भिन्न हो सकता है।</p> <p>(4) जहां, उप-नियम (3) के उपबंधों के अनुसार, कोई भी कर्मकार उक्त दिन काम करता है और उससे ठीक पहले तीन दिनों में से एक दिन छुट्टी पर रहा हो, तो उसके साप्ताहिक घंटों की गणना करने के प्रयोजन के लिए, उक्त दिनों को पिछले सप्ताह में सम्मिलित किया</p>

		<p>जाएगा।</p> <p>(5) किसी कर्मकार के शिफ्ट बदलने के उद्देश्य से; धारा 28 के अधीन पारियों के बीच लगातार 24 घंटे की छुट्टी सुनिश्चित की जायेगी।</p> <p>(6) विश्राम के प्रतिपूरक दिन इस प्रकार निर्धारित किये जाएंगे कि किसी भी एक सप्ताह में किसी भी व्यक्ति को ऐसे दो दिनों से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p> <p>(7) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के नियंत्रण के अधीन, अधिकारिता के निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, किसी विशेष क्षेत्र या प्रतिष्ठानों के एक वर्ग के लिए सप्ताह के पहले दिन के रूप में किसी अन्य दिन को लिखित रूप में अनुमोदित कर सकता है।</p> <p>(8) राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्याधीन मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, लिखित रूप में विनिर्दिष्ट कारणों से, कारखाने के अलावा किसी अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठान के वर्ग के लिए साप्ताहिक अवकाश और/या कार्य की अवधि के लिए अधिसूचनाएं या कार्यालय आदेश जारी कर सकता है और धारा 26 के उपबंधों के अध्याधीन उप-नियम (3) को छूट दे सकता है।</p> <p>(9) उक्त दिन के लिए प्रतिस्थापित दिन की सूचना निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्रतिस्थापित दिन या उक्त दिन से पहले, एक कारखाने के मामले में जो भी पहले हो, वितरित की जाएगी। प्रबंधक इस तरह के प्रतिस्थापित अवकाश का रिकॉर्ड रखेगा।</p> <p>(10) उप-नियम (2) के अधीन दिए गए नोटिस को निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के कार्यालय में दिए गए नोटिस और कारखाने में प्रदर्शित एक नोटिस जो उक्त दिन या रद्द किए जाने वाले अवकाश से एक दिन पहले तक, जो भी पहले हो, द्वारा रद्द किया जा सकता है।</p>
धारा 26 की उप-धारा (3) के अधीन अवकाश	51.	<p>(1) संहिता की धारा 26 की उप-धारा (3) के अधीन अनुमत प्रतिकरात्मक अवकाशों को इस प्रकार अंतराल पर रखा जायेगा कि एक सप्ताह में दो से अधिक प्रतिपूरक अवकाश नहीं दिए जाएं।</p> <p>(2) प्रतिष्ठान का प्रबंधक जिस माह में अवकाश रद्द हुए हैं, उस माह के अंत में या उससे पहले, अगले माह में प्रतिकरात्मक अवकाश प्राप्त करने वाले और उनके दिनों के संबंध में एक नोटिस उस स्थान पर प्रदर्शित करेगा जहाँ धारा 26 के अधीन विहित कार्य अवधियों को नोटिस प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी प्रतिकरात्मक अवकाश के संबंध में नोटिस में कोई भी बाद में परिवर्तन उस अवकाश की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले नहीं किया जाएगा।</p> <p>(3) कोई भी प्रतिकरात्मक अवकाश या अवकाशों जिसके लिए एक कर्मचारी हकदार है, उसे उन्मुक्त या बर्खास्त करने से पहले दिया जाएगा और इसे उन्मुक्त या बर्खास्तगी से पहले दिए जाने वाले नोटिस की किसी भी अवधि के हिस्से के रूप में नहीं माना जाएगा।</p>

<p>धारा 27 के अधीन अतिकाल के लिए अतिरिक्त मजदूरी और शर्तें</p>	<p>52.</p>	<p>(1) जहां, किसी प्रतिष्ठान में, कोई कर्मकार किसी भी दिन में नौ घंटे से अधिक या किसी भी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक समय तक काम करता है, जैसा भी मामला हो, वह इस तरह के अतिकाल कार्य के संबंध में मजदूरी की अपनी सामान्य दर से दोगुनी की दर से मजदूरी का हकदार होगा और प्रत्येक मजदूरी अवधि के अंत में भुगतान किया जाएगा।</p> <p>(2) किसी भी दिन अतिकाल की गणना करते समय, 15 से 30 मिनट के बीच के एक घंटे के अंश को 30 मिनट के रूप में गिना जाएगा और 30 मिनट से अधिक के मामले में इसे पूर्णकित किया जाएगा और वास्तविक आधार पर एक घंटे के रूप में गिना जाएगा।</p> <p>(3) माह के हिसाब से भुगतान किए गए कर्मकार के मामले में मजदूरी या आय की गणना करते समय, दैनिक मजदूरी उसकी मासिक मजदूरी का 1/26वां हिस्सा होगा; और किसी अन्य कर्मकार के मामले में यह दैनिक मजदूरी या आय होगी, जैसा भी मामला हो।</p> <p>(4) कर्मकारों को निम्नलिखित परिस्थितियों और शर्तों के अध्वधीन काम के सामान्य घंटों से अधिक समय तक अतिकाल पर काम करने की अनुमति दी जा सकती है, अर्थात् -</p> <p>(क) तत्काल मरम्मत;</p> <p>(ख) प्रारंभिक या पूरक कार्य की प्रकृति में काम करना;</p> <p>(ग) काम जो आवश्यक रूप से इतना रुक-रुक कर होता है कि जिस अंतराल के दौरान वे झूटी पर रहते हुए काम नहीं करते हैं, वह आमतौर पर विश्राम के अंतराल से अधिक होता है;</p> <p>(घ) काम जो, तकनीकी कारणों से, लगातार किया जाना चाहिए;</p> <p>(ङ) प्रमुख आवश्यकता की वस्तुओं को बनाने या आपूर्ति करने में लगे हुए हैं जिन्हें हर दिन बनाया या आपूर्ति की जानी आवश्यक है;</p> <p>(च) एक ऐसी प्रक्रिया में संलग्न होना जिसे निश्चित मौसमों को छोड़कर नहीं किया जा सकता है;</p> <p>(छ) एक ऐसी प्रक्रिया में संलग्न होना, जिसे प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित कार्रवाई पर निर्भर होने के अलावा कई बार नहीं किया जा सकता है;</p> <p>(ज) इंजन-रूम या बॉयलर-हाउस में कार्यरत हों या विद्युत-संयंत्र या ट्रांसमिशन मशीनरी की देखरेख में लगे हों;</p> <p>(झ) मशीनरी के टूटने के कारण प्रक्रिया में लगे हुए;</p> <p>(ञ) रेलवे वैगनों या लॉरी या ट्रकों की लोडिंग या अनलोडिंग में लगे हुए;</p> <p>(ट) काम का असाधारण दबाव; और</p> <p>(ठ) किसी भी कार्य में लगे हुए हैं, जिसे राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में सार्वजनिक महत्व के कार्य के रूप में अधिसूचित किया गया है।</p>
--	------------	--

	<p>(5) किसी कर्मकार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी भी कार्य दिवस में ओवरटाइम काम करने की अनुमति दी जा सकती है-</p> <p>(क) कारखाने के मामले में अतिकाल के ऐसे घंटों के लिए शिफ्ट का कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा;</p> <p>(ख) ऐसे घंटों के लिए काम शुरू करने से पहले कर्मकार को अतिकाल के ऐसे घंटों के लिए लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा और उसे प्रबंधक या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित डुप्लिकेट में अतिकाल पर्ची सौंप दी जाएगी, जिसमें दिन के लिए काम की अवधि और समय बताई जाएगी;</p> <p>(ग) किसी कर्मकार को एक बार में 5 दिनों से अधिक अतिकाल पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;</p> <p>(घ) नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि कारखाना के मामले में खतरनाक संचालन या जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं में संलग्न होने के कारण ऐसे अतिरिक्त घण्टे कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेंगे।</p> <p>(ङ) अतिकाल के लिए कर्मकार की सहमति लिखित रूप में ली जाएगी;</p> <p>(च) मशीनरी या संयंत्र या अन्यथा, या "अप्रत्याशित घटना" के मामले में, या प्रारंभिक या पूरक कार्य के मामले में तत्काल कार्य करने के लिए अतिकाल की अनुमति दी जाती है, जिसके लिए कारखाने के मामले में इस तरह के अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है।</p> <p>(6) किसी भी दिन में काम के घंटों की कुल संख्या निरंतर प्रक्रिया कारखानों को छोड़कर दस घंटों से अधिक नहीं होगी।</p> <p>(7) किसी कर्मकार के कार्य की अवधि इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी कि विश्राम के लिए उसके अंतराल सहित, एक दिन में बारह घंटों से अधिक नहीं होगी।</p> <p>परन्तु यह कि वर्ष की किसी भी तिमाही में अतिकाल के घंटों की कुल संख्या एक सौ पंद्रह घंटों से अधिक नहीं होगी, जिसे राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिकतम एक सौ चालीस घंटों तक बढ़ाया जा सकता है।</p>
<p>ऐसी परिस्थितियां जहां धारा 30 के अधीन दोहरा नियोजन अनुमत्त होना</p>	<p>53. किसी कारखाने में एक अशाकालिक कर्मकार/कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कार्य की किसी भी श्रेणी में किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति दी जा सकती है, अर्थात्:-</p> <p>(क) एक अलग उपस्थिति रजिस्टर बनाए रखा जाएगा;</p> <p>(ख) आनुपातिक आधार पर अवकाश और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी;</p> <p>(ग) काम के घंटों, स्प्रेड घंटों, साप्ताहिक अवकाश और अतिकाल से संबंधित संहिता और नियमावली से संबंधित नियम लागू रहेंगे।</p> <p>परन्तु यह कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, दोहरे नियोजन के लिए</p>

		कर्मकारों की किसी भी श्रेणी और शर्तों को जोड़ सकती है।
धारा 31 की उप-धारा (2) के अधीन कार्य की अवधि की नोटिस	54.	<p>(1) शिफ्ट प्रणाली में काम करने वाले श्रमिकों को उपयुक्त रूप से चक्रानुक्रम किया जायेगा। एक ही शिफ्ट में काम करने वाले कर्मकारों के काम की अवधि भी तय की जाएगी। काम की ऐसी अवधि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को सूचित किया जाएगा।</p> <p>(2) वयस्क कर्मकारों के लिए काम की अवधि की सूचना संहिता और नियमावली के उपबंधों के अनुसार प्रपत्र-13 में होगी और इसे मुख्य प्रवेश द्वार पर या उसके पास प्रतिष्ठान में सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा और इस तरह के नोटिस को संबंधित निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा। इसे संहिता की धारा 31 के उपबंधों के अधीन भी अद्यतन भी रखा जाएगा।</p> <p>(3) उपरोक्त उप-नियम (2) में उल्लिखित नोटिस स्पष्ट रूप से प्रत्येक दिन के लिए इंगित करेगा, जिस अवधि के दौरान एक वयस्क कर्मचारी को काम करने की आवश्यकता हो सकती है।</p> <p>(4) किसी भी व्यक्ति को उप-नियम (2) के अलावा किसी अन्य अनुसार किसी प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p> <p>परंतु यह कि यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अतिकाल पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे घंटे की अवधि और ऐसे कर्मचारी का विवरण सहजदृश्य स्थान पर प्रबंधक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रदर्शित किया जाएगा।</p> <p>(5) किसी भी प्रतिष्ठान में कार्य प्रणाली में कोई भी प्रस्तावित परिवर्तन, जिसके लिए उप-नियम (2) में निर्दिष्ट नोटिस में परिवर्तन की आवश्यकता होगी, निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।</p> <p>(6) किसी भी वयस्क कर्मकार को कारखाने में प्रदर्शित वयस्कों के लिए काम की अवधि की सूचना और प्रतिष्ठान के वयस्क कर्मकारों के रजिस्ट्रों में उसके नाम के समक्ष पहले से की गई प्रविष्टियों के अलावा किसी अन्य तरीके से किसी भी प्रतिष्ठान में काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>

अध्याय-छह
रजिस्ट्रों, अभिलेखों और विवरणियों का अनुरक्षण

<p>धारा 33 के अधीन रजिस्ट्रों और अभिलेखों का अनुरक्षण</p>	<p>55.</p>	<p>(1) प्रत्येक अधिष्ठान का नियोक्ता संहिता या नियमावली में यथाविहित अभिलेख, रजिस्टर, परीक्षण प्रमाण पत्र, परीक्षाएं, प्रपत्र, रिपोर्ट, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से अन्यथा असुरक्षित करेगा। ये अधिष्ठान के परिसर में सहजरूप से उपलब्ध होंगे।</p> <p>(2) मैनुअल रजिस्ट्रों और अन्य अभिलेखों के मामले में, उन्हें हिंदी/अंग्रेजी में स्याही में या नियोजित अधिकांश व्यक्तियों द्वारा आसानी से समझी जाने वाली भाषा में सुपाठ्य रूप से दर्ज किया जाएगा।</p> <p>(3) सभी रजिस्ट्रों और अभिलेखों को नियोक्ता द्वारा अंतिम रिपोर्ट या उसमें की गई प्रविष्टि के दिनांक से तीन कैलेंडर वर्षों की अवधि के लिए मूल रूप में संरक्षित किया जाएगा:</p> <p>परंतु कि जब मूल अभिलेख एक वर्ष की समाप्ति से पहले खो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो उसकी सत्य प्रतियां, यदि उपलब्ध हो, निर्धारित अवधि के लिए संरक्षित की जाएंगी;</p> <p>परन्तु यह भी कि सभी रजिस्टर और अभिलेख नियोक्ता द्वारा ऐसे मामलों में अनुरक्षित किये जाएंगे जहां कोई मामला किसी प्राधिकारी के समक्ष या किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष लंबित है, जब तक कि ऐसे मामलों का अंतिम निपटान और आदेशों का निष्पादन न हो जाय।</p> <p>(4) प्रत्येक नियोक्ता सभी रजिस्ट्रों और अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा या मैनुअल रूप से मांग पर निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।</p>
<p>धारा 32 और धारा 33 के अधीन छुट्टी- पुस्तिका</p>	<p>56.</p>	<p>(1) नियोक्ता या प्रबंधक प्रत्येक कर्मचारी को धारा 32 के उपबंधों के अधीन प्रपत्र -14 में एक पुस्तक प्रदान करेगा, जिसे आगे "छुट्टी पुस्तिका" कहा जाएगा।</p> <p>(2) छुट्टी पुस्तिका कर्मकार की संपत्ति होगी और प्रबंधक या उसका एजेंट छुट्टी की तारीखों की प्रविष्टियां या सेवा में रुकावट के अलावा इसकी मांग नहीं करेगा और इसे एक बार में एक सप्ताह से अधिक समय तक नहीं रखेगा। प्रबंधक द्वारा आवश्यक होने पर कर्मकार तीन दिनों के भीतर छुट्टी पुस्तिका जमा करेंगे।</p> <p>(3) यदि कोई कर्मकार अपनी छुट्टी पुस्तिका खो देता है, तो प्रबंधक मजदूरी संहिता अधियिम, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2019)</p>

		की धारा-21 के अधीन उसे दस रुपये के भुगतान पर एक और प्रति प्रदान करेगा, और इसे उसके रिकॉर्ड से पूरा करेगा।												
धारा 32 और धारा 33 के अधीन मजदूरी के साथ छुट्टी	57.	नियोक्ता या प्रबंधक संहिता की धारा 32 के उपबंधों के अधीन प्रपत्र-15 में प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक रजिस्टर रखेगा, जिसे आगे "मजदूरी संहिता छुट्टी रजिस्टर" कहा जायेगा, जो साप्ताहिक, या पाक्षिक या महीने में कम से कम एक बार भरा जाएगा।												
धारा 33 के अधीन अतिकाल रजिस्टर	58.	<p>(1) नियोक्ता या प्रबंधक इस उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 के अधीन यथा विहित प्रारूप में संहिता की धारा 27 उपबंधों के अधीन कर्मकार के अतिकाल कार्य के लिए एक रजिस्टर बनाए रखेंगे।</p> <p>(2) काम की सामान्य निर्दिष्ट अवधि से परे किसी कर्मकार द्वारा किया गया कोई भी कार्य, अतिकाल पर्ची में दो प्रतियों में दर्ज किया जाएगा, जिसमें उसके द्वारा काम किए गए अतिकाल की वास्तविक अवधि को दर्शाया जाएगा। इस तरह के अतिकाल पर्ची की एक प्रति प्रबंधक द्वारा या उस संबंध में उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित अतिकाल कार्य पूरा होने के तुरंत बाद कर्मकारों को दी जाएगी:</p> <p>परंतु कि यदि संहिता की धारा 111 के अधीन नियुक्त अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि कारखाने में किए गए कार्य की प्रकृति के कारण, कर्मकारों को दैनिक पर्ची जारी करना संभव नहीं है, तो वह निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता की सिफारिश पर कर्मकारों श्रमिकों को साप्ताहिक पर्ची जारी करने की अनुमति दे सकता है।</p> <p>(3) अतिकाल पर्ची निम्नलिखित प्रारूप में रखी जाएगी: -</p> <p style="text-align: center;">अतिकाल पर्ची</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>अधिष्ठान का नाम और पता</td> <td></td> </tr> <tr> <td>कर्मकार का नाम और पदनाम</td> <td></td> </tr> <tr> <td>कार्य का दिनांक और कार्य की सामान्य अवधि</td> <td></td> </tr> <tr> <td>अतिकाल अवधि और घंटों में अवधि</td> <td></td> </tr> <tr> <td>अतिकाल पर किया गया कार्य</td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्रबंधक/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर</td> <td></td> </tr> </table>	अधिष्ठान का नाम और पता		कर्मकार का नाम और पदनाम		कार्य का दिनांक और कार्य की सामान्य अवधि		अतिकाल अवधि और घंटों में अवधि		अतिकाल पर किया गया कार्य		प्रबंधक/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर	
अधिष्ठान का नाम और पता														
कर्मकार का नाम और पदनाम														
कार्य का दिनांक और कार्य की सामान्य अवधि														
अतिकाल अवधि और घंटों में अवधि														
अतिकाल पर किया गया कार्य														
प्रबंधक/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर														
धारा 33 की उप-धारा (क) के खंड (पांच) के अधीन कर्मकार रजिस्टर	59.	<p>(1) प्रत्येक अधिष्ठान का प्रबंधक या नियोक्ता, कर्मकारों का एक रजिस्टर बनाए रखेगा, जब कारखाने में कोई कार्य किया जा रहा हो, जिसमें निम्नलिखित दिखाया गया हो-</p> <p>(क) कारखाने में प्रत्येक कर्मचारी का नाम;</p> <p>(ख) उनके काम की प्रकृति;</p> <p>(ग) समूह, यदि कोई हो, जिसमें वह सम्मिलित है;</p>												

		<p>(घ) जहां उनका समूह शिफ्ट में काम करता है, वह रिले जिसके लिए उन्हें आवंटित किया जाता है;</p> <p>(ङ) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जायं।</p> <p>(2) किसी भी कर्मकार को किसी भी अधिष्ठान में कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी या अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसका नाम और अन्य विवरण कर्मकार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया हो।</p> <p>(3) कर्मकार रजिस्टर या उपस्थिति रजिस्टर प्रपत्र-6 में रखा जाएगा।</p> <p>(4) यह रजिस्टर एक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या चिकित्सा अधिकारी द्वारा मांग पर प्रस्तुत या दिखाया जाएगा। नियोक्ता या प्रबंधक ऐसी मांग पर रजिस्टर के प्रस्तुत किये जाने हेतु जिम्मेदार होगा, इस तथ्य के बावजूद कि वह निरीक्षण के दौरान अधिष्ठान में उपस्थित है या नहीं।</p> <p>(5) किशोर कर्मकारों के लिए एक रजिस्टर, यदि कोई नियोजित हो, को भी प्रपत्र -6 में अलग से रखा जाएगा और इसे "किशोर श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर" के रूप में लेबल किया जाएगा।</p> <p>(6) यदि कोई व्यक्ति भोजन या विश्राम के अंतराल के अलावा किसी समय किसी कारखाने में पाया जाता है, जब काम प्रगति पर है या मशीनरी चालू है, तो, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, उसे संहिता और तद्दीन बनायी गयी नियमावली के प्रयोजनों के लिए उस समय कारखाने में नियोजित माना जाएगा।</p>
धारा 10, धारा 11 और धारा 33 के अधीन दुर्घटना रजिस्टर	60.	प्रत्येक अधिष्ठान का नियोक्ता या प्रबंधक इस नियमावली के नियम 15 और 16 के अधीन यथाविहित अधिष्ठान में होने वाली सभी दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं का एक रजिस्टर प्रपत्र-16 में एक रजिस्टर में रखेगा।
धारा 33 और मजदूरी संहिता, 2019 के उपबंधों के अधीन मजदूरी पर्ची और भुगतान	61.	<p>(1) प्रत्येक नियोक्ता मजदूरी भुगतान से पहले या उस दिन कर्मकारों को ऐसे प्रपत्र में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा मजदूरी पर्ची जारी करेगा, जैसा कि मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2019) के अधीन उपयुक्त सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया गया है।</p> <p>(2) अतिकाल कार्य के भुगतान के लिए वेतन पर्ची नियमित मजदूरी से अलग होगी और इसमें कर्मकार द्वारा किए गए अतिकाल कार्य घंटों का उल्लेख किया जाएगा।</p>
धारा 33 के अधीन विवरणी	62.	<p>प्रत्येक अधिष्ठान का नियोक्ता या प्रबंधक इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा संबंधित अधिकारिता वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित विवरणी प्रस्तुत करेगा: -</p> <p>(अ) प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को या उससे पूर्व प्रपत्र 17 में वार्षिक विवरणी;</p>

		<p>(आ) प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को या उससे पूर्व 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के लिए प्रपत्र-18 में एक बड़ी दुर्घटना जोखिम अधिष्ठान के मामले में अर्ध-वार्षिक विवरणी:</p> <p>परंतु यह कि किसी ऐसे अधिष्ठान के मामले में जिसमें वर्ष के किसी निश्चित मौसम या मौसमों के दौरान कार्य किया जाता है, नियोक्ता या प्रबंधक यथास्थिति उस मौसम के या इन मौसमों में अंतिम मौसम के समाप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर विवरणी प्रस्तुत करेगा।</p>
धारा 33 के अधीन नोटिस का प्रदर्शन	63.	<p>(1) इस संहिता या नियम द्वारा या उसके अधीन किसी भी अधिष्ठान में प्रदर्शित किए जाने वाले आवश्यक नोटिसों के अलावा, प्रत्येक अधिष्ठान में धारा 18, धारा 23 और धारा 24 के अधीन स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण उपबंधों के लिए निर्धारित संहिता, अधिसूचनाओं और केन्द्रीय सरकार के नियमों के ऐसे सार वाले एक नोटिस प्रदर्शित किया जाएगा और मुख्य बिंदुओं के साथ ऐसे सार में अन्यून 2000 शब्द होंगे। अधिकारिता वाले संबंधित निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता का नाम और कार्यालय का पता भी प्रदर्शित किया जाएगा।</p> <p>(2) किसी अधिष्ठान में इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदर्शित किए जाने के लिए आवश्यक सभी नोटिस हिंदी और अंग्रेजी में होंगे और किसी सहजदृश्य और सुविधाजनक स्थान पर, नोटिस बोर्ड पर और कारखाने के मुख्य प्रवेश द्वार पर या उसके पास प्रदर्शित किए जाएंगे, और इसे साफ और सुपाठ्य स्थिति में बनाए रखा जाएगा।</p> <p>(3) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, किसी कारखाने या भवन या अन्य निर्माण कार्य के नियोक्त या प्रबंधक को लिखित रूप में दिए गए आदेश द्वारा, यह अपेक्षा कर सकता है कि कारखाने में कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कोई अन्य नोटिस या पोस्टर कारखाने में प्रदर्शित किया जाएगा।</p> <p>(4) प्रत्येक नियोक्ता और प्रबंधक प्रत्येक अधिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर किसी भी रंग के सफेद या चमकदार पेंट में लिखे गए विशिष्ट अक्षरों के साथ एक चित्रित साइन बोर्ड प्रदर्शित करेगा, जो निम्नलिखित विवरणों को बताते हुए बाहर से दिखाई देता है:</p> <p>(क) अधिष्ठान का रजिस्ट्रीकरण या लाइसेंस संख्या;</p> <p>(ख) अधिष्ठान का नाम;</p> <p>(ग) अधिष्ठान का पता (प्लॉट नंबर, इलाका, गली नंबर, पिन कोड आदि देना);</p> <p>(घ) नियोक्ता का नाम;</p> <p>(ङ) प्रबंधक का नाम।</p>
यदि कर्मकार की मृत्यु हो जाती है तो मजदूरी का भुगतान और धारा 133 की उप-धारा (2) के खंड (यप	64.	<p>(1) जहां किसी कर्मकार की कार्य पुनः प्रारंभ करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो मजदूरी सहित छुट्टी की अवधि के लिये देय उसके वेतन की शेष धनराशि, जिसको प्राप्त नहीं किया गया हो, संहिता की धारा-32 की उपधारा (1) के खण्ड (छह) के अनुसार कर्मकार की मृत्यु के एक माह के</p>

ध) के अधीन प्रपत्र		भीतर उसके नामनिर्देशिती को भुगतान किया जायेगा। (2) प्रत्येक कर्मकार को प्रपत्र-19 में एक नामनिर्देशन प्रस्तुत करना होगा, जिस पर उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाएंगे और दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। नामनिर्देशन तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे संशोधित या किसी अन्य नामनिर्देशन द्वारा रद्द नहीं किया जाता है।
रजिस्ट्रों का प्रस्तुत किया जाना	65.	(1) किसी अधिष्ठान का नियोक्ता, स्वामी या प्रबंधक ऐसी कोई भी जानकारी प्रस्तुत करेगा जिसकी आवश्यकता एक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से हो सकती है कि क्या संहिता के किसी उपबंध का अनुपालन किया गया है या क्या किसी निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के किसी आदेश का विधिवत पालन किया गया है। निरीक्षण के दौरान ऐसी किसी भी जानकारी के लिए एक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा की गई कोई भी मांग, यदि की जाती है, यदि सूचना अधिष्ठान में उपलब्ध है, तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाएगा या, यदि लिखित रूप में की गई है, तो उसकी प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर अनुपालन किया जाएगा। (2) संहिता और नियमावली के अधीन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी रजिस्टर, प्रपत्र, प्रमाण पत्र, अभिलेख को कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा, जिससे वे संबंधित हैं, जिसमें कर्मकारों के परीक्षण और चिकित्सा परीक्षा के अभिलेख सम्मिलित हैं। (3) उन कर्मचारियों के चिकित्सा अभिलेख जो किसी भी अधिसूचित रोग से ग्रस्त हो गये थे या उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था या किसी भी उपजीविकाजन्य रोग या दुर्घटना से पीड़ित थे, उन्हें पांच वर्ष के लिए संरक्षित किया जाएगा।

अध्याय-सात
निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और अन्य प्राधिकरण

धारा 34 की उप-धारा (5) के अधीन मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के पद के लिए अर्हता और अनुभव	66.	संहिता के अधीन विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के पद के लिए अर्हता निम्नानुसार होगी: -			
		क्र.सं.	अधिष्ठान का नाम	अर्हता और अनुभव	अधिकारिता
		1	संविदा श्रम	उत्तर प्रदेश श्रम सेवा नियमावली, 1991 के अनुसार अपर श्रम आयुक्त, प्रवर्तन (मुख्यालय)	संपूर्ण उत्तर प्रदेश
2	अंतर-राज्यीय	उत्तर प्रदेश श्रम सेवा नियम,	संपूर्ण उत्तर		

		प्रवासी कर्मकार	1991 के अनुसार अपर श्रम आयुक्त, प्रवर्तन (मुख्यालय)	प्रदेश
	3	ऑडियो-विजुअल कर्मकार	उत्तर प्रदेश श्रम सेवा नियम, 1991 के अनुसार अपर श्रम आयुक्त, प्रवर्तन (मुख्यालय)	संपूर्ण उत्तर प्रदेश
	4	बीड़ी और सिगार कर्मकार	उत्तर प्रदेश श्रम सेवा नियम, 1991 के अनुसार अपर श्रम आयुक्त, प्रवर्तन (मुख्यालय)	संपूर्ण उत्तर प्रदेश
	5	भवन और अन्य सत्रिनिर्माण कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण से संबंधित उपबंध	उत्तर प्रदेश श्रम सेवा नियम, 1991 के अनुसार अपर श्रम आयुक्त, प्रवर्तन (मुख्यालय)	संपूर्ण उत्तर प्रदेश
	6	भवन और अन्य सत्रिनिर्माण कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण से संबंधित उपबंध	कारखाना निदेशक, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश बॉयलर और कारखाना सेवा नियम, 1980 में बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कारखाना निदेशक के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति।	संपूर्ण उत्तर प्रदेश
	7	कारखाने	कारखाना निदेशक, उत्तर प्रदेश समय-समय पर संशोधित "उत्तर प्रदेश बॉयलर और कारखाना सेवा नियम 1980" में बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कारखाना निदेशक के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति।	संपूर्ण उत्तर प्रदेश
	8	योजना	उत्तर प्रदेश श्रम सेवा नियम, 1991 के अनुसार अपर श्रम आयुक्त, प्रवर्तन (मुख्यालय)	संपूर्ण उत्तर प्रदेश
	9	अन्य	उत्तर प्रदेश श्रम सेवा नियम,	संपूर्ण उत्तर प्रदेश

		अधिष्ठानों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के अतिरिक्त अन्य से संबंधित उपबंध	1991 के अनुसार अपर श्रम आयुक्त, प्रवर्तन (मुख्यालय)	प्रदेश
		10 अन्य अधिष्ठानों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण से संबंधित प्रावधान	कारखाना निदेशक, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश बॉयलर और कारखाना सेवा नियम, 1980 में बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कारखाना निदेशक के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति।	संपूर्ण उत्तर प्रदेश
		परन्तु यह कि यदि कारखाना निदेशक का पद किसी कारण से रिक्त पड़ा है तो राज्य सरकार किसी उपयुक्त व्यक्ति को कारखाना निदेशक का प्रभार प्रदान कर सकती है जो उप कारखाना निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।		
धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (चार) के अधीन निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता की शक्तियां	67	<p>एक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को संहिता की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (चार) के प्रयोजन के लिए, वृक्षारोपण के संबंध में निम्नलिखित सभी या किसी भी काम को करने की शक्ति होगी अर्थात्:-</p> <p>(क) किसी बाल कर्मकार की तस्वीर लेने के लिए; निरीक्षण, जांच, माप के लिए नमूने लेना; किसी भी सुसंगत दस्तावेज, फोटोग्राफ, स्केच या परीक्षण, जैसा भी मामला हो, किसी भी घर, भवन या कमरे, या बागान में कार्यरत कर्मकारों के स्वास्थ्य या कल्याण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रदान की गई किसी भी चीज की प्रतियां लेना और संहिता और इन नियमावली के अधीन बनाए गए किसी भी रजिस्टर या दस्तावेज का निरीक्षण करने या प्रतियां लेना;</p> <p>(ख) किसी नियोजक से संहिता या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों से संबंधित कोई विवरणी या सूचना प्रदान करने या भेजने की मांग करना;</p> <p>(ग) प्रत्येक निरीक्षण पर खुद को संतुष्ट करना, कि:-</p> <p>(एक) बागान में नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य और कल्याण के संबंध में संहिता और नियमावली के उपबंधों का पालन किया जाता है;</p> <p>(दो) बागान में नियोजित किशोरों को समर्थता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं और यह कि कोई भी किशोर जो अयोग्य है; नियोजित</p>		

		<p>नहीं है</p> <p>(तीन) मजदूरी संहिता, 2019 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के अधीन विहित रजिस्ट्रारों और अभिलेखों का उचित अनुरक्षण किया जाता है;</p> <p>(चार) संहिता द्वारा प्रदान की गई विश्राम और छुट्टियों की अवधि प्रदान की जाती है और इसमें निर्धारित कार्य के घंटों की सीमा को पार नहीं किया जाता है;</p> <p>(पांच) अपेक्षित कार्य की अवधि की सूचना विधिवत चिपकाई जाती है;</p> <p>(छह) मजदूरी और बीमारी के साथ छुट्टी और प्रसूति लाभ संहिता और लागू अन्य श्रम विधियों के उपबंधों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं;</p> <p>(सात) यह नोट करने के लिए कि पिछले निरीक्षणों में इंगित किए गए दोषों को कितना दूर किया गया है और पहले जारी किए गए आदेशों का कितना अनुपालन किया गया है; तथा</p> <p>(आठ) ऐसे सभी दोषों या अनियमितताओं को इंगित करना जो वह पाता है</p> <p>और उन्हें हटाने के लिए आदेश देना और नियोजक को दोषों या अनियमितताओं और उनके आदेशों का सारांश अभिलिखित करना और प्रस्तुत करना।</p>
<p>धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (चौदह) के अधीन निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता की शक्तियां</p>	<p>68.</p>	<p>(1) एक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को संहिता और नियमावली के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए, संहिता की धारा 35 में विनिर्दिष्ट सभी या कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी।</p> <p>परन्तु यह कि लोक अधिकारियों, जो समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश बॉयलर और कारखाना सेवा नियम, 1980 समय-समय पर यथासंशोधित में कारखाना निरीक्षक के पद के लिए नियुक्त नहीं किए गए हैं की शक्तियां, जैसा कि धारा 34 के अधीन निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को नियत की जाती है या अन्यथा धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख), भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित कारखानों और अधिष्ठानों में संहिता के अध्याय XI की धारा 10, धारा 11, धारा 18, धारा 22, धारा 26, धारा 31, धारा 33 की उप-धारा (घ), धारा 37, धारा 43, भाग VIII के उपबंधों का प्रशासन करेंगी।</p> <p>संहिता व तद्वर्ती बनायी गयी नियमावली के अधीन सुरक्षा और स्वास्थ्य से सम्बंधित अन्य उपबंध:</p> <p>(2) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता निरीक्षणों, पूछताछ, आदेशों और उनके अनुपालनों के अभिलेखों की एक फाइल रखेगा।</p> <p>(3) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, जैसा कि वह आवश्यक समझे, अधिष्ठान के नियोजक या अधिमानी को प्रपत्र-20 में प्रतिषेध आदेश या सुधार नोटिस जारी कर सकेगा, जिसमें संहिता के अधीन सुरक्षा,</p>

		<p>स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों के उपबंधों और तद्दीन बनायी गयी नियमावली और विनियमावली के गैर-अनुपालन को इंगित किया गया हो।</p> <p>परंतु यह कि इस तरह के आदेश या नोटिस प्राप्त करने के बाद, नियोजक/अधिभोगी यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त आदेश/नोटिस के अधीन उल्लिखित उल्लंघनों का अनुपालन किया गया है और वह अधिष्ठान का पुनः निरीक्षण करने के लिए संबंधित निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को प्रपत्र-20 पर एक अनुरोध भेजेगा।</p> <p>परन्तु यह भी कि इस तरह के अनुरोध को प्राप्त करने के बाद निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, यदि वह उचित समझता है, तो अधिष्ठान का पुनः निरीक्षण कर सकता है और यदि उसे पता चलता है कि पूर्वोक्त आदेश या नोटिस में उसके द्वारा देखे गए उल्लंघनों का अनुपालन नहीं किया गया है, तो वह ऐसे अपराध के शमन की प्रक्रिया शुरू करेगा, यदि ऐसा उल्लंघन शमनीय है, या वह अभियोजन की स्वीकृति देने के लिए निरीक्षण अधिकारी से एक रैक ऊपर के व्यक्ति को या मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को जैसा भी मामला हो रिपोर्ट भेजेगा। अभियोजन पक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने पर, वह संहिता के उपबंधों और तद्दीन बनायी गयी नियमावली के अनुसार सक्षम न्यायालय के समक्ष अभियोजन शुरू करेगा।</p>
<p>धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (दस) के अधीन नमूने लेने की रीति</p>	<p>69.</p>	<p>(1) एक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, किसी भी समय अधिष्ठान के अधिभोगी या अधिष्ठान के प्रबंधक या अन्य व्यक्ति जो उस समय अधिष्ठान का प्रभारी होने का दावा करता है को सूचित करने के पश्चात् सामान्य कार्य घंटों के दौरान, इस रीति से नमूने ले सकता है, जिससे अधिष्ठान में उपयोग किये गये या उपयोग किये जाने हेतु आशयित किसी पदार्थ का पर्याप्त नमूना प्राप्त हो जाये, ऐसा उपयोग इस प्रकार किया जा रहा हो:</p> <p>(क) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता कर्ता के विश्वास में, संहिता के किसी भी उपबंध या तद्दीन बनायी गयी नियमावली के उल्लंघन में; या</p> <p>(ख) निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता की राय में, अधिष्ठान में कर्मकार को शारीरिक क्षति, स्वास्थ्य की समस्त क्षति पहुंचने की संभावना है।</p> <p>(2) जहां निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता उप-नियम (1) के अधीन एक नमूना लेता है, वह उस उप-नियम के अधीन सूचित व्यक्ति की उपस्थिति में, जब तक कि ऐसा व्यक्ति जानबूझकर स्वयं अनुपस्थित न हो, नमूने को तीन भागों में विभाजित करेगा और प्रभावी रूप से सील करेगा और उन्हें उपयुक्त रूप से चिह्नित करेगा, और ऐसे व्यक्ति को अपनी मुहर और निशान लगाने की अनुमति देगा।</p> <p>(3) पूर्वोक्त के रूप में सूचित व्यक्ति, यदि निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता</p>

		<p>की अपेक्षा करें, तो इस नियम के अधीन लिए गए नमूने को विभाजन, अधिकतम सीमा और अंकन के लिए उपकरण प्रदान करेगा।</p> <p>(4) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता -</p> <p>(क) उप-नियम (1) के अधीन सूचित व्यक्ति को नमूने का एक भाग तुरंत देगा,</p> <p>(ख) दूसरे भाग को विश्लेषण और उस पर रिपोर्ट के लिए एक सरकारी विश्लेषक को;</p> <p>(ग) तीसरे भाग को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए बनाए रखेगा, जिसके पहले पदार्थ के संबंध में कार्यवाही, यदि कोई हो, संस्थित की जाती है।</p> <p>(5) इस नियम के अधीन विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए उसे प्रस्तुत किए गए किसी पदार्थ पर किसी सरकारी विश्लेषक के हाथ में रिपोर्ट होने का तात्पर्य रखने वाला कोई दस्तावेज, पदार्थ के संबंध में संस्थित किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है।</p>
धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (पन्द्रह) के अधीन कर्तव्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के कर्तव्य	70.	<p>(1) सभी निरीक्षण अधिकारी, यदि नियोजक या अधिष्ठान के प्रबंधक द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा जारी किए गए प्राधिकृत पहचान पत्र प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>(2) धारा 42 के अधीन नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के लिए पहचान पत्र निदेशक सेवार्थें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य या श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश या उनके संबंधित नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाएंगे। निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के लिए, पहचान पत्र श्रम आयुक्त या मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा जारी किए जा सकते हैं।</p>
धारा 37 के अधीन तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक	71.	<p>(1) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता धारा 37 के प्रयोजन के लिए किसी तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षक या किसी संस्था को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मान्यता दे सकता है।</p> <p>(2) तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक दो प्रकार का होगा: -</p> <p>(क) श्रम विधि लेखा परीक्षक जो संहिता की धारा 2 (1) (फ) के अधीन स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के अलावा अन्य उपबंधों के लिए अधिष्ठान की लेखा परीक्षा करेगा।</p> <p>(ख) तकनीकी व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, लेखा परीक्षक जो संहिता की धारा 2 (1) (ब) के अधीन अधिष्ठान के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के उपबंधों के लिए अधिष्ठान की लेखा परीक्षा करेगा।</p> <p>(3) तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा फर्मों के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित होंगे-</p> <p>(क) फर्म को कंपनी अधिनियम, 2013, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 जैसे उपयुक्त विधिक ढांचे के अधीन भारत में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, जिसमें स्वामित्व या साझेदारी होनी</p>

	<p>चाहिए।</p> <p>(ख) फर्म को श्रम विभाग के साथ रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए;</p> <p>(ग) श्रम विधि लेखा परीक्षा फर्म के पास श्रम विधियों में अर्ह अनुभव होना चाहिए और तकनीकी व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लेखा परीक्षा फर्म को कारखाना अधिनियम, 1948 और इसके संबंधित नियमों के अधीन लेखा परीक्षा का अनुभव होना चाहिए।</p> <p>(4) तृतीय पक्ष श्रम विधि लेखा परीक्षक या विशेषज्ञ के पास निम्नलिखित अर्हताएं होंगी: -</p> <p>विधि में स्नातक उपाधि और श्रम विधियों कानूनों के न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव;</p> <p>या</p> <p>विधि स्नातक उपाधि और एक विधि व्यवसायी के रूप में न्यूनतम कम 7 वर्ष का अनुभव;</p> <p>या</p> <p>उत्तर प्रदेश राज्य का एक सेवानिवृत्त अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त या केन्द्रीय सरकार का समकक्ष अधिकारी जिसे उस क्षमता में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>(5) तृतीय पक्ष तकनीकी/व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, लेखा परीक्षक या विशेषज्ञ के पास निम्नलिखित अर्हताएं होंगी: -</p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से केमिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल या प्रोडक्शन या एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग की शाखा में उपाधि और अन्यून बारह वर्षों की अवधि के लिए कारखानों में या व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्यवेक्षी क्षमता में या उससे ऊपर, की विनिर्माण, अनुरक्षण या सुरक्षा विभाग में व्यावहारिक अनुभव हो; या</p> <p>(ख) केमिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल या प्रोडक्शन या एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग की शाखा में डिप्लोमा और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा और अन्यून पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए कारखानों में पर्यवेक्षी क्षमता में या उससे ऊपर, विनिर्माण, अनुरक्षण या सुरक्षा विभाग में व्यावहारिक अनुभव हो; या</p> <p>(ग) भौतिकी या रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान स्नातक में उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा और अन्यून पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए कारखानों में पर्यवेक्षक या उससे ऊपर के पद पर अधिष्ठान के विनिर्माण, अनुरक्षण या सुरक्षा विभाग में व्यावहारिक अनुभव हो; या</p> <p>(घ) इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में डिग्री या डिप्लोमा और अन्यून दस साल की अवधि के लिए अनिम्न सहायक निदेशक के पद की क्षमता में डीजीएफएएसएलआई के अधीन कारखाना निदेशालय</p>
--	---

		<p>या केंद्रीय / क्षेत्रीय श्रम संस्थानों में अनुभव हो, या</p> <p>(इ) किसी भी संयोजन में उपर्युक्त चार खंडों का कोई समकक्ष परन्तु यह कि अर्हताओं और अनुभवों की समकक्षता के संबंध में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।</p> <p>(6) विशेषज्ञ या तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।</p> <p>(7) तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक या विशेषज्ञ का पैनल एक बार में 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा।</p>
धारा 38 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (घ) के अधीन वैकल्पिक नियोजन की रीति	72.	<p>(1) अधिभोगी का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को वैकल्पिक नियोजन प्रदान करे जिसका नियोजन धारा 38 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (क) के अधीन आदेश से प्रभावित हुआ हो, यदि उसी नियोजक का कोई अन्य अधिष्ठान सौ किलोमीटर की त्रिज्या में मौजूद हो।</p> <p>(2) वैकल्पिक नियोजन की पेशकश केवल तभी की जा सकती है जब आदेश से प्रभावित रोजगार की अवधि पंद्रह दिन या उससे अधिक हो।</p> <p>(3) ऐसे व्यक्तियों को ऐसे आदेश की वास्तविक तारीख से कम से कम तीन दिन पहले नोटिस दिया जाएगा।</p> <p>(4) ऐसे व्यक्ति की हानि के लिए मजदूरी और अन्य सुविधाएं प्रभावित नहीं होंगी।</p>
धारा 42 के अधीन चिकित्सा अधिकारी की अर्हता	73.	<p>(1) एक चिकित्सक के पास एक कारखाने, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य, बागान, मोटर परिवहन उपकरणों और किसी भी अन्य अधिष्ठानों के संबंध में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए: -</p> <p>(क) राष्ट्रीय चिकित्सक व्यवसायी आयोग अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2019) में यथा परिभाषित कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होना चाहिए और धारा 2 के खंड (ड) में यथापरिभाषित राष्ट्रीय रजिस्टर पर या पूर्वोक्त अधिनियम की धारा (2) के खण्ड (फ) में यथा यथा परिभाषित राज्य रजिस्टर पर नामांकित होना चाहिए और</p> <p>(ख) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम तीन महीने की अवधि के औद्योगिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए या औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा या जोखिमपूर्ण प्रक्रिया या खतरनाक संक्रिया वाले कारखानों या भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यों के मामले में समकक्ष होना चाहिए।</p> <p>(2) कोई भी व्यक्ति किसी चिकित्सा अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त, या प्राधिकृत नहीं किया जाएगा, या इस प्रकार नियुक्त या प्राधिकृत किया गया व्यक्ति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जारी नहीं रखेगा, जो किसी कारखाने का अधिभोगी है या बन</p>

		<p>जाता है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें या उसके साथ जुड़े किसी पेटेंट या मशीनरी में उस पर किए गए किसी भी प्रक्रिया या कारबार में रूचि रखता है या अन्यथा कारखाने के कर्मचारी:- परन्तु यह कि राज्य सरकार, लिखित रूप में आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को किसी कारखाने या वर्ग या कारखानों के विवरण के संबंध में इस उप-नियम के उपबंधों से छूट दे सकती है।</p>
<p>अधिष्ठानों के प्रकार, खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रियाएँ जहां चिकित्सा अधिकारी धारा 42 के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।</p>	74.	<p>(1) चिकित्सा अधिकारी ऐसी जांच करेगा और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जैसा कि राज्य सरकार निदेश दे: -</p> <p>(क) संहिता की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रियाओं में एक अधिष्ठान में कर्मचारों की जांच और प्रमाणन के लिए;</p> <p>(ख) किसी भी अधिष्ठान या अधिष्ठान के वर्ग के चिकित्सा पर्यवेक्षण के लिए जहां पुरानी व्यावसायिक बीमारी के मामले किसी भी प्रक्रिया की कठिन प्रकृति या काम की खतरनाक स्थिति के कारण हुए हैं;</p> <p>(ग) किसी भी अधिष्ठान या अधिष्ठान के वर्ग या अधिष्ठान के विवरण के संबंध में जिसमें किसी भी व्यक्ति या वर्ग या उसमें नियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य को क्षति के जोखिम वाली सक्रियाएँ सम्मिलित हैं;</p> <p>(घ) किसी भी अधिष्ठान के किसी भी वर्ग के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण करना, जहां बीमारी के मामले हुए हैं या संहिता की तीसरी अनुसूची में यथाविहित बीमारी की व्यापकता है;</p> <p>(2) चिकित्सा अधिकारी, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या एक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता की मांग पर किसी भी कारखाने या वर्ग या कारखानों के विवरण के लिए, ऐसी जांच करेगा और उसे ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जैसा वह प्रदर्शित करें, -</p> <p>(क) बीमारी के मामले हुए हैं जिससे यह विश्वास करना उचित है कि ये विनिर्माण प्रक्रिया की प्रकृति, या उसमें प्रचलित काम की अन्य स्थितियों के कारण हैं; या</p> <p>(ख) विनिर्माण प्रक्रिया में किसी भी परिवर्तन के कारण, या उसमें उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में, या किसी भी नई विनिर्माण प्रक्रिया को अपनाने या विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग में लाए गए किसी भी नए पदार्थ के कारण, उस विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित कर्मचारों के स्वास्थ्य को क्षति होने की संभावना है; या</p> <p>(ग) युवा व्यक्ति किसी ऐसे काम में नियोजित है या होने वाले हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की संभावना है।</p> <p>(3) किशोरों की जांच और प्रमाणन समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जाएगा।</p>

		<p>(4) कर्मकारों के चिकित्सा परीक्षण के प्रयोजन हेतु खतरनाक संक्रियाएँ या खतरनाक प्रक्रियाएँ होंगी जो निम्नलिखित में कार्यरत हैं, अर्थात् -</p> <p>(एक) संहिता की धारा 82 के अधीन संक्रिया को खतरनाक संक्रिया घोषित किया गया;</p> <p>(दो) संहिता की पहली अनुसूची के अनुसार खतरनाक प्रक्रिया को कराने वाले कारखाने;</p> <p>(तीन) बायोमैडिकल कचरे का उपचार;</p> <p>(चार) सीवरेज उपचार;</p> <p>(पाँच) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन;</p> <p>(छः) संगमरमर काटन;</p> <p>(सात) तैयार मिश्रण कंक्रीट;</p> <p>(आठ) गर्म मिश्रण कंक्रीट;</p> <p>(नौ) ऐसे अन्य व्यवसाय या प्रक्रिया, जिन्हें राज्य/ सरकार द्वारा समय-समय पर खतरनाक संक्रिया घोषित किया जाए,</p> <p>(5) चिकित्सा अधिकारी उप-नियम (3) के अधीन प्रक्रियाओं में नियोजित व्यक्तियों की जांच कर सकेगा और अपनी परीक्षा के परिणामों को स्वास्थ्य रजिस्टर में प्रपत्र-7 में अभिलिखित करेगा।</p> <p>(6) यदि चिकित्सा अधिकारी अपनी जांच के परिणामस्वरूप पाता है कि ऐसी प्रक्रिया में नियोजित कोई व्यक्ति अब उस प्रक्रिया में कार्य करने के लिए चिकित्सा कारणों से उपयुक्त नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को उस प्रक्रिया में काम करने से ऐसे समय के लिए जो वह उचित समझे रोक देगा और इस तरह रोकने के बाद किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य रजिस्टर में चिकित्सा अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना उस प्रक्रिया में नियोजित नहीं किया जाएगा।</p> <p>(7) किसी कारखाने का प्रबंधक किसी भी प्रक्रिया का जिसमें कोई व्यक्ति नियोजित है या नियोजित होने की संभावना है। निरीक्षण करने के लिए चिकित्सा अधिकारी को सुविधा प्रदान करेगा।</p> <p>(8) चिकित्सा अधिकारी रिपोर्ट/निरीक्षण रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और अधिकारिता वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को भेजेगा।</p> <p>(9) इस नियम के अधीन प्रमाण पत्र या परीक्षा के लिए फीस राज्य सरकार द्वारा विशेष या साधारण आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी और इसका भुगतान नियोजक द्वारा किया जाएगा।</p>
<p>धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन किशोरों की चिकित्सा परीक्षा और प्रमाणन और धारा 93 की उपधारा (2) के अधीन किशोरों के नियोजन के लिए रक्षोपाय</p>	<p>75.</p>	<p>(1) चिकित्सा अधिकारी, किसी किशोर या उसके माता-पिता या अभिभावक के आवेदन पर, किसी अधिष्ठान के नियोजक द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज के साथ कि ऐसे व्यक्ति को उसमें नियोजित किया जाएगा, ऐसे किशोर को किसी अधिष्ठान में काम करने के लिए उपयुक्त होने के लिए प्रमाणित करेगा, या किसी ऐसे अधिष्ठान के नियोजक के आवेदन पर जिसमें कोई किशोर काम करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति की जांच करेगा और उस अधिष्ठान में काम करने के</p>

	<p>लिए उसकी समर्थता अभिनिश्चित करेगा।</p> <p>(2) चिकित्सा अधिकारी, जांच के बाद, ऐसे किशोर को प्रपत्र-8 में या किशोरावस्था में किसी अधिष्ठान में कार्य करने के लिए समर्थता प्रमाण पत्र प्रदान या नवीनीकरण कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि किशोर ने अपना चौदहवां वर्ष पूरा कर लिया है, विहित शारीरिक मानकों को प्राप्त कर लिया है और ऐसे कार्य के लिए उपयुक्त है:</p> <p>परंतु यह कि, चिकित्सा अधिकारी किशोरों की आयु के अवधारण के प्रयोजन से रेडियोलॉजिस्ट, दंत चिकित्सक और आर्थोपेडिक सर्जन जैसा भी मामला हो, जैसे विशेषज्ञों की राय ले सकता है, जैसा भी मामला हो:</p> <p>परंतु यह और कि, जब तक चिकित्सा अधिकारी को उस स्थान का जहां किशोर काम करने का प्रस्ताव करता है और उस विनिर्माण प्रक्रिया के बारे में जिसमें वह नियोजित किया जाएगा, व्यक्तिगत ज्ञान न हो, तब तक वह इस उप-नियम के अधीन एक प्रमाण पत्र प्रदान या नवीनीकृत नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसे स्थान की जांच नहीं करता है।</p> <p>(3) उप-नियम (2) के अधीन दी गई या नवीनीकृत समर्थता प्रमाण पत्र, -</p> <p>(क) उसके दिनांक से केवल बारह महीने की अवधि के लिए वैध होगा;</p> <p>(ख) उस कार्य की प्रकृति के संबंध में शर्तों के अधीन बनाया जा सकता है जिसमें किशोर को नियोजित किया जा सकता है, या बारह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले किशोर की पुनः परीक्षा की आवश्यकता होती है।</p> <p>(4) एक चिकित्सा अधिकारी उप-नियम (2) के अधीन दिए गए या नवीनीकृत किए गए किसी भी प्रमाण पत्र को रद्द कर देगा, यदि उसकी राय में, ऐसे प्रमाण पत्र का धारक अब किसी अधिष्ठान में उसमें उल्लिखित क्षमता में काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है।</p>
--	---

अध्याय-आठ
महिलाओं के नियोजन से संबंधित विशेष उपबंध

<p>धारा 43 के अधीन महिलाओं के नियोजन से संबंधित विशेष उपबंध</p>	<p>76.</p>	<p>महिला कर्मकारों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी भी अधिष्ठान में सुबह 06:00 बजे से पहले और शाम 07:00 बजे के बाद नियोजित किया जा सकता है: -</p> <p>(क) कोई भी महिला कर्मकार सुबह 06:00 बजे से पहले और शाम 07:00 बजे के बाद लिखित रूप में उसकी सहमति के बिना काम करने के लिए बाध्य नहीं होगी;</p> <p>(ख) नियोजक उसके निवास से अधिष्ठान तक आने और वापस जाने के लिए उसके परिवहन हेतु अधिष्ठान की कीमत पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।</p> <p>(ग) नियोजक ऐसी सभी महिला कर्मकारों को रात के खाने का उपबंध करेगा;</p> <p>(घ) नियोजक ऐसे कार्य घंटों और उसकी यात्रा के दौरान पर्याप्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगा;</p> <p>(ङ) नियोजक महिलाओं के लिए अच्छी तरह से अनुरक्षित शौचालय, चेंजिंग रूम, पीने की सुविधाएं, प्रवेश और निकास बिंदु सुनिश्चित करेगा और वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन सुविधाओं के लिए मार्ग अच्छी तरह से प्रकाशित हों और कार्यस्थल के पास हों; और इन सुविधाओं के रास्ते में क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) निगरानी के उपयुक्त प्रावधान अन्यून हो;</p> <p>(च) रात्रि पाली के दौरान अन्यून चार महिला कर्मकारों को परिसर या किसी विशेष विभाग में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी या अपेक्षित नहीं होगी;</p> <p>(छ) नियोजक अपने द्वारा प्रस्तावित व्यवस्थाओं को सत्यापन के लिए क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को इस तरह के सत्यापन के लिए कम से कम सात दिनों की अवधि देते हुए सूचित करेगा;</p> <p>(ज) नियोजक रात की पाली के दौरान कार्यरत महिला कर्मकारों के ब्यौरे के बारे में संहिता के अधीन निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा मासिक रिपोर्ट भेजेगा और जब कभी कोई अप्रिय घटना होती है तो निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी स्पष्ट रिपोर्ट भेजेगा;</p> <p>(झ) क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाला निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता महिला कर्मचारियों की सुरक्षित कार्य स्थितियों को लागू करेगा और समय-समय पर उनके निरीक्षणों में किसी भी गैर-अनुपालन पर सावधानीपूर्वक ध्यान देगा;</p> <p>(ञ) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2000) के अधीन निर्धारित मातृत्व लाभ उपबंधों के विरुद्ध किसी भी महिला कर्मकारों को नियोजित नहीं किया जाएगा।</p>
---	------------	---

		<p>(ट) महिला कर्मकारों को रात्रि पाली के लिए मासिक धर्म अवधि के दौरान अतिरिक्त सवैतनिक अवकाश की अनुमति दी जा सकती है;</p> <p>(ठ) नियोजक लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा। नियोजक महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 14 सन् 2013) या किसी अन्य संबंधित अधिनियमों में यथाविहित अधिष्ठान में ही एक शिकायत तंत्र बनाए रखेगा;</p> <p>(ड) महिला कर्मकारों को उनके अधिकारों के बारे में विशेष रूप से आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देशों को प्रमुखता से प्रदर्शित करके जागरूक किया जाएगा;</p> <p>(ढ) भारतीय मानकों के अनुरूप पर्याप्त मात्रा के सैनिटरी नैपकिन उनके उपयोग के लिए महिलाओं के शौचालयों में उपलब्ध कराए जाएंगे और उनका अनुरक्षण किया जाएगा और उन्हें दैनिक आधार पर फिर से भरा जाएगा।</p> <p>(ण) प्रयुक्त नैपकिन के संग्रह के लिए महिलाओं के शौचालयों के भीतर ढक्कन के साथ डिस्पोजेबल डिब्बे उपलब्ध कराए जाएंगे। उपयोग किए गए नैपकिन का निपटान निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।</p> <p>(त) अधिष्ठान के समर्पित टेलीफोन नंबर अधिष्ठान के साथ-साथ वाहनों के अंदर भी विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि कोई भी महिला कर्मकार किसी भी आपात स्थिति या अत्यावश्यक स्थिति में उनका उपयोग कर सके।</p>
<p>धारा-44 के अधीन खतरनाक प्रक्रिया या खतरनाक संक्रिया में महिलाओं के नियोजन के रक्षोपाय</p>	<p>77.</p>	<p>(1) महिला कामगारों को उनकी सहमति से खतरनाक और परिसंकटमय कार्यों में नियोजित किया जा सकता है।</p> <p>(2) दूध पिलाने वाली माताओं या गर्भवती महिला कर्मकारों को खतरनाक और परिसंकटमय ग्रस्त कार्यों में नियोजन से छूट दी जाएगी।</p> <p>(3) परिसंकटमय प्रक्रिया और खतरनाक संक्रियाओं से संबंधित संहिता में यथाउल्लिखित सभी उपायों का पालन अधिभोगी या जैसा भी मामला हो नियोजक द्वारा किया जाएगा,</p> <p>(4) महिलाओं को उनके काम पर अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें अपने कार्यस्थल पर संभाले जा रहे संग्रहीत या निर्मित किए जा रहे पदार्थों के परिसंकटमय गुणों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी और उस पर काबू पाने के उपाय किए जाएंगे।</p> <p>(5) परिसंकटमय प्रक्रिया या खतरनाक संक्रिया में कार्यरत महिलाओं को कार्यस्थल पर सभी आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे, जहाँ उन्हें तैनात किया जाता है।</p>

संविदा श्रमिकों, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों, दृश्य-श्रव्य कर्मकारों और बीड़ी और सिगार कर्मकारों के लिए विशेष उपबंध

**भाग-एक
संविदा श्रमिक**

<p>धारा 48 की उप-धारा (1) के अधीन संविदा श्रमिकों की आपूर्ति या नियुक्ति या संविदा श्रम के माध्यम से कार्य के भार लेने या निष्पादन के सम्बंध में लाइसेंस प्रदान करने का प्रपत्र और रीति एवं ऐसे लाइसेंस का उपांतरण या संशोधन</p>	<p>78.</p>	<p>(1) संविदा श्रमिकों आपूर्ति या नियुक्ति या संविदा श्रम के माध्यम से कार्य के भार लेने या निष्पादन के सम्बंध में लाइसेंस प्रदान करने के लिए या ऐसे लाइसेंस का उपांतरण या संशोधन के लिए लाइसेंस संविदाकार द्वारा प्रत्येक आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी पोर्टल पर प्रपत्र-25 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।</p> <p>(2) लाइसेंस प्रदान करने या उसमें उपांतरण या संशोधन करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ प्रपत्र-26 में प्रधान नियोजक द्वारा एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा, जिसमें अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों के नियोजन से संबंधित सूचना का विवरण भी सम्मिलित होगा, इस आशय का कि आवेदक को उसके द्वारा उसके अधिष्ठान के संबंध में एक संविदाकार के रूप में नियोजित किया गया है और वह संहिता के सभी उपबंधों और तद्धीन बनायी गयी नियमावली से बाध्य होने का वचन देता है इसके अधीन जहां तक आवेदक द्वारा संविदा श्रमिकों के नियोजन के संबंध में प्रमुख नियोजक के रूप में उसके लिए उपबंध लागू होते हैं।</p> <p>(3) आवेदन के साथ आवेदक की घोषणा की जाएगी कि लाइसेंस प्रदान करने या उसमें उपांतरण या संशोधन के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना सभी प्रकार से सही है और वह नियम 79 में विहित अपेक्षा को पूरा करता है।</p> <p>(4) ऐसे लाइसेंस प्रदान करने के लिए भुगतान की जाने वाली फीस नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होगी: - संविदा श्रम लाइसेंस के लिए शुल्क की तालिका</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रमांक</th> <th>अधिष्ठान में संविदाकार द्वारा नियोजित कर्मकारों की संख्या</th> <th>फीस की राशि (रुपये में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(एक)</td> <td>49 संविदा कर्मकार तक</td> <td>शून्य (किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है)</td> </tr> <tr> <td>(दो)</td> <td>पचास या पचास से अधिक परंतु सौ से कम कर्मकार</td> <td>2500.00</td> </tr> <tr> <td>(तीन)</td> <td>सौ या अधिक परंतु दो सौ पचास से कम कर्मकार</td> <td>5000.00</td> </tr> <tr> <td>(चार)</td> <td>दो सौ पचास या उससे अधिक परंतु पांच सौ से कम कर्मकार</td> <td>12500.00</td> </tr> </tbody> </table>			क्रमांक	अधिष्ठान में संविदाकार द्वारा नियोजित कर्मकारों की संख्या	फीस की राशि (रुपये में)	(एक)	49 संविदा कर्मकार तक	शून्य (किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है)	(दो)	पचास या पचास से अधिक परंतु सौ से कम कर्मकार	2500.00	(तीन)	सौ या अधिक परंतु दो सौ पचास से कम कर्मकार	5000.00	(चार)	दो सौ पचास या उससे अधिक परंतु पांच सौ से कम कर्मकार	12500.00
क्रमांक	अधिष्ठान में संविदाकार द्वारा नियोजित कर्मकारों की संख्या	फीस की राशि (रुपये में)															
(एक)	49 संविदा कर्मकार तक	शून्य (किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है)															
(दो)	पचास या पचास से अधिक परंतु सौ से कम कर्मकार	2500.00															
(तीन)	सौ या अधिक परंतु दो सौ पचास से कम कर्मकार	5000.00															
(चार)	दो सौ पचास या उससे अधिक परंतु पांच सौ से कम कर्मकार	12500.00															

		(पांच) पांच सौ से अधिक कर्मकार	25000.00
		<p>परन्तु यह कि राज्य सरकार संविदा श्रम लाइसेंस के लिए फीस की उपर्युक्त सारणी में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संशोधन कर सकेगी।</p> <p>(5) संविदाकार संविदा श्रमिक के रूप में नियोजित किए जाने वाले प्रत्येक कामगार के लिए एक हजार रुपये की दर से गणना की गई सुरक्षा राशि जमा करेगा, जिसके संबंध में लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है।</p>	
धारा 47 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अधीन लाइसेंस के निबंधन और शर्तें एवं संविदाकार के उत्तरदायित्व	79.	<p>(1) पोर्टल द्वारा प्रदान किया गया प्रत्येक संविदा श्रम लाइसेंस प्रपत्र-27 में होगा।</p> <p>(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रदान किए गए प्रत्येक लाइसेंस में संविदाकार के उत्तरदायित्व होंगे और वह निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन होंगे, अर्थात्:-</p> <p>(क) लाइसेंस गैर-हस्तांतरणीय होगा;</p> <p>(ख) अधिष्ठान में संविदा श्रमिक/प्रवासी कामगार के रूप में नियोजित कामगारों की संख्या, किसी भी दिन, लाइसेंस में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी;</p> <p>(ग) नियमावली में यथा उपबंधित के सिवाय लाइसेंस के प्रदान या नवीकरण के लिए भुगतान की गई फीस जैसा भी मामला हो, अप्रतिदाय होगी;</p> <p>(घ) संविदाकार द्वारा कर्मकारों को संदेय मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) या मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2019) के अधीन नियोजन के लिए विहित दरों से कम नहीं होंगी, जहां लागू हो, और जहां दरें करार, समझौते, अवार्ड या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं, इस प्रकार निर्धारित दरों से कम नहीं होंगी;</p> <p>(ङ) अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी: -</p> <p>(एक) ऐसे मामले में जहां संविदाकार द्वारा नियोजित कामगार अधिष्ठान के मुख्य नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कामगारों के समान या समान प्रकार का कार्य करते हैं, संविदाकार के श्रमिकों की मजदूरी दर, छुट्टियां, काम के घंटे और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो अधिष्ठान के मुख्य नियोजक द्वारा उसी या समान प्रकार के काम पर सीधे नियोजित कामगारों पर लागू होती हैं।</p> <p>परन्तु यह कि कार्य के प्रकार के संबंध में किसी असहमति के मामले में, उसका विनिश्चय संबंधित नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या अधिकारिता वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा;</p> <p>(दो) अन्य मामलों में, संविदाकार के कामगारों की मजदूरी दरें, अवकाश, कार्य के घंटे और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो संबंधित</p>	

		<p>नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या अधिकारिता वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाएं;</p> <p>(च) प्रत्येक संविदा श्रमिक/प्रवासी कर्मकार संहिता और इन नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट भत्ते, लाभ, सुविधाएं आदि का हकदार होगा;</p> <p>(छ) प्रत्येक अधिष्ठान में जहां तीस या अधिक महिलाएं आमतौर पर कार्यरत हैं, छह वर्ष से कम उम्र के उनके बच्चों के उपयोग के लिए उचित आयाम के दो कमरे प्रदान किए जाएंगे। ऐसे कमरों में से एक का उपयोग बच्चों के लिए खेल के कमरे के रूप में और दूसरे का उपयोग बच्चों के लिए बेडरूम/सोने के कमरे के रूप में किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए संविदाकार खेल के कमरे में पर्याप्त संख्या में खिलौने और खेल और सोने के कमरे में पर्याप्त संख्या में खाट और बिस्तर की आपूर्ति करेगा। शिशुकक्षों के निर्माण और अनुरक्षण का मानक ऐसा हो सकता है जो इस संबंध में संबंधित नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या अधिकारिता वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है;</p> <p>(ज) लाइसेंसधारी कामगारों की संख्या या कार्य की स्थितियों में किसी भी बदलाव को प्राधिकरण को सूचित करेगा;</p> <p>(झ) लाइसेंस की एक प्रति उस परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी जहां संविदा का कार्य किया जा रहा है;</p> <p>(ञ) संविदाकार संहिता के सभी उपबंधों और इन नियमावली का पालन करेगा;</p> <p>(ट) लाइसेंसधारी, प्रत्येक संविदा कार्य के शुरू होने और पूरा होने के पंद्रह दिनों के भीतर, संहिता की धारा 46 के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण को एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसमें प्रारंभ की वास्तविक तारीख की या, जैसा भी मामला हो, प्रपत्र-28 में ऐसे संविदा कार्य के पूर्ण होने की सूचना दी गयी हो;</p> <p>(ठ) संविदाकार या प्रधान नियोजक संहिता की धारा 57 की उप-धारा (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट मामलों को छोड़कर धारा 2 (त) में परिभाषित मुख्य गतिविधियों में किसी भी संविदा कर्मकार को नियुक्त नहीं करेगा।</p>
धारा 48 की उप-धारा (1) के अधीन नियोजकों का रजिस्टर	80.	प्रधान नियोजकों का एक रजिस्टर, जिसे इस नियमावली के अधीन रजिस्ट्रीकरण जारी किया गया है, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र-4 में अनुरक्षित किया जाएगा।
धारा 48 की उप-धारा (1) के अधीन संविदाकारों का रजिस्टर	81.	जिन संविदाकारों को इस नियमावली के अधीन लाइसेंस जारी किए गए हैं, उनका एक रजिस्टर नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र -29 में अनुरक्षित किया जाएगा।
धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेंस देने या अस्वीकार करने में ध्यान में रखे जाने वाले मामले	82.	लाइसेंस देने या देने से इनकार करने में, लाइसेंसिंग अधिकारी करेगा निम्नलिखित मामलों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्: - (क) क्या आवेदक- (एक) नाबालिग है; या

		<p>(दो) विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या</p> <p>(तीन) अनुमोचित दिवालिया है; या</p> <p>(चार)(क) किसी भी समय, दो वर्ष की अवधि के दौरान किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो जो आपराधिक प्रकृति का हो जिसमें ऐसे अपराध सम्मिलित हों जो तीन महीने से अधिक कारावास की सजा के लिए उत्तरदायी हों;</p> <p>(ख) क्या जिस अधिष्ठान के लिए आवेदक संविदाकार है, उस अधिष्ठान में विशेष प्रकार के कार्य के संबंध में संविदा श्रम को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार का कोई आदेश है या कोई अधिनिर्णय या समझौता है;</p> <p>(ग) क्या संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या 37 सन् 1970) अथवा संहिता की धारा 51 की धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन आवेदक के संबंध में कोई आदेश दिया गया है और यदि हां, तो क्या उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है;</p> <p>(घ) क्या आवेदन के लिए फीस विनिर्दिष्ट दर पर जमा कर दिया गया है; तथा</p> <p>(ङ) क्या आवेदक द्वारा प्रतिभूति विनिर्दिष्ट दरों पर जमा कर दी गई है;</p>
धारा 48 की उप-धारा (2) के अधीन लाइसेंस देने से अस्वीकार	83.	<p>(1) संविदाकार से आवेदन प्राप्त होने पर, और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके, लाइसेंसिंग अधिकारी ऐसे आवेदन में प्रस्तुत तथ्यों और विवरणों की शुद्धता और लाइसेंस के लिए आवेदक की पात्रता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए जांच करेगा या जांच करवाएगा।</p> <p>(2) जहां लाइसेंसिंग अधिकारी की राय है कि लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए, वह आवेदक को सुनवाई के लिए उचित अवसर प्रदान करने के बाद, आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश देगा।</p> <p>(3) आदेश अस्वीकार के कारणों को अभिलिखित करेगा और आवेदक को संसूचित किया जाएगा।</p>
धारा 48 की उप-धारा (2) के अधीन लाइसेंस प्रदान करने की रीति	84.	यदि लाइसेंस प्रदान करने या इसके उपातरण या संशोधन के लिए आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, तो प्राधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर ऐसे आवेदन को लाइसेंस या संशोधन प्रदान किया गया माना जाएगा, और लाइसेंस या संशोधन का प्रमाण पत्र पोर्टल द्वारा स्वतः तैयार किया जाएगा।
धारा 48 की उप-धारा (2)	85.	(1) लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर या कार्य पूरा होने के बाद,

की प्रतिभूति जमा राशि का प्रतिदाय		<p>संविदाकार, यदि वह अपने लाइसेंस का और कराने हेतु आशयित नहीं है, तो इस संबंध में प्रधान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्राधिकरण को लाइसेंस की प्रति और कार्य पूरा होने की सूचना और बैंक विवरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाइसेंस की प्रति और कार्य पूरा होने की सूचना और बैंक विवरण के साथ उनके द्वारा जमा प्रतिभूति राशि के प्रतिदाय हेतु आवेदन कर सकता है।</p> <p>(2) यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी संतुष्ट है कि लाइसेंस की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है या सुरक्षा जमा या उसके किसी हिस्से को जब्त करने का कोई आदेश नहीं है, तो वह आवेदक को प्रतिभूति जमा की वापसी का निर्देश देगा।</p> <p>(3) यदि संविदाकार की प्रतिभूति जमा राशि के किसी भी हिस्से को जब्त करने का निर्देश देने वाला कोई आदेश है, तो जब्त की जाने वाली राशि को प्रतिभूति जमा से काट लिया जाएगा, और शेष, यदि कोई हो, संविदाकार को वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>(4) प्रतिदाय के लिए कोई भी आवेदन, जहां तक संभव हो, आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर निपटाया जाएगा।</p> <p>(5) जमा की गई और प्रतिदाय की गई प्रतिभूति राशि का अभिलेख प्राधिकरण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र-30 में अनुरक्षित किया जाएगा।</p>
धारा 48 की उप-धारा (3) के अधीन लाइसेंस में संशोधन या संशोधन के लिए फीस	86.	<p>यदि संविदा श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के लिए लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन किया जाता है, तो नियम 82 के उप-नियम (4) में यथाविहित अतिरिक्त फीस और नियम 82 के उप-नियम (5) में यथाविहित अतिरिक्त प्रतिभूति फीस आवेदक द्वारा जमा किया जाएगा।</p>
धारा 48 की उप-धारा (3) के अधीन लाइसेंस का नवीकरण	87.	<p>(1) प्रत्येक संविदाकार राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल पर लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा।</p> <p>(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन लाइसेंस अवधि की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले लेकिन लाइसेंस की ऐसी समाप्ति के नब्बे दिनों से पहले नहीं उक्त पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा,</p> <p>(3) लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रतिभूति जमा और प्रभार्य फीस नियम 82 के अधीन लाइसेंस प्रदान करने के लिए समान होगा:</p> <p>परंतु यह कि यदि नवीकरण के लिए आवेदन उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो इस तरह के नवीकरण के लिए पच्चीस प्रतिशत का अतिरिक्त फीस देय होगी।</p> <p>(4) उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लाइसेंस का नवीकरण करना संबंधित प्राधिकारी का उत्तरदायित्व होगा, जिसमें विफल रहने पर ऐसे लाइसेंस का नवीकरण किया गया माना जाएगा।</p>

		और लाइसेंस के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र पोर्टल द्वारा स्वतः तैयार किया जाएगा।
धारा 48 की उप-धारा (4) के अधीन संविदाकार का उत्तरदायित्व	88.	<p>(1) संविदा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के लिए संविदाकार का उत्तरदायित्व मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2019) और तद्वीन बनायी गयी नियमावली में नियोजक की तरह होगी।</p> <p>(2) संविदाकार अधिष्ठान के प्रधान नियोजक को ऐसे भुगतान की तारीख से सात दिनों के भीतर मजदूरी का विवरण और मजदूरी के रजिस्टर की प्रति उपलब्ध कराएगा।</p> <p>(3) जहां धारा 55 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन, धारा 55 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट मोड में भुगतान का संचितरण करना व्यावहारिक नहीं है, वहां भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा नामिनर्दिष्ट प्राधिकारी या निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को पूर्व सूचना के साथ प्रधान नियोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में सख्ती से किया जाएगा।</p> <p>(4) प्रत्येक लाइसेंसधारी/संविदाकार इस संबंध में केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी श्रम संहिताओं और अन्य श्रम विधियों और नियमों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा भी लागू हो।</p> <p>(5) लाइसेंसधारी/संविदाकार उन निबंधन और शर्तों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा जिनके अधीन उसे लाइसेंस प्रदान किया गया है।</p> <p>(6) सभी संविदा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (अधिनियम 36 सन् 2020) के संबंधित उपबंधों के अधीन लागू होने के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सदस्य बनाया जाएगा।</p> <p>(7) संविदाकार श्रमिकों की संख्या या कार्य की शर्तों में किसी भी बदलाव को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाइसेंसिंग प्राधिकारी को सूचित करेगा।</p> <p>(8) यदि किसी स्थिति में, संविदाकार संहिता और तद्वीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों का पालन करने में विफल रहता है या अन्य श्रम विधियों का उल्लंघन करता है, तो प्राधिकारी उसका लाइसेंस रद्द कर सकेगा और प्रतिभूति राशि जब्त कर सकेगा। प्राधिकारी ऐसे संविदाकार के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए अधिकारिता प्राप्त निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को निदेश भी दे सकता है।</p>
धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन कार्य आदेश की सूचना और सूचना की समय सीमा	89.	<p>(1) जब कोई संविदाकार किसी अधिष्ठान से या तो अधिष्ठान में संविदा श्रमिकों की आपूर्ति करने के लिए या अधिष्ठान में संविदा श्रमिकों के माध्यम से निष्पादित करने के लिए कार्य आदेश प्राप्त करता है, तो वह इस तरह के आदेश की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा या राज्य सरकार के श्रम विभाग के सरकारी पोर्टल के माध्यम से प्रपत्र-28 में संहिता की धारा 119 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी को सूचित करेगा।</p> <p>(2) कार्य आदेश का विवरण संविदाकारया उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा</p>

		<p>भेजा जाएगा।</p> <p>(3) सूचना वेब-पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा संबंधित नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और अधिकारिता वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को भेजी जाएगी।</p>
<p>धारा 50 की उप-धारा (2) के अधीन उपयुक्त सरकार को सूचित करने में विफलता के मामलों में लाइसेंस के निलंबन या रद्द करने की रीति</p>	90.	<p>जहां संविदाकार उपरोक्त सूचना देने में विफल रहता है, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी कम से कम पंद्रह दिनों का कारण बताओ नोटिस देने के बाद और उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर सकता है।</p>
<p>धारा 52 की उप-धारा (1) के अधीन अपील</p>	91.	<p>अपीलीय प्राधिकारी संहिता की धारा 52 की उप-धारा (1) के अधीन श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश होगा।</p>
<p>धारा 55 की उप-धारा (1) के अधीन मजदूरी के भुगतान के लिए मजदूरी की अवधि</p>	92.	<p>(1) संविदाकार मजदूरी की अवधि तय करेगा जिसके संबंध में मजदूरी संदेय होगी और कोई भी मजदूरी अवधि एक महीने से अधिक नहीं होगी।</p> <p>(2) किसी अधिष्ठान में या संविदाकार द्वारा संविदा श्रमिक के रूप में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी का भुगतान मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2019) और उसके तद्दीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।</p> <p>(3) मजदूरी केवल बैंक अंतरण या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वितरित की जाएगी।</p>
<p>धारा 55 की उप-धारा (2) के अधीन उन संविदा श्रमिकों को भुगतान का रीति जहां बैंक अंतरण या इलेक्ट्रॉनिक मोड संभव नहीं है।</p>	93.	<p>(1) जहां धारा 55 की उप-धारा (2) के परंतुक के अधीन, धारा 55 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट मोड में भुगतान का संवितरण करना व्यावहारिक नहीं है, वहां भुगतान प्रधान नियोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अधिकतम दो महीने की अवधि तक या उनके बैंक खाते के खुलने तक अनिवार्य रूप से जो भी पहले हो। किया जाएगा,</p> <p>(2) संविदाकार कर्मकारों को अपने बैंक खाते खोलने की सुविधा प्रदान करेगा।</p> <p>(3) यह सुनिश्चित करना प्रधान नियोजक का उत्तरदायित्व होगा कि किसी भी कर्मकार को उप-नियम (1) के उपबंधों के उल्लंघन में, अधिकतम समय सीमा से परे भुगतान नहीं किया जाता है।</p>
<p>यदि संविदाकार धारा 55 की उप-धारा (4) के अधीन भुगतान करने में विफल रहता है, तो प्रतिभूति से</p>	94.	<p>(1) यदि संविदाकार या प्रधान नियोजक अपने द्वारा नियोजित संविदा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं करता है, तो नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी जांच करेगा या करवाएगा और सुनवाई का अवसर देने के बाद, संविदाकार को प्रतिभूति जमा के रूप में संविदाकार द्वारा जमा</p>

संविदा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान की रीति		की गई राशि से ऐसी मजदूरी, यदि कोई हो, का भुगतान करने का आदेश पारित करेगा। (2) संविदाकार पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर सुरक्षा जमा को फिर से प्रस्तुत करेगा या अन्यथा, उसका लाइसेंस निलम्बन या निरस्त किये जाने हेतु दायी होगा।
धारा 56 के अधीन अनुभव प्रमाण पत्र	95.	संबंधित प्रत्येक संविदाकार संविदा श्रमिक को अपने लेटर हेड पर अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ प्रपत्र -31 में मांग पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसमें ऐसे संविदा श्रमिकों द्वारा अवधि, किए गए कार्य, विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव जैसे प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया जाएगा।
धारा 57 की उपधारा (2) के खंड (क) और (ख) के अधीन मुख्य गतिविधि की घोषणा के लिए आवेदन का प्रपत्र और रीति	96.	(1) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी अधिष्ठान की कोई गतिविधि मुख्य गतिविधि है या अन्यथा, तो पीड़ित पक्ष संहिता की धारा 57 (2) (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी को प्रपत्र -32 में आवेदन कर सकता है। (2) उक्त आवेदन में विचाराधीन गतिविधि और अधिष्ठान की विनिर्माण प्रक्रियाओं का पूरा विवरण होगा। (3) इस तरह के आवेदन में ऐसा आवेदन करने का औचित्य भी शामिल होगा। (4) आवेदन ऐसे दस्तावेजों के साथ किया जाएगा जो आवेदक द्वारा आवश्यक समझा जाय। (5) जहां राज्य सरकार ऐसे किसी प्रश्न को स्वतः संदर्भित करती है या धारा 57 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को आवेदन भेजती है, वहां ऐसा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे प्रश्न या आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजेगा और तत्पश्चात् राज्य सरकार ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से दो माह के भीतर प्रश्न पर विनिश्चय करेगी।

भाग- दो
अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार

धारा 61 के अधीन पात्रता, आवधिकता, यात्रा की श्रेणी और यात्रा भत्ते से संबंधित मामलों की न्यूनतम सेवा	97.	(1) नियोजक अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार को ट्रेन से (द्वितीय श्रेणी के स्लीपर से कम नहीं) या बस द्वारा या गृह राज्य में निवास स्थान तक यात्री परिवहन के किसी अन्य साधन से आने-जाने के लिए किराए के रूप में एकमुश्त उचित राशि का भुगतान करेगा, यदि उसने पिछले बारह महीनों में संबंधित अधिष्ठान में अन्यून 180 दिनों की अवधि के लिए काम किया है। इस तरह की राशि का भुगतान अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार को निम्नलिखित स्थितियों में किया जाएगा: - (क) किसी भी कारण से नियोजन की अवधि की समाप्ति से पहले उसकी सेवा की समाप्ति पर; (ख) किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक द्वारा विधिवत प्रमाणित चोट या
--	-----	--

		<p>निरंतर बीमार स्वास्थ्य के कारण आगे के नियोजन के लिए उसे असक्षम होने पर;</p> <p>(ग) ऐसे अधिष्ठान में कार्य बंद होने के संबंध में जो प्रवासी कामगार की ओर से किसी गलती के कारण नहीं है; और</p> <p>(घ) संविदाकार द्वारा अपने नियोजन के निबंधन और शर्तों को पूरा न करने के कारण सेवा से उनके त्यागपत्र पर।</p> <p>(2) यदि प्रवासी कर्मकार छह माह से अधिक समय से कार्यरत है, तो उसे प्रत्येक छह माह की समाप्ति के बाद रोजगार के स्थान से निवास स्थान तक आने-जाने की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता दिया जाएगा।</p> <p>(3) जहां तक संभव हो यात्रा भत्ते का भुगतान प्रधान नियोजक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा,</p>
धारा 62 के अधीन अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों के लिए लाभार्थी योजनाएं	98.	<p>(1) यदि कोई अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार उत्तर प्रदेश राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उठाने का विकल्प चुनता है, तो संबंधित जिले में कार्य कर रहे खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग या अन्य विभाग या प्राधिकरण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, उन्हें विभाग या प्राधिकरण की योजना के अनुसार खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा।</p> <p>(2) उप-नियम (1) और (2) के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार और बोर्ड, यथास्थिति, अपना तंत्र और प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं।</p>
धारा 63 के अधीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर	99.	<p>(1) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश प्रवासी श्रमिकों के प्रश्नों और शिकायतों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित रीति से अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन स्थापित करेगा।</p> <p>(2) टोल-फ्री नंबर पर कॉलों का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे प्रपत्र और प्रारूप में रखा जाएगा जैसा कि निमित्त श्रम आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।</p>
धारा 64 के अधीन अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार का अध्ययन	100.	<p>(1) राज्य सरकार किसी भी समय, जैसा वह आवश्यक समझे, या यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेशित हो, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तर प्रदेश राज्य से अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों का अध्ययन कर सकेगी।</p> <p>(2) ऐसे अध्ययन की रीति, अध्ययन दल की संरचना और अन्य मामले ऐसे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चय किये जाएं।</p> <p>(3) जहां कहीं आवश्यक हो, राज्य सरकार विशेषज्ञ संगठनों और अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण में सम्मिलित विभिन्न हितधारकों से भी परामर्श कर सकती है।</p>

भाग-तीन

दृश्य-श्रव्य कर्मकार

<p>धारा 66 की उप-धारा (2) के अधीन दृश्य-श्रव्य कर्मकार और दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम के निर्माता या संविदाकार के बीच करार</p>	<p>101.</p>	<p>(एक) दृश्य-श्रव्य कर्मकार, दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम के निर्माता या संविदाकार, यदि कोई हो, के बीच करार प्रपत्र -33 में होगा। (दो) इस तरह के करार में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे: - (क) दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम का नाम; (ख) निर्माता और संविदाकार का नाम और पता (यदि कोई हो); (ग) दृश्य-श्रव्य कर्मकार का नाम और पता; (घ) दृश्य-श्रव्य कर्मकार के नियोजन की प्रकृति; (ङ) नियोजन की अवधि; तथा (च) नियोजन के नियम और शर्तें जैसे मजदूरी और अन्य लाभ, स्वास्थ्य और कार्य करने की स्थिति, सुरक्षा, कार्य के घंटे, कल्याण सुविधाएं, विवाद समाधान प्रक्रिया या तंत्र, जो संहिता में दृश्य-श्रव्य कर्मकार की पात्रता से कम नहीं होंगी। (3) यदि ऐसे दृश्य-श्रव्य कर्मकार भविष्य निधि का लाभ प्रदान करने के लिए तत्समय लागू अधिनियम के उपबंध के अधीन आच्छादित हैं, तो ऐसे करार की एक प्रति दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम के निर्माता द्वारा केन्द्रीय सरकार के संबंधित भविष्य निधि प्राधिकारियों को अग्रेषित की जाएगी।</p>
<p>विवाद समाधान तंत्र, गठन और प्राधिकारियों के अन्य विवरण</p>	<p>102.</p>	<p>विवाद समाधान तंत्र, प्रक्रिया और प्राधिकरणों और न्यायालयों का गठन औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) और राज्य सरकार द्वारा तद्विधीन बनायी गयी नियमावली में प्रदान किया गया है।</p>

भाग-चार

बीड़ी और सिगार कर्मकार

<p>धारा 74 की उप-धारा (2) के अधीन लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन का प्रपत्र</p>	<p>103.</p>	<p>(1) धारा 74 की उपधारा (2) के अधीन किसी स्थान या परिसर को औद्योगिक परिसर के रूप में उपयोग करने या उपयोग करने की अनुमति देने के लिए लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन राज्य सरकार के सरकारी पोर्टल पर प्रपत्र-34 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। (2) आवेदन के साथ योजनाओं को जिसमें निम्नलिखित दर्शित हो, दिखाया जाएगा, - (क) ऐसे स्थान या परिसर की साइट, विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र और ऐसे स्थान या परिसर के तत्काल परिवेश, जिसमें आसन्न भवन, संरचनाएं, सड़कें, नालियां और ऐसी अन्य संरचनाएं सम्मिलित हैं; तथा (ख) प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था, संवातन, आग लगने की स्थिति में भागने के साधन, संयंत्र और मशीनरी की स्थिति, यदि कोई हो, उपयोग किए गए,</p>
---	-------------	--

		<p>गलियारों और मार्ग-मार्गों से संबंधित विवरण, या विभिन्न भवनों के सम्बंध जो विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने हेतु आशयित है, की योजना, ऊंचाई और आवश्यक क्रॉस-सेक्शन का विवरण।</p> <p>(3) ऐसा लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व प्राधिकारी इस बात पर भी विचार करेगा कि क्या किसी औद्योगिक परिसर के स्थल में परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है या क्या आवेदक द्वारा आवेदन की तारीख से ठीक पहले बारह माह की अवधि के दौरान औद्योगिक परिसर को बंद कर दिया गया है ताकि श्रमिकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सके।</p> <p>(4) नियम 109 के उप-नियम (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट लाइसेंस प्रदान करने या नवीकरण के लिए फीस का भुगतान इस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा</p> <p>(5) आवेदन प्रपत्र -35 में धारा 74 की उप-धारा (4) के अधीन नियोजक की सकारात्मक घोषणा के साथ संलग्न किया जाएगा।</p>															
धारा 74 की उप-धारा (2) के अधीन लाइसेंस प्रदान करने या नवीकरण के लिए फीस	104.	<p>(1) लाइसेंस प्रदान करने या नवीकरण के लिए भुगतान की जाने वाली फीस नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट होगी:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले प्रस्तावित कर्मचारियों की संख्या</th> <th>फीस (रुपये में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(क)</td> <td>बीस से अधिक नहीं है</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>(ख)</td> <td>बीस से अधिक लेकिन पचास से अधिक नहीं</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>(ग)</td> <td>पचास से अधिक लेकिन सौ से अधिक नहीं</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>(घ)</td> <td>सौ से अधिक</td> <td>2000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) अनुलिपि लाइसेंस प्रदान करने के लिए भुगतान किया जाने वाली फीस एक सौ रुपये होगी।</p> <p>(3) यदि प्राधिकारी धारा 74 के अधीन कोई लाइसेंस प्रदान करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार करता है, तो उसके लिए भुगतान की गई फीस वापस नहीं की जाएगी।</p>		वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले प्रस्तावित कर्मचारियों की संख्या	फीस (रुपये में)	(क)	बीस से अधिक नहीं है	500	(ख)	बीस से अधिक लेकिन पचास से अधिक नहीं	1000	(ग)	पचास से अधिक लेकिन सौ से अधिक नहीं	1500	(घ)	सौ से अधिक	2000
	वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले प्रस्तावित कर्मचारियों की संख्या	फीस (रुपये में)															
(क)	बीस से अधिक नहीं है	500															
(ख)	बीस से अधिक लेकिन पचास से अधिक नहीं	1000															
(ग)	पचास से अधिक लेकिन सौ से अधिक नहीं	1500															
(घ)	सौ से अधिक	2000															
धारा 119 और धारा 74 की उप-धारा (3) के अधीन लाइसेंस के लिए आवेदन के संबंध में सूचना और स्थल योजना	105.	यदि बीड़ी और सिगार अधिष्ठान का अधिभोगी/नियोजक संहिता की धारा 119 के उपबंधों के अधीन लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है, तो वह उस स्थान या परिसर में दिन के किसी भी समय नियोजित किए जाने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या का उल्लेख करेगा और प्रपत्र-34 में उपयोग किए जाने वाले स्थल या परिसर की योजना को संलग्न करेगा,															
धारा 74 की उप-धारा (4) के अधीन लाइसेंस के निबंधन और शर्तें	106.	<p>धारा 74 के अधीन प्रदान या नवीकृत प्रत्येक लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् -</p> <p>(क) विनिर्माण प्रक्रिया केवल औद्योगिक परिसर के उस हिस्से में की जाएगी जिसे लाइसेंस में ऐसे प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है;</p>															

		<p>(ख) औद्योगिक परिसरों में नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या किसी भी तारीख को लाइसेंस में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगी;</p> <p>(ग) लाइसेंस में विनिर्दिष्ट नहीं की गई विद्युत चालित मशीनरी, परिसर में विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग नहीं की जाएगी;</p> <p>(घ) लिखित रूप में प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, औद्योगिक परिसर का विस्तार नहीं किया जाएगा और समान अनुमति के बिना ऐसे परिसर में किसी भवन में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा;</p> <p>(ङ) लाइसेंस अंतरणीय नहीं होगा;</p> <p>(च) नियमावली में यथाबंधित के सिवाय, लाइसेंस के प्रदान या नवीकरण, जैसा भी मामला हो, के लिए भुगतान किया गया फीस, अप्रतिदाय होगी।</p>
धारा 74 की उप-धारा (4) के अधीन लाइसेंस प्रदान करना और नवीकरण	107.	<p>एक. यदि प्राधिकारी लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन के विवरण के बारे में संतुष्ट है, तो वह उत्तर प्रदेश जनहीत गारंटी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र -36 पर लाइसेंस का प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसमें विफल रहने पर ऐसा लाइसेंस प्रदान किया गया माना जाएगा और लाइसेंस प्रदान करने का प्रमाण पत्र पोर्टल द्वारा स्वतः तैयार किया जाएगा।</p>
धारा 74 की उपधारा (4) के खंड (ङ) के अधीन कल्याणकारी उपाय	108.	<p>लाइसेंस प्रदान करते समय या लाइसेंस का नवीकरण करते समय, लाइसेंसिंग प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बीड़ी और सिगार अधिष्ठान के अधियोगी ने परिक्षेत्र में श्रमिकों के कल्याण और जनता के हित के संबंध में निम्नलिखित उपबंध किए हैं: -</p> <p>(क) स्वच्छता</p> <p>(1) प्रत्येक औद्योगिक परिसर में, -</p> <p>(क) गंदगी और कचरे के संचय को दैनिक रूप से फर्श और कार्यकक्षों के मार्ग और सीढ़ियों और मार्गों से झाड़ू लगाकर या किसी अन्य प्रभावी तरीके से हटाया जाएगा और उपयुक्त तरीके से निपटाया जाएगा;</p> <p>(ख) प्रत्येक कार्य-कक्ष के फर्श को हर सप्ताह में कम से कम एक बार धोकर, कीटाणुनाशक का उपयोग करके, जहां आवश्यक हो, या किसी अन्य प्रभावी विधि से साफ किया जाना चाहिए;</p> <p>(ग) दीवारों और विभाजनों के अंदर, छत, कमरों और दीवारों, साइड और सीढ़ियों सभी के अंदर, -</p> <p>(एक) जहां उन्हें पेंट या वार्निश किया जाता है या जहां उनकी चिकनी अभेद्य सतह होती है, वहां चौदह महीने की हर अवधि में कम से कम एक बार ताजे पानी से साफ किया जायेगा और सुखाया जायेगा;</p> <p>(दो) जहां उन्हें पेंट या वार्निश किया जाता है, पांच साल की हर अवधि में कम से कम एक बार फिर से पेंट किया जायेगा या फिर</p>

	<p>से वार्निश किया जायेगा; (तीन) किसी अन्य मामले में, प्रत्येक बारह महीने में कम से कम एक बार सफेदी या रंगीन धुलाई जानी चाहिए। (2) उप-नियम (1) के अधीन जिन तिथियों पर सफेदी, रंग धुलाई, वार्निशिंग, पेंटिंग या सफाई की गई थी, का अभिलेख, जैसा भी मामला हो, नियोजक द्वारा प्रपत्र-37 में रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।</p> <p>(ख) संवातन- औद्योगिक परिसर के प्रत्येक कार्यकक्ष या हॉल में, ताजी हवा की निरंतर आपूर्ति को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त संख्या में खिड़कियां और संवातन के अन्य रूपों की व्यवस्था की जाएगी ताकि ऐसे कमरे या हॉल के अंदर का वातावरण आरामदायक और धूल, धुएँ और अन्य अशुद्धता से मुक्त रहे।</p> <p>(ग) शौचालय और मूत्रालय- (1) प्रत्येक औद्योगिक परिसर में प्रत्येक बारह पुरुष कर्मचारियों के लिए अलग-अलग एक शौचालय और मूत्रालय सीट की दर से शौचालय और मूत्रालय स्थल उपलब्ध कराया जाएगा।</p> <p>परन्तु यह कि जहां ऐसे पुरुष कर्मचारियों की संख्या सौ से अधिक हो तो यह पर्याप्त होगा यदि पहले सौ तक प्रत्येक पच्चीस पुरुष कर्मचारियों के लिए एक शौचालय की सीट हो और उससे अधिक में प्रत्येक पचास के लिए एक सीट हो।</p> <p><i>स्पष्टीकरण--</i> इस उप-नियम के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित सीटों की संख्या की गणना करने में, बीस, पच्चीस या पचास से कम कर्मचारियों की कोई पुरानी संख्या, जैसा भी मामला हो, बीस, पच्चीस या पचास के रूप में गिना जाएगा।</p> <p>(2) जहां महिला कर्मचारी किसी औद्योगिक परिसर में कार्यरत हैं, वहां उनके लिए उपर्युक्त उप-नियम खंड (1) में पुरुष कर्मचारियों के लिए विनिर्दिष्ट पैमाने के अनुसार पृथक शौचालय और मूत्रालय स्थल उपलब्ध कराए जाएंगे।</p> <p>(3) प्रत्येक शौचालय ढका हुआ होगा और शौचालय और मूत्रालय में प्रत्येक सीट को इस तरह से विभाजित किया जाएगा कि गोपनीयता सुरक्षित हो और प्रत्येक विभाजन में एक निजी दरवाजा और बन्धन होगा।</p> <p>(4) जहां सभी लिंगों के कर्मचारी किसी औद्योगिक परिसर में कार्यरत हैं, वहां प्रत्येक शौचालय और मूत्रालय ब्लॉक के बाहर हिंदी में और अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में "केवल पुरुषों के लिए" या, जैसा भी मामला हो, "केवल महिलाओं के लिए" रूप में पठनीय नोटिस और इस तरह के नोटिस पर एक पुरुष या एक महिला,</p>
--	--

	<p>जैसा भी मामला हो का चित्र भी होगा,</p> <p>(5) जहां पाइप से पानी की आपूर्ति उपलब्ध है, शौचालयों और मूत्रालयों में या उसके आस-पास पर्याप्त संख्या में पानी के नल आसानी से सुलभ कराए जाएंगे और जहां पानी की निरंतर आपूर्ति नहीं है, ऐसे शौचालयों और मूत्रालयों में या उसके आस-पास धोने के प्रयोजनों के लिए डिब्बे के साथ पानी की टंकी उपलब्ध कराई जाएगी।</p> <p>(6) जब किसी विशेष इलाके में सुनिश्चित जल आपूर्ति के साथ भूमिगत सीवेज की कोई सामान्य प्रणाली प्रदान की जाती है या मौजूद होती है, तो सेप्टिक टैंक शौचालय के अलावा ऐसे इलाके में एक औद्योगिक परिसर में सभी शौचालय और मूत्रालय ऐसे निकटतम सीवेज सिस्टम से जुड़े होंगे।</p> <p>(7) प्रत्येक शौचालय और मूत्रालय की दीवारों, छतों और विभाजनों को सफेदी से धोया या रंग से धोया जाएगा और इसे चार महीने की हर अवधि में कम से कम एक बार दोहराया जाएगा। जिन तारीखों को डिटर्जेंट और कीटाणुनाशकों से धोने या रंग-धुलाई की जाती है, वे तारीखें, जैसा भी मामला हो, नियोजक द्वारा प्रपत्र-37 में अनुरक्षित रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा:</p> <p>परंतु यह कि, उप-नियम (7) में कुछ भी शौचालय या मूत्रालय या ऐसी दीवारों, छत और विभाजनों के किसी भी हिस्से की दीवार और छत के संबंध में लागू नहीं होगा, जो चमकती हुयी टाइलों में बिछाया गया है या अन्यथा एक चिकनी-पोलिश की गई अभेद्य सतह दिखने के लिए फिनिश की गयी है, लेकिन ऐसी दीवारों, छत, विभाजन या उसके कुछ हिस्सों को चार महीने की हर अवधि में कम से कम एक बार उपयुक्त डिटर्जेंट और कीटाणुनाशक से धोया जाएगा।</p> <p>(8) अपशिष्ट या गंद पानी ले जाने के लिए औद्योगिक परिसर में सभी नालियों का निर्माण चिनाई या अन्य अनुमन्य सामग्री से किया जाएगा और ऐसी नालियों को उपयुक्त जल निकासी लाइनों से जोड़कर नियमित रूप से फ्लश और बहिःस्त्राव का निपटान किया जाएगा:</p> <p>परंतु यह कि जहां ऐसी कोई जल निकासी लाइन नहीं है, वहां बहिःस्त्राव को अहानिकर बनाने के लिए दुर्गंधमुक्त दूर किया जाएगा और फिर उसका निपटान किया जाएगा।</p> <p>(घ) धुलाई की सुविधाएं-</p> <p>(1) प्रत्येक औद्योगिक परिसर में तम्बाकू के सम्मिश्रण और छानने या गर्म चूल्हे में बीड़ी को गर्म करने में लगे कर्मचारियों के उपयोग के लिए, धोने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जिनमें साबुन और नेल ब्रश या सफाई के अन्य उपयुक्त साधन सम्मिलित होंगे और ऐसी सुविधाएं सुविधाजनक, सुलभ और स्वच्छ एवं व्यवस्थित स्थिति में उपलब्ध कराई जाएंगी।</p> <p>(2) यदि महिला कर्मचारी किसी औद्योगिक परिसर में कार्यरत हैं, तो</p>
--	---

	<p>पुरुष कर्मचारियों के संबंध में खंड (1) या खंड (2)(1) में विनिर्दिष्ट की तरह अलग से धुलाई सुविधाएं ऐसी महिला कर्मचारियों के लिए संलग्न या बंद स्थानों में इस प्रकार प्रदान की जाएंगी कि ऐसे स्थानों के आंतरिक भाग किसी भी स्थान से दिखाई न दें जहां पुरुष कर्मचारी कार्य करते हैं या गुजरते हैं और ऐसे प्रत्येक स्थान पर प्रवेश बोल्ट और सुस्पष्ट अक्षरों में "केवल महिलाओं के लिए" के रूप में पठनीय अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में एक नोटिस लगायी जायेगी और इस तरह के नोटिस पर एक महिला की तस्वीर भी होगी।</p> <p>(3) खंड (1) या खंड (2) के अधीन धुलाई सुविधाओं के प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति ऐसी होगी जो औद्योगिक परिसर में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रति दिन कम से कम 27.3 लीटर प्रदान करती हो और ऐसा पानी एक स्वच्छ स्रोत से लिया जाएगा:</p> <p>परंतु यह कि जहां एक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता संतुष्ट हो जाता है कि इस उप-नियम के अधीन विनिर्दिष्ट पैमाने के अनुसार पानी की आपूर्ति उपलब्ध कराना व्यावहारिक नहीं है, तो वह लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र द्वारा कम मात्रा की आपूर्ति की अनुमति दे सकता है जो किसी भी स्थिति में प्रत्येक कर्मचारी के लिए प्रति दिन 4.5 लीटर से कम नहीं होगी।</p> <p>(ड) शिशुकक्ष-</p> <p>(1) प्रत्येक औद्योगिक परिसर में, जिसमें तीस या अधिक श्रमिक कार्यरत हैं या पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन नियोजित थे, नियोजक इस नियमावली में निर्धारित मानकों के अनुसार, उनके छह वर्ष की आयु तक बच्चों के उपयोग के लिए एक शिशुकक्ष या शिशुकक्षों का उपबंध करेगा और अनुरक्षण करेगा,</p> <p>(2) शिशु कक्ष निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगा, अर्थात्: -</p> <p>(क) शिशुकक्ष उसमें समायोजित बच्चों की माताओं के लिए सुविधाजनक रूप से सुलभ होगा और जहां तक यथोचित रूप से व्यावहारिक हो, यह औद्योगिक परिसर के किसी भी हिस्से के करीब स्थित नहीं होगा जहां अप्रिय धुआं, धूल या गंध छोड़ी जाती है;</p> <p>(ख) शिशुकक्ष के रूप में उपयोग किए जाने वाले कमरे या कमरों का निर्माण अच्छी तरह से किया जाएगा और उसकी दीवारें और छत गर्मी प्रतिरोधी सामग्री की होगी और जलरोधी होगी;</p> <p>(ग) 1.2 मीटर की ऊंचाई तक शिशुकक्ष के फर्श और आंतरिक दीवारों को इस तरह से बनायी या फिनिश किया जाएगा कि एक चिकनी अभेद्य सतह प्रदान की जा सके;</p> <p>(घ) शिशुकक्ष के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कमरे की ऊंचाई फर्श से छत के सबसे निचले हिस्से तक 3.7 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक बच्चे को उसमें समायोजित करने के लिए 1.9 वर्ग</p>
--	---

	<p>मीटर से कम फर्श क्षेत्र नहीं होना चाहिए;</p> <p>(इ) ताजी हवा के संचलन द्वारा पर्याप्त संवातन को सुरक्षित करने और बनाए रखने के लिए शिशुकक्ष के हर हिस्से में प्रभावी और उपयुक्त उपबंध किया जाएगा;</p> <p>(च) शिशुकक्ष को पर्याप्त रूप से सज्जित और सुसज्जित किया जाएगा और विशेष रूप से निम्नलिखित उपलब्ध कराया जाएगा,-</p> <p>(एक) दो वर्ष से अधिक के प्रत्येक बच्चे के लिए, एक उपयुक्त बिस्तर;</p> <p>(दो) दो वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए, आवश्यक बिस्तर के साथ एक उपयुक्त खाट या पालना;</p> <p>(तीन) प्रत्येक मां के उपयोग के लिए कम से कम एक कुर्सी या अन्य पर्याप्त समान बैठने की व्यवस्था, जब वह बच्चे को दूध पिला रही हो या उसकी देखभाल कर रही हो; तथा</p> <p>(चार) बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त खिलौनों की पर्याप्त आपूर्ति।</p> <p>(छ) बच्चों और उनके कपड़ों को धोने के लिए एक शिशुकक्ष में या उसके आस-पास एक उपयुक्त वाशिंग रूम होगा और ऐसा कमरा निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगा, अर्थात्:-</p> <p>(एक) 0.9 सेमी की ऊंचाई तक के कमरे के फर्श और आंतरिक दीवारों को इस तरह से बनाया या समाप्त किया जाएगा कि एक चिकनी अभेद्य सतह प्रदान की जा सके;</p> <p>(दो) कमरे को पर्याप्त रूप से बनाया और संवातित किया जाएगा और फर्श को प्रभावी ढंग से सूखा और साफ सुथरा रखा जाएगा;</p> <p>(तीन) धुलाई के लिए पानी की आपूर्ति एक स्वच्छ स्त्रोत से होगी और यदि संभव हो तो नल के माध्यम से होगी;</p> <p>(चार) प्रत्येक बच्चे के लिए प्रति दिन कम से कम 22.7 लीटर पानी की आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी;</p> <p>(पांच) प्रत्येक बच्चे के उपयोग के लिए तेबल के साफ कपड़े, साबुन और साफ तौलिये की पर्याप्त आपूर्ति की जाएगी;</p> <p>(ज) शौचालय से सटे शिशुकक्ष में एकमात्र बच्चों के उपयोग के लिए सेंट्रिक प्रकार का शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा और उसे साफ और स्वच्छ स्थिति में रखा जाएगा।</p> <p>(झ) नियोजक शिशुकक्ष में प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिदिन कम से कम आधा पिट शुद्ध दूध उपलब्ध कराएगा और ऐसे बच्चे की मां को दैनिक कार्य के दौरान बच्चे को दूध पिलाने के लिए अन्यून पंद्रह मिनट के पर्याप्त अंतराल की अनुमति दी जाएगी।</p> <p>(ञ) उपरोक्त खण्ड (ज) के उपबंधों के अनुसार दूध उपलब्ध कराने के अलावा, नियोजक उन बच्चों के लिए जिन्हें शिशुकक्ष में समायोजित किया जाता है, पौष्टिक जलपान की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करेगा।</p> <p>(ट) नियोजक बच्चों और शिशुओं की देखभाल में प्रशिक्षित एक</p>
--	---

	<p>महिला और पर्याप्त संख्या में महिला केयरटेकर को एक शिशुकक्ष में समायोजित बच्चों की देखभाल करने के प्रयोजन से नियुक्त करेगा और वह इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त उपकरण और सुविधाएं भी प्रदान करेगा।</p> <p>स्पष्टीकरण:- शिशुकक्ष में नियुक्त की जाने वाली महिला केयरटेकर की संख्या की गणना प्रत्येक तीस बच्चों के लिए एक महिला केयरटेकर की दर से की जाएगी।</p> <p>(ठ) नियोजक शिशुकक्ष में कार्यरत कर्मचारियों के लिए शिशुकक्ष में झूटी के दौरान उपयोग के लिए उपयुक्त साफ कपड़े प्रदान करेगा।</p> <p>स्पष्टीकरण: इस नियम में, बच्चे का तात्पर्य छह वर्ष की आयु तक का बच्चा है।</p> <p>च- प्राथमिक चिकित्सा-</p> <p>(1) प्रत्येक औद्योगिक परिसर में, इस प्रकार उपबंध और अनुरक्षण किया जाएगा, ताकि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या अलमारियाँ सभी कार्य घंटों के दौरान आसानी से सुलभ हो, जिनमें खंड (2) में विनिर्दिष्ट उपकरण हों और इस प्रकार प्रदान किए जाने वाले बॉक्स या अलमारियों की संख्या परिसर में किसी एक समय में नियोजित प्रत्येक एक सौ पचास कर्मचारियों के लिए एक से कम नहीं होगी।</p> <p>(2) प्राथमिक चिकित्सा बाक्स या अलमारी को सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस के साथ विशिष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित उपकरण होंगे, अर्थात्:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (क) छह छोटे विसंक्रमित ड्रेसिंग; (ख) तीन मध्यम आकार के विसंक्रमित ड्रेसिंग; (ग) तीन बड़े आकार के विसंक्रमित ड्रेसिंग; (घ) तीन बड़े आकार के विसंक्रमित बर्न हुई ड्रेसिंग; (ङ) एक (28.350 ग्राम) बोतल जिसमें आयोडीन का 2 प्रतिशत अल्कोहल घोल होता है; (च) एक (28.350 ग्राम) बोतल जिसमें सात्वोलेटाइल होता है, जिसकी खुराक और प्रशासन का तरीका लेबल पर उपदर्शित किया हो; (छ) सांप के काटने वाला लैंसेट; (ज) पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल की एक (28.350 ग्राम) बोतल; (झ) कैची एक जोड़ी; (ञ) आई ड्रॉप्स; (ट) चिपकने वाला प्लास्टर। <p>(3) प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या अलमारी को एक ऐसे व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा जो प्राथमिक चिकित्सा उपचार में प्रशिक्षित है और</p>
--	--

	<p>जो औद्योगिक परिसर के कार्य के घंटों के दौरान हमेशा आसानी से उपलब्ध रहेगा।</p> <p>(छ) कैटीन-</p> <p>(1) प्रत्येक औद्योगिक परिसर का नियोजक, जिसमें अन्यून ढाई सौ कर्मचारी सामान्यतः नियोजित हैं, औद्योगिक परिसर में या उसके आस-पास एक कैटीन का उपबंध करेगा।</p> <p>(2) कैटीन किसी भी शौचालय या मूत्रालय या धूल के किसी अन्य स्रोत के 15.2 मीटर के भीतर स्थित नहीं होगी।</p> <p>(3) कैटीन भवन में कर्मचारियों और बर्तनों के लिए अलग-अलग धोने के स्थानों के अलावा कम से कम एक डाइनिंग हॉल, रसोईघर, स्टोर रूम और पेंटी सम्मिलित होगी।</p> <p>(4) भवन की न्यूनतम ऊंचाई 3.7 मीटर से कम नहीं होगी और उसकी सभी दीवारों और छत उपयुक्त ऊष्मा प्रतिरोधी सामग्री की होंगी और जलरोधी होंगी। पर्याप्त संवातन का उपबंध होगा। दरवाजे और खिड़कियां अप्रतिरोधक निर्माण की होंगी।</p> <p>(5) कैटीन को हर समय पर्याप्त रूप से रोशन की जाएगी जब कोई भी व्यक्ति वहाँ आये।</p> <p>(6) प्रत्येक कैटीन में-</p> <p>(क) कमरों की सभी अंदर की दीवारों और सभी छतों और मार्गों और सीढ़ियों को उस दिनांक से जब उसे आखिरी बार चूने से पुताई या रंग से पुताई या पेंट किया गया था, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार यथास्थिति चूने से पुताई या रंग से पुताई किया जाएगा या तीन साल में एक बार चित्रित किया जाएगा,</p> <p>(ख) सभी लकड़ी के कार्य को उस दिनांक से जब उसे अंतिमबार वार्निश या पेंट किया गया था को तीन साल में एक बार वार्निश या पेंट किया जाएगा;</p> <p>(ग) सभी आंतरिक संरचनात्मक लोहे या स्टील के कार्य को जब उसे अंतिमबार वार्निश या पेंट किया गया था को उस दिनांक से तीन साल में वार्निश या पेंट किया जाएगा;</p> <p>(घ) रसोई की दीवारों के अंदर के हिस्से को प्रत्येक चार महीने में एक बार चूना पुताई किया जाएगा।</p> <p>(7) जिन तिथियों को चूना पुताई, रंग पुताई, वार्निशिंग या पेंटिंग की जाती है, उन्हें नियोजक द्वारा प्रपत्र-37 में रखे गए रजिस्टर में अनुरक्षित किया जाएगा।</p> <p>(8) कैटीन के परिसर को साफ और स्वच्छ स्थिति में रखा जाएगा। अपशिष्ट जल को उपयुक्त ढकी हुई नालियों में ले जाया जाएगा और उपताव पैदा करने के लिए जमा नहीं होने दिया जाएगा। कूड़े के संग्रहण एवं निस्तारण के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी।</p> <p>(9) डाइनिंग हॉल में एक समय में काम करने वाले कम से कम तीस प्रतिशत कर्मचारी समायोजित होंगे।</p> <p>(10) डाइनिंग हॉल का फर्श, सर्विस काउंटर के कब्जे वाले क्षेत्र को</p>
--	--

		<p>छोड़कर और मेज और कुर्सियों को छोड़कर किसी भी फर्नीचर को यथाविहित समायोजित 93 वर्ग मीटर प्रति डिनर से कम नहीं होगा।</p> <p>(11) डाइनिंग हॉल और सर्विस काउंटर के एक हिस्से को विभाजित किया जाएगा और महिला कर्मचारियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षित किया जाएगा। महिलाओं के लिए कपड़े धोने की जगह अलग होगी और गोपनीयता को सुरक्षित करने के लिए उनकी जांच की जाएगी।</p> <p>(12) खंड (9) में यथाविहित समायोजित डिनर करने वालों की संख्या के लिए पर्याप्त मेज, कुर्सियाँ या बेंच उपलब्ध होंगी।</p> <p>(13) कैटीन के कुशल संचालन के लिए पर्याप्त बर्तन, क्रॉकरी, कटलरी, फर्नीचर और कोई भी अन्य उपकरण उपलब्ध कराया और अनुरक्षित किया जाएगा। कैटीन में सेवारत कर्मचारियों के लिए उपयुक्त साफ कपड़े भी उपलब्ध कराए जाएंगे और उनका अनुरक्षण भी किया जाएगा।</p> <p>(14) फर्नीचर, बर्तन और अन्य उपकरण साफ और स्वच्छ स्थिति में बनाए रखे जाएंगे। एक सर्विस काउंटर, यदि प्रदान किया जाता है, तो इसमें चिकनी और अभेद्य सामग्री का शीर्ष होना चाहिए। बर्तनों और उपकरणों की सफाई के लिए गर्म पानी की पर्याप्त आपूर्ति सहित उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।</p> <p>(15) खाद्य और खाद्य सामग्री को फ्लाइ-प्रूफ तिजोरियों में संग्रहीत किया जाएगा और लकड़ी के लैंडलेस या उपयुक्त धातु संदेश जो भी सुविधाजनक हो की मदद से संभाला जाएगा, एक बार उपयोग किए जाने वाले बर्तनों को फिर से उपयोग करने से पहले गर्म किया जाएगा।</p> <p>(16) कैटीन में परोसे जाने वाले भोजन, पेय और अन्य वस्तुओं को गैर-लाभ, गैर-हानि के आधार पर परोसा जाएगा।</p>
<p>धारा 74 की उपधारा (4) के खंड (ड) के अधीन नियोजक द्वारा कच्चे माल के जारी किये जाने से संबंधित विवाद</p>	<p>109.</p>	<p>(1) नियोजक और कर्मचारी या कर्मचारियों के बीच निम्नलिखित के सम्बंध में कोई विवाद, -</p> <p>(क) नियोजक द्वारा कर्मचारी को कच्चे माल को जारी करना;</p> <p>(ख) बीड़ी या सिगार के नियोजक द्वारा अस्वीकृति, या किसी कर्मचारी द्वारा दोनों को अस्वीकार कर दिया गया हो, या</p> <p>(ग) बीड़ी या सिगार या दोनों की मजूदरी का भुगतान, नियोजक द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो;</p> <p>नियोजक या कर्मचारी या कर्मचारियों द्वारा लिखित रूप में निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को भेजा जा सकता है, जो ऐसी जांच करने के बाद जैसा कि वह आवश्यक समझे और पक्षों को अपने संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के बाद, विवाद का विनिश्चय करेगा और विवाद के विवरण, पक्षों के अभिवाक, दस्तावेजों और साक्ष्यों और उसके निष्कर्षों के साथ कार्यवाही को अभिलिखित करेगा।</p>

		<p>(2) उप-नियम (1) के अधीन उस पर विनिश्चय से व्यथित विवाद का कोई भी पक्ष लाइसेंसिंग प्राधिकारी को विनिश्चय की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील कर सकता है:</p> <p>परंतु यह कि अपीलीय प्राधिकारी उक्त अवधि के बाद अपील स्वीकार कर सकता है यदि अपीलकर्ता ऐसे प्राधिकारी को संतुष्ट करता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण है।</p>
धारा 74 की उपधारा (4) के खंड (ड) के अधीन बीड़ी या सिगार की अस्वीकृति के संबंध में सीमा	110.	<p>(1) कोई भी नियोजक या संविदाकार/आमतौर पर गृह-कर्मकार सहित किसी भी कर्मकार से प्राप्त एक अवमानक या छोट या अन्यथा पांच प्रतिशत से अधिक बीड़ी या सिगार या दोनों को अस्वीकार नहीं करेगा।</p> <p>(2) जहां किसी बीड़ी या सिगार को कर्मकार की जानबूझकर लापरवाही के आधार के अलावा किसी अन्य आधार पर अवमानक या छोट या अन्यथा के रूप में अस्वीकृत किया जाता है, वहां कर्मकार को इस प्रकार अस्वीकृत बीड़ी या सिगार के लिए मजदूरी का भुगतान उस दर के आधे पर किया जायेगा जिस पर उसे बीड़ी या सिगार या दोनों जिन्हें इस प्रकार अस्वीकार नहीं किया गया है के लिए मजदूरी संदेय है।</p>
धारा 74 की उप-धारा (6) के अधीन लाइसेंस का नवीकरण	111.	<p>(1) लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन नियम-109 के अधीन यथाविहित अपेक्षित फीस के साथ राज्य सरकार के सरकारी पोर्टल पर किया जाएगा।</p> <p>(2) आवेदन प्रपत्र-35 में नियम 103 के उप-नियम (5) के अधीन विहित नियोजक की सकारात्मक घोषणा के साथ संलग्न किया जाएगा।</p> <p>(3) यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि लाइसेंस संहिता और तद्वर्ती बनायी गयी नियमावली के उपबंधों का अनुपालन करता है, तो वह उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र -36 पर लाइसेंस के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करेगा, जिसमें विफल रहने पर ऐसे लाइसेंस का नवीकरण किया गया समझा जाएगा और लाइसेंस के नवीकरण का प्रमाण पत्र पोर्टल द्वारा स्वतः तैयार किया जाएगा।</p>
धारा 75 के अधीन अपील	112.	<p>(1) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश संहिता की धारा 75 के प्रयोजनों के लिए अपीलीय प्राधिकारी होगा।</p> <p>(2) धारा 75 के अधीन अपील के संबंध में संदेय फीस केवल एक हजार रुपये होगी जो अप्रतिदाय होगा।</p> <p>(3) लाइसेंस प्रदान करने या उसके नवीकरण से अस्वीकार करने वाले लाइसेंसिंग प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील इस प्रकार होगी, -</p> <p>(क) आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जानी है के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से</p>

		<p>की जायेगी;</p> <p>(ख) आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, की एक प्रति संगनक की जायेगी।;</p> <p>(ग) इस तरह की अपील के आधार और तथ्यों जिसेम ज्ञापन अतर्विष्ट हो, संलग्न किया जायेगा;</p> <p>(घ) ऐसी अपील के लिए फीस के भुगतान के प्रमाण के रूप में एक ट्रेजरी चालान संलग्न किया जायेगा।</p>
धारा 76 की उप-धारा (1) के अधीन औद्योगिक परिसरों के बाहर कर्मचारियों द्वारा कार्य करने की अनुमति	113.	<p>(1) नियोजक कर्मचारियों के निमित्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित प्रपत्र-38 पर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के माध्यम से औद्योगिक परिसर के बाहर कर्मचारियों द्वारा बीड़ी या तंबाकू के पत्तों को गीला करने और काटने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा। श्रम आयुक्त सात दिनों की अवधि के भीतर अपनी टिप्पणियों के साथ आवेदन को राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।</p> <p>(2) राज्य सरकार तीस दिनों की अवधि के भीतर आवेदन का विनिश्चय कर सकेगी।</p> <p>(3) उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुमति केवल ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगी जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान करने के आदेश में विनिर्दिष्ट हो:-</p> <p>(क) उपर्युक्त अनुमति के लिए आवेदन करने वाले नियोजक के पास ऐसे परिसरों के लिए धारा 74 के अधीन जारी विधिमान्य लाइसेंस होगा;</p> <p>(ख) बीड़ी या तंबाकू के पत्तों को गीला करने या काटने के लिए जिस स्थान का उपयोग करने का प्रस्ताव है, उस स्थान की उपयुक्तता;</p> <p>(ग) बीड़ी या तंबाकू के पत्तों को गीला करना या काटना केवल उसी स्थान पर किया जाएगा जिसके लिए अनुमति दी गई है;</p> <p>(घ) औद्योगिक परिसर के बाहर बीड़ी या तंबाकू के पत्तों को गीला करने या काटने के लिए नियोजक द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या उन कर्मकरों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी जिनके लिए धारा 74 के अधीन लाइसेंस जारी किया गया है;</p> <p>(ङ) लाइसेंसिंग प्राधिकरण, पूर्वगामी निबंधनों और शर्तों के अलावा, अनुमति में ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों, व्यक्तिगत मामलों में अवधारित और विनिर्दिष्ट कर सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे।</p>
धारा 76 की उप-धारा (2) के अधीन बाहरी कर्मकारों के	114.	<p>(1) धारा 76 की उप-धारा (1) के अधीन औद्योगिक परिसर के बाहर किए जाने वाले कार्य का नियोजक द्वारा अनुरक्षित अभिलेख प्रपत्र-</p>

अभिलेखों का अनुरक्षण	<p>39 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुरक्षित किया जायेगा।</p> <p>(2) नियोजक, उन कर्मचारियों के संबंध में, जिन्हें अपने घरों में कार्य करने की अनुमति दी गई है (जिसे आगे गृह कर्मकार कहा गया है), इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र-40 में एक अद्यतन रजिस्टर/लॉग-बुक अनुरक्षित करेगा।</p>
----------------------	--

भाग-पांच कारखाना

<p>धारा 79 की उप-धारा (1) के अधीन कारखाना योजनाओं और स्थल योजना का प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन</p>	<p>115</p>	<p>(1) किसी कारखाने के स्थान के लिए तब तक किसी भी स्थल का उपयोग नहीं किया जाएगा और ऐसे स्थल पर या कारखाने में कारखाना या कारखाने के भाग के रूप में किसी भी भवन का निर्माण, उपातरण या संशोधित, विस्तार या उपयोग में नहीं लिया जाएगा जब तक कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त न हो जाए।</p> <p>(2) जिस स्थल पर कारखाना स्थित होना है, उसके निर्माण या विस्तार के लिए और लाइसेंस के लिए आवेदक द्वारा राज्य सरकार के श्रम विभाग के सरकारी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अधिकारिता वाले संबंधित निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को पसिर को कारखाना के रूप में अधिभोग या उपयोग करने से पूर्व न्यूनतम 30 दिवस के भीतर आवेदन करेगा,</p> <p>(3) आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ होना चाहिए:</p> <p>(क) आवेदक द्वारा सम्यक रूप से प्रपत्र-42;</p> <p>(ख) विनिर्माण प्रक्रिया का प्रक्रिया प्रवाह आरेख जिसमें प्रत्येक संयंत्र और मशीनरी पर सुरक्षा युक्तियों, फिटिंग और माउंटिंग, विभिन्न प्रक्रियाओं और उनकी डिजाइन स्थितियों को उपदर्शित किया गया हो, साथ ही इसके विभिन्न चरणों में प्रक्रिया और सुरक्षा युक्तियों के संक्षिप्त विवरण द्वारा पूरक है और कच्चे माल, मध्यवर्ती और उत्पादों के नाम उनकी सूची के साथ और रसायनों के नाम यदि प्रक्रिया में उपयोग किये जाते हैं, भी उपदर्शित हो,</p> <p>(ग) योजनाएं पैमाने के अनुसार तैयार की जाएंगी जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया हो -</p> <p>(एक) कारखाने की स्थल योजना और आसन्न भवन, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, पेट्रोल पंप, ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री का भंडारण और अन्य संरचनाएं, सड़के जल स्रोत, नालियाँ आदि और स्थल से इसकी दूरी के साथ निकटतम आवासीय क्षेत्र, गांव, शहर की बस्ती का स्थान, तथा</p> <p>(दो) विभिन्न भवनों की विस्तृत योजना, जिसमें एलीवेशन और आवश्यक क्रॉस सेक्शन सभी प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था, संवातन और आग लगने की स्थिति में निकलने के मार्ग से संबंधित सभी सुसंगत विवरणों को अग्निशमन प्रणालियों का विवरण और खतरे के क्षेत्र का विवरण उपदर्शित किया गया हो। योजनाएं स्पष्ट रूप से संयंत्र और मशीनों, गलियारों और मार्गों की स्थिति को भी स्पष्ट रूप से उपदर्शित</p>
--	------------	---

सामंतीय रूप में करेंगी, साथ ही मशीनों और परिसंकटमय क्षेत्र एवं परिसंकट वाली मशीनों को 3 डी दृश्य में अलग से दिखाया जाएगा;

(तीन) आवेदक विनिर्माण प्रक्रिया, स्थल योजनाओं और विस्तृत योजनाओं का प्रक्रिया प्रवाह अरिख इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा सुपाठ्य प्रारूप में प्रस्तुत करेगा। इन दस्तावेजों को ऑटोकैड आदि जैसे कुशल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके नियम 4 की अनुसूची एक के क्रम संख्या 1 में यथाविहित अर्हता और अनुभव रखने वाले व्यक्ति द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किया जाएगा।

परन्तु यह कि यदि तकनीकी कारणों से, विस्तृत योजनाओं या स्थल योजनाओं की ऐसी सॉफ्ट प्रति सुपाठ्य नहीं है, तो उपयुक्त पैमाने पर तैयार किए गए दस्तावेजों को अतिरिक्त रूप से तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(घ) प्रपत्र-42 के साथ संलग्न प्रश्नावली के उत्तर;

(ङ) नगर निगम, नगर पंचायत या अधिसूचित क्षेत्र से जैसा भी मामला हो कारखाने के स्थान के लिए अनापत्ति पत्र,

(च) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति का पत्र,

(छ) अग्निशमन विभाग से अनापत्ति का एक पत्र;

(ज) पेट्रोलियम नियम, 1976 में यथा परिभाषित पेट्रोलियम के भंडारण के लिए पेट्रोलियम नियम, 1976 के अधीन जारी लाइसेंस/एनओसी;

(झ) आवेदक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रपत्र -43 में स्थिरता प्रमाण पत्र;

(ञ) नियम-150 के उप-नियम (2) में विहित लाइसेंस फीस का ई-चालान या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम संदाय।

(4) एक कार्यकक्ष की आंतरिक ऊंचाई, भंडारण, गोदामों और इसी तरह के प्रयोजनों के लिए आशयित के अलावा और केवल कार्यालय के प्रयोजनों के लिए आशयित कमरे, जहां केवल लिपिकीय कार्य किया जाता है, फर्श के स्तर से छत के निचले भाग तक मापी गई 14 फीट से कम नहीं होगी, और यदि छत नालीदार लोहे की है, जो न तो टाइलों से ढकी है और न ही इसके और नालीदार लोहे के बीच कम से कम चार इंच का वायु स्थान के साथ आंतरिक छत या उष्मा प्रतिरोधी सामग्री की परत है, आंतरिक ऊंचाई 20 फीट से कम नहीं होगी।

परन्तु यह कि ये उपबंध उन कारखाने के मामले में लागू नहीं होंगे जो पचास या उससे कम कामगारों को नियोजित करने का प्रस्ताव करता है; परन्तु यह और कि ईट या कंक्रीट की छत वाले भवनों के मामले में, या दोनों के संयोजन के मामले में, न्यूनतम ऊंचाई 12 फीट हो सकती है।

परन्तु यह और कि संहिता की धारा 2(1)(ब)(एक) धारा 2(1)(ब)(दो) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी कारखानों और कारखानों के मामले में, जिसमें 150 कर्मचारी कार्यरत हैं, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, जहां वह संतुष्ट है कि कार्य की शर्तें यथोचित रूप से अच्छी हैं, ऐसे कारखानों को इस उप-नियम के उपबंधों से छूट दे सकता है।

(5) कारखाने के किसी भी कमरे में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति के लिए जहां यांत्रिक या विद्युत शक्ति का उपयोग किया जाता है, कम से कम 36 वर्ग फुट फर्श के स्थान का उपबंध किया जाएगा जिसमें मशीनरी द्वारा अधिभोग किया गया स्थान छोड़कर कम से कम 500 घन फीट का खास स्थान होगा।

(6) कारखाने के प्रत्येक कमरे, बरामदे और अन्य बाड़ों का विवरण प्रपत्र-42 में दर्ज किया जाएगा।

- (7) किसी भी भवन, या किसी भवन के भाग में तब तक कोई विनिर्माण प्रक्रिया शुरू या नहीं की जाएगी जब तक कि भवन या भवन के भाग की स्थिरता प्रमाण पत्र, या अर्हता रखने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र-43 में मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को ऑनलाइन परिदान नहीं किया जाता है और उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। किसी कारखाने कोई भी विस्तारित भाग विस्तार के बाद किसी भी समय कारखाने के भाग के रूप में नहीं किया जाएगा या किसी भी संयंत्र या मशीनरी को किसी कारखाने में जोड़ा जाएगा या किसी कारखाने के रूप में उपयोग में लाया जाएगा, और न ही इस तरह के अतिरिक्त भाग को तबतक उपयोग में लाया जाएगा जब तक कि इस तरह के विस्तार या योजना के संबंध में एक प्रमाण पत्र मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा या संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है।
- (8) इस नियम के अधीन स्वीकार किया गया स्थिरता प्रमाण पत्र स्वीकृति की तारीख से पांच साल के लिए विधिमान्य होगा यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है।
- (9) प्रपत्र-43 पर हस्ताक्षर करने वाले सक्षम व्यक्ति के पास इस प्रयोजन के लिए नियम -4 की अनुसूची में यथाविहित अर्हता और अनुभव होगा।
- (10) सरकार के अधिभाग वाले भवन के मामले के सिवाय कोई भी व्यक्ति स्थिरता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत नहीं होगा, जो उस भवन के स्वामी या बिल्डर के नियोजन में है जिसके संबंध में प्रमाण पत्र दिया गया है।
- (11) किसी कारखाने की स्थल-योजना, विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के बाद, यदि मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि योजनाएं संहिता की आवश्यकता के अनुरूप हैं, तो वह ऐसी शर्तों या ऐसे अनापत्ति प्रमाण पत्र के अधीन जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करें, उन्हें अनुमोदित करेगा और स्थल-प्लान अनुमोदन प्रमाण पत्र मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र -44 में ऐसी अवधि के भीतर जारी किया जाएगा, जिसमें साइट का दौरा भी शामिल है, जैसा कि उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) में अधिसूचित किया गया है, जिसमें विफल रहने पर ऐसी योजना को अनुमोदित समझा जाएगा और कारखाने के अनुमोदन का प्रमाण पत्र पोर्टल द्वारा स्वतः तैयार किया जाएगा।
- (12) इस नियमावली के प्रवृत्त होने से पहले कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा पहले ही अनुमोदित की गई योजनाओं को इस नियमावली के अधीन अनुमोदित समझा जाएगा।
- (13) यदि मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता है, जैसा भी मामला हो, आवेदन से संतुष्ट नहीं है या आवेदन अधूरा है, तो वह पंद्रह दिनों के भीतर एक बार में पोर्टल पर अपनी समस्त आपत्तियां उठाएगा और आवेदक अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा या विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यकतानुसार आवश्यक सुधार या संशोधन करेगा। हालांकि, यदि आवेदक मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा उठाई गई आपत्तियों का जवाब देने में विफल रहता है, तो आवेदन को अनुमोदन के लिए उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) में अधिसूचित समय के बाद अस्वीकार किया जा सकता है।
- (14) इस नियम के अधीन दिये गये अनुमोदन को मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा रद्द किया जा सकता है, यदि यह पाया जाता है कि इस तरह का अनुमोदन अधिभोगी या

		प्रबंधक द्वारा तथ्यों का दुर्व्यवपदेशन करके प्राप्त की गई है या कपटपूर्ण दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए हैं या अन्यथा या अधिकांश निर्माण प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार नहीं किया जा रहा है।																																																																																
धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन लाइसेंस और विहित फीस के लिए आवेदन	116.	<p>(1) प्रत्येक कारखाने के अधिभोगी को नियम 115 के अधीन स्थल-योजना के अनुमोदन के लिए आवेदन के साथ-साथ लाइसेंस प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के श्रम विभाग के सरकारी पोर्टल पर संहिता की धारा 79 के अधीन विहित प्रपत्र-45 के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>(2) यदि स्थल योजना को नियम-115 के अधीन अनुमोदित किया जाता है और फिर कारखाने का नियोजक/अधिभोगी संहिता और तद्विना बनायी गयी नियमावली के सभी उपबंधों का अनुपालन करता है, तो कारखाने को रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और प्रपत्र-46 में कारखाने के लिए लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जैसा भी मामला हो लाइसेंस में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अनुपालन के अधीन नीचे विनिर्दिष्ट फीस भुगतान पर जारी किया जाएगा:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">स्थापित शक्ति की मात्रा (किलोवाट)</th> <th colspan="8">एक वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या</th> </tr> <tr> <th>50 तक</th> <th>51 से 100</th> <th>101 से 150</th> <th>151 से 300</th> <th>301 से 500</th> <th>501 से 1000</th> <th>1001 से 2500</th> <th>2500 से ऊपर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>शून्य</td> <td>500</td> <td>625</td> <td>750</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> <td>7500</td> <td>10000</td> </tr> <tr> <td>50 से कम</td> <td>750</td> <td>1375</td> <td>2000</td> <td>3000</td> <td>4000</td> <td>7500</td> <td>15000</td> <td>18000</td> </tr> <tr> <td>50 से 100</td> <td>1500</td> <td>2250</td> <td>3000</td> <td>4000</td> <td>6000</td> <td>10000</td> <td>18000</td> <td>20000</td> </tr> <tr> <td>101 से 500</td> <td>2500</td> <td>4000</td> <td>5500</td> <td>7500</td> <td>10000</td> <td>15000</td> <td>24000</td> <td>27500</td> </tr> <tr> <td>501 से 1000</td> <td>5000</td> <td>6250</td> <td>7500</td> <td>10000</td> <td>12000</td> <td>18000</td> <td>26000</td> <td>30000</td> </tr> <tr> <td>1000 से 2000</td> <td>6000</td> <td>8000</td> <td>10000</td> <td>12000</td> <td>15000</td> <td>20000</td> <td>28000</td> <td>35000</td> </tr> <tr> <td>2000 से ऊपर</td> <td>7000</td> <td>10500</td> <td>14000</td> <td>15000</td> <td>18000</td> <td>24000</td> <td>30000</td> <td>38000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) यदि आवश्यक हो तो पावर फैक्टर 0.9 लिया जाएगा।</p> <p>(4) उप-नियम (2) के अधीन दिए गए लाइसेंस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे:</p>	स्थापित शक्ति की मात्रा (किलोवाट)	एक वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या								50 तक	51 से 100	101 से 150	151 से 300	301 से 500	501 से 1000	1001 से 2500	2500 से ऊपर	शून्य	500	625	750	1000	2000	4000	7500	10000	50 से कम	750	1375	2000	3000	4000	7500	15000	18000	50 से 100	1500	2250	3000	4000	6000	10000	18000	20000	101 से 500	2500	4000	5500	7500	10000	15000	24000	27500	501 से 1000	5000	6250	7500	10000	12000	18000	26000	30000	1000 से 2000	6000	8000	10000	12000	15000	20000	28000	35000	2000 से ऊपर	7000	10500	14000	15000	18000	24000	30000	38000
स्थापित शक्ति की मात्रा (किलोवाट)	एक वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या																																																																																	
	50 तक	51 से 100	101 से 150	151 से 300	301 से 500	501 से 1000	1001 से 2500	2500 से ऊपर																																																																										
शून्य	500	625	750	1000	2000	4000	7500	10000																																																																										
50 से कम	750	1375	2000	3000	4000	7500	15000	18000																																																																										
50 से 100	1500	2250	3000	4000	6000	10000	18000	20000																																																																										
101 से 500	2500	4000	5500	7500	10000	15000	24000	27500																																																																										
501 से 1000	5000	6250	7500	10000	12000	18000	26000	30000																																																																										
1000 से 2000	6000	8000	10000	12000	15000	20000	28000	35000																																																																										
2000 से ऊपर	7000	10500	14000	15000	18000	24000	30000	38000																																																																										
धारा 79 की उपधारा (1)	117.	(1) नियम-115 के अधीन प्रदान किया गया प्रत्येक लाइसेंस उस तारीख से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा जिस दिन पहला आवेदन प्राप्त हुआ है या उस तारीख से जब																																																																																

<p>के खंड (ग) के अधीन लाइसेंस का नवीनीकरण</p>		<p>कारखाना निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के संज्ञान में आया था, जो भी पहले हो।</p> <p>(2) दस साल तक की अवधि के लिए लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र-45 में प्राधिकारी को ऑनलाइन किया जाएगा, जो लाइसेंस की अवधि समाप्त होने की तारीख से कम से कम तीस दिन पहले नहीं होगा। सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी फॉर्म-43 में स्थिरता प्रमाण पत्र और अधिभोगी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और राज्य सरकार के वेब-पोर्टल पर इसमें विनिर्दिष्ट लेखा-शीर्षक में नियम-115 में यथा विहित अपेक्षित फीस की राशि के भुगतान के प्रमाण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा फीस के साथ आवेदन किया जायेगा।</p> <p>(3) एक वर्ष के लिए लाइसेंस के नवीकरण के लिए फीस उसके प्रदान किये जाने पर दी गयी फीस के समान होगा। यदि नवीकरण के लिए आवेदन एक वर्ष की अवधि के लिए या दस वर्ष तक कितने भी वर्षों के लिए किया गया है, तो नवीकरण फीस नियम-120 में यथाविहित एक वर्ष के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए संदेय फीस से गुणा किए गए वर्षों की संख्या होगी।</p> <p>(4) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद किए गए लाइसेंस के नवीकरण के लिए कोई आवेदन तक स्वीकार नहीं होगा, जब तक कि उसके साथ लाइसेंस के नवीकरण हेतु संदेय विलम्ब फीस के रूप में पच्चीस प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त फीस सम्यक रूप से जमा नहीं की जाती है।</p> <p>(5) उप-नियम (2) के अधीन एक आवेदन प्राप्त होने पर, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी, यदि वह संतुष्ट है कि लाइसेंस के नवीकरण में कोई आपत्ति नहीं है, तो इसे दस साल तक की अवधि के लिए नवीकृत करेगा और आवेदक को प्रपत्र-46 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाइसेंस जारी करेगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) में अधिसूचित किया गया है, जिसमें विफल रहने पर इस तरह के लाइसेंस को नवीकृत समझा जाएगा और लाइसेंस के नवीकरण का प्रमाण पत्र पोर्टल द्वारा स्वतः उत्पन्न किया जाएगा।</p>
<p>धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन लाइसेंस का संशोधन</p>	<p>118.</p>	<p>(1) यदि लाइसेंस की अवधि के दौरान किसी भी समय, अधिभोगी को किसी भी दिन स्थापित शक्ति की सीमा का विस्तार करना आवश्यक लगता है या किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या या कारखाने के नाम में कोई परिवर्तन या अधिभोगी में कोई परिवर्तन या ऐसा विवरण लाइसेंस आवेदन पत्र में संदर्भित किया जाता है, वह इस तरह के परिवर्तन से कम से कम पंद्रह दिन पहले लाइसेंसिंग प्राधिकारी को लाइसेंस के संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन करेगा और लाइसेंसिंग प्राधिकारी तदनुसार लाइसेंस में संशोधन कर सकता है।</p> <p>(2) संशोधन के लिए आवेदन प्रपत्र 45 में लाइसेंस में संशोधन के लिए फीस के भुगतान के प्रमाण के साथ ऑनलाइन किया जाएगा, जो कि कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी दिन वृद्धि हेतु आशयित कुल अधिकतम शक्ति या कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने हेतु आशयित कर्मकारों की अधिकतम संख्या जैसा भी मामला हो या दोनों के आधार पर नियम के अधीन देय संदेय फीस की राशि के अलावा एक सौ रुपये होगा। या दोनों, जैसा भी मामला हो, मूल लाइसेंस में पहले से छूट दी गयी राशि को घटाकर छूट दी गयी।</p>

		<p>परन्तु यह कि लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ संशोधनों का प्रस्ताव किए जाते हैं, हो, सौ रुपये की संशोधन फीस संदेय नहीं होगी।</p> <p>(3) नियम 122 के अनुसार योजना के संशोधन के लिए आवेदन इस तरह के संशोधन से कम से कम 15 दिन पहले ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा:</p> <p>बशर्त कि इस नियम के भीतर किसी भी कारखाने को केवल किसी संयंत्र या मशीनरी के प्रतिस्थापन के कारण या ऐसी सीमाओं के भीतर विस्तारित नहीं माना जाएगा, जो किसी संयंत्र या मशीनरी को जोड़ने के लिए हो, यदि इस तरह के प्रतिस्थापन या जोड़ मशीनरी या संयंत्र के आसपास सुरक्षित काम करने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्पष्ट स्थान को कम नहीं करता है:</p> <p>परन्तु यह कि यदि कोई संशोधन वाष्प, ऊष्मा, धूल या धुएं के विकास या उत्सर्जन से पर्यावरणीय परिस्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो ऐसे संशोधन के लिए नियम के अनुसार पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।</p> <p>(4) उप-नियम (1) के अधीन एक आवेदन प्राप्त होने पर, लाइसेंसिंग प्राधिकारी, यदि वह संतुष्ट है कि लाइसेंस में संशोधन करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) में अधिसूचित अवधि के भीतर प्रपत्र-46 में संशोधन करेगा, जिसमें विफल रहने पर इस तरह के लाइसेंस को संशोधित समझा जाएगा और संशोधित प्रमाण पत्र पोर्टल द्वारा स्वतः उत्पन्न किया जाएगा।</p> <p>(5) यदि निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को यह प्रतीत होता है कि किसी कारखाने में कोई भवन या भवन का भाग ऐसी परिस्थितियों में है कि यह मानव जीवन और सुरक्षा के लिए खतरनाक है, तो वह कारखाने के अधिभोगी को लिखित रूप में नोटिस दे सकता है कि वह विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर किए जाने वाले भवन और संरचना जीवन परीक्षण को करवाये और सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित ऐसी परीक्षा और परीक्षणों का प्रमाण पत्र निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को भेजना होगा।</p>
<p>धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन लाइसेंस का अंतरण</p>	<p>119.</p>	<p>(1) लाइसेंस धारक, लाइसेंस की समाप्ति से पहले किसी भी समय, अपने लाइसेंस को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है। यदि कोई लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाती है या दिवालिया हो जाता है या अन्यथा असमर्थ हो जाता है, तो यह आवेदन ऐसे लाइसेंसधारी के कारबार को करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।</p> <p>(2) इस तरह के आवेदन राज्य सरकार के श्रम विभाग के सरकारी पोर्टल पर प्रपत्र-47 में कारबार की सूचना और ऐसे अन्य दस्तावेजों के साथ किए जाएंगे जो आवश्यक हों।</p> <p>(3) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या लाइसेंसिंग प्राधिकारी, यदि वह अंतरण को मंजूरी देता है, तो अपने हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन लाइसेंस पर इस आशय का एक पृष्ठांकन दर्ज करेगा कि लाइसेंस प्रपत्र-46 में नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को अंतरित कद दिये गये हैं।</p> <p>(4) ऐसे प्रत्येक आवेदन पर एक हजार रुपये का फीस लिया जाएगा।</p> <p>(5) जिस व्यक्ति को लाइसेंस इस प्रकार हस्तांतरित किया गया है, उसे मूल धारक के रूप</p>

		में लाइसेंस के अधीन समान शक्तियों मिलेगी, और समान दायित्वों के अधीन होगी।
धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन लाइसेंसधारी की मृत्यु या असमर्थता पर प्रक्रिया	120.	<p>यदि किसी लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाती है या दिवालिया हो जाता है या अन्यथा असमर्थ हो जाता है, तो ऐसे लाइसेंसधारी का कारबार करने वाला व्यक्ति लाइसेंस द्वारा लाइसेंसधारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, उस समय के दौरान, जब तक उसे मूल लाइसेंस की शेष अवधि के लिए अपने नाम लाइसेंस के अंतरण हेतु आवेदन करने हेतु यथोचित रूप से अनुज्ञात करना आवश्यक था, संहिता या इस नियमावली के अधीन किसी भी शास्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।</p> <p>परंतु यह कि, यह अवधि ऐसी तारीख से दो महीने से अधिक नहीं होगी जब कर्वावाही का कारण उत्पन्न होता है:</p> <p>परन्तु यह और कि, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या लाइसेंसिंग प्राधिकारी इस समय-सीमा को एक माह तक बढ़ा सकता है, यदि वह व्यक्ति जिसके पक्ष में लाइसेंस का अंतर्करण किया जाना है, ऐसे विलंब के लिए पर्याप्त कारण दिखाता है और मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या लाइसेंसिंग प्राधिकारी पांच हजार रुपये की शास्ति पर दिए गए कारणों से संतुष्ट हो जाता है।</p>
धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन लाइसेंस रद्द करना	121.	<p>यदि किसी भी समय कोई अधिभोगी राज्य सरकार के श्रम विभाग के सरकारी पोर्टल पर विवरण में कारण दिखाते हुए अपने आशय के बारे में सूचित करता है कि जिस परिसर के संबंध में लाइसेंस जारी किए गए हैं, उसका उपयोग कारखाने के कार्य के लिए नहीं किया जाएगा, तो मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता ऐसे कारखाने के संबंध में दिए गए लाइसेंसों को रद्द कर देगा और पोर्टल के माध्यम से अधिभोगी/नियोजक को सूचित किया जाएगा:</p> <p>परंतु यह कि इस तरह के आवेदन को कारखाने के रूप में परिसर के उपयोग की समाप्ति की तारीख से कम से कम दो महीने पहले प्रस्तुत किया जाएगा;</p> <p>परंतु यह कि, नियोजक एक वचन देगा कि दो महीने की अवधि से पहले, वह अपने कर्मचारियों को किए जाने वाले अपने सभी बकाया, भुगतानों का भुगतान करेगा और परिसर से सभी खतरनाक पदार्थों और अपव्यय को हटा देगा।</p>
धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कब्जे की सूचना	122.	अधिभोग की सूचना प्रपत्र-47 में होगी।
प्रबंधक के परिवर्तन की सूचना	123.	(1) अधिभोगी को कारखाने के प्रबंधक को नियुक्त करने की आवश्यकता है। यदि, कारखाने के प्रबंधक को नियुक्त नहीं किया गया है, तो अधिभोगी को कारखाने का प्रबंधक माना जाएगा।

		<p>(2) प्रबंधक के परिवर्तन की सूचना प्रपत्र-48 में होगी। प्रबंधक के परिवर्तन के लिए आवेदन विवरण सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।</p> <p>(3) प्रबंधक के परिवर्तन का अनुमोदन मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस पर ऑनलाइन किया जाएगा।</p>
धारा 80 के अधीन कुछ परिस्थितियों में परिसर के स्वामी का दायित्व	124.	<p>(1) जहां किसी भी परिसर में अलग-अलग भवनों को अलग-अलग कारखानों के रूप में उपयोग करने के लिए अलग-अलग अधिभोगियों को पट्टे पर दिया जाता है, परिसर का स्वामी सामान्य सुविधाओं और सेवाओं जैसे कि संपर्क सड़कों, जल निकासी, जल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता के प्रावधान और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।</p> <p>(2) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को उप-नियम (1) के उपबंधों को पूरा करने के संबंध में परिसर के स्वामी को आदेश जारी करने की शक्ति होगी।</p> <p>(3) जहां किसी भी परिसर में, स्वतंत्र या स्व-निहित, फर्श या फ्लैट अलग-अलग कारखानों के रूप में उपयोग के लिए अलग-अलग अधिभोगियों को पट्टे पर दिए जाते हैं, परिसर का स्वामी उत्तरदायी होगा, जैसे कि वह किसी कारखाने का अधिभोगी या प्रबंधक था, इस संहिता के उपबंधों के किसी भी उल्लंघन के संबंध में-</p> <p>(एक) यदि हां, तो इन प्रयोजनों के लिए जल की सामान्य आपूर्ति के अनुरक्षण के संबंध में शौचालय, मूत्रालय और धुलाई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;</p> <p>(दो) स्वामी से संबंधित मशीनरी और संयंत्र की बाड़ लगाना और विशेष रूप से किसी अधिभोगी की हिरासत या उपयोग के लिए नहीं सौंपा गया है;</p> <p>(तीन) फ्लैटों के फर्श तक पहुंच के सुरक्षित साधन, और सीढ़ियों और सामान्य मार्गों का अनुरक्षण और सफाई;</p> <p>(चार) आग लगने के मामले में सावधानियां;</p> <p>(पांच) होइस्ट और लिफ्टों का अनुरक्षण; तथा</p> <p>(छह) परिसर में उपलब्ध कराई गई हिन्हीं अन्य सामान्य सुविधाओं का अनुरक्षण रखरखाव।</p> <p>(4) स्वामी के दायित्व से संबंधित उपबंध वहाँ लागू होंगे, जहां किसी परिसर में सामान्य शौचालयों, मूत्रालयों और धुलाई सुविधाओं के साथ स्वतंत्र कमरे अलग-अलग कारखानों के रूप में उपयोग के लिए अलग-अलग अधिभोगियों को पट्टे पर दिए गये हों।</p> <p>परन्तु यह कि स्वामी शौचालयों, मूत्रालयों और धुलाई सुविधा स्थलों के उपबंध और उनका अनुरक्षण करने रखरखाव करने से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।</p> <p>(5) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के पास संहिता की धारा 80 में निर्दिष्ट परिसर के स्वामी को आदेश जारी करने की शक्ति होगी।</p> <p>(6) जहां किसी परिसर में आंशिक भाग अथवा कक्ष अथवा शेड को अलग-अलग कारखानों के रूप में उपयोग के लिए अलग-अलग अधिभोगियों को पट्टे पर दिया, परिसर का स्वामी उपरोक्त नियम के उपबंधों के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा।</p>

<p>धारा 82 के अधीन खतरनाक विनिर्माण कार्य संचालन की प्रक्रिया</p>	<p>125.</p>	<p>(1) निम्नलिखित खतरनाक विनिर्माण कार्य संचालन प्रक्रिया या प्रचालन, कल्याणकारी सुख सुविधाएं, स्वच्छता सुविधाएं, सुरक्षात्मक उपकरण और कपड़े और खतरनाक संचालन के लिए आवश्यक अन्य आवश्यकताओं को इन नियमों के साथ अनुसूची-तीन से अनुसूची-पैंतीस में प्रदान किया गया है-</p> <table border="1" data-bbox="438 601 1125 1886"> <thead> <tr> <th data-bbox="438 601 550 669">अनुसूची सं.</th> <th data-bbox="550 601 1125 669">विशिष्टियाँ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="438 669 550 714">तीन</td> <td data-bbox="550 669 1125 714">वातित जल का विनिर्माण और उसके आनुषंगिक प्रक्रिया</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 714 550 759">चार</td> <td data-bbox="550 714 1125 759">सभी प्रकार की इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 759 550 805">पाँच</td> <td data-bbox="550 759 1125 805">विद्युत संचायकों का विनिर्माण और मरम्मत</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 805 550 850">छः</td> <td data-bbox="550 805 1125 850">कांच विनिर्माण और उससे संबंधित प्रक्रियाएं</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 850 550 918">सात</td> <td data-bbox="550 850 1125 918">धातुओं को पीसना या ग्लेज़िंग और उसके लिए आकस्मिक प्रक्रियाएं</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 918 550 963">आठ</td> <td data-bbox="550 918 1125 963">सीसा और सीसा के कुछ यौगिकों का विनिर्माण और उपचार</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 963 550 1009">नौ</td> <td data-bbox="550 963 1125 1009">खतरनाक पेट्रोलियम से गैस का उत्पादन</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1009 550 1099">दस</td> <td data-bbox="550 1009 1125 1099">संपीड़ित हवा या भाप के विस्फोट से प्रेरित, धातु के शॉट या ग्रिट या अन्य अपघर्षक के जेट द्वारा वस्तुओं की सफाई या चौरसाई करना</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1099 550 1190">ग्यारह</td> <td data-bbox="550 1099 1125 1190">लाइनिंग और टैनिंग कच्ची खाल और खाल और उसके लिए आनुषंगिक प्रक्रिया</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1190 550 1258">बारह</td> <td data-bbox="550 1190 1125 1258">प्रिंटिंग प्रेस और टाइप फाउंड्री पर की जाने वाली कतिपय लोड प्रक्रियाएं</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1258 550 1304">तेरह</td> <td data-bbox="550 1258 1125 1304">डाइक्रोमेट विनिर्माण</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1304 550 1349">चौदह</td> <td data-bbox="550 1304 1125 1349">रासायनिक कार्य</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1349 550 1417">पन्द्रह</td> <td data-bbox="550 1349 1125 1417">कार्बिनोजेनिक डाई इंटरमीडिएट का विनिर्माण अथवा अभिचालन</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1417 550 1485">सोलह</td> <td data-bbox="550 1417 1125 1485">बेंजीन और बेंजीन युक्त पदार्थों का विनिर्माण, संचालन और उपयोग</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1485 550 1530">सत्रह</td> <td data-bbox="550 1485 1125 1530">मिट्टी के बर्तनों का विनिर्माण</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1530 550 1598">अठारह</td> <td data-bbox="550 1530 1125 1598">पत्थर या मुक्त सिलिका युक्त किसी अन्य सामग्री का अभिचालन</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1598 550 1712">उन्नीस</td> <td data-bbox="550 1598 1125 1712">अभ्रक की हैंडलिंग और प्रसंस्करण, अभ्रक की किसी भी वस्तु का विनिर्माण और विनिर्माण की कोई अन्य प्रक्रिया या अन्यथा जिसमें अभ्रक का उपयोग किसी भी रूप में किया जाता है</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1712 550 1757">बीस</td> <td data-bbox="550 1712 1125 1757">संक्षारक पदार्थों की हैंडलिंग या अभिचालन</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1757 550 1825">इक्कीस</td> <td data-bbox="550 1757 1125 1825">पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संपीड़न</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1825 550 1886">बाइस</td> <td data-bbox="550 1825 1125 1886">विलायक निष्कर्षण संयंत्रों में वनस्पति और पशु स्रोतों से तेल और वसा निकालने की प्रक्रिया</td> </tr> </tbody> </table>	अनुसूची सं.	विशिष्टियाँ	तीन	वातित जल का विनिर्माण और उसके आनुषंगिक प्रक्रिया	चार	सभी प्रकार की इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया	पाँच	विद्युत संचायकों का विनिर्माण और मरम्मत	छः	कांच विनिर्माण और उससे संबंधित प्रक्रियाएं	सात	धातुओं को पीसना या ग्लेज़िंग और उसके लिए आकस्मिक प्रक्रियाएं	आठ	सीसा और सीसा के कुछ यौगिकों का विनिर्माण और उपचार	नौ	खतरनाक पेट्रोलियम से गैस का उत्पादन	दस	संपीड़ित हवा या भाप के विस्फोट से प्रेरित, धातु के शॉट या ग्रिट या अन्य अपघर्षक के जेट द्वारा वस्तुओं की सफाई या चौरसाई करना	ग्यारह	लाइनिंग और टैनिंग कच्ची खाल और खाल और उसके लिए आनुषंगिक प्रक्रिया	बारह	प्रिंटिंग प्रेस और टाइप फाउंड्री पर की जाने वाली कतिपय लोड प्रक्रियाएं	तेरह	डाइक्रोमेट विनिर्माण	चौदह	रासायनिक कार्य	पन्द्रह	कार्बिनोजेनिक डाई इंटरमीडिएट का विनिर्माण अथवा अभिचालन	सोलह	बेंजीन और बेंजीन युक्त पदार्थों का विनिर्माण, संचालन और उपयोग	सत्रह	मिट्टी के बर्तनों का विनिर्माण	अठारह	पत्थर या मुक्त सिलिका युक्त किसी अन्य सामग्री का अभिचालन	उन्नीस	अभ्रक की हैंडलिंग और प्रसंस्करण, अभ्रक की किसी भी वस्तु का विनिर्माण और विनिर्माण की कोई अन्य प्रक्रिया या अन्यथा जिसमें अभ्रक का उपयोग किसी भी रूप में किया जाता है	बीस	संक्षारक पदार्थों की हैंडलिंग या अभिचालन	इक्कीस	पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संपीड़न	बाइस	विलायक निष्कर्षण संयंत्रों में वनस्पति और पशु स्रोतों से तेल और वसा निकालने की प्रक्रिया
अनुसूची सं.	विशिष्टियाँ																																											
तीन	वातित जल का विनिर्माण और उसके आनुषंगिक प्रक्रिया																																											
चार	सभी प्रकार की इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया																																											
पाँच	विद्युत संचायकों का विनिर्माण और मरम्मत																																											
छः	कांच विनिर्माण और उससे संबंधित प्रक्रियाएं																																											
सात	धातुओं को पीसना या ग्लेज़िंग और उसके लिए आकस्मिक प्रक्रियाएं																																											
आठ	सीसा और सीसा के कुछ यौगिकों का विनिर्माण और उपचार																																											
नौ	खतरनाक पेट्रोलियम से गैस का उत्पादन																																											
दस	संपीड़ित हवा या भाप के विस्फोट से प्रेरित, धातु के शॉट या ग्रिट या अन्य अपघर्षक के जेट द्वारा वस्तुओं की सफाई या चौरसाई करना																																											
ग्यारह	लाइनिंग और टैनिंग कच्ची खाल और खाल और उसके लिए आनुषंगिक प्रक्रिया																																											
बारह	प्रिंटिंग प्रेस और टाइप फाउंड्री पर की जाने वाली कतिपय लोड प्रक्रियाएं																																											
तेरह	डाइक्रोमेट विनिर्माण																																											
चौदह	रासायनिक कार्य																																											
पन्द्रह	कार्बिनोजेनिक डाई इंटरमीडिएट का विनिर्माण अथवा अभिचालन																																											
सोलह	बेंजीन और बेंजीन युक्त पदार्थों का विनिर्माण, संचालन और उपयोग																																											
सत्रह	मिट्टी के बर्तनों का विनिर्माण																																											
अठारह	पत्थर या मुक्त सिलिका युक्त किसी अन्य सामग्री का अभिचालन																																											
उन्नीस	अभ्रक की हैंडलिंग और प्रसंस्करण, अभ्रक की किसी भी वस्तु का विनिर्माण और विनिर्माण की कोई अन्य प्रक्रिया या अन्यथा जिसमें अभ्रक का उपयोग किसी भी रूप में किया जाता है																																											
बीस	संक्षारक पदार्थों की हैंडलिंग या अभिचालन																																											
इक्कीस	पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संपीड़न																																											
बाइस	विलायक निष्कर्षण संयंत्रों में वनस्पति और पशु स्रोतों से तेल और वसा निकालने की प्रक्रिया																																											

		<table border="1"> <tr> <td>तेईस</td> <td>मैगनीज और उसके यौगिकों का विनिर्माण या अभिचालन</td> </tr> <tr> <td>चौबीस</td> <td>खतरनाक कीटनाशकों का विनिर्माण या अभिचालन</td> </tr> <tr> <td>पच्चीस</td> <td>कार्बन डाई-सल्फाइड संयंत्रों में विनिर्माण प्रक्रिया या संचालन</td> </tr> <tr> <td>छब्बीस</td> <td>उच्च शोर स्तर से जुड़े प्रचालन</td> </tr> <tr> <td>सत्ताईस</td> <td>विस्कोस प्रक्रिया द्वारा रेयान का विनिर्माण</td> </tr> <tr> <td>अठ्ठाईस</td> <td>अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ और ज्वलनशील संपीड़ित गैसों</td> </tr> <tr> <td>उन्नतीस</td> <td>कार्पेट और ऊनी ड्रगोट बनाना या उससे आनुषंगिक या उससे जुड़ा कोई कार्य</td> </tr> <tr> <td>तीस</td> <td>पीतल के बर्तन बनाना या उससे आनुषंगिक या उससे जुड़ा कोई भी कार्य</td> </tr> <tr> <td>इक्तीस</td> <td>ताला और हार्डवेयर बनाना या उससे आनुषंगिक या उससे जुड़ा कोई भी कार्य</td> </tr> <tr> <td>बतीस</td> <td>वेल्डिंग प्रक्रिया और उससे आनुषंगिक या उससे जुड़े कोई भी कार्य</td> </tr> <tr> <td>तैतीस</td> <td>तप्त धातुकर्म प्रक्रिया और उससे आनुषंगिक या उससे जुड़े कोई भी कार्य</td> </tr> <tr> <td>चौत्तीस</td> <td>उर्वरकों का विनिर्माण या अभिचालन</td> </tr> <tr> <td>पैंतीस</td> <td>कोल्ड स्टोरेज या मिल्क चिलिंग प्लांट या रेफ्रिजरेट के रूप में अमोनिया का उपयोग करके बर्फ का विनिर्माण और उससे आनुषंगिक प्रक्रियाएं</td> </tr> </table> <p>(2) नियम के साथ संलग्न अनुसूची-तीन से अनुसूची-पैंतीस में विनिर्दिष्ट उपबंध किसी भी वर्ग या कारखानों के विवरण पर लागू होंगे जहां ऐसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट खतरनाक विनिर्माण प्रक्रियाएं या संचालन किए जाते हैं।</p> <p>(3) उक्त प्रक्रियाओं या किसी अनुसूची के संचालन में नियोजित प्रत्येक कर्मकार अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि पर कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधिभोगी के खर्च पर आवश्यक रूप से पुनः परीक्षण करना होगा कारखाना चिकित्सा अधिकारी भी प्रपत्र -सात में स्वास्थ्य रजिस्टर में परीक्षणों और परिणामों की प्रकृति दर्ज करेंगे।</p> <p>(4) अनुसूची के अधीन चिकित्सा परीक्षण नियम 73 में यथाविहित अर्हता रखने वाले कारखानों चिकित्सा अधिकारी द्वारा संपादित की जाएगी।</p>	तेईस	मैगनीज और उसके यौगिकों का विनिर्माण या अभिचालन	चौबीस	खतरनाक कीटनाशकों का विनिर्माण या अभिचालन	पच्चीस	कार्बन डाई-सल्फाइड संयंत्रों में विनिर्माण प्रक्रिया या संचालन	छब्बीस	उच्च शोर स्तर से जुड़े प्रचालन	सत्ताईस	विस्कोस प्रक्रिया द्वारा रेयान का विनिर्माण	अठ्ठाईस	अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ और ज्वलनशील संपीड़ित गैसों	उन्नतीस	कार्पेट और ऊनी ड्रगोट बनाना या उससे आनुषंगिक या उससे जुड़ा कोई कार्य	तीस	पीतल के बर्तन बनाना या उससे आनुषंगिक या उससे जुड़ा कोई भी कार्य	इक्तीस	ताला और हार्डवेयर बनाना या उससे आनुषंगिक या उससे जुड़ा कोई भी कार्य	बतीस	वेल्डिंग प्रक्रिया और उससे आनुषंगिक या उससे जुड़े कोई भी कार्य	तैतीस	तप्त धातुकर्म प्रक्रिया और उससे आनुषंगिक या उससे जुड़े कोई भी कार्य	चौत्तीस	उर्वरकों का विनिर्माण या अभिचालन	पैंतीस	कोल्ड स्टोरेज या मिल्क चिलिंग प्लांट या रेफ्रिजरेट के रूप में अमोनिया का उपयोग करके बर्फ का विनिर्माण और उससे आनुषंगिक प्रक्रियाएं
तेईस	मैगनीज और उसके यौगिकों का विनिर्माण या अभिचालन																											
चौबीस	खतरनाक कीटनाशकों का विनिर्माण या अभिचालन																											
पच्चीस	कार्बन डाई-सल्फाइड संयंत्रों में विनिर्माण प्रक्रिया या संचालन																											
छब्बीस	उच्च शोर स्तर से जुड़े प्रचालन																											
सत्ताईस	विस्कोस प्रक्रिया द्वारा रेयान का विनिर्माण																											
अठ्ठाईस	अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ और ज्वलनशील संपीड़ित गैसों																											
उन्नतीस	कार्पेट और ऊनी ड्रगोट बनाना या उससे आनुषंगिक या उससे जुड़ा कोई कार्य																											
तीस	पीतल के बर्तन बनाना या उससे आनुषंगिक या उससे जुड़ा कोई भी कार्य																											
इक्तीस	ताला और हार्डवेयर बनाना या उससे आनुषंगिक या उससे जुड़ा कोई भी कार्य																											
बतीस	वेल्डिंग प्रक्रिया और उससे आनुषंगिक या उससे जुड़े कोई भी कार्य																											
तैतीस	तप्त धातुकर्म प्रक्रिया और उससे आनुषंगिक या उससे जुड़े कोई भी कार्य																											
चौत्तीस	उर्वरकों का विनिर्माण या अभिचालन																											
पैंतीस	कोल्ड स्टोरेज या मिल्क चिलिंग प्लांट या रेफ्रिजरेट के रूप में अमोनिया का उपयोग करके बर्फ का विनिर्माण और उससे आनुषंगिक प्रक्रियाएं																											
धारा 135 की उपधारा (2) के खंड (यकए) के अधीन गंभीर खतरे के कारण	126.	<p>(1) जहां निरीक्षक सुविधाप्रदाता को यह प्रतीत होता है कि किसी कारखाने या उसके हिस्से में स्थितियां ऐसी हैं कि वे उसमें नियोजित व्यक्तियों या आसपास के सामान्य लोगो को चोट या मृत्यु के रूप में गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती हैं, तो वह कारखाने के अधिभोगी को लिखित रूप में आदेश देकर, उन विवरणों का उल्लेख करते हुए जिसके संबंध में वह कारखाने या उसके भाग को इस तरह के गंभीर खतरे का कारण मानता है और ऐसे अधिभोगी को कारखाने में या उसके किसी भाग में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या से भिन्न खतरा दूर होने तक न्यूनतम कार्यों में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को</p>																										

<p>रोजगार को प्रतिबंधित करने की शक्ति</p>		<p>निषिद्ध कर सकता है।</p> <p>(2) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षक प्रदाता द्वारा निर्गत कोई आदेश तीन दिनों की अवधि के लिए प्रभावी होगा जब तक कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा सुविधा प्रदाता आदेश द्वारा विस्तारित नहीं किया जाता है।</p> <p>(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और उपधारा (2) के अधीन मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार में अपील करने का अधिकार होगा।</p> <p>(4) कोई भी व्यक्ति जिसका नियोजन उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश से प्रभावित हुआ है, वह मजदूरी और अन्य लाभों का हकदार होगा और जहां भी संभव हो और विहित तरीके से उसे वैकल्पिक रोजगार प्रदान करना अधिभोगी का कर्तव्य होगा।</p> <p>(5) उप-धारा (4) के उपबंध औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अधीन पक्षकारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।</p>
<p>धारा 83 की उप-धारा (1) के अधीन स्थल मूल्यांकन समिति</p>	<p>127.</p>	<p>(1) राज्य सरकार, खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखाने के प्रारंभिक स्थान के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए या ऐसे किसी कारखाने के विस्तार के लिए आवेदनों पर विचार करने की सलाह देने के लिए, श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में एक स्थल मूल्यांकन समिति नियुक्त कर सकती है, जिसमें सम्मिलित होंगे -</p> <p>(क) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता।</p> <p>(ख) निदेशक कारखाना का एक प्रतिनिधि;</p> <p>(ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि;</p> <p>(घ) पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश के एक प्रतिनिधि;</p> <p>(ङ) अग्निशमन सेवा महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी</p> <p>(च) मौसम विज्ञान विभाग, उत्तर प्रदेश के एक प्रतिनिधि;</p> <p>(छ) व्यावसायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ;</p> <p>(ज) राज्य सरकार के आवास और शहरी नियोजन विभाग का एक प्रतिनिधि; तथा</p> <p>(झ) पांच से अनधिक अन्य सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सहयोजित किया जा सकता है, जो होंगे-</p> <p>(एक) एक वैज्ञानिक जिसके पास कारखाने में अंतर्गत परिसंकमय प्रक्रिया का विशेष ज्ञान हो;</p> <p>(दो) स्थानीय प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि जिसके क्षेत्राधिकार में कारखाना स्थापित किया जाना है; तथा</p> <p>(तीन) तीन से अनधिक अन्य व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे।</p> <p>(2) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता उक्त समिति का सदस्य-सचिव होगा।</p> <p>(3) कोई भी सदस्य, जब तक कि विधि न्यायालय द्वारा करना अपेक्षित न हो, संहिता के उद्देश्य से अन्यथा, किसी भी समय विनिर्माण या वाणिज्यिक कारबार या किसी भी कार्य प्रक्रिया से संबंधित कोई भी जानकारी जो समिति के सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके ज्ञान में आ सकती है, प्रकट नहीं करेगा।</p> <p>(4) संहिता की धारा 2 (1) (यक) के अधीन आच्छादित कारखानों के संबंध में साइटों के मूल्यांकन के लिए आवेदन फॉर्म -49 में 15 प्रतियों के साथ समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे। समिति विचाराधीन आवेदन में किसी विशेष मद के बारे में सूचना प्रस्तुत करने से अभिव्यक्ति प्रदान कर सकती है।</p>

		<p>(5) जहाँ कोई प्रक्रिया केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले कारखाने या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम या कंपनी से संबंधित है, राज्य सरकार उस समिति के सदस्य के रूप में केंद्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि, स्थल मूल्यांकन समिति में सहयोजित करेगी।</p> <p>(6) स्थल मूल्यांकन समिति के पास परिसंकटमय प्रक्रिया से अंतर्ग्रस्त कारखाने की स्थापना या विस्तार के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से कोई भी जानकारी मांगने की शक्ति होगी।</p>
धारा 83 की उप-धारा (1) के अधीन स्थल मूल्यांकन समिति के कार्य	128.	<p>(1) समिति के सचिव साइट के मूल्यांकन के लिए प्राप्त आवेदनों को एक अलग रजिस्टर में पंजीकृत करने की व्यवस्था करेंगे और 7 दिनों की अवधि के भीतर इसे स्वीकार करेंगे।</p> <p>(2) समिति का सचिव अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से बैठक का समय और तारीख नियत करेगा और निर्णय के लिए प्राप्त और पंजीकृत सभी आवेदनों को समिति को संदर्भित करेगा।</p> <p>(3) समिति आवेदनों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने कामकाज के लिए एक प्रक्रिया अपना सकती है।</p> <p>(4) समिति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कारखाने के स्थान पर निषेध और प्रतिबंधों और विभिन्न क्षेत्रों में प्रक्रिया और संचालन करने के संदर्भ में किसी स्थल के मूल्यांकन के लिए आवेदन की परीक्षण करेगी।</p> <p>(5) यदि आवश्यक हो तो समिति दस्तावेज मंगवा सकती है, विशेषज्ञों का परीक्षण कर सकती है, स्थल का निरीक्षण कर सकती है और स्थल की उपयुक्तता के संबंध में अपना दृष्टिकोण तैयार करने के लिए अन्य कदम उठा सकती है।</p> <p>(6) जहाँ कहीं प्रस्तावित स्थल को उद्योग मंत्रालय अथवा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनापत्ति अपेक्षित हो, वहाँ ऐसी अनापत्ति प्राप्त होने के बाद ही समिति द्वारा स्थल मूल्यांकन पर विचार किया जाएगा।</p> <p>(7) खतरनाक प्रक्रिया से जुड़े कारखाने के प्रारंभिक स्थान के लिए या ऐसे कारखाने के विस्तार के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियाँ अंतर्विष्ट होंगी।</p> <p>(क) आवेदक का नाम और पता;</p> <p>(ख) स्थल स्वामित्व डेटा;</p> <p>(ग) स्थल का राजस्व ब्यौरा सर्वेक्षण संख्या, प्लॉट संख्या, आवंटन/पंजीकरण संख्या, आदि;</p> <p>(घ) ब्यौरा कि क्या इस स्थल को वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यदि हां, तो क्या भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 5 के अधीन केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है;</p> <p>(ङ) ब्यौरा कि क्या प्रस्तावित स्थल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(V) के प्रावधानों को आकर्षित करता है, यदि हां, तो प्रतिबंधों की प्रकृति;</p> <p>(च) स्थानीय प्राधिकरण जिसके अधिकारिता क्षेत्र में स्थल स्थित है;</p> <p>(छ) स्वामित्व के दस्तावेजी साक्ष्य;</p> <p>(ज) स्पष्ट चिन्हांकन, अर्जित किये जाने हेतु प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल और प्रस्तावित</p>

स्थल के समीप स्थित निम्नलिखित के सम्बन्ध में दर्शाया गया ब्यौरा-

- (एक) आसपास में ऐतिहासिक स्मारक, यदि कोई हो;
- (दो) पड़ोसी विनिर्माण इकाइयों और मानव आवासों, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों, पेट्रोल प्रतिष्ठानों, आसपास के क्षेत्र में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस और अन्य खतरनाक पदार्थों के भंडारण और प्रस्तावित इकाई से उनकी दूरी
- (तीन) आसपास जल स्रोत (नदी, धाराएं, नहरें, बांध और जल शोधन संयंत्र आदि);
- (चार) प्रस्तावित इकाई से निकटतम अस्पतालों, अग्निशमन केन्द्रों, नागरिक सुरक्षा स्टेशनों और पुलिस स्टेशनों की दूरी;
- (पाँच) उच्च तनाव विद्युत परिषण लाइनें, पानी, तेल, गैस या मलवहन के लिए पाइपलाइन;
- (छः) रेलवे लाइनें, सड़कें, स्टेशन, जेटी गैस और आसपास में अन्य समरूप अधिष्ठान;
- (सात) मृदा की स्थिति और गहराई का ब्यौरा जिस पर कठोर स्तर अभिप्राप्त किए जा सकते हैं;
- (आठ) समीप के टीलों और स्तरों में अंतर दर्शाते हुए कारखाना का समोच्च मानचित्र ;
- (नौ) प्रवेश और निकास बिंदुओं के भीतर सड़कों, पानी की नालियों आदि को दर्शाते हुए कारखाने की भूखण्ड योजना।
- (दस) परियोजना रिपोर्ट में निम्नलिखित ब्यौरा दिए गए हैं: -
(ग्यारह) परियोजना के मुख्य तत्वों का सारांश;
(बारह) संगठन की प्रास्थिति (सरकारी, अर्ध-सरकारी, सार्वजनिक या निजी आदि);
(तेरह) कारखाने में संभावित रूप से नियोजित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या;
(चौदह) बिजली और पानी की अधिकतम आवश्यकता और उनकी आपूर्ति के स्रोत;
(पंद्रह) प्रस्तावित इकाई में भवनों और प्रतिष्ठानों के ब्लॉक आरेख; तथा
(सोलह) प्रस्तावित आवासन कॉलोनी, अस्पताल, विद्यालय और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विवरण।

(अ) प्रस्तावित विनिर्माण इकाई/कारखाने के लिए संगठनात्मक संरचना दर्शा रही है:-

- (एक) सामान्य रूप से प्रस्तावित उद्यम का संगठन आरेख, और स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण विभाग और संचालन और तकनीकी विभाग से उनका संबंध;
- (दो) प्रस्तावित स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति;
- (तीन) अपशिष्ट और बहिः स्रावअपशिष्टों के उपचार के लिए आवंटित क्षेत्र; तथा
- (चार) सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण उपायों पर परिव्यय का प्रतिशत।

(ख) साइट से संबंधित मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़े जिसमें निम्नलिखित दर्शित किये

	<p>जायेंगे -</p> <p>(एक) पिछले दस वर्षों के दौरान औसत, न्यूनतम और अधिकतम तापमान, आर्द्रता और वायुवेग;</p> <p>(दो) हवा की दिशा की मौसमी विविधताएं;</p> <p>(तीन) क्षेत्र में बाढ़ के दौरान अब तक अभिलिखित उच्चतम जल स्तर तक पहुंच; तथा</p> <p>(चार) क्षेत्र का तडित और भूकंपीय आंकड़े।</p> <p>(ठ) संचार लिंक दर्शा रहे हैं: -</p> <p>(एक) वाहय संचार के लिए टेलीफोन/टेलीक्स/वायरलेस और अन्य संचार सुविधाओं की उपलब्धता; तथा</p> <p>(दो) प्रस्तावित आंतरिक संचार सुविधाएं।</p> <p>(ड) विनिर्माण प्रक्रिया की सूचना जिसमें दर्शित किये जायेंगे: -</p> <p>(एक) प्रक्रिया प्रवाह अरेख विनिर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में तापमान, दबाव आदि जैसे प्रक्रिया मापदंडों को दर्शाने वाला विस्तृत;</p> <p>(दो) प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी पर संक्षिप्त लेखन;</p> <p>(तीन) महत्वपूर्ण प्रक्रिया के मानदण्ड यथा दबाव निर्माण, तापमान वृद्धि और रन अवे की दशाएं;</p> <p>(चार) सुरक्षा निहितार्थ वाली प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण अन्य वाहय प्रभाव, जैसे नमी या पानी का प्रवेश, असंगत पदार्थों के साथ संदंश, अचानक बिजली की विफलता; तथा</p> <p>(पाँच) अंतर्निहित सुरक्षा/प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों या विनिर्माण प्रौद्योगिकी में शामिल उपायों की मुख्य विशेषताएं।</p> <p>(ढ) खतरनाक सामग्रियों की सूचनाएं जिसमें दर्शित किए जाएंगे: -</p> <p>(एक) कच्चे माल, मध्यवर्ती, उत्पाद और उप-उत्पाद और उनकी मात्रा (प्रत्येक खतरनाक पदार्थ के संबंध में सामग्री सुरक्षा आकडा पत्र के साथ संलग्न);</p> <p>(दो) कच्चे माल/मध्यवर्ती/उत्पादों के लिए प्रस्तावित मुद्दय और मध्यवर्ती भंडारण (किसी भी समय संग्रहीत की जाने वाली अधिकतम मात्रा)</p> <p>(तीन) माल के अंतर्ग्रह और बहिर्वाह के लिए उपयोग की जाने वाली परिवहन विधियां, उनकी मात्रा और अनुसरण किये जाने वाले संभावित मार्ग, तथा</p> <p>(चार) माल की उठाई-घराई के प्रस्तावित सुरक्षा उपाय, आंतरिक और बाहरी परिवहन, और निपटान (तैयार उत्पादों की पैकिंग और अग्रेषण)</p> <p>(ण) अपशिष्टों और प्रदूषकों के फैलाव/निपटान की सूचनायें, जिसमें दर्शित किये जायेंगे: -</p> <p>(एक) प्रमुख प्रदूषक (गैस, तरल, ठोस), उनकी विशेषताएं और मात्रा (औसत और चरम भार पर);</p> <p>(दो) जनित ठोस अपशिष्ट की गुणवत्ता और मात्रा, उनके उपचार और निपटान की पद्धतियाँ; और</p> <p>(तीन) वायु, जल और मृदा प्रदूषण प्रत्याशित समस्याएं और उन्हें</p>
--	--

		<p>नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित उपाय, जिसमें बहिस्कारों का उपचार और निपटान शामिल है।</p> <p>(ता) खतरनाक प्रक्रिया संबंधी सूचनाओं के साथ: -</p> <p>(एक) पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर रिपोर्ट की एक प्रति;</p> <p>(दो) जोखिम मूल्यांकन अध्ययन पर रिपोर्ट की एक प्रति; तथा</p> <p>(तीन) दुर्घटना की स्थितियों/व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों या इसी तरह के संयंत्रों पर कहीं और (देश के भीतर या बाहर) प्रकाशित (खुली या वर्गीकृत) रिपोर्टें, यदि कोई हों।</p> <p>(थ) प्रस्तावित सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य उपायों की सूचना के साथ: -</p> <p>(एक) अग्निशमन सुविधाओं और पानी की न्यूनतम मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड और/या आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक अन्य अग्निशमन उपायों का विवरण; तथा</p> <p>(दो) प्रस्तावित गृह चिकित्सा सुविधाओं का विवरण।</p> <p>(द) आपातकालीन तैयारियों की सूचना जिसमें दर्शित किये जायेंगे: -</p> <p>(१) कार्यस्थल की आपातकालीन योजना और विस्तृत आपदा नियंत्रण उपाय; तथा</p> <p>(२) पड़ोसी कारखानों के समूह के साथ पारस्परिक सहायता योजना के लिए प्रस्तावित व्यवस्था, यदि कोई हो।</p> <p>(ध) अन्य कोई सुसंगत सूचना।</p> <p>(८) उप-नियम (7) में उल्लिखित आवेदन आवेदक द्वारा निम्नलिखित रीति से प्रमाणित किया जाएगा:</p> <p>"मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है और इसे प्रस्तुत करते समय किसी महत्वपूर्ण बात को छिपाया नहीं गया है।</p> <p style="text-align: right;">आवेदक के हस्ताक्षर आवेदक का पूरा नाम और पता"</p>
धारा 83 की उप-धारा (2) के अधीन स्थल मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र	129	<p>स्थल मूल्यांकन समिति खतरनाक प्रक्रिया से युक्त कारखाने की स्थापना के लिए आवेदन की जांच करेगी और निर्धारित प्रपत्र-50 में ऐसे आवेदन की प्राप्ति के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।</p>
धारा 84 की उप-धारा (1) के अधीन पदार्थ सुरक्षा	130	<p>सूचना का संग्रहण, विकास और प्रसार-</p> <p>(1) खतरनाक प्रक्रिया को करने वाले प्रत्येक कारखाने के अभियोगी को कारखाने में निर्माण, परिवहन और भंडारण में संभाले जाने वाले प्रत्येक खतरनाक पदार्थ या सामग्री के संबंध में सामग्री सुरक्षा डेटा शीट (एमएसडीएस) के रूप में जानकारी</p>

<p>डाटा शीट पर खतरनाक पदार्थों की सूचना अभिप्राप्त करना या विकसित करना</p>	<p>प्राप्त करने या विकसित करने की व्यवस्था करनी होगी। यह किसी कर्मकार के अनुरोध पर संदर्भ संदर्भ हेतु उपलब्ध होगा।</p> <p>(क) ऐसी प्रत्येक सामग्री सुरक्षा डेटा शीट में निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी:</p> <p>(एक) लेबल पर प्रयुक्त पहचान चिह्न;</p> <p>(दो) पदार्थ के खतरनाक तत्व;</p> <p>(तीन) खतरनाक पदार्थ की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं;</p> <p>(चार) खतरनाक पदार्थ के भौतिक खतरे, जिसमें आग, विस्फोट और प्रतिक्रियाशीलता की संभावना समाविष्ट है;</p> <p>(पाँच) खतरनाक पदार्थ के स्वास्थ्य खतरे, जिसमें जोखिम के संकेत और लक्षण तथा कोई भी चिकित्सा स्थिति सम्मिलित है, जिसे आम तौर पर पदार्थ के संपर्क में आने से बढ़ने के रूप में पहचाना जाता है;</p> <p>(छः) प्रवेश का प्राथमिक मार्ग या मार्गों;</p> <p>(सात) अनुसूची-सैतिस में विहित अभिदर्शन की अनुज्ञेय सीमा;</p> <p>(आठ) खतरनाक पदार्थ के सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए कोई भी आम तौर पर लागू सावधानियां, जो ज्ञात हैं, जिसमें उचित स्वच्छता प्रथाएं, दूषित उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के दौरान सुरक्षात्मक फैलाव और लीक की सफाई के लिए प्रक्रियाएं;</p> <p>(नौ) कोई भी आम तौर पर लागू नियंत्रण उपाय, जैसे उपयुक्त इंजीनियरिंग नियंत्रण, कार्य अभ्यास, या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग;</p> <p>(दस) आपातकालीन और प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रियाएं;</p> <p>(ग्यारह) सामग्री सुरक्षा डेटा शीट तैयार करने की तारीख, या उसमें अंतिम परिवर्तन;</p> <p>(बारह) सामग्री सुरक्षा डेटा शीट तैयार करने या वितरित करने वाले निर्माता, आयातक, अधिभोगी या अन्य जिम्मेदार पक्ष का नाम, पता और टेलीफोन नंबर, जो खतरनाक पदार्थ और यदि आवश्यक हो तो उचित आपातकालीन प्रक्रियाओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर सकता है।</p> <p>(ख) किसी खतरनाक पदार्थ के संबंध में सामग्री सुरक्षा डेटा शीट प्राप्त करने या विकसित करने के दौरान अधिभोगी यह सुनिश्चित करेगा कि सटीक रूप से दर्ज की गई जानकारी, खतरे का निर्धारण करने में उपयोग किए जाने वाले वैज्ञानिक साक्ष्य को दर्शाती है। यदि वह खतरों के बारे में किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो जाता है, तो नई जानकारी को जल्द से जल्द सामग्री सुरक्षा डेटा शीट में जोड़ा जाएगा।</p> <p>(ग) ऐसी सामग्री सुरक्षा डेटा शीट का एक उदाहरण अनुसूची-छत्तीस में दिया गया है।</p> <p>(2) किसी खतरनाक पदार्थ के प्रत्येक कंटेनर पर स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा या पहचाना जाएगा: -</p> <p>(क) कंटेनर की अंतर्वस्तु;</p> <p>(ख) खतरनाक पदार्थों के निर्माता या आयातक का नाम और पता;</p> <p>(ग) शारीरिक और स्वास्थ्य खतरे; तथा</p>
--	--

		(घ) खतरनाक पदार्थ के साथ सुरक्षित रूप से काम करने के लिए आवश्यक अनुशसित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण।
धारा 84 की उप-धारा (1) के अधीन कर्मचारियों के समक्ष सूचना का प्रकटीकरण	131	<p>(1) खतरनाक प्रक्रिया क्रियान्वित को करने वाले प्रत्येक कारखाने के अधिभोगी समस्त कर्मचारियों को विनिर्माण, परिवहन, भंडारण और अन्य प्रक्रिया में खतरनाक सामग्रियों या पदार्थों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रदान करेंगे:</p> <p>(क) संहिता की धारा 84, 85 और 89 की अपेक्षाएं;</p> <p>(ख) कारखाने में संचालित की जाने वाली खतरनाक प्रक्रिया की एक सूची;</p> <p>(ग) नियम-130 के अनुसार समस्त सामग्री सुरक्षा डेटा शीट की अवस्थिति और उपलब्धता;</p> <p>(घ) पदार्थों के संपर्क में आने या संभालने से उत्पन्न होने वाले शारीरिक और स्वास्थ्य सम्बंधी खतरे;</p> <p>(ङ) शारीरिक और स्वास्थ्य खतरों की सुरक्षा और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अधिभोगी द्वारा किए गए उपाय;</p> <p>(च) खतरनाक पदार्थों की उठाई-धराई, सुरक्षित संचालन, भंडारण और परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले उपाय;</p> <p>(छ) खतरनाक संचालनों की खतरनाक प्रक्रिया में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण;</p> <p>(ज) इन नियमों के अधीन खतरनाक पदार्थों के कंटेनरों पर प्रयुक्त विभिन्न लेबलों और चिह्नों का अर्थ;</p> <p>(झ) खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आने पर प्रकट होने वाले संकेत और लक्षण और किसे रिपोर्ट करना है;</p> <p>(ञ) किसी खतरनाक पदार्थ के फैलाव या रिसाव के मामले में कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले उपाय;</p> <p>(ट) कारखाने की आपातकालीन योजना के साथ-साथ कर्मचारियों की भूमिका, विशेष रूप से निकासी प्रक्रियाएं;</p> <p>(ठ) कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए अधिभोगी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कोई भी अन्य जानकारी।</p> <p>(2) उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित सूचना को संकलित किया जाएगा और कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से पुस्तिकाओं या पत्रकों की आपूर्ति और कार्यस्थलों पर चेतावनी नोटिस के प्रदर्शन के माध्यम से अवगत कराया जाएगा।</p> <p>(3) कारखाने ने में प्रदर्शित पुस्तिकाएं, पत्रक और चेतावनी नोटिस अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होंगे और उन्हें समझाया भी जाएगा।</p> <p>(4) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता अधिभोगी को आवश्यक समझे जाने पर कर्मचारियों को और अधिक जानकारी प्रदान करने का निदेश दे सकता है।</p>
धारा 84 की उप-धारा (1)	132.	(1) खतरनाक प्रक्रिया करने वाले प्रत्येक कारखाने के अधिभोगी, धारा 84 की उप-धारा (1) के अधीन कर्मचारियों को दी गई समस्त सूचनाओं की एक प्रति लिखित रूप में मुख्य

<p>के अधीन मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, स्थानीय प्राधिकारी को सूचना का प्रकटीकरण</p>		<p>निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>(2) कारखाने में प्रयुक्त, उत्पादित या संग्रहीत खतरनाक पदार्थों के संबंध में सामग्री सुरक्षा डेटा शीट के संकलन की एक प्रति मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और स्थानीय निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को प्रस्तुत की जाएगी।</p> <p>(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के अधीन दी गई सूचना की एक प्रति उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट और उप-मंडल मजिस्ट्रेट को भी भेजी जाएगी जहां प्रतिष्ठान स्थित है।</p> <p>(4) खतरनाक प्रक्रिया उद्योग के अधिभोगी को मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना भी प्रस्तुत करनी होगी:</p> <p>(क) कारखाने का नाम:</p> <p>(ख) पता:</p> <p>(ग) उत्पाद</p> <p>(घ) विनिर्माण प्रक्रिया:</p> <p>(1) कच्चा माल:</p> <p>(2) नाम और अधिकतम भंडारण क्षमता:</p> <p>(ड.) अंतिम उत्पाद:</p> <p>(एक) नाम और अधिकतम भंडारण क्षमता:</p> <p>(च) मध्यवर्ती उत्पाद:</p> <p>(एक) नाम और अधिकतम भंडारण क्षमता:</p> <p>(छ) कारखाने के साथ संबद्ध खतरे:</p> <p>(ज) अपनाए गए सुरक्षात्मक सुरक्षा उपाय :</p> <p>(झ) आग और विस्फोट का जोखिम:</p> <p>(ञ) खतरनाक अवशिष्ट के निस्ताण के ब्योरे।</p>
<p>धारा 84 की उप-धारा (1) के अधीन आस-पास रहने वाली आम जनता को सूचना का प्रकटीकरण</p>	<p>133.</p>	<p>(1) 'खतरनाक प्रक्रिया संपादित करने वाले प्रत्येक कारखाने के अधिभोगी को राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जिला आपातकालीन प्राधिकरण के परामर्श से आम जनता को सूचित करने के लिए उचित कदम उठाएगा, जो उस क्षेत्र में होने की संभावना है जो दुर्घटना से प्रभावित हो सकता है।</p> <p>(2) ऐसी सूचना में सम्मिलित होंगे:</p> <p>(क) कारखाने का नाम और पता जहां स्थित है;</p> <p>(ख) सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान, नाम और स्थिति से;</p> <p>(ग) इस बात की पुष्टि कि कारखाने को कारखाना निदेशालय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त है;</p> <p>(घ) परिसर में संपादित की जाने वाली खतरनाक प्रक्रिया (प्रक्रियाओं) के सरल शब्दों में एक स्पष्टीकरण;</p> <p>(ङ) उपयोग किए जाने वाले खतरनाक पदार्थों के सामान्य नाम जिनसे दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है और उनकी प्रमुख हानिकारक विशेषताओं के संकेत;</p> <p>(च) प्रासंगिक सुरक्षा कानूनों के तहत अधीन अपने कानूनी दायित्वों के अनुपालन में ऐसी दुर्घटना के जोखिम को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों का संक्षिप्त विवरण;</p> <p>(छ) कारखाने में अपनाए गए अनुमोदित आपदा नियंत्रण उपायों की मुख्य विशेषताएं;</p>

		<p>(ज) आम जनता के लिए कारखाने की आपातकालीन चेतावनी प्रणाली का विवरण;</p> <p>(झ) चेतावनी सुनने पर जनता को क्या कार्यवाई करनी चाहिए इस सम्बन्ध में सामान्य सलाह;</p> <p>(ञ) कारखाने में की गई व्यवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण, जिसमें आपातकालीन सेवाओं के साथ संपर्क भी शामिल है, दुर्घटनाओं से निपटा और उनके प्रभावों को कम किया जा सके; और</p> <p>(ट) जहाँ से आगे की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इसका विवरण।</p>
धारा 84 की उप-धारा (2) के अधीन स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति	134.	<p>(1) "खतरनाक प्रक्रिया" वाले प्रत्येक कारखाने के अधिभोगी को संहिता और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यस्थल पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में अपनी नीति का एक लिखित विवरण तैयार करना होगा और इसे अधिकारिता वाले मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता तिमाही आधार पर दें और यदि उक्त नीति में कोई परिवर्तन होता है तो 15 दिनों के भीतर।</p> <p>(2) स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होना चाहिए या इससे व्यवहार में होना चाहिए-</p> <p>(क) स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति संहिता और अन्य प्रासंगिक कानूनों की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप होगी;</p> <p>(ख) संगठनात्मक ढांचा विभिन्न स्तरों पर स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी सौंपने वाली घोषित नीति का पालन करेगा, और</p> <p>(ग) नीति को प्रभावी बनाने की व्यवस्था।</p> <p>(3) विशेष रूप से, स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति में निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करना चाहिए</p> <p>(क) कर्मचारियों को शामिल करने की व्यवस्था;</p> <p>(ख) विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उनकी कैरियर उन्नति पर विचार करने का आशय;</p> <p>(ग) परिसर में प्रवेश करने वाले ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों, परिवहकों और अन्य एजेंसियों की जिम्मेदारी;</p> <p>(घ) कारखाने के वार्षिक रिपोर्ट में स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन का पुनः आरम्भ करना;</p> <p>(ङ) स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण की स्थिति के आवधिक निर्धारण करने और समस्त उपचारात्मक उपाय करने के लिए लेखा परीक्षा और जोखिम निर्धारण जैसे खतरा और संचालन क्षमता अध्ययन (एच ए जेड ओ पी) आदि जैसी प्रासंगिक तकनीकें और विधियाँ तथा अन्य सुरक्षा तकनीकें;</p> <p>(च) संयंत्र, उपकरण, मशीनरी और सामग्री की खरीद के साथ-साथ कर्मियों के चयन और नियुक्ति से संबंधित समस्त निर्णयों में स्वास्थ्य और सुरक्षा को एकीकृत करने के लिए इसका आशय; तथा</p> <p>(छ) अपने कर्मचारियों को विभिन्न स्तरों पर और जनता व जहाँ भी आवश्यक हो, सूचित करने, शिक्षित करने और प्रशिक्षण देने और पुनः प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करना।</p> <p>(4) अधिभोगी द्वारा हस्ताक्षरित घोषित स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति की एक प्रति मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को उपलब्ध करायी</p>

		<p>जाएगी।</p> <p>(5) स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति को व्यापक रूप जाना जाएगा:- (क) संविदा कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं, परिवहन कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं आदि सहित समस्त कर्मचारियों को प्रतियां उपलब्ध कराना; (ख) अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में सहज दृश्य स्थानों पर नीति की प्रतियां प्रदर्शित करना; तथा (ग) संचार का कोई अन्य साधन।</p> <p>(6) जितनी बार उचित हो सुरक्षा नीति को पुनरीक्षित करेंगे, लेकिन इसे निम्नलिखित परिस्थितियों में आवश्यक रूप से संशोधित किया जाएगा: - (क) जहां कहीं भी कोई विस्तार या संशोधन किया जाता है जिसमें कार्यस्थल पर व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है; या (ख) जब कभी विनिर्माण प्रक्रिया में नए पदार्थ या वस्तुएं प्रविष्टकी जाती हैं, जिनका ऐसे पदार्थों या वस्तुओं के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।</p>
धारा 84 की उप-धारा (7) के अधीन औद्योगिक अपशिष्टों पर सूचना	135.	<p>(1) नियम 129 से नियम 131 के अधीन दी गई सूचना में प्रति दिन उत्पन्न ठोस और तरल अपशिष्टों की मात्रा, उनकी विशेषताएं और उपचार के तरीके जैसे ठोस अपशिष्टों का भस्मीकरण, तरल अपशिष्टों का रासायनिक और जैविक उपचार और उनके अंतिम निपटान की व्यवस्था सम्मिलित होगी।</p> <p>(2) इसमें स्टैक या अन्य छिद्रों के माध्यम से गैसीय अपशिष्ट निर्वहन की गुणवत्ता और मात्रा के बारे में जानकारी भी सम्मिलित होगी और पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए की गई इसी तरह की व्यवस्थाओं के स्क्रबर्स, साइक्लोन सेपरेटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर के उपबंध जैसी व्यवस्थाएं भी सम्मिलित होंगी।</p> <p>(3) अधिभोगी उप-नियम (1) और (2) में निर्धारित विहित सूचना भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।</p>
धारा 84 की उप-धारा (5) के अधीन खतरनाक प्रक्रिया में लगाए जाने के लिए प्रस्तावित कारखाने के अधिभोगी द्वारा मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को सूचित करना।	136.	<p>(1) अधिभोगी/नियोक्ता धारा 84 की उप-धारा (5) के अधीन खतरनाक प्रक्रिया से जुड़े कारखाने की सूचना को प्रकट करेगा, अर्थात्: (क) खतरनाक प्रक्रिया से जुड़े प्रत्येक कारखाने के अधिभोगी को वास्तविक संचालन और रासायनिक अभिक्रियाओं दोनों से शामिल सभी खतरों की पहचान करनी होगी। कच्चे माल के गुणों, बनाए जाने वाले अंतिम उत्पादों और प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किसी भी उप-उत्पाद का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाएगा और कर्मचारियों पर प्रभाव सहित किसी भी खतरे से निपटने के लिए उपबंध किए जाएंगे, जो विनिर्माण के दौरान हो सकते हैं। (ख) उप-नियम (1) में उल्लिखित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, इसके खतरों और डिजाइन चरण से निपटान चरण तक उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों का विवरण देने वाली निम्नलिखित रूपविधान में सूचना मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को यथाशीघ्र ऑनलाइन के माध्यम से प्रेषित की जानी चाहिए और किसी भी स्थिति में खतरनाक हैंडलिंग प्रक्रिया से जुड़े विनिर्माण या भण्डारण आदि करने से 30 दिन पूर्व प्रेषित की जानी चाहिए।</p> <p>(2) खतरनाक प्रक्रिया उद्योग के अधिभोगी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना:</p>

		<p>(क) फैक्टरी का नाम:</p> <p>(ख) पता</p> <p>(ग) विनिर्माण प्रक्रिया विवरण (रासायनिक कारखाने की सामग्री के मामले में समस्त अभिक्रियाओं का संतुलन संलग्न किया जाएगा)</p> <p>(घ) उपयोग किए गए कच्चे माल (नाम, भंडारण का तरीका, अधिकतम भंडारण क्षमता)</p> <p>(ङ) तैयार उत्पाद (नाम और अधिकतम भंडारण क्षमता)</p> <p>(च) मध्यवर्ती उत्पाद (नाम और अधिकतम भंडारण क्षमता).....</p> <p>(छ) पहचाने गए खतरों (रासायनिक कारखाने के मामले में एच ए जेड ओ पी पर आधारित रसायनों की प्रक्रिया के खतरों, भंडारण और हैंडलिंग को संलग्न किया जाएगा)</p> <p>(ज) उपचारात्मक उपाय (उपकरण, प्रक्रिया नियंत्रण, अभियान्त्रिकी नियंत्रण और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए इनबिल्ट सुरक्षा प्रणाली):</p> <p>(झ) खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए विवरण:</p> <p style="text-align: right;">नाम के साथ अधिभोगी के हस्ताक्षर</p> <p>(3) उपर्युक्त सूचना को उपरोक्त किसी भी सूचना, तकनीकी प्रगति या ऑनलाइन के माध्यम से तीन साल में एक बार बदलने के तुरंत बाद संशोधित और अद्यतन किया जाएगा।</p> <p>(4) उपर्युक्त उपबंधों के अनुपालन के लिए मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा मांगी गई कोई भी अतिरिक्त सूचना भी प्रस्तुत की जाएगी।</p>
धारा 84 की उप-धारा (7) के अधीन कर्मचारियों और आम जनता को दी गई सूचना	137.	<p>(1) इन नियमों के नियम-130 से नियम-132 के अधीन दी गई सूचना को कारखाने के गेट या गेट पर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करके प्रचारित किया जाएगा और ऐसी सूचना जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को भी दी जाएगी।</p> <p>(2) यह अधिभोगी/नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसी सूचना को आम जनता के बीच व्यापक रूप से प्रचारित करे।</p>
धारा 133 की उपधारा (2) के खंड (ययध) के अधीन सूचना की गोपनीयता	138.	<p>(1) 'खतरनाक प्रक्रिया' अपनाए जाने वाले कारखाने का अधिभोगी, कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक समस्त सूचनाओं को प्रकट करेंगे-</p> <p>(क) उसके कर्मकार, और</p> <p>(ख) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, जिसकी अधिकारिता है,</p> <p>जैसा कि इन नियमों के अधीन अपेक्षित है। यदि अधिभोगी की राय है कि प्रक्रिया और फॉर्मूलेशन के बारे में विवरण के प्रकटीकरण से उसके व्यावसायिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो वह मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को ऐसी सूचना रोकने का कारण बताते हुए एक अभ्यावेदन दे सकता है। मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता अधिभोगी को सुनवाई का अवसर देने के बाद अभ्यावेदन पर एक आदेश पारित करेगा।</p>

		(2) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के आदेश से व्यथित कोई अधिभोगी तीस दिनों की अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है और राज्य सरकार अधिभोगी को सुनवाई का अवसर देने के बाद एक आदेश पारित करेगी।
धारा 85 की उप-धारा (क) के अधीन चिकित्सा परीक्षा	139.	<p>(1) खतरनाक प्रक्रिया में नियोजित कर्मचारियों को एक योग्य चिकित्सक द्वारा चिकित्सा परीक्षा की जाएगी, जिसे आगे कारखाना चिकित्सा अधिकारी कहा गया है, द्वारा निम्नलिखित रीति से की जाएगी:-</p> <p>(क) नियोजन से पूर्व एक बार, किसी विशेष कार्य को करने के लिए व्यक्ति की शारीरिक योग्यता की जांच करने के लिए;</p> <p>(ख) व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों, जिनसे कर्मकार प्रभावित होते हैं, के संबंध में समस्त कर्मकारों की स्वास्थ्य प्रास्थिति को सुनिश्चित करने हेतु 06 माह की अवधि में एक बार, और ऐसे किसी कर्मकार, जिसके मामले कारखाना चिकित्सा अधिकारी की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है, के सम्बन्ध में किसी अल्पतर अंतराल पर;</p> <p>(ग) उपरोक्त के रूप में किए गए पूर्व-रोजगार और आवधिक चिकित्सा परीक्षाओं का विवरण प्रपत्र-7 में स्वास्थ्य रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा।</p> <p>(2) किसी भी व्यक्ति को कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए प्रपत्र-8 में स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना पहली बार नियोजित नहीं किया जाएगा। यदि कारखाना चिकित्सा अधिकारी किसी व्यक्ति को उप-नियम (1) के अधीन आच्छादित किसी प्रक्रिया में नियोजन के लिए अनुपयुक्त घोषित करता है, तो उसे उस क्षेत्र के निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के पास अपील करने का अधिकार होगा, जो एक चिकित्सा अधिकारी के परामर्श के पश्चात् अपील का विनिश्चय करेगा जो इस संबंध में अंतिम होगा।</p> <p>(3) कारखाना चिकित्सा अधिकारी के किसी निष्कर्ष में किसी प्रक्रिया में नियोजित किसी व्यक्ति की किसी असामान्यता या अनुपयुक्तता पाये जाने पर वह संबंधित कर्मकार का परीक्षण करेगा और अपने निष्कर्षों की संसूचना 30 दिन के भीतर अधिभोगी को देगा। यदि चिकित्सा अधिकारी की राय है कि इस प्रकार परीक्षित कर्मकार को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रक्रिया से पृथक किया जाना अपेक्षित है, तो वह अधिभोगी को तदनुसार निर्देशित करेगा जो उक्त कर्मकार को उक्त कार्य प्रक्रिया में नियोजित नहीं करेगा तथापि इस प्रकार पृथक किये गये कर्मकार को तब तक ऐसा प्लेसमेंट प्रदान किया जाएगा जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्णतः अक्षम न हो जिसमें प्रभावित कर्मकार का उपयुक्त पुनर्वास किया जाएगा।</p> <p>(4) एक चिकित्सा अधिकारी अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या एक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के संदर्भ पर एक खतरनाक प्रक्रिया में अपने नियोजन की उपयुक्तता अभिनिश्चित करने का पता लगाने या उसके स्वास्थ्य की प्रास्थिति अभिनिश्चित करने के लिए किसी कर्मकार का चिकित्सा परीक्षण कर सकता है। ऐसे मामले में चिकित्सा अधिकारी की राय अंतिम होगी। इस चिकित्सा परीक्षण के लिए अपेक्षित शुल्क का संदाय अधियोग द्वारा किया जाएगा।</p> <p>(5) उप-नियम (2) के तहत अधीन किसी प्रक्रिया में नियोजन से पृथक किये गए कर्मकार को चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् और</p>

		<p>स्वास्थ्य रजिस्टर में इस आशय की प्रविष्टियां करने के पश्चात ही उसी प्रक्रिया में पुनः नियोजित किया जा सकता है।</p> <p>(6) इस नियमावली के अधीन और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी भी चिकित्सा सर्वेक्षण के लिए चिकित्सा परीक्षा से गुजरने वाला कर्मकार ऐसी चिकित्सा परीक्षा से गुजरने से इनकार नहीं करेगा।</p> <p>(7) संबंधित कर्मकार को चिकित्सा अभिलेख और रिपोर्ट की एक प्रति निशुल्क में प्रदान की जाएगी।</p>
धारा 85 के खंड (ख) के अधीन अर्ह व्यक्तियों की अर्हता और अनुभव	140.	<p>(1) खतरनाक पदार्थों की देख-रेख हेतु पर्यवेक्षण से करने के लिए अपेक्षित समस्त व्यक्तियों को निम्नलिखित अर्हता और अनुभव धारित करना होगा:</p> <p>(क) पाँच वर्ष के अनुभव के साथ रसायनशास्त्र में उपाधि या रसायन अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिक में डिप्लोमा: या</p> <p>(ख) रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या रसायन अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में दो वर्ष के अनुभव के साथ उपाधि।</p> <p>(2) उपरोक्त उप-नियम (1) में नियत अनुभव एक रासायनिक उद्योग में प्रक्रिया संचालन और अनुरक्षण में होगा।</p> <p>(3) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को पर्यवेक्षक को स्वास्थ्य और सुरक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है। उक्त प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम और अवधि और प्रशिक्षण आयोजित करने वाले संगठनों को महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान (डीजीएफएएसएलआई) या राज्य सरकार द्वारा महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थानों द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा।</p>
धारा 85 की उप-धारा (ग) के अधीन व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र	141.	<p>(1) खतरनाक प्रक्रिया किसी कारखाने के संबंध में, नीचे यथा निर्धारित पैमाने के अनुसार सेवाओं और सुविधाओं के साथ एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र सुव्यवस्थित रूप में उपबंधित और अनुरक्षित किया जाएगा:</p> <p>(क) 50 कर्मचारियों तक को नियोजित करने वाले कारखानों के लिए:</p> <p>(एक) अपने निदान केन्द्र में प्रतिधारण क्षमता के आधार पर एक कारखाना चिकित्सा अधिकारी की सेवाएं जो अधिभोगी द्वारा अधिसूचित की जाएंगी, जो नियम 145 में यथा निर्धारित पूर्व नियोजन संबंधी तथा सामयिक चिकित्सा परीक्षण करेगा और आपात स्थिति के दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा;</p> <p>(दो) प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित कम से कम 5 व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक कार्य अवधि के दौरान सदैव उपलब्ध रहेगा; तथा</p> <p>(तीन) समस्त विभागों में पूर्णतः सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा सहायता बॉक्स;</p> <p>(ख) 51 से 200 तक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले कारखानों के लिए:</p> <p>(एक) न्यूनतम 15 वर्गमीटर फर्श क्षेत्रफल से युक्त एक कक्ष वाला व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसकी फर्श और दिवारें, चिकने तथा सुदृढ़, तल से बने हो और वह इस नियमावली से संलग्न अनुसूची के अनुसार पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था स्वच्छता एवं साज-सज्जा से युक्त हो,</p> <p>(दो) एक अंशकालिक कारखाना चिकित्सा अधिकारी केंद्र का समग्र प्रभारी होगा जो सप्ताह में कम से कम दो बार कारखाने का दौरा करेगा और जिसकी सेवाएं</p>

	<p>चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान आसानी से उपलब्ध होंगी;</p> <p>(तीन) सम्पूर्ण कार्य अवधि के दौरान ड्यूटी पर एक अर्ह और प्रशिक्षित ड्रेसर-सह-कंपाउण्डर; तथा</p> <p>(चार) सभी विभागों में पूरी तरह से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा सहायता बॉक्स।</p> <p>(ग) 200 से अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले कारखानों के लिए:</p> <p>(एक) 500 कर्मचारियों तक नियोजित करने वाले कारखानों के लिए एक पूर्णकालिक कारखाना चिकित्सा अधिकारी और प्रत्येक अतिरिक्त 1000 कर्मचारियों या उसके भाग के लिए एक और चिकित्सा अधिकारी;</p> <p>(दो) एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसमें 15 वर्ग मीटर के न्यूनतम तल क्षेत्रफल के दो कक्ष हो जिनके फर्श और उनकी दीवारें चिकने तथा सट्ट, तल निर्मित हो और जिसमें इस नियमावली से संलग्न अनुसूची के अनुसार प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता तथा उपस्कर हों;</p> <p>(तीन) एक नर्स, एक ड्रेसर-सह-कंपाउण्डर और एक स्वीपर-कम-वार्ड-ब्लाय संपूर्ण कार्य अवधि के दौरान; तथा</p> <p>(चार) व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त रूप से सुसज्जित होगा।</p> <p>(2) उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले कारखाना चिकित्सा अधिकारी के पास इन नियमों के नियम 73 में विनिर्दिष्ट अर्हता होगी;</p> <p>परन्तु यह कि औद्योगिक स्वास्थ्य में या इसके समकक्ष डिप्लोमा धारण करने वाले व्यक्ति को उपर्युक्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र रखने की आवश्यकता नहीं होगी।</p> <p>परन्तु यह और कि मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, ऐसी शर्तों के अधधीन रहते हुए, जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करें, इस उप-नियम की आवश्यकता से छूट प्रदान कर सकता है, यदि उसकी राय में आवश्यक योग्यता रखने वाला उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है।</p> <p>परन्तु यह भी कि किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो इस नियमावली के लागू होने के दिनोंक को कम से कम तीन वर्ष की अवधि से कारखाना चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, इस शर्त के अधधीन उक्त व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण का पूर्वोक्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेगा।</p> <p>(3) उपर्युक्त प्रमाण पत्र वाले पाठ्यक्रम का पाठ्य विषय, और पाठ्यक्रम का संचालन करने वाले संगठनों को महानिदेशालय, कारखाना परामर्श सेवा और श्रम संस्थान (डीजीएफएएसएलआई), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा डीजीएफएएसएलआई द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धा के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा।</p> <p>(4) कारखाना चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति के एक माह के भीतर, कारखाने का अधिभोगी मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा:</p> <p>(क) कारखाना चिकित्सा अधिकारी का नाम और पता;</p> <p>(ख) अर्हताएं;</p> <p>(ग) अनुभव, यदि कोई हो; तथा</p> <p>(घ) उप-नियम जिसके अधीन कारखाना चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की गई</p>
--	---

है।

- (5) कारखानों में व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए उपकरणों में शामिल होंगे:
- (क) गर्म और ठंडे पानी के साथ एक चमकता हुआ सिंक सदैव उपलब्ध होना चाहिए;
 - (ख) कम से कम 180 सेमी x 105 सेमी की मेज जिसका शीर्ष भाग चिकना हो।
 - (ग) उपकरणों को विसंक्रमित स्टरलाइज़ करने के साधन;
 - (घ) एक सोफा;
 - (ङ) काठोरतापूर्वक फिट टक्कनो वाली दो बाल्टियाँ अचना पात्र;
 - (च) केतली और स्पिरिट स्टोव या उबलते पानी के अन्य उपयुक्त साधन;
 - (छ) स्पिरिटस अमोनिया एरोमैटिक्स की एक बोतल (120 मिलीलीटर);
 - (ज) दो मध्यम आकार के स्पंज;
 - (झ) दो किडनी ट्रे;
 - (ञ) प्रसाधन साबुन के चार केक, अधिमानतः एंटीसेप्टिक, साबुन;
 - (ट) दो गिलास टम्बलर और दो शराब के गिलास;
 - (ठ) दो नैदानिक थर्मामीटर;
 - (ड) दो चाय के चम्मच;
 - (ढ) दो ग्रेजुएटेड (120 मिली) मापने वाले चश्मा;
 - (ण) आँखें धोने के लिए एक धोने की बोतल (1000 सीसी);
 - (त) 20 में एक बोतल (एक लीटर) कार्बोलिक लोशन;
 - (थ) तीन कुर्सियाँ;
 - (द) एक परदा;
 - (ध) एक विद्युत हाथ की टार्च ;
 - (न) टेटनस टॉक्सॉइड की पर्याप्त आपूर्ति;
 - (प) कोरमाइन तरल (60 मिलीलीटर);
 - (फ) गोलियाँ -एंटीहिस्टामाइन, एंटीस्पास्मोडिक (25 प्रत्येक);
 - (ब) सुइयों के साथ सीरिज -2 सीसी और 10 सीसी;
 - (भ) दो सुई धारक, बड़े और छोटे;
 - (म) टांके लगाने वाली सुइयाँ और सामग्री;
 - (य) ड्रेसिंग संदंश की एक जोड़ी;
 - (र) ड्रेसिंग संदंश की एक जोड़ी;
 - (ल) एक स्केलपेल;
 - (व) एक स्टेथोस्कोप;
 - (श) रबर पट्टी-दबाव पट्टी;
 - (ष) आवश्यक संलग्नकों सहित ऑक्सीजन सिलेंडर;
 - (स) एक रक्तचाप उपकरण;
 - (ह) एक पटेला हथौड़ा;
 - (क्ष) फेफड़ों के कार्य माप के लिए एक पीक-फ्लो मीटर;
 - (त्र) एक पेट धोने का सेट; तथा
 - (ज्ञ) विशिष्ट विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा संस्तुत कोई अन्य उपकरण;
- (6) उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट उपकरणों के अतिरिक्त, एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र :-
- (क) 51 से 200 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले कारखानों में शामिल होंगे: -

		<p>(एक) 900 एमएमx100एमएमx6एमएम के चार सादे लकड़ी के टुकड़े; (दो) 350 एमएमx75एमएमx6एमएम के चार सादे लकड़ी के टुकड़े; (तीन) 250 एमएमx50एमएमx12एमएम के दो सादे लकड़ी के टुकड़े; (चार) धमनी संदंश की एक जोड़ी; (पाँच) इंजेक्शन-मॉर्फिया, पेथिडीन, एट्रोपिन, एड्रेनालाईन, कोरामाइन, नोवाकन (2 प्रत्येक): और (छः) सर्जिकल कैंची की एक जोड़ी; (ख) 200 से अधिक कर्मचारों को नियोजित करने वाले कारखानों के लिए, उपकरणों में शामिल होंगे: - (एक) 900 एमएम x100 एमएम x6 एमएम के आठ सादे लकड़ी के टुकड़े; (दो) 350 एमएम x75 एमएम x6 एमएम के आठ सादे लकड़ी के टुकड़े; (तीन) 250 एमएम x50 एमएम x12 एमएम के चार सादे लकड़ी के टुकड़े; (चार) धमनी संदंश के दो जोड़े; (पाँच) इंजेक्शन-मॉर्फिया, पेथिडीन, एट्रोपिन, एड्रेनालाईन, कोरामाइन, नोवोकन (2 प्रत्येक); तथा (छः) सर्जिकल कैंची के दो जोड़े।</p>
धारा 85 की उप-धारा (ग) के अधीन एम्बुलेंस वैन	142.	<p>(1) किसी खतरनाक कार्य प्रक्रिया वाले प्रत्येक कारखाने में उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं से सुसज्जित एक सुव्यवस्थित रूप में निर्मित एंबुलेंस वैन उपबंधित और अनुरक्षित की जायेगी, जिसे पूर्णकालिक चालक-सह-मैकेनिक द्वारा संचालित किया जायेगा और जिसमें बीमारी के प्रयोजनार्थ प्राथमिक चिकित्सा सहायता में प्रशिक्षित एक सहायक भी होगा। एम्बुलेंस वैन का उपयोग इसमें निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा और उसे सामान्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र में या उसके निकट तैनात किया जाएगा।</p> <p>परंतु यह कि 150 से कम कर्मचारियों को नियोजित करने देने वाला कारखाना आपात स्थिति से निपटने के लिए निकटस्थ चिकित्सालय या अन्य स्थानों से अल्प सूचना पर ऐसी सुविधा प्राप्त करने की व्यवस्था कर सकता है।</p> <p>(2) एम्बुलेंस वैन में निम्नलिखित उपकरण होंगे: - (क) सामान्य : (क) मोड़ने और समायोजन उपकरणों के साथ एक पहिएदार स्ट्रेचर जो ऊपर की ओर झुकने में सक्षम है; (ख) उपकरण के साथ नियत सक्शन इकाई; (ग) उपकरण के साथ नियत ऑक्सीजन की आपूर्ति; (घ) आवरण सहित तकिया, चादरें, कंबल तौलिये; तथा (ङ) वमन बैग, बिस्तर पैन, मूत्रालय, कांच; (ख) सुरक्षा उपकरण जैसे: - (क) 30 मिनट का लाइफ फ्लेयर, फ्लड लाइट्स; (ख) फ्लैश लाइट, अग्निशामक-सूखी पाउडर प्रकार; तथा</p>

	<p>(ग) इंसुलेटेड गाउन्टलेट्स।</p> <p>(ग) आपातकालीन परिचर्या उपकरण जैसे:-</p> <p>(क) पुनर्जीवन उपकरण जैसे:-</p> <p>(एक) पोर्शन सक्शन यूनिट; पोर्टेबल ऑक्सीजन इकाई;</p> <p>(दो) बैग - वाल्व-मुखौटा, हाथ से हस्तचालित कृत्रिम;</p> <p>(तीन) वेंटिलेशन इकाई;</p> <p>(चार) वायुमार्ग; मुंह की थैलियाँ; ट्रेकिटोमाइएडेटर ;</p> <p>(पाँच) शॉर्ट स्पाइन बोर्ड, प्रशासन इकाई के साथ आईवी तरल पदार्थ; तथा</p> <p>(छ:) बी.पी. मैनोमीटर; काग; स्ट्रेथस्कोप;</p> <p>(ख) स्थिरीकरण उपकरण :-</p> <p>(एक) लंबे और छोटे गद्देदार बोर्ड तार सीढ़ी स्लिंट्स; तथा</p> <p>(दो) त्रिकोणीय पट्टी; लंबे और छोटे स्पाइन बोर्ड।</p> <p>(ग) ड्रेसिंग जैसे:-</p> <p>(एक) गेज पैड -4"x4" यूनिवर्सल ड्रेसिंग 10"x36";</p> <p>(दो) एल्यूमीनियम पन्नी का रोल; नरम रोलर पट्टियाँ 6 "x5" गज; 3 "रोल में चिपकने वाला टेप; सुरक्षा पिन; तथा</p> <p>(तीन) पट्टी चादरें; बर्न शीट ;</p> <p>(घ) विषाक्तता से निपटने के लिए विषाक्तता उपकरण जैसे:-</p> <p>(एक) इपेके का सिरप; कोडीवेटेड चारकोल प्रीपैक्ड खुराक में सर्प दंश किट; तथा</p> <p>(दो) पेय जल;</p> <p>(ड) आवश्यकता के अनुसार आपातकालीन दवाएं (केवल योग्य चिकित्सक की सलाह के अधीन)।</p>								
<p>धारा 85 की उप-धारा (ग) के अधीन विसंद्रुषित सुविधाएं</p>	<p>143. खतरनाक कार्य करने वाले प्रत्येक कारखाने में आपात स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए जाएंगे:</p> <p>(क) पूर्णतः सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स;</p> <p>(ख) कर्मचारियों द्वारा धोने के साथ-साथ खतरनाक और संक्षारक पदार्थ से संद्रुषित कर्मचारियों के कपड़ों को भिगोने के लिए पानी के आसानी से सुलभ साधन; और ऐसे साधन नीचे सारणी में दर्शाए गए मान के अनुसार होंगे:</p> <table border="1" data-bbox="437 1569 1129 1875"> <tr> <td>किसी भी समय नियोजित व्यक्तियों की संख्या</td> <td>धोने वाले शावरों की संख्या</td> </tr> <tr> <td>(एक) 50 कर्मचारियों तक</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>(दो) 51 से 200 कर्मचारियों के मध्य</td> <td>प्रत्येक अतिरिक्त 50 या उसके हिस्से के लिए 2+1</td> </tr> <tr> <td>(तीन) 201 से 500 कर्मचारियों के</td> <td>प्रत्येक अतिरिक्त 100 या उसके</td> </tr> </table>	किसी भी समय नियोजित व्यक्तियों की संख्या	धोने वाले शावरों की संख्या	(एक) 50 कर्मचारियों तक	2	(दो) 51 से 200 कर्मचारियों के मध्य	प्रत्येक अतिरिक्त 50 या उसके हिस्से के लिए 2+1	(तीन) 201 से 500 कर्मचारियों के	प्रत्येक अतिरिक्त 100 या उसके
किसी भी समय नियोजित व्यक्तियों की संख्या	धोने वाले शावरों की संख्या								
(एक) 50 कर्मचारियों तक	2								
(दो) 51 से 200 कर्मचारियों के मध्य	प्रत्येक अतिरिक्त 50 या उसके हिस्से के लिए 2+1								
(तीन) 201 से 500 कर्मचारियों के	प्रत्येक अतिरिक्त 100 या उसके								

		<table border="1"> <tr> <td>मध्य</td> <td>हिस्से के लिए 5+1</td> </tr> <tr> <td>(चार) 501 कर्मचारी और उससे अधिक।</td> <td>प्रत्येक अतिरिक्त 200 या उसके हिस्से के लिए 8+1।</td> </tr> </table>	मध्य	हिस्से के लिए 5+1	(चार) 501 कर्मचारी और उससे अधिक।	प्रत्येक अतिरिक्त 200 या उसके हिस्से के लिए 8+1।
मध्य	हिस्से के लिए 5+1					
(चार) 501 कर्मचारी और उससे अधिक।	प्रत्येक अतिरिक्त 200 या उसके हिस्से के लिए 8+1।					
		(ग) आसुत जल या उपयुक्त तरल से भरी पर्याप्त संख्या में आई वॉश बोतलें, जो बक्सों या अलमारियों में सुविधाजनक रूप से और एक विशिष्ट संकेत द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित की जाती हों जो सदैव आसानी से उपलब्ध हों।				
धारा 85 की उप-धारा (ग) के अधीन कर्मचारियों को स्वास्थ्य अभिलेख उपलब्ध कराया जाना	144.	<p>(1) "खतरनाक कार्य प्रक्रिया" संचालित करने वाले प्रत्येक कारखाने निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी कर्मकार के स्वास्थ्य अभिलेखों, जिसमें खतरनाक प्रक्रिया के लिए श्रमिक के जोखिम का अभिलेख है या, जैसा भी मामला हो, किसी भी कर्मकार के अवलोकन के लिए उपलब्ध कराएगा:</p> <p>(क) प्रत्येक छह महीने में एक बार या चिकित्सा परीक्षण के तुरंत बाद, जो भी पहले हो;</p> <p>(ख) यदि कारखाना चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, की राय है कि कर्मकार में संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी ध्यान देने योग्य बीमारी के स्पष्ट संकेत और लक्षण हैं;</p> <p>(ग) यदि कर्मकार नियोजन छोड़ देता है;</p> <p>(घ) यदि निम्नलिखित में से कोई एक प्राधिकारी है, तो निदेश दे:-</p> <p>(एक) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता;</p> <p>(दो) केंद्र या राज्य सरकार का स्वास्थ्य प्राधिकारी;</p> <p>(तीन) कर्मकार प्रतिकर आयुक्त;</p> <p>(चार) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम;</p> <p>(पाँच) निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चिकित्सा प्रसुविधा); तथा</p> <p>(छः) महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान।</p> <p>(2) खतरनाक प्रक्रिया के संपर्क में आए कर्मचारियों के रिकॉर्ड अभिलेख सहित अद्यतन स्वास्थ्य अभिलेख की एक प्रति, या, जैसा भी मामला हो, चिकित्सा अभिलेख, कर्मचारी से एक आवेदन प्राप्त होने पर उसे प्रदान किया जाएगा। एक्स-रे प्लेट और अन्य चिकित्सा नैदानिक रिपोर्ट भी उनके चिकित्सक के संदर्भ के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है।</p>				
धारा 88 के अधीन रासायनिक और विषैले पदार्थों के संपर्क की अनुमेय सीमाएं	145.	किसी भी कारखाने में विनिर्माण प्रक्रियाओं (चाहे खतरनाक या अन्यथा) में रासायनिक और विषैले पदार्थों के संपर्क की अधिकतम अनुमेय सीमा अनुसूची-सैंतीस में दिए गए मूल्य की होगी।				

धारा 90 के अधीन अपील	146.	<p>निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा किए गए आदेश से क्षुब्ध किसी भी कारखाने का अधिभोगी, आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तेरह दिनों के भीतर आदेश पर आपत्ति के आधारों को संक्षिप्त रूप से निर्धारित करते हुए और न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की अनुसूची दो के अनुच्छेद 11 के अनुसार कोर्ट-फीस स्टैम्प धारण करते हुए, अपील कर सकता है, और इसके साथ श्रम आयुक्त को अपील किए गए आदेश की एक प्रति के साथ किया जाएगा, जो दोनों को सुनने का अवसर देने के बाद, अपील का यथासंभव शीघ्रता से निपटान करेगा।</p> <p>परन्तु यह कि अपीलीय प्राधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील पर विचार कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।</p>
धारा 91 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन पर्यवेक्षणीय, प्रबंधकीय अथवा गोपनीय पद धारण करने वाले व्यक्ति	147.	<p>(1) चीनी कारखानों के अलावा कारखानों में निम्नलिखित व्यक्तियों को पर्यवेक्षण या प्रबंधन के पदों पर माना जाएगा, परन्तु यह कि उन्हें अपने कर्तव्यों के नियमित भाग के रूप में शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता न हो: -</p> <p>(क) प्रबंधक;</p> <p>(ख) श्रम अधिकारी;</p> <p>(ग) सुरक्षा अधिकारी;</p> <p>(घ) तकनीकी विभाग के प्रमुख;</p> <p>(ङ) अभियन्ता;</p> <p>(च) पर्यवेक्षक;</p> <p>(छ) शिफ्ट अधिकारी;</p> <p>(ज) शिफ्ट प्रभारी;</p> <p>(झ) प्रधान भंडारपाल परन्तु यह कि वे मात्र पर्यवेक्षकीय क्षमता में नियोजित हों; तथा</p> <p>(ञ) कोई अन्य व्यक्ति, जो राज्य सरकार की राय में पर्यवेक्षण या प्रबंधन का पद धारण करता हो। और उसके द्वारा आदेश के माध्यम से लिखित रूप में घोषित किया जाय।</p> <p>(2) चीनी कारखानों में, निम्नलिखित व्यक्तियों को पर्यवेक्षण या प्रबंधन के पद धारण करने वाले समझे जायेंगे: -</p> <p>(क) महाप्रबंधक;</p> <p>(ख) प्रबंधक;</p> <p>(ग) मिल सचिव;</p> <p>(घ) गन्ना प्रबंधक;</p> <p>(ङ) गन्ना अधीक्षक, जहां गन्ना प्रबंधक न हो;</p> <p>(च) मुख्य रसायनज्ञ;</p> <p>(छ) श्रम कल्याण अधिकारी;</p> <p>(ज) मुख्य अभियन्ता;</p> <p>(झ) प्रबंध एजेंट का सचिव या महाप्रबंधक का निजी सहायक;</p> <p>(ञ) गन्ना विकास अधिकारी;</p> <p>(ट) वाणिज्यिक विभाग के प्रमुख, जैसे लेखा, क्रय, भण्डारण कानूनी खानपान, आदि; तथा</p> <p>(ठ) कोई अन्य व्यक्ति, जो राज्य सरकार की राय में, पर्यवेक्षण या प्रबंधन का पद धारण</p>

		<p>करता हो और उसके द्वारा आदेश के माध्यम से लिखित रूप में घोषित किया जाय।</p> <p>(3) व्यक्ति किसी कारखाने में गोपनीय पद धारित करने वाले समझे जायेंगे:-</p> <p>(क) स्टेनोग्राफर;</p> <p>(ख) निजी सहायक;</p> <p>(ग) निजी सचिव;</p> <p>(घ) कार्यालय अधीक्षक;</p> <p>(ङ) प्रधान लिपिक, जहां कोई कार्यालय अधीक्षक न हो;</p> <p>(च) प्रधान मुनीम जहां कोई कार्यालय अधीक्षक या प्रधान लिपिक न हो;</p> <p>(छ) हेड लेखाकार;</p> <p>(ज) प्रधान रोकड़िया;</p> <p>(झ) रोकड़िया;</p> <p>(ञ) प्रधान समय पाल;</p> <p>(ट) टेलीफोन ऑपरेटर;</p> <p>(ठ) रिसेप्शनिस्ट; तथा</p> <p>(ड) कोई अन्य व्यक्ति, जो राज्य सरकार की राय में, एक गोपनीय पद धारित करता हो और इस प्रकार उसके द्वारा एक आदेश के माध्यम से लिखित रूप में घोषित किया जाय।</p> <p>(4) उप-नियम (1), (2) और (3) में उल्लिखित समस्त व्यक्तियों की सूची को प्रपत्र-51 में एक पंजिका में रखी और अनुरक्षित की जायेगी।</p> <p>(5) सतत प्रक्रिया कारखानों के लिए, धारा 26 और धारा 27 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों को अनुसूची दो में निर्धारित सीमा तक छूट दी जाएगी।</p>
धारा 133 की उपधारा (2) के खंड (ययध) के अधीन निरीक्षण पुस्तिका	148.	<p>(1) प्रत्येक कारखाने का नियोजक या प्रबंधक इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा एक निरीक्षण पुस्तिका बनाए रखेगा। प्रत्येक निरीक्षण नोट तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा।</p> <p>(2) अधिभोगी/नियोक्ता निरीक्षण पुस्तिका में प्रपत्र -45 को अद्यतन रखेगा।</p>
धारा 133 की उपधारा (2) के खंड (ययध) के अधीन निरीक्षण का अभिलेख	149.	<p>निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या चिकित्सा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय पाए गए सभी दोषों और अनियमितताओं का एक नोट, उसके द्वारा नियम 148 के अधीन बनाई गई निरीक्षण पुस्तिका में तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा, जिसमें संहिता और नियमों की प्रासंगिक धाराओं का संदर्भ दिया जायेगा, जिनका उल्लंघन किया गया है।</p>

भाग-छः
बागान

<p>धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आवास</p>	<p>150.</p>	<p>(1) प्रत्येक नियोक्ता बागान में रहने वाले प्रत्येक श्रमिक और उसके परिवार के लिए कार्यस्थल के यथा संभव निकट किराया मुक्त आवासीय वास सुविधा प्रदान करेगा। नियोक्ता इस बात के लिए स्वतन्त्र रहेगा कि वह ऐसी आवास सुविधा अनेक वर्षों के प्रक्रम में उपबंधित करे, परन्तु यह कि प्रत्येक वर्ष कम से कम पच्चीस प्रतिशत निवासी कर्मकारों के लिए भवन निर्मित किए जाएं।</p> <p>(2) बागान में श्र कर्मकारों के लिए सभी आवासों में महिला कर्मकारों के लिए अलग-अलग कमरे होंगे। ताजी हवा के संचलन द्वारा पर्याप्त वेंटिलेशन को सुरक्षित करने और बनाए रखने के लिए प्रत्येक कमरे में प्रभावी और उपयुक्त प्रावधान किए जाएंगे और पर्याप्त और उपयुक्त प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी और बनाए रखी जाएगी। कमरे या अन्य उपयुक्त वैकल्पिक आवास ऐसे आयामों के होंगे ताकि कमरे का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए रसोई और शौचालय के क्षेत्र को छोड़कर, कम से कम दस वर्ग मीटर का फर्श क्षेत्र प्रदान किया जा सके। आवास का निर्माण इस तरह से किया जाएगा कि गर्मी, हवा, बारिश से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता हो और इसमें चिकनी, कठोर और अभेद्य फर्श की सतह हो।</p> <p>(3) आवासीय वास सुविधा शुष्क और नमी रहित भूमि पर उपलब्ध करायी जायेगी, जो बागान से संगत दूरी पर होगी और मुक्तियुक्त दूरी के भीतर स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति से युक्त होगी। मलेरिया वाले क्षेत्रों में आवास, दलदलों और जल भराव से उचित दूरी पर एवं उच्चतम बाढ़ स्तर से ऊपर वाले क्षेत्र में प्रदान किया जायेगा।</p> <p>(4) आवास उपलब्ध कराये जाने वाले क्षेत्र में और आसपास पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी।</p> <p>(5) नियोक्ता उस क्षेत्र में स्थित मकानों तक पहुँचने वाली सड़कों और रास्तों के साथ साथ उस क्षेत्र में सीवर और नालियों को भी अच्छी स्थिति में बनाए रखेगा।</p> <p>(6) नियोक्ता बागान के उन हिस्सों में जनता को निःशुल्क पहुंच से वंचित नहीं करेगा जहां कर्मकारों को आवासित किया गया है।</p> <p>(7) नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी घरों के आसपास के क्षेत्र को कचरे और मलमूत्र से मुक्त रखा जाय और शौचालयों और नालियों को दैनिक रूप से साफ किया जाए और उनके अंदर या आस-पास के सभी कचरे को एकत्र करने, हटाने और स्वच्छता से निपटाने के लिए प्रेरित करेगा।</p>
<p>धारा 92 की उप-धारा (1)</p>	<p>151.</p>	<p>(1) इन नियमों के प्रकाशन के दिनांक से छह महीने के भीतर, बागान क</p>

<p>के खंड (क) के अधीन आवासीय योजना</p>		<p>प्रत्येक नियोक्ता अनिवार्य रूप से आवास प्रदान करेगा और कर्मकारों के लिए आवास के उपलब्ध के संबंध में एक योजना के अनुमोदन के लिए मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को प्रस्तुत करेगा, जो अपनी टिप्पणियों के साथ इस तीस दिनों के भीतर अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजेगा। राज्य सरकार तीन महीने की अवधि के भीतर नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित आवास योजना पर निर्णय लेगी।</p> <p>(2) इस योजना में निम्नलिखित मामलों का उपबंध होगा। (क) उस अवधि का विनिर्देश जिसके दौरान बगान में सभी निवासी कर्मकारों के सम्बन्ध में आवास उपलब्ध करने का प्रस्ताव है। ऐसी अवधि नियम 50 में निर्दिष्ट अवधि के बाद की नहीं होगी; (ख) जो उप-नियम (1) के अधीन आवासों के निर्माण के लिये अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्तावित अभिकल्प का प्रकार, ऐसा अभिकल्प ऐसे मानकों और निविदेशों के अनुरूप हो; जैसाकि राज्य सरकार द्वारा उपनियम (1) अधीन अनुमोदित किया जायें; (ग) कर्मकारों के आवासों के रूप में उपयोग के लिए निर्माण या पुनः प्रतिदर्श तैयार किए जाने वाले आवासों की समय सीमा योजना और स्थल योजना दो प्रतियों में।</p> <p>(3) समस्त आवासों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित योजना के अनुसार किया जायेगा।</p> <p>(4) अनुमोदित योजना के अनुसार आवास उपलब्ध कराने में हुई प्रगति को दर्शाने के उद्देश्य से प्रत्येक नियोक्ता प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता को प्रपत्र-52 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।</p>
<p>धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन मकानों का अनुरक्षण</p>	<p>152.</p>	<p>(1) नियोक्ता अपने स्वयं के खर्च पर समय-समय पर आवश्यक आवासों की मरम्मत करवाएगा और आवासों उपयुक्त और सुरक्षित स्थिति में अनुरक्षित करेगा।</p> <p>(2) आवास अध्यासित करने वाला कर्मकार और संहिता एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन नियुक्त निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, ऐसे किसी भी आवास, जो कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक हो, की दशा में हुई किसी त्रुटि की सूचना नियोक्ता को देगा। जहाँ कोई निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता इस तरह के दोषों को संज्ञान में लाता है, तो यह नियोक्ता का कर्तव्य होगा कि वह बिना किसी देरी के उन्हें सुधारे।</p> <p>(3) नियोक्ता प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार आवासों की चूने से पुताई कराएगा और सभी दरवाजे खिड़कियाँ और अन्य लकड़ी के ढांचे को</p>

		तीन साल में एक बार वार्निश या पेंट कराएगा। राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नियोक्ता द्वारा ऐसे दिनांकों को अभिलिखित करेगा जिस पर चूना पुताई या पंटींग की गई थी।
धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आवासों का आवंटन तथा अध्यावसान	153.	<p>(1) अपने बागान में रहने वाले कर्मकारों और उनके परिवारों को प्रदान किए गए आवास के लिए नियोक्ता द्वारा कोई किराया नहीं लिया जाएगा।</p> <p>(2) श्रमिक कर्मकार और उसके परिवार के उपयोग के लिए आवास, परिवार युक्त कर्मकार व एक आवास के आधार पर घर आवंटित किए जाएंगे। परन्तु यह कि यदि किसी परिवार में दो या दो से अधिक कर्मकार श्रमिक हैं तो ऐसे किसी भी परिवार के संबंध में परिवार में किसी भी श्रमिक कर्मकार के नाम पर केवल एक घर आवंटित किया जाएगा। परन्तु यह और भी कि किसी ऐसे कर्मकार की सेवाओं की समाप्ति के मामले में, जिसके नाम पर पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन मकान आवंटित किया गया है, वह मकान उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर आवंटित किया जाएगा जो कर्मकार है।</p> <p>(3) नियोक्ता उन कर्मकारों को आवास आवंटित कर सकता है जिनके परिवार नहीं है, ऐसे अनधिक चार कर्मकारों के लिए एक आवास की दर से आवास आवंटित कर सकता है।</p> <p>(4) किसी आवास का अधिभोगी आवास में कोई अनधिकृत परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा।</p> <p>(5) नियोक्ता की लिखित अनुमति के बिना दूसरे अन्य आवास के अधिभोगी के साथ आवास का आदान-प्रदान नहीं करेगा।</p> <p>(6) अधिभोगी किसी भी व्यक्ति को घर या उसके किसी हिस्से को किराए पर नहीं देगा।</p> <p>(7) आवास में रहने वाले सभी कर्मकार और उनके परिवार के सदस्य उपबंधित किए गए शौचालयों का उपयोग करेंगे और मिट्टी को प्रदूषित नहीं करेंगे और घरों और उसके परिसर को साफ सुथरा रखेंगे और पीने के पानी को बर्बाद नहीं करेंगे।</p> <p>(8) रहने वाले कक्षों या बरामदे में कोई मवेशी या बकरियाँ नहीं रखी जाएगी और कोई खिडकी या हवादार स्थान अवरूद्ध नहीं किया जाएगा।</p> <p>(9) नियोक्ता, ऐसे प्रत्येक कर्मकार, जिसे आवासीय वास सुविधा प्रदान की गयी है, ऐसे आवास के कब्जे को नियंत्रित करने वाली शर्तों को लिखित रूप में ऐसी भाषा में सूचित किया जाएगा जिसे कर्मकार समझ सकें।</p>

<p>धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नियोजन समाप्त होने के पश्चात् वास सुविधा का अध्यासन</p>	<p>154.</p>	<p>(1) जब किसी कर्मकार को नियोक्ता की सेवा में (मृत्यु हो जाती) है या स्थानांतरण पर जाता है, या इस्तीफा दे देता है, या जब उसकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं, तो वह या उसका परिवार नीचे दी गई विस्तृत अवधि तक आवास प्रतिधारित कर सकता है:</p> <p>(क) मृत्यु स्थानान्तरण या सेवा की समाप्ति की स्थिति में अनधिक दो मास दो महीने की अवधि के लिए ;</p> <p>(ख) सेवानिवृत्ति या त्याग पत्र के मामले में अनधिक एक मास की अवधि तक के लिए;</p> <p>(ग) अवकाश के मामले में अवकाश की अवधि के लिए; तथा</p> <p>(घ) ऐसे मामले में जहां किसी कर्मकार को सेवा उन्मोचन या बर्खास्तगी के परिणाम स्वरूप औद्योगिक विवाद होता है, जब तक कि मामले का अंतिम रूप से निपटारा नहीं किया जाता है।</p> <p>(2) यदि, उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को दिए गए आवेदन पर, जहां ऐसे आवास स्थित है, तो निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता संतुष्ट है कि कोई कर्मकार या उसके परिवार का कोई सदस्य उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद ऐसे कर्मकार को आवंटित घर को खाली करने से इनकार करता है, तो वह तत्समय लागू किसी अन्य कानून के बावजूद, नोटिस द्वारा,</p> <p>(क) डाक द्वारा; या</p> <p>(ख) बाहरी दरवाजे या ऐसे आवास के किसी अन्य विशिष्ट हिस्से पर इसकी एक प्रति चिपकाकर; या</p> <p>(ग) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या-46 सन् 2023) के अधीन निर्धारित नोटिस देने के किसी अन्य माध्यम से, ऐसे कर्मकार या उसके परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को सुनवाई के उचित अवसर देने के बाद, जो पूरे या घर के किसी भी हिस्से पर कब्जा कर सकता है, इस तरह के आदेश की सेवा के दिनांक से एक महीने के भीतर इसे खाली करने का आदेश पारित करेगा।</p> <p>(3) उप नियम (2) के अधीन आदेश का अनुपालन करने में कर्मकार या आवास का अधियोगी अन्य व्यक्ति की विफलता की स्थिति में, निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता ऐसे कर्मकार, सदस्य या अन्य व्यक्ति को आवास से बेदखल करने के लिए क्षेत्र पर अधिकारिता वाले उप-मण्डल मजिस्ट्रेट की रैंक से नीचे के अधिकारी को लिखित अनुरोध कर सकता है।</p> <p>(4) उप-नियम (3) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर, उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट उप-मंडल मजिस्ट्रेट निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा पारित आदेश का निष्पादन करेगा और ऐसे सदस्य या अन्य व्यक्ति की बेदखली सुनिश्चित करेगा और आवास का कब्जा नियोक्ता को सौंप देगा। उप-मंडल मजिस्ट्रेट इस प्रयोजन के लिए, ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो सकता है:</p>
---	-------------	---

		परन्तु यह कि बेदखली के ऐसे आदेश को निष्पादित करने से पूर्व, बेदखली के आदेश की एक प्रति कर्मकार या परिवार के किसी सदस्य या उक्त आवास के कब्जे वाले किसी अन्य व्यक्ति को दी जाएगी।
धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन पेयजल	155.	<p>(1) पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति, प्रत्येक लागान के प्रत्येक कार्यस्थल पर कार्य समय की अवधि में हर समय उपलब्ध कराई जायेगी।</p> <p>(2) पेयजल की आपूर्ति किसी भी खुले कुएं या जलाशय से तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि यह हस प्रकार निर्मित स्थित, संरक्षित या अनुरक्षित न किया गया है जिससे वह रासायनिक या बैक्टीरियल और वाह्य अशुद्धियों से प्रदूषण की संभावना से मुक्त हो सके।</p> <p>(3) जहां ऐसे कुएं या जलाशय से पेयजल की पूर्ति की जाये वहां उसमें पानी को समय-समय पर निष्कल निसक्रमित किया जाएगा जैसा कि निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा लिखित आदेश द्वारा अपेक्षित है, और विसंक्रमित किये जाने का दिनांक अभिलिखित किया जायेगा। परन्तु यह कि यह अपेक्षा ऐसे कुएं या जलाशय पर लागू नहीं होगी यदि उसमें मौजूद समिति पानी को उपभोग के लिए आपूर्ति करने से पूर्व छाना गया हो या शोधित किया गया हो।</p> <p>(4) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता लिखित आदेश द्वारा, नियोक्ता को निर्देश दे सकता है कि वह स्वास्थ्य अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी से कर्मकारों को आपूर्ति किए जाने वाले पानी की मानव उपभोग्यता के संबंध में किसी भी समय या अंतराल पर रिपोर्ट प्राप्त करें और प्रत्येक मामले में स्वास्थ्य अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होते ही उसकी एक प्रति निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को प्रस्तुत करेगा।</p> <p>(5) पेयजल की आपूर्ति कार्य स्थलों पर पानीवालों या टैंकरों आदि के माध्यम से सुविधाजनक रूप से सुलभ स्थानों पर की जाएगी।</p>
धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन शौचालय की सुविधा	156.	<p>(1) प्रत्येक बागान में खेती के अधीन प्रत्येक पांच एकड क्षेत्र या उसके हिस्से के लिए एक शौचालय के पैमाने पर शौचालय सुविधा प्रदान की जायेगी। परन्तु यह कि किसी भी लिंक के लिये कम से कम एक शौचालय होना चाहिए।</p> <p>(2) शौचालय सुविधाजनक रूप से स्थित होगा और उसमें दोनों लिंगों के लिए विशेष पहुंच होगी।</p> <p>(3) प्रत्येक शौचालय और मुत्रालय की दीवारों, छतों और विभाजनों को सफेदी और रंगाई पुताई और सफेदी या रंगाई को प्रत्येक चार महीने की अवधि में कम से कम एक बार दोहराया जाएगा।</p> <p>(4) शौचालय सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए एक कुशल जल जनित सीवेज प्रणाली से जुड़े शौचालयों के अलावा अन्य शौचालय लोक स्वास्थ्य प्राधिकरणों की अपेक्षा के अनुरूप होना चाहिए।</p> <p>(5) प्रत्येक शौचालय ढका हुआ होगा और इस प्रकार विभाजित होगा कि</p>

		<p>गोपनीयता बनी रहे और उसमें समुचित दरवाजे और सिरकिनियाँ लगी होंगी।</p> <p>(6) जहाँ दोनों लिंगों के कर्मकार कार्यरत हैं, वहाँ प्रत्येक शौचालय या शौचालय ब्लॉक के बाहर, हिंदी में एक नोटिस और अधिकांश श्रमिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में केवल पुरुषों के लिए या केवल महिलाओं के लिए, जैसा भी मामला हो, प्रदर्शित किया जाएगा। नोटिस में एक पुरुष या एक महिला की आकृति भी होगी, जैसा भी मामला हो।</p> <p>(7) जहाँ पाइप से पानी की आपूर्ति उपलब्ध है, ऐसे शौचालय में या उसके आस-पास पर्याप्त संख्या में पानी के नल उपलब्ध कराए जाएंगे, जो आसानी से सुलभ होंगे।</p> <p>परन्तु यह कि यदि पाइप द्वारा जलापूर्ति उपलब्ध न हो तो पर्याप्त मात्रा में पानी शौचालयों के पास उपयुक्त पात्रों में संग्रहित किया जाएगा।</p>
धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन मूत्रालय सुविधा	157.	<p>(1) मूत्रालय सुविधा प्रत्येक दो एकड़ के क्षेत्र या उसके आंशिक भाग के लिए एक मूत्रालय के पैमाने के आधार पर प्रदान की जाएगी। मूत्रालय पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सुविधाजनक रूप से स्थित होंगे और किसी भी लिंग के लिए अनन्य होंगे।</p> <p>(2) मूत्रालय लोक स्वास्थ्य की अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए, एक कुशल जल जनिक सीवेज प्रणाली से जुड़े मूत्रालयों के अलावा अन्य मूत्रालय लोक स्वास्थ्य प्राधिकरणों की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।</p>
धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन जल नालियों का निर्माण एवं उनका अनुरक्षण	158.	<p>अपशिष्ट या मल जल वाली समस्त नालियों का निर्माण चिनाई या अन्य सुदृढ़ सामग्रियों से किया जाएगा और नियमित रूप से उनकी सफाई की जाएगी तथा उत्प्रवाहों का निस्तारण उपयुक्त जल निकासी व्यवस्था वाली नालियों से संयोजित करके किया जायेगा।</p> <p>परन्तु यह कि जहाँ ऐसी जल निकासी लाइन नहीं है, वहाँ बहिःसाव को दुर्गंध रहित और अहानिकर बनाया जाएगा और फिर स्वास्थ्य अधिकारी के समाधान के अनुसार उपयुक्त तरीके से निपटाया जाएगा।</p>
धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन शिशु सदन	159.	<p>(1) प्रत्येक बागान में जिसमें तीस या अधिक महिला कर्मकार नियोजित या पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन नियोजित थी, नियोक्ता को इस नियमावली में निर्धारित मानकों के अनुसार उनके छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए एक या एक से अधिक शिशु सदन उपलब्ध कराने और अनुरक्षित करने होंगे।</p> <p>(2) प्रत्येक शिशु सदन उसमें आवासित शिशु सदन की माताओं के लिए सुविधाजनक रूप से सुलभ होगा।</p> <p>(3) प्रत्येक बच्चे के लिए एक शिशु सदन रखे जाने हेतु फुट से कम फर्श क्षेत्र नहीं होना चाहिए।</p> <p>(4) जिस भवन में शिशु सदन स्थित है वह अच्छे तल के साथ मजबूती से निर्मित होगा।</p> <p>शिशु सदन भवन की योजना मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा</p>

		<p>निर्धारित मानक योजना या योजनाओं के अनुसार होगी। परन्तु यह कि जहां कोई मानक योजना निर्धारित नहीं की गई है या जहां मानक योजना से विचलित होने का प्रस्ताव है, वहां मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।</p> <p>(5) शिशु सदन को दो साल से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे के लिए उपयुक्त फर्नीचर और एक पालने से सुसज्जित किया जाएगा।</p> <p>(6) बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त बाड़ और छायादार खुले क्रीड़ा स्थल का मैदान प्रदान किया जाएगा।</p>
धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (सी) के अधीन श्रमिकों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं	160.	<p>(1) प्रत्येक नियोक्ता, यदि उसके बागान में 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच के कर्मकारों के बच्चों की संख्या 25 से अधिक है, तो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय या विद्यालयों उपलब्ध और अनुरक्षण करना होगा:</p> <p>परन्तु यह कि नियोक्ता प्राथमिक विद्यालय का उपबंध और अनुरक्षण नहीं करेगा यदि बागान में कर्मकारों के आवास स्थल से एक मील की दूरी की भीतर राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय के प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक अथवा उच्च स्तर की शिक्षा देने का कोई विद्यालय जिसमें बागान के कर्मकारों के छः वर्ष से बारह वर्ष तक के बच्चों को प्रवेश देने के लिए पर्याप्त सीट उपलब्ध हो, स्थित है अथवा उसे प्रमाथिक शिक्षा हेतु किसी अन्य विधि के अधीन उपकर या कर देना अपेक्षित हो:</p> <p>परन्तु यह कि इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, नियोक्ताओं के समूह को संयुक्त रूप से एक प्राथमिक विद्यालय का उपबंध और अनुरक्षण कराना होगा और उसके खर्चों को साझा करेगा।</p> <p>(2) इन नियमों के अधीन स्थापित और अनुरक्षित किया जाने वाले प्रत्येक विद्यालय कर्मकारों के आवासों से एक मील की दूरी के भीतर सुविधाजनक रूप से स्थित होगा।</p> <p>(3) विद्यालय भवन का निर्माण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक योजना या योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।</p> <p>परन्तु यह कि जहां कोई मानक योजना नहीं है या जहां मानक योजना से विचलित होने का प्रस्ताव है, वहां विद्यालय भवन की योजना के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन किया जाएगा।</p> <p>(4) जहां पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, वहाँ विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए उपयुक्त उपकरणों के साथ एक खेल का मैदान भी उपलब्ध करा जाएगा।</p> <p>(5) नियोक्ता या नियोक्तागण, जैसा भी मामला हो, इस नियमावली के अधीन अनुरक्षित प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए ऐसे शैक्षिक और अन्य उपकरणों का उपलब्ध करेंगे जैसाकी राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए।</p>

		<p>(6) संबंधित नियोक्ता या नियोक्तागण प्राथमिक विद्यालय में जाने वाले प्रत्येक चालीस बच्चों के लिए एक शिक्षक नियुक्त करेंगे। शिक्षक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट धारित करेंगे। परन्तु यह कि किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो इस नियमावली के प्रारंभ में बागानि में स्कूल शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा है, राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के अधधीन, जैसाकि वह विनिर्दिष्ट करे, किसी भी अर्हता में छूट दे सकेगी।</p> <p>(7) प्राथमिक विद्यालय में प्रदान किए जाने वाले शिक्षा के पाठ्यक्रम का पाठ्यक्रम, अवधि, मानक और पाठ्यविवरण ऐसा होगा जैसाकि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए।</p> <p>(8) प्राथमिक विद्यालय में आने वाले कर्मकारों के बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।</p>
धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन स्वास्थ्य सुविधाएं	161.	बागान कर्मकार को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उसी रूप में उपलब्ध करायी जाएगीं जैसाकि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के परामर्श से समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।
धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (ड.) के अधीन मनोरंजन सुविधाएं	162.	<p>(1) प्रत्येक नियोक्ता उपबंध और अनुरक्षण करेगा: - (क) वयस्क और बाल कर्मकारों के लिए उपयुक्त इनडोर खेलों के उपबंध के साथ कर्मकारों के लिए एक या एक से अधिक मनोरंजन केंद्र या केंद्र; (ख) जहां उचित दूरी के भीतर पर्याप्त समतल खुली जगह उपलब्ध है, बाह्य खेलों के लिए आवश्यक खेल उपकरण के साथ वयस्क और बाल कर्मकारों के लिए एक खेल का मैदान या खेल के मैदान। परन्तु यह कि इस नियमावली के उपबंधों के अधधीन, नियोक्ताओं का एक समूह मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के अनुमोदन से, संयुक्त मनोरंजन केंद्र और खेल के मैदान उपलब्ध कर सकता है और उसे अनुरक्षित कर सकता है और अपने खर्चों को साझा कर सकता है।</p> <p>(2) इस नियमावली के अधीन उपबंधित और अनुरक्षित किये जाने वाला प्रत्येक मनोरंजन केंद्र कर्मकारों के आवास गृहों के क्वार्टर के यथासंभव सुविधाजनक रूप से स्थित होगा।</p>
धारा 93 की उप-धारा (2) के अधीन वृक्षारोपण में खतरनाक रसायनों, जीवाणुनाशकों, कीटनाशकों और विषैले पदार्थों का उपयोग और नियंत्रण	163.	<p>(1) कोई भी किशोर कर्मकार किसी भी गतिविधि या कार्य में संलग्न नहीं होगा, जहां उन्हें खतरनाक रसायनों, जीवाणुनाशकों, कीटनाशकों, खतरनाक पदार्थों और अन्य विषैले पदार्थों के उपयोग, संचालन, भंडारण और परिवहन के संपर्क में आने की संभावना हो। परन्तु यह कि महिला कर्मकारों को निम्नलिखित शर्तों के अधधीन काम करने के लिए उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है: - (1) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) उपबंधित करने के लिए अधिभोगी द्वारा अन्तराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाया</p>

		<p>जाएगा।</p> <p>(2) जहां तक संभव हो, अधिभोगी समय-समय पर उपर्युक्त प्रक्रियाओं/स्थान को आधुनिक बनाएंगे और उपकरणों का उपयोग करेंगे।</p> <p>(3) स्तनपान कराने वाली महिला कर्मकारों को रोजगार से छूट दी जाएगी।</p> <p>(2) नियोक्ता नियम-75 के अधीन विहित बागान की किसी भी गतिविधि या कार्य में लगी सभी महिलाओं और किशोर कर्मकारों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करेगा और इस नियमावली के नियम-75 में उल्लिखित अभिलेख रखेगा।</p>
धारा 93 की उप-धारा (3) के अधीन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और अर्हता	164.	<p>(1) धारा 93 की उप-धारा (3) के प्रयोजनों के लिए, नियोक्ता एक या एक से अधिक व्यक्तियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करेगा, जिनके पास अपने बागान में कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के उपयोग, संचालन, भंडारण और परिवहन की निगरानी करने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होंगी।</p> <p>(2) उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त पर्यवेक्षकों के पास निम्नलिखित अर्हताएं होंगी, अर्थात्-</p> <p>(क) वह कृषि या किसी विज्ञान में स्नातक होगा या उसके पास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा संचालित रसायनों और विषैले पदार्थों के प्रबंधन पर एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम होगा या विधि के अधीन स्थापित और मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान की गई समकक्ष डिग्री होगी;</p> <p>(ख) उसे एक नाम निर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण दिया जाएगा; तथा</p> <p>(ग) उसके पास कर्मकारों को प्राथमिक चिकित्सा उपचार देने के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस) या सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से वैध प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।</p> <p>(3) पर्यवेक्षक करेगा-</p> <p>(क) स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों पर नियोक्ता को सलाह देना;</p> <p>(ख) उपकरणों, रसायनों, कीटनाशकों आदि के भंडारण के लिए जिम्मेदार होना;</p> <p>(ग) उपरोक्त प्रक्रिया में शामिल रसायनों, कीटनाशकों और कर्मियों के समन्वय और परिवहन के लिए जिम्मेदार होना;</p> <p>(घ) कीटनाशक छिड़काव के उपयोग के कारण रसायनों से संबंधित किसी भी घटना और/या दुर्घटना की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार होना;</p> <p>(ङ) श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों के साथ अच्छे संबंध सुनिश्चित करना;</p> <p>(च) रसायनों का सही उपयोग और उसके छिड़काव को सुनिश्चित करें</p>

		<p>जहां रासायनिक का छिड़काव से सफाई होता है;</p> <p>(छ) सुनिश्चित करें कि छिड़काव कर्मियों को सुरक्षात्मक कपड़े और धूल मास्क उपलब्ध कराया जाय और सुनिश्चित करें कि वे अपनी झूटी के समय के दौरान इसका उपयोग कर रहे हैं;</p> <p>(ज) सुरक्षा प्रक्रिया का सही उपयोग और गुणवत्ता छिड़काव का नियंत्रण सुनिश्चित करें;</p> <p>(झ) लोगों को रखें, विशेष रूप से बच्चों को छिड़काव के संपर्क में आने के खतरे से दूर रखें;</p> <p>(ञ) जारी किए जाने पर तैयार किए गए रसायनों और कीटनाशकों की मात्रा पर ध्यान दें;</p> <p>(ट) बागानों के मजदूरों द्वारा रसायनों के भंडारण, उपयोग और निपटान की निगरानी करना।</p>
धारा 93 की उप-धारा (4) के अधीन श्रमिकों का प्रशिक्षण	165.	<p>नियोक्ता रसायनों, कीटनाशकों और विषैले पदार्थों को संभालने के प्रशिक्षण का आयोजन करेगा और श्रमिकों को प्रदान किए गए उपकरणों को संभालने सुरक्षा सावधानियों को भी अपनाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित मामलों पर किया जाएगा, अर्थात्-</p> <p>(1) कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों को संभालने, मिश्रण, सम्मिश्रण और प्रयोग में शामिल प्रक्रिया;</p> <p>(2) छिड़काव की गुणवत्ता और उपयोग किए गए घोल की गुणवत्ता को नियंत्रित करना;</p> <p>(3) यह देखना कि उपकरण अच्छी तरह से अनुरक्षित कार्य के बाद साफ किए गए हों;</p> <p>(4) कीटनाशक को छिड़काव मशीन में स्थानांतरित करने की विधि;</p> <p>(5) छिड़काव के समय लोगों, विशेष रूप से बच्चों को दूर रखना;</p> <p>(6) रसायनों और कीटनाशकों को किस प्रकार संग्रहीत किया जाना है;</p> <p>(7) कीटनाशक घोल तैयार करने के लिए रसायनों को मिलाने का तरीका;</p> <p>(8) छिड़काव के समय सुरक्षात्मक वस्त्र और मास्क का उपयोग;</p> <p>(9) विभिन्न कार्यों में निहित खतरों पर प्रशिक्षण;</p> <p>(10) कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के रिसाव के संबंध में प्रक्रिया।</p>
धारा 93 की उप-धारा (5) के अधीन बागान श्रमिकों की चिकित्सा जांच	166.	<p>(1) बागान का प्रत्येक नियोक्ता उन सभी कर्मचारियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण की व्यवस्था करेगा, जो जीवाणुनाशक, कीटनाशकों रसायनों और विषैले पदार्थों के संपर्क में आते हैं, जिनका बागान में उपयोग नियंत्रण, भंडारण और परिवहन में किया जाता है, जिसे अनधिक नब्बे दिनों के अंतराल पर संहिता के अधीन नियुक्त चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जायेगा; परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति में विषाक्तता के लक्षण या किसी संक्रामक रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत उसका परीक्षण किया</p>

		<p>जाएगा और उचित उपचार किया जाएगा।</p> <p>(2) नियोक्ता ऐसे पदार्थों के उपयोग, संचालन, सम्मिश्रण, भंडारण और परिवहन के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना के बारे में तुरंत मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।</p> <p>(3) विषाक्तता के सभी मामलों में, चिकित्सक को बुलाने से पहले सदैव प्राथमिक चिकित्सा उपचार दिया जाना चाहिए। कीटनाशक विषाक्तता के मामलों से निपटने के लिए भारतीय मानक मार्गदर्शिका भाग- एक, प्राथमिक चिकित्सा उपाय [एलएस 4015 (भाग-दो)-1967] इस विषय पर किसी भी अन्य पुस्तक के अलावा इस तरह के प्राथमिक चिकित्सा उपचार के लिए परामर्श किया जाएगा। कर्मकारों को विषाक्तता के प्रभावों और दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार के बारे में भी शिक्षित किया जाएगा।</p> <p>(4) छिड़काव कार्य में लगे कर्मकारों को तीन महीने की अवधि तक काम करने के बाद कर्मकारों के अन्य बैच द्वारा बदला जाएगा और प्रतिस्थापित किया जाएगा।</p>
धारा 93 की उप-धारा (6) के अधीन बागान श्रमिकों की चिकित्सा परीक्षा के रिकॉर्ड	167.	<p>(1) नियम-75 और नियम-161 के अधीन आयोजित चिकित्सा परीक्षा के अभिलेख को प्रपत्र-7 के अधीन निर्धारित उपबन्धों और प्रपत्रों के अनुसार रखा जाएगा।</p> <p>(2) ऐसी चिकित्सा रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित कर्मकार को और प्रपत्र-7 के अधीन यथा अनुरक्षित चिकित्सा अभिलेख को उपलब्ध प्रदान की जाएगी, और नियोक्ता ऐसे उपबन्ध करेगा कि संबंधित कर्मकारों को इन रजिस्ट्रों तक आसानी से पहुंच मिल सके।</p>
धारा 93 की उप-धारा (7) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन धुलाई, स्नान और क्लॉक रूम, सुरक्षात्मक कपड़े और उपकरण सुविधाएं	168.	<p>धुलाई, स्नान और क्लॉक रूम की सुविधाएं निम्नलिखित तरीके से नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ अवस्था में और अच्छी दशा में प्रदान की जाएंगी और अनुरक्षित की जाएंगी:</p> <p>(क) एक चिकनी, अभेद्य सहत वाली नाली जिसमें प्लग सहित अपशिष्ट पाइप लगा हो, और जिसकी लंबाई इतनी हो कि एक समय में कार्यरत प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम दो फीट जगह हो, और जिसमें नाली के ऊपर लगे नलों या जैटों से दो फीट से अधिक के अंतराल पर पानी की निरंतर आपूर्ति हो, अथवा</p> <p>(ख) किसी भी समय नियोजित प्रत्येक दस ऐसे व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वॉश बेसिन, एक अपशिष्ट पाइप और प्लग के साथ फिट और पानी की निरंतर आपूर्ति के साथ-साथ किसी भी मामले में, नेल ब्रश, साबुन या अन्य उपयुक्त सफाई सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति और साफ तौलिये दैनिक रूप से बदलते हैं;</p> <p>(ग) काम के घंटों के दौरान पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए उपयुक्त आवास, जिसमें गीला होने पर कपड़ों को सुखाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो। इस प्रकार प्रदान किए गए आवास को एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा;</p>

		<p>(घ) किसी भी कर्मकार द्वारा कार्यस्थल पर या शौचालय में पान, <i>सुयारी</i> या <i>तंबाकू</i> सहित कोई भी खाद्य पदार्थ, पेय नहीं लाया जाएगा और न ही सेवन नहीं किया जाएगा;</p> <p>(ङ) परिवहन या प्रयोग के दौरान कीटनाशकों को संभालने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को उपयुक्त वस्त्रों के साथ पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाएगा;</p> <p>(च) विषैली धूल, वाष्प या गैसों के साँस लेने से रोकने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो उपयुक्त श्वसन उपकरणों के संयोजन में सुरक्षात्मक वस्त्रों का उपयोग किया जाएगा;</p> <p>(छ) किसी भी कर्मकार को छिड़काव के लिए उपयोग प्रयुक्त रासायनिक घोल को पतला करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही ग्राउटलेट्स, धूलरोधी टोपी, हुड, चश्मे, घुटनों तक लंबा पॉलीथीन एप्रिन, रबड़ के दस्ताने, मोजे के साथ रबड़ के जूते (गम बूट्स), नाक और मुँह को ढकने के लिए नाक का मास्क या प्रक्षालित रूमाल का उपयोग किए बिना छिड़काव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;</p> <p>(ज) चश्मे के लेंस अच्छी गुणवत्ता के होंगे;</p> <p>(झ) छिड़काव मशीनों के झटके को कम करने के लिए पीठ पर रबर या गलीचा-पैड का उपयोग किया जाएगा;</p> <p>(ञ) छिड़काव में लगे प्रत्येक कर्मकार को हर पखवाड़े वाशिंग साबुन की एक पट्टी प्रदान की जाएगी;</p> <p>(ट) छिड़काव के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, सुरक्षात्मक वस्त्र और अन्य उपकरण का उचित अनुरक्षण किया जाएगा और जब भी आवश्यक हो तुरंत बदल दिया जाएगा।</p>
<p>धारा 93 की उप-धारा (9) के अधीन कीटनाशकों, रसायनों और विषैले पदार्थों के खतरों को दर्शाने वाली सूचना</p>	<p>169.</p>	<p>बागान का प्रत्येक नियोक्ता उस स्थान पर या उसके समीप एहतियाती नोटिस प्रदर्शित करेगा जहाँ कीटनाशकों, रसायनों और जहरीले पदार्थों को संभाला जाता है-</p> <p>(क) चौगा, दस्ताने, रबर गम-बूट और चौड़ी किनारी वाली टोपी जैसे सुरक्षात्मक वस्त्र का उपयोग करें।</p> <p>(ख) कीटनाशकों और नाशकजीवमार से दूषित कपड़े न पहनें।</p> <p>(ग) सुरक्षात्मक वस्त्रों को साबुन और पानी से धोकर साफ करें।</p> <p>(घ) बच्चों, बीमार व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को कीटनाशकों और नाशकजीवमार को संभालने की अनुमति न दें।</p> <p>(ङ) कीटनाशकों और नाशकजीवमार को संभालते समय खाना, पीना, धूम्रपान या चबाना न चाहिए।</p> <p>(च) अपने मुँह से कभी भी बंद नोजल को न फूँके।</p> <p>(छ) लीक होने वाले स्प्रेयर का प्रयोग न करें। त्वचा, मुँह और आँखों के संक्रमण से बचें।</p> <p>(ज) खेतों में बिना देखरेख के छोड़े गए कीटनाशकों को साँस के जरिए</p>

		<p>अन्दर न लें।</p> <p>(इ) कभी भी हवा के विपरीत दिशा में कीटनाशकों और नाशकजीवमार का छिड़काव न करें।</p> <p>(अ) खेतों में कीटनाशकों और नाशकजीवमार को बिना निगरानी के न छोड़ें।</p> <p>(ट) मनुष्यों और पशुओं को निर्माताओं द्वारा सुझाई गयी अवधि तक कीटनाशकों और नाशकजीवमार के छिड़काव वाले खेतों में प्रवेश करने की अनुमति न दें।</p> <p>(ठ) कीटनाशकों और नाशकजीवमार के कंटेनरों को कुएं या बहते पानी के पास न धोएं।</p> <p>(ड) उपयोग के लिए साफ पानी, साबुन और तौलिये सदैव तैयार रखें।</p> <p>(ढ) काम के बाद खाने, पीने या धूम्रपान करने या चबाने से पहले हाथ और खुली त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं।</p> <p>(ण) कीटनाशकों और नाशकजीवमार को भण्डारण कक्ष में ताला लगाकर रखें और बच्चों और अन्य अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच से दूर रखें।</p> <p>(त) छिड़काव किये गए खेत में प्रवेश न करें। निर्माताओं द्वारा सुझाए गए शाकनाशियों सहित सभी कीटनाशकों और नाशकजीवमार के लिए पुनः प्रवेश अवधि का पालन करें।</p> <p>(थ) कीटनाशकों और नाशकजीवमार को उनके मूल लेबल वाले कंटेनरों में रखें।</p> <p>(द) तत्काल उपयोग को छोड़कर, कीटनाशकों और नाशकजीवमार को कंटेनरों में न डालें और न ही उन पर लेबल लगाएं।</p> <p>(ध) कंटेनरों को अच्छी तरह से खाती करने और धोने के बाद सुरक्षित रूप से निपटान करें। उन्हें जल स्रोत से दूर किसी स्थान पर दफनाया जा सकता है।</p> <p>(न) कंटेनर का उपयोग कभी भी किसी अन्य उद्देश्य के लिए न करें, यदि कंटेनरों से कीटनाशक और नाशकजीवमार के निशान को हटाना असंभव है।</p>
--	--	---

अध्याय-दस अपराध और शास्तियाँ

धारा 111 की उप-धारा (3) के अधीन अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध अपील	170.	<p>(1) इस नियमावली के अधीन अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के समक्ष अपील कर सकता है। अधिकारी के आदेश की प्रति प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर अपील की जाएगी।</p> <p>(2) अपील के साथ (प्रपत्र-57) भी संलग्न किया जाएगा- (क) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है;</p>
---	------	---

		<p>(ख) ऐसी अपील के अधीन लगाए गए शास्ति की राशि के पांच प्रतिशत के बराबर एक अप्रतिदेय शुल्क;</p> <p>(ग) विवादित मुद्दों का एक विवरण;</p> <p>(घ) दस्तावेजी साक्ष्य जिस पर भरोसा किया गया;</p> <p>(ङ) मांगी गयी राहत।</p>
धारा 114 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट शमन अधिकारी द्वारा अपराधों के शमन की रीति	171.	<p>(1) धारा 114 की उप-धारा (1) के अधीन अपराधों के शमन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी संबंधित कथित अभियुक्त व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक शमन नोटिस जारी करेगा जो धारा 114 की उप-धारा (1) के तहत शमनीय है।</p> <p>(2) उप-नियम (1) के अधीन नोटिस प्राप्त व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिकारी को आवेदन कर सकता है और नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण या अन्यथा सम्पूर्ण शमन राशि जमा कर सकता है।</p> <p>(3) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी प्रशमन राशि प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर, उस व्यक्ति को प्रशमन प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिससे प्रशमन नोटिस की संतुष्टि में ऐसी राशि प्राप्त की गई है।</p> <p>(4) यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार सूचित किया जाता है और वह अभियोग प्रारंभ होने से पूर्व एक महीने के भीतर प्रशमन राशि जमा करने में विफल रहता है, तो सक्षम न्यायालय में अभियोजन चलाया जाएगा।</p> <p>(5) धारा 110 की उप-धारा (1) के परंतुक और धारा 114 के अधीन शमन के अन्वय में ऐसे उपबंधों का अनुपालन करने के लिए नियोक्ता को अवसर दिए बिना कोई अभियोजन प्रारंभ नहीं किया जाएगा।</p>

अध्याय-ग्यारह सामाजिक सुरक्षा कोष

धारा 115 के अधीन सामाजिक सुरक्षा कोष	172.	<p>(1) धारा 115 की उप-धारा (2) के खण्ड (एक) और उप-नियम (2) में उल्लिखित निधि के स्रोत के अलावा, निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त राशि निधि में जमा की जाएगी-</p> <p>(क) निधि की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि।</p> <p>(ख) भारत सरकार, राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरणों और सांविधिक निकायों द्वारा दिए जाने वाले अनुदान की राशि।</p> <p>(ग) लाभार्थियों के पंजीकरण/नवीकरण के लिए प्राप्त राशि और उनके अंशदान।</p> <p>(घ) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त धनराशि।</p> <p>(ङ) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त धनराशि।</p>
--------------------------------------	------	--

		<p>(व) सामान्य या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित नियोक्ता, उनके संघ या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि से योगदान या दान या कोई अन्य वित्तीय सहायता।</p> <p>(ख) कोई अन्य स्रोत जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाता है।</p> <p>(ज) उपर्युक्त निधि की राशि का प्रशासन सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2020) और राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन बनाए गए नियमों के में यथा निहित से किया जाएगा।</p>
--	--	--

अध्याय-बारह प्रकीर्ण

धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन सामान्य लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, प्रपत्र और शुल्क	173.	संहिता की धारा 119 के अधीन सामान्य लाइसेंस प्राप्त करने वाला व्यक्ति, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के विनिर्दिष्ट वेब-पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारा 119 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित प्रपत्र-54 में आवेदन करेगा, साथ ही वह इस नियमावली के अध्याय नौ के नियम 78 के उप-नियम (4) और नियम- 104 और नियम-115 के अधीन उल्लिखित तालिकाओं में विहित ऐसा संचयी आवेदन शुल्क भी जमा करेगा।
धारा 119 की उप-धारा (3) के अधीन सामान्य लाइसेंस प्रदान करने की रीति	174.	<p>(1) आवेदन प्राप्त होने पर पदाभिहित प्राधिकारी धारा 119(1) के अधीन गठित समिति की सलाह पर सामान्य लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में निर्णय लेगा।</p> <p>(2) उप-नियम (1) के अधीन ऐसी जांच के लिए, पदाभिहित प्राधिकारी नियम के अधीन गठित समिति से सिफारिश प्राप्त करेगा जो पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।</p> <p>(3) आवेदन और सिफारिश की जांच करने के बाद, यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि सामान्य लाइसेंस जारी किया जा सकता है, तो वह प्रपत्र-55 में ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर इसे जारी करेगा।</p> <p>(4) गलत सूचना देकर प्राप्त किए गए किसी भी लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है परंतु यह कि उस व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा कारण बताने का अवसर दिया गया हो कि लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।</p>
धारा 119 की उप-धारा (6) के अधीन अपील	175.	<p>(1) धारा 119 के अधीन प्राधिकारी के दिनांक द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश के दिनांक से तीस दिनों के भीतर राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से और ऐसी रीति तथा उप-नियम (2) में यथा उल्लिखित शुल्क के साथ अपील दायर कर सकता है।</p> <p>(2) अपील के साथ संलग्न होगा।</p>

		<p>(क) आदेश के विरुद्ध अपील की;</p> <p>(ख) सामान्य लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जमा की गई फीस के पांच प्रतिशत के बराबर एक अप्रतिदेय शुल्क;</p> <p>(ग) विवादित में मुद्दों का एक विवरण ;</p> <p>(घ) दस्तावेजी साक्ष्य जिस पर भरोसा किया गया है।</p> <p>(ङ) मांगी गई राहत।</p>
धारा 121 की उप-धारा (2) के अधीन सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति पर सर्वेक्षण	176.	<p>(1) राज्य सरकार के निदेश पर, धारा 121 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या अन्य अधिकारी या अधिकारी संहिता की धारा 121 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार, किसी प्रतिष्ठान के सामान्य कार्य घंटों के दौरान किसी भी समय, या किसी अन्य समय में, जैसा कि समिति या संबंधित व्यक्ति आवश्यक समझे, प्रतिष्ठान के मालिक या प्रबंधक या उस समय प्रतिष्ठान का प्रभारी होने का दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को लिखित सूचना देने के बाद, प्रतिष्ठान में और बाहर सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सर्वेक्षण कर सकता है।</p> <p>(2) नियोक्ता या प्रबंधक या अन्य व्यक्ति सर्वेक्षण के लिए सभी सुविधायें प्रदान करेगा, जिसमें संयंत्र और मशीनरी की जांच और परीक्षण और सर्वेक्षण से संबंधित नमूनों और अन्य आंकड़ों के संग्रह की सुविधा सम्मिलित है।</p> <p>(3) सर्वेक्षण की सुविधा के प्रयोजन से, आस-पास के प्रत्येक कर्मकार और व्यक्ति, यदि ऐसा है, तो समिति या सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा आवश्यक है, ऐसी चिकित्सा परीक्षा से गुजरने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करें जो ऐसे व्यक्ति द्वारा आवश्यक समझी जा सकती है और अपने पास मौजूद और सर्वेक्षण के लिए प्रासंगिक सभी सूचना प्रस्तुत करें।</p> <p>(4) उप-नियम (2) के अधीन चिकित्सा परीक्षण से गुजरने या सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक कर्मकार द्वारा खर्च किया गया कोई भी समय, अतिकाल कार्य के लिए मजदूरी और अतिरिक्त मजदूरी की गणना के प्रयोजन के लिए, उस समय के रूप में माना जाएगा जिसके दौरान ऐसे श्रमिक ने प्रतिष्ठान में काम किया था।</p>

Digitally signed by
SHANMUGA SUNDARAM

Date: 20-03-2026

11:13:26

आज्ञा से,

(डॉ० एम० के० शन्मुगा सुन्दरम्)

प्रमुख सचिव।

संख्या:- 508 (1)/36-3-2026-1903305 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रतिलिपि: अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 23 मार्च, 2026 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4 (खण्ड-क) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 25 मुद्रित प्रतियां श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- श्रम आयुक्त, उ०प्र० कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नियमावली को श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(नीलेश कुमार सिंह)

विशेष सचिव।